



MATS
UNIVERSITY

NAAC
GRADE **A⁺**
ACCREDITED UNIVERSITY

MATS CENTRE FOR OPEN & DISTANCE EDUCATION

प्रयोजनमूलक हिंदी
बैचलर ऑफ़ आर्ट्स (बी.ए.)
चतुर्थ सेमेस्टर



SELF LEARNING MATERIAL

COURSE DEVELOPMENT EXPERT COMMITTEE

- 1- Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh
- 2- Dr. Sudhir Sharma , Subject Expert ,HOD Hindi Department, Kalyan College, Bhilai
- 3- Dr. Kamlesh Gogia Associate Professor, MATS University ,Raipur, Chhattisgarh
- 4- Dr. Sunita Shashikant Tiwari Associate Professor, MATS University Raipur Chhattisgarh
- 5- Dr. Rajesh Kumar Dubey , Subject Expert, Principal , Shahid Rajeev Pandey Government College ,Bhatagaon , Raipur ,Chhattisgarh

COURSE COORDINATOR

Prof.(Dr.) Kamlesh Gogiya, Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh

COURSE /BLOCK PREPARATION

Prof.(Dr.) Reshma Ansari, HOD Hindi Department , MATS University Raipur Chhattisgarh

March, 2025

ISBN-978-93-49916-41-8

@MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-
(Chhattisgarh)

All rights reserved. No part of this work may be reproduced or transmitted or utilized or stored in any form, by mimeograph or any other means, without permission in writing from MATS University, Village- Gullu, Aarang, Raipur-(Chhattisgarh)

Printed & Published on behalf of MATS University, Village-Gullu, Aarang, Raipur by Mr. Meghanadhudu Katabathuni, Facilities & Operations, MATS University, Raipur (C.G.)

Disclaimer-Publisher of this printing material is not responsible for any error or dispute from contents of this course material, this is completely depends on AUTHOR'S MANUSCRIPT.

Printed at: The Digital Press, Krishna Complex, Raipur-492001(Chhattisgarh)

Acknowledgement

The Material (Pictures and images) we have used is purely for educational purpose. Every effort has been made to trace the copyright holders of material reproduced in this book. Should any infringement have occurred, the publishers and editors apologize and will be pleased to make the necessary corrections in future of this book.

अनुक्रमणिका

माड्यूल	विषय – प्रयोजनमूलक हिन्दी – IV	
माड्यूल – 1	प्रयोजनमूलक हिन्दी अर्थ एवं परिचय व प्रयोग क्षेत्र	
	इकाई – 1 प्रयोजनमूलक हिन्दी का अभिप्राय	1-2
	इकाई – 2 पत्राचार– पत्र लेखन, पत्र के प्रकार की विशेषताएँ	3-33
माड्यूल – 2	संक्षेपण एवं पल्लवन	
	इकाई – 3 संक्षेपण – अर्थ परिचय– प्रक्रिया एवं विशेषताएँ कार्यालयीन संक्षेपण	34-50
	इकाई – 4 पल्लवन– अर्थ– परिभाषा– विधि व तत्व	51-65
माड्यूल – 3	प्रारूपण एवं टिप्पण	
	इकाई – 5 प्रारूपण एवं टिप्पण – प्रारूपण अर्थ व विशेषताएँ	66-68
	इकाई – 6 टिप्पण– अर्थ व विशेषताएँ	69-77
माड्यूल – 4	प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं पत्रकारिता के विविध आयाम	
	इकाई – 7 पत्रकारिता	78-85
	इकाई – 8 अवधारणा स्वरूप और वर्तमान परिदृश्य	86-96
	इकाई – 9 सम्पादनकला अर्थ प्रकार, दायित्व प्रक्रियाएँ ,तकनीकी पक्ष	97-106
	इकाई – 10 मीडिया लेखन– जनसंचार के विविध उपादान, विविध रूप, दृश्य, श्रव्य माध्यम और भाषा	107-133
	इकाई – 11 माध्यमोपायोगी लेखन प्रविधि– अर्थ, प्रकार विशेषताएँ, भाषा शैली और प्रक्रियाँ	134-141
माड्यूल – 5	अनुवाद	
	इकाई – 12 अनुवाद – अर्थ, परिभाषा, स्वरूप, क्षेत्र एवं अनुवाद की समस्याएँ	142-166

प्रयोजनमूलक हिन्दी

प्रयोजनमूलक हिन्दी को अंग्रेजी में फंक्शनल हिन्दी (थनदबजपवदंस भ्पदकप)– कहा जाता है तथा इसका अभिप्राय उस हिन्दी से लिया जाता है जो विभिन्न क्षेत्रों यथा— जनसंचार पत्रकारिता, मीडिया लेखन, कार्यालयी पत्रव्यवहार, अनुवाद आदि में प्रयुक्त की जाती है।

स्पष्ट है कि हिन्दी का यह स्वरूप विषिष्ट का यह स्वरूप विषिष्ट है तथा सामान्य भाषा से कुछ अलग है। सामान्य बोलचाल में जिस हिन्दी भाषी क्षेत्र का कोई व्यक्ति बोल सकता है किन्तु प्रयोजनमूलक हिन्दी का ज्ञान शिक्षित होकर ही प्राप्त किया जा सकता है तथा विविध क्षेत्रों में उसमें दक्षता प्राप्त करनी पड़ती है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी का अभिप्राय उस हिन्दी से है जो विविध क्षेत्रों में सेवा माध्यम (मतअपबम ज्ववस) के रूप में प्रयुक्त होती है। यदि हिन्दी को एक समर्थ भाषा बनाना है तथा अंग्रेजी के समकक्ष खड़ा करना है तो उसे प्रयोजनमूलक बनाना आवश्यक है। तभी वह रोजी-रोटी के साधन के रूप में विकसित हो सकेगी तथा उसकी उपयोगिता बढ़ेगी। विविध प्रकार के पत्राचार, भाषा कम्प्यूटिंग, पत्रकारिता, मीडिया लेखन एवं अनुवाद के क्षेत्रों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी को प्रयोजनमूलक हिन्दी कहा जाता सकता है। डॉ. भोलानाथ तिवारी ने प्रयोजनमूलक हिन्दी के विविध रूप मोटे तौर से इस प्रकार बताये हैं— 1. व्यापारिक हिन्दी 2. कार्यालयी हिन्दी, 3. शास्त्री हिन्दी, 4. वैज्ञानिक तथा तकनीकी हिन्दी, 5. प्रशासनिक हिन्दी, 6. जनसंचार माध्यमों की हिन्दी।

व्यापारिक हिन्दी से उनका अभिप्राय हिन्दी के उस रूप से है जो व्यापारिक मण्डियों को भाषा है, पेयर मार्केट में प्रयुक्त होती है, सर्राफा बाजार के दलालों की भाषा है। यह सामान्य भाषा से कुछ अलग होती

कार्यालयी हिन्दी का प्रयोग विभिन्न सरकारी, स्वायत्तशासी एवं गैर-सरकारी कार्यालयों में विभिन्न रूपों में होता है। कार्यालयी पत्राचार इसी हिन्दी में लिखा जाता है। यह हिन्दी भी बोलचाल की साधारण हिन्दी से अलग होती है तथा इसमें प्रयुक्त शब्दावली भी विषिष्ट प्रकार की होती है। कार्यालयी पत्र भी विविध प्रकार के होते हैं तथा एक निश्चित प्रारूप में उन्हें लिखा जाता है।

शास्त्रीय हिन्दी का तात्पर्य उस हिन्दी से है जो कि विषेश या विशय की अभिव्यक्ति हेतु प्रयुक्त होती है। उदाहरण के लिए काव्यशास्त्र, दर्शनशास्त्र, भाषा शास्त्र या संगीतशास्त्र में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी की शब्दावली एक जैसी न होकर अलग-अलग होती है तथा पारिभाषिक होती

तकनीकी हिन्दी का तात्पर्य विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी से है। विविध ट्रेड (व्यवसाय) बढ़ईगरी लुहारगरी, प्रेस, भारी उद्योग, कारखानों में प्रयुक्त हिन्दी का स्वरूप भी अलग-अलग ढंग का होता है। उदाहरण के लिए फीरोजाबाद के काँच-चूड़ी उद्योग की शब्दावली आगरा के जूता उद्योग में प्रयुक्त शब्दावली से नितान्त भिन्न होगी। वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली का प्रयोग विज्ञान, तकनीक, चिकित्सा, इंजीनियरिंग, कृषि अनुसंधान आदि क्षेत्रों में अलग-अलग रूप में होता है।

प्रशासनिक हिन्दी को कुछ लोग कार्यालयी हिन्दी भी कहते हैं। इसका प्रयोग प्रशासनिक कार्यों में किया जाता है। जनसंचार माध्यमों में प्रयुक्त होने वाली हिन्दी का सम्बन्ध पत्रकारिता रेडियो, टी.वी. की भाषा से है विज्ञापनों की भाषा भी इसी के अन्तर्गत आती है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी की उपयोगिता—

आज हिन्दी भाषा का बहुमुखी विकास हो रहा है वर्तमान समय में हिन्दी को लोकप्रियता दिनोंदिन बढ़ रही है इसका सबसे बड़ा प्रमाण है टेलीविजन पर बढ़ते हिन्दी चौलन। मीडिया को जनता की नब्ज कहा जा सकता है प्रारम्भ में टी.वी. पर अंग्रेजी चौलनों का बोलबाला था किन्तु हिन्दी भाषी दर्शकों की संख्या को देखकर अंग्रेजी समर्थक मीडिया ने ही हिन्दी चौलनों का सहारा लिया। आज हिन्दी के जितने न्यूज चौलन हैं, उतने अंग्रेजी के नहीं। इन न्यूज



प्रयोजनमूलक हिन्दी

चौनलों पर दिखाये जाने वाले विज्ञापनों में भी हिन्दी का ही अधिकाधिक प्रयोग हो रहा है। इससे स्पष्ट है कि हिन्दी की विधि क्षेत्रों में आवश्यकता पड़ रही है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी का तात्पर्य है— वह हिन्दी जिसका प्रयोग हम संचार, विज्ञापन, पत्रकारिता, मीडिया लेखन आदि विविध क्षेत्रों में करते हैं। मीडिया लेखन के अन्तर्गत रेडियों नाटक, फीचर, पटकथा लेखन, उद्घोषणा लेखन आदि अनेक विषय आते हैं। इन सबकी अलग तकनीक है, अलग विधि है। आज का युग विज्ञापन का युग है। विज्ञापन की भाषा की अलग विशेषताएँ होती हैं। वह इस प्रकार का होना चाहिए जो हमारे दिलो-दिमाग पर छा जाये और हमें उस वस्तु विशेष की ओर आकाट कर दे।

इसी प्रार रिपोर्टाज, फीचर, रूपक, डाक्यूमेंट्री लेखन की विधियाँ भी अलग-अलग हैं। समाचार लेखन, सम्पादकीय लेखन लेखन, शीर्षक लेखन आदि पत्रकारिता से जुड़ी हुई चीजें हैं वस्तुतः आज हिन्दी की उपयोगिता विविध क्षेत्रों में हैं अतः आवश्यकता इस बात की है कि विद्यार्थी हिन्दी के इस रूप से भी परिचित हों जो उन्हें व्यावसायिक क्षेत्र में जीविका उपार्जित करने में सहायक हो। प्रयोजनमूलक हिन्दी, भाषा का वह रूप है जो विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होता है तथा व्यक्ति को उन क्षेत्रों में जीविका खोजने

में सहायक हो सकता है।

कामकाजी हिन्दी

कामकाजी हिन्दी का तात्पर्य केवल उस हिन्दी से है जिसमें कार्यालयी कामकाज किया जाता है। इस प्रकार यह दफ्तरों की भाषा है। डॉ. हरदेव बाहरी ने कामकाजी हिन्दी को दफ्तरी भाषा का नाम दिया है इस हिन्दी की कुछ विशेषताएँ इस प्रकार हैं—

1. कामकाजी हिन्दी समान्य बोलचाल की भाषा से भिन्न होती है। 2. कामकाजी हिन्दी में प्रयुक्त शब्दों में अनेकार्थता नहीं होती अर्थात् एक शब्द का एक ही अर्थ होता है जो सुनिश्चित होता है। 3. कामकाजी हिन्दी में पर्यायवाची शब्द नहीं होते। 4. कामकाजी हिन्दी की शब्दावली सुनिश्चित होती है अतः उसे सीखना पड़ता है। 5. सरकारी कार्यालयों में लिखे जाने वाले विविध पत्र एक निश्चित प्रारूप में लिखे जाते हैं, जिसमें फेरबदल नहीं किया जा सकता। 6. कामकाजी हिन्दी में अलंकृत भाषा का प्रयोग नहीं होता और न मुहावरेदार भाषा प्रयुक्त होती है।

वस्तुतः कामकाजी हिन्दी, कामकाजी हिन्दी का ही एक विशेष प्रकार है जो सरकारी कार्यालयों में प्रयुक्त होता है। इस प्रकार प्रयोजनमूलक हिन्दी का क्षेत्र विस्तृत है जबकि कामकाजी हिन्दी का क्षेत्र सीमित है।

इकाई – 2

पत्राचार

पत्राचार को पत्र-व्यवहार भी कहते हैं। जब हम पत्र के माध्यम से अपनी बात दूसरों तक पहुँचाते हैं तब इस प्रक्रिया को पत्र-व्यवहार कहा जाता है। आज के युग में यद्यपि सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए टेलीफोन, मोबाइल का प्रयोग अधिक होता है तथापि पत्राचार की जरूरत बराबर अनुभव की जाती है। आधुनिक संचार माध्यमों-टेलीफोन, फैंक्स, ई-पेल ने यद्यपि पत्रों की संख्या में कमी की है तथापि अभी भी इनकी उपयोगिता विभिन्न स्तरों पर है।

पत्राचार के प्रकार-

1. वैयक्तिक पत्राचार
2. निर्वैयक्तिक पत्राचार

वैयक्तिक पत्राचार के अन्तर्गत वे पत्र आते हैं जो पारिवारिक एवं सामाजिक सम्बन्धों के निर्वहण हेतु लिखे जाते हैं। वैयक्तिक पत्र नितान्त अनौपचारिक होते हैं तथा इनका कोई निश्चित प्रारूप निर्धारित नहीं किया जा सकता। वैयक्तिक पत्रों में भावनाओं की अभिव्यक्ति प्रायः होती है किन्तु निर्वैयक्तिक पत्रों में भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। वैयक्तिक पत्रों की भाषा भी निर्वैयक्तिक पत्रों से अलग होती है तथा इनका आकार भी आवश्यकतानुसार छोटा-बड़ा होता है।

निर्वैयक्तिक पत्राचार के अन्तर्गत व्यावसायिक पत्र, कार्यालयी पत्र, आवेदन पत्र, सम्पादक के नाम पत्र आदि आते हैं। एक अच्छे पत्र की विशेषताएँ निम्न प्रकार निर्धारित की जा सकती हैं-

पत्राचार की विशेषताएँ-

पत्र में वैचारिक स्पष्टता होनी चाहिए।

जहाँ तक सम्भव हो पत्र की भाषा सरल, स्पष्ट होनी चाहिए।

कम शब्दों में अधिक बात कहने की क्षमता पत्र में होने पर उसमें संक्षिप्तता का गुण स्वतः समाविष्ट हो जाता है।

4 पत्र में विनम्रता, सहजता, शिष्टता एवं सरलता होनी चाहिए।

5. पत्र के यथासम्भव सरल और बोधगम्य रखना चाहिए।

6. कार्यालयों पत्राचार का एक निश्चित प्रारूप होता है, अतः इस प्रकार के पत्र निर्धारित प्रारूप के

अनुसार ही लिखे जाने चाहिए।

7 पत्र तथ्यात्मक, सुस्पष्ट, संक्षिप्त, बोधगम्य होने चाहिए।

8. निर्वैयक्तिक पत्र नितान्त औपचारिक होते हैं।

(00) कार्यालयी पत्र (वर्षिबपंस स्मजजमत)

कार्यालयी पत्राचार को सरकारी पत्राचार या शासकीय पत्राचार भी कहा जाता है। ये पत्र समान्यतया एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को शासकीय कामकाज के सिलसिले में लिखे जाते हैं। कार्यालयी पत्राचार की परिधि अत्यन्त व्यापक है। कार्यालय से हमारा अभिप्राय उस सरकारी, अर्द्धसरकारी या स्वायत्तशासी संस्था से है, जिसके द्वारा प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन होता है। कार्यालयी पत्राचार के निम्न प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किये जा सकते हैं।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

ये पत्र एक कार्यालय से दूसरे कार्यालय को लिखे जाते हैं।

2. इन पत्रों की विषय-वस्तु सरकारी कामाज से सम्बन्धित होती है।

3. ये पत्र शासकीय अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा लिखे जाते हैं।

4. सरकारी पत्रों का प्राप्तकर्ता कोई शासकीय कार्यालय, स्वायत्तशासी संस्था या जनता का कोई व्यक्ति होता है। सरकारी कर्मचारियों एवं अधिकारियों को भी इस प्रकार के पत्र भेजे जाते हैं।

कार्यालयी पत्र की विशेषताएँ—

एक कार्यालयी पत्र में निम्नलिखित विशेषताओं को होना आवश्यक है—

1. पत्र तथ्यात्मक होना चाहिए।
2. पत्र स्पष्ट होना चाहिए।
3. विषय प्रतिपादन, युक्तिसंगत, आवश्यक सन्दर्भों से युक्त एवं सटीक होना चाहिए।
4. कार्यालयी पत्र में तथ्यों का मात्र औपचारिक विवरण ही होना चाहिए।
5. कार्यालयी पत्र यथासम्भव संक्षिप्त होने चाहिए।
6. विषय वस्तु आवश्यकतानुसार अनुच्छेदों में विभक्त कर लेनी चाहिए।
7. सरकारी पत्र में पिछले पत्रों का सन्दर्भ भी देना चाहिए।
8. सरकारी पत्रों को निश्चित प्रारूप में लिखा जाना चाहिए।
9. प्रभावोत्पादकता, नम्रता तथा शिष्टाचार भी कार्यालयी पत्र गुण है।

कार्यालयी पत्र का प्रारूप

कार्यालयी पत्राचार का एक निश्चित प्रारूप होता है, अतः इसे लिखने के लिए हमें निम्नलिखित तथ्यों की ओर ध्यान देना चाहिए—

1. पत्र का क्रमांक
2. प्रेशक, कार्यालय का नाम, पता, दिनांक
3. प्रेषित करने वाले अधिकारी का पद, नाम पता,
4. प्राप्तकर्ता का पद, नाम एवं पता
5. पत्र का संक्षिप्त विषय
6. सम्बोधन
7. पूर्व पत्राचार का सन्दर्भ, यदि कोई हो
8. विषय-वस्तु का अनुच्छेदों में विवरण
9. निष्कर्ष एवं अपेक्षाएँ
10. स्वनिर्देश (भवदीय हस्ताक्षर) इत्यादि
11. प्रेशक का हस्ताक्षर
12. पदनाम एवं कार्यालय की सील (मुहर)
13. संलग्नकों को विवरण
14. प्रतिलिपि जिन्हें प्रेषित की गई हो, उनका विवरण।

उक्त सभी तथ्यों का समावेश करते हुए एक आदर्श प्रारूप निम्न प्रदर्शित किया जा सकता है—

कार्यालयी पत्र के प्रारूप में निम्न तथ्यों का समावेश अनिवार्यतः किया जाता है—

1. सबसे पहले पत्र संख्या लिखी जाती है जो प्रायः पत्र के बीच में होती है।
2. पत्र सरकार के जिस विभाग या मंत्रालय द्वारा भेजा जाता है, उस कार्यालय का नाम लिखा होना चाहिए।
3. प्रेशक (पत्र भेजने वाले अधिकारी) का पदनाम भी होना चाहिए।
4. तत्पश्चात् प्राप्तकर्ता का पदनाम, पता, स्थान आदि होना चाहिए।
5. पत्र में दायी ओर स्थान एवं दिनांक लिखा जाता है।
6. पत्र का विषय संक्षेप में एक पंक्ति में विषय शीर्षक के अन्तर्गत लिखना चाहिए।
7. तत्पश्चात् बायीं ओर सम्बोधन महोदय/ महोदया आदि देना चाहिए।
8. पत्र का मुख्य कलेवर अनुच्छेदों में विभक्त करते हुए लिखना चाहिए। पहले पैराग्राफ में पूर्व पत्र का सन्दर्भ देना चाहिए तत्पश्चात् पूछी गयी सूचना या वांछित सूचना का उल्लेख करें और अन्तिम पैराग्राफ में पत्र का उपसंहार सारांश देते हुए करें।
9. पत्र के समापन पर प्रेशक द्वारा किया गया निवेदन दुहराये।
10. दायी और नीचे भेजने वाले अधिकारी का नाम एवं पद टाइप किया जाता है जिसके ऊपर अधिकारी को हस्ताक्षर करने होते हैं।
11. पत्र में बायीं ओर संलग्नकों का विवरण होता है। कभी-कभी इस पत्र की प्रतिलिपि अन्य कार्यालयों या अधिकारियों को भी भेजी जाती है, इसका विवरण भी बायीं ओर क्रमानुसार देना चाहिए।

कार्यालयी पत्रों के प्रकार

कार्यालयी पत्रों के अनेक प्रकार बताये गये हैं। विषय-वस्तु एवं प्रारूप की भिन्नता के आधार पर निम्न प्रकार के कार्यालयी पत्र हो सकते हैं—

1. शासकीय पत्र या सरकारी पत्र (वर्षिबपंस समजजमत)
2. अर्द्धशासकीय या अर्द्ध-सरकारी पत्र
3. अनुस्मारक
4. कार्यालय आदेश
5. कार्यालय ज्ञापन
6. संकल्प
7. प्रेस विज्ञप्ति
8. सूचना
9. परिपत्र
10. पण्डांकन
11. अधिसूचना
12. निविदा
13. अन्तर्विभागीय टिप्पणी

कार्यालयी (शासकीय) पत्र का उदाहरण—



प्रयोजनमूलक हिन्दी

1. उद्योग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर से एक पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को लिखिए जिसमें शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा प्रदान करने का अनुरोध किया गया हो।

उत्तर— पत्र का प्रारूप

उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार

पत्रांक 678/23-बी/05 10

प्रेषक— सचिव, उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सेवा में

मुख्य सचिव

उद्योग भवन

संसद मार्ग, नई दिल्ली

दिनांक 5.2.12 उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ

विशय — शिक्षित बेरोजगारों को ऋण सुविधा

महोदय,

मुझे यह कहने का निर्देश हुआ है कि भारत सरकार ने शिक्षित बेरोजगारों को बैंकों से ऋण सुविधा उपलब्ध कराने का निर्णय लिया है इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश रिजर्व बैंक ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों के लिए जारी किये हैं। ऋण की अधिकतम राशि 50,000 रुपये होगी तथा कोई भी बेरोजगार व्यक्ति जिसने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो इस ऋण के लिए आवेदन करने का पात्र होगा। ऋण पर मात्र सात प्रतिशत वार्षिक ब्याज चुकाना होगा। ऋण का बीस प्रतिशत भाग सरकारी अनुदान होगा जिसमें 10 प्रतिशत केन्द्र सरकार वहन करेगी और 10 प्रतिशत अंशदान राज्य सरकार का होगा।

कृषया योजना का लाभ उठाने वाले बेरोजगार युवकों की सूचनी और दी गई अनुदान राशि का विवरण प्रति तिमाही इस कार्यालय को प्रेशित करें।

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेशित—

1. गवर्नर, रिजर्व बैंक ऑफ इण्डिया, दिल्ली
2. सचिव, उद्योग विभाग, उ.प्र. शासन, लखनऊ
3. सचिव, प्रधानमंत्री कार्यालय, नई दिल्ली।

भवदीय

आर.पी. शुक्ला सचिव, उद्योग मंत्रालय

2. जिलाधिकारी आगरा की ओर से एक पत्र आयुक्त, आगरा मण्डल को लिखिए जिसमें ओलावरशिट से हुई हानि का विवरण देते हुए राहत कार्य हेतु सहायता माँगी गयी हो।

उत्तर— पत्र का प्रारूप

कार्यालय जिलाधिकारी आगरा पत्रांक 273/18/05 आगरा दिनांक 20.06 12 जिलाधिकारी आगरा

सेवा में—

आयुक्त

आगरा मण्डल आयुक्त कार्यालय, आगरा।

विशय ओलावरशिट से पीड़ित किसानों की सहायता

महोदय,

विगत चार दिनों में जिले में हुई भीषण वर्षा एवं ओलावरशिट से इस जिले की तीन तहसीलें – मण्डल अत्यधिक प्रभावित हुए हैं तथा किसानों को भारी आर्थिक क्षति हुई है। क्षति का आकलन कर लिया गया है और किसानों को दैवी आपदा कोश से राहत प्रदान करने की आवश्यकता अनुभव की गयी है।

एतदर्थ आपसे अनुरोध है कि उक्त कोश से पीड़ित किसानों को राहत पहुँचाने के लिए पचास करोड़ रुपये अवमुक्त करें।

भवदीय

बी. के. सिंह जिलाधिकारी

सलग्क—

क्षति का आकलन पत्रा

प्रतिलिपि प्रेषित—

मुख्य सचिव, उ.प्र. शासन, लखनऊ

2. गरह सचिव, उ.प्र., लखनऊ।

3. डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा के कुल सचिव द्वारा एक पत्र लिखिए जिसमें सभी महाविद्यालयों के प्रायश्चो से सत्र नियमितीकरण के सम्बन्ध से सुझाव मांगे गये हैं।

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

प्रेषक—

पैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी

कुल सचिव

डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय

प्रति—

समस्त प्राचार्य

आगरा विश्वविद्यालय से सम्बन्धित समस्त महाविद्यालय

आगरा, क्रमांक— 87903 / 11 / आ / 05

महोदय,

विशय— सत्र— नियमितीकरण के सम्बन्ध में सुझावों का आमन्त्रण ।

दिनांक 15.8.12

उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति महोदय इस बात से अप्रसन्न है कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा का सत्र नियमित रूप से नहीं चल रहा है। परीक्षाएँ अगस्त के अन्त में अमाप्त होती हैं और महाविद्यालयों में प्रवेश जनवरी तक चलते रहते हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर हैं। डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कार्यकारिणी के सदस्यों की भी इच्छा है कि सत्र को षीघ्रतिषीघ्र नियमित किया जये। आप लोग इस सम्बन्ध में अविलम्ब अपने सुझाव भेजे कि सत्र के नियमितीकरण के लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाये? आपको उत्तर मुझे 15 दिन में मिल जाने चाहिए।

भवदीय

(ह) पैलेन्द्र कुमार चतुर्वेदी



प्रयोजनमूलक हिन्दी

कुल सचिव डॉ० भीमराव विश्वविद्यालय, टंकक- अविनाष आगरा।

प्रतिलिपि प्रेशित-

1. कुलाधिपति महोदय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

समस्त प्राचार्य, डॉ. भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बन्धित महाविद्यालय।

अर्द्ध- षासकीय पत्र (व.व.)

अर्द्ध सरकारी पत्र को सामान्यातया डी.ओ. (क्मउप-बवापिबपंस स्मजजमत) कहा जाता है वे पत्र जा के एक सरकारी अधिकारी द्वारादूसरे सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी कामकाज को त्वरित गति प्रदान करने के लिए लिखे जाते हैं। उन्हें अर्द्ध-षासकीय पत्र कहा जाता है। इन पत्रों के द्वारा अधिकारीगण पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर आवश्यक सूचनाएँ, सममतियाँ, सुझाव एक-दूसरे को देकर समस्या का षीघ्र निष्पादन कर देते हैं। और आनावष्यक विलम्ब से बच जाते हैं। सरकारी कार्यालयों में ऐसे पत्रों की आवश्यकता बराबर अनुभव की जाती है। सामान्यतया अर्द्ध- षासकीय पत्र तब लिखे जाते हैं।

जब- 1. किसी महत्वपूर्ण विषय पर षीघ्र कार्यवाही की आवश्यकता है।

2. कई अनुस्मारक देने के बाद भी मामला लम्बित पड़ा हो।

जब कोई गोपनीय विषय पत्र में लिखा हो।

4. जब वैयक्तिक स्पत्तिक स्तर पर कोई सुझाव, सूचना या सम्मति माँगी गयी हो।

यद्यपि इन पत्रों की विषय-वस्तु सरकारी कामकाज से सम्बन्धित होती है तथापि इनकी लेखन षैली षासकीय पत्रों से कुछ अलग होती है अर्द्ध-षासकीय पत्रों में सामान्यता निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए-

ये पत्र अनौपचारिक होते हैं।

ये पत्र सरकारी अधिकारियों के पद नाम से प्रेशित न करे व्यक्तिगत नाम से भेजे जाते हैं।

सम्बोधन में प्रिय श्री या आदरणीय श्री का प्रयोग आवश्यकतानुसार किया जाता है। महोदय का प्रयोग इनमें नहीं होता। सम्मान आयु वर्ग एवसम्मान पद के अधिकारी एक-दूसरे के लिए प्रियश्री का प्रयोग करते हैं तथा बयोवध्द एवं उच्च पदस्थ अधिकारियों के लिए आदरणीय श्री का प्रयेग वांछित है।

पत्र की समाप्ति पर भवदीय का प्रयोग नहीं किया जाता अपितु आपका अथवा भवनिश्ठ का प्रयोग स्वनिर्देश के लिए किया जाता है।

अर्द्ध षासकीय पत्रों में प्रेशितों का नाम, पता ऊपर न लिखकर पत्र की समाप्ति पर बायीं ओर लिखा जाता है।

पत्र की भाषा मैत्रीपूर्ण, संयत, सहज होनी चाहिए।

ये पत्र सदैव एकवचन, उत्तम पुरुष में लिखे जाते हैं।

अर्द्ध-षासकीय पत्रों के उदाहरण

1. सचिव गरह मंत्रालय उ.प्र. षासन की ओर से एक अर्द्ध-षासकीय पत्र जिलाधिकारी आगरा को लिखिए जिसमें आगरा में हुए साम्प्रदायिक दंगों में हुई जन-धन की हानि का विवरण विधान सभा में पूछे गये प्रश्न का उत्तर देने हेतु षीघ्र ही माँगा गया हो।

उत्तर- उत्तर प्रदेश सरकार (गरह मंत्रालय) क्रमांक अ.षा./274/39-05 सचिवालय

प्रेषक-

डी.के. आहूजा उपसचिव सचिवालय उत्तर प्रदेश षासन लखनऊ यह मंत्रालय, उत्तर प्रदेश षासन, लखनऊ दिनांक 25.6.12

प्रिय श्री उपाध्यय,

विधान सभा में पूछे गये एक प्रश्न का उत्तर देने हेतु आपसे यह अपेक्षा की विगत फरवरी में आगरा नगर में हुए साम्प्रदायिक दंगे में धन-जन की क्षति का विवरण प्रेशित करें। इस सम्बन्ध में इस कार्यालय से आपके कार्यालय को पहले भी एक पत्र क्रमांक बी-291/86-5 दिनांक 12.6.12 प्रेशित किया जा चुका है, किन्तु अभी तक उत्तर प्राप्त न होने से व्यक्तिगत तौरपर आपसे अनुरोध कर रहा हूँ। करपया विशय के महत्व को ध्यान में रखते हुए अबिलम्ब यह जानकारी दें कि फरवरी माह हुए दंगों में कितने लोग मारे गये, कितने घायल हुए तथा कितने धार जलाये गये और कितनी दुकानों को क्षति पहुँचायी। अनुमानतरु कितनी सरकारी सम्मति नष्ट हुई, इसका विवरण भी दें।

सधन्यवाद,

सेवा में-

एस.के. उपाध्याय

जिलाधिकारी

आपका (डी.के. आहूजा)

2. कुल सचिव, डा.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा की ओर से एक अर्द्ध-षासकीय पत्र डॉ. एस.के. सिंह को लिखिए जिसमें उत्तर पुस्तिकाएँ एवं अंक तालिकाएँ षीघ्र भेजने का अनुरोध किया गया हो।

डॉ. बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा (पूर्ववर्ती आगरा विश्वविद्यालय) क्रमांक- प. 35-91-162 सी

प्रेषक-

एम. बी. लाल

सीनेट हाउस पालीवाल पार्क आगरा दिनांक 5.5.12

कुल सचिव

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय आगरा

प्रिय डॉ. सिंह,

मैं आपका ध्यान इस कार्यालय के पत्र संख्या 37-91-101 सी दिनांक 4-4-12 की ओर आकषट करना चाहता हूँ जिसमें आपसे यह अनुरोध किया गया था कि मूल्यांकन उत्तर पुस्तिकाएँ एवं अंक तालिकाएँ तुरन्त भेज दें, क्योंकि परीक्षाफल में अनाप्यक विलम्ब ही रहा है खेद है कि अभी तक अंक तालिकाएँ अप्राप्त है।

कषपाया अंक तालिकाएँ एवं मूल्यांकित उत्तर-पुस्तिकाएँ अविलम्ब भेज दें जिससे परीक्षाफल घोशित किया जा सके।

सादर, आपका (एम.बी. लाल)

सेवा में-

डॉ. एस. के. के सिंह

डी. एस. कालेज,

अलीगढ़।

कार्यालय ज्ञापन (वर्षिबम डमउवतंदकनउ)

सरकार के विभिन्न मंत्रालय पारस्परिक सूचनाओं का आदान-प्रदान करने हेतु कार्यालय ज्ञापन का प्रयोग



प्रयोजनमूलक हिन्दी

करते हैं। कार्यालय ज्ञापन की लेखन पद्धति में निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. यह सदैव अन्य पुरुष में लिखा जाता है।
2. इसमें सम्बोधन नहीं होता और न स्वनिर्देश (भवदीय) होता है।
3. कार्यालय ज्ञापन में पत्र के बीच में कार्यालय ज्ञापन संख्या, दायीं ओर भेजने वाले कार्यालय का नाम रहता है।
4. प्रेशित जिसे भेजा गया हो का नाम, पद, पता पत्र के बाद में नीचे बायीं ओर रहता है।
5. विषय—वस्तु के उपरान्त भेजने वाले के हस्ताक्षर एवं उसका पद अंकित किया जाता है।
6. प्रतिलिपियाँ जिन्हें प्रेशित की गयी हों, उनका विवरण भी दिया जाता है।
- 7 जिस अधिकारी के आदेश से ये प्रतिलिपियाँ प्रेशित की गयी हैं, उसका निर्देश भी रहता है।
3. जिलाधिकारियों का स्थानान्तरण शासन ने किया है। इसका प्रारूप कार्यालय ज्ञापन के रूप में तैयार कीजिए।

कार्यालय ज्ञापन संख्या 183/—2/05

उत्तर प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग लखनऊ दिनांक 30-05-12

अधोहस्ताक्षरी जनहित में एतद् द्वारा यह आदेश देते हैं कि निम्नलिखित अधिकारियों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख निर्दिष्ट पदों पर किया जा रहा है। सम्बन्धित अधिकारी अपने वर्तमान पद से कार्य मुक्त होकर नवीन पद का कार्यभार अविलम्ब ग्रहण कर लें।

क्रमांक

अधिकारी का नाम वर्तमान पद

नवीन पद

1. पी. के. महती

जिलाधिकारी एटा

2. एस. के. उपाध्याय

जिलाधिकारी फरीदोबाबाद

जिलाधिकारी फरीदोबाबाद

जिलाधिकारी एटा

प्रतिलिपि प्रेशित—

सम्बन्धित अधिकारीगण

2. समस्त सचिव, उ.प्र. शासन

3. समस्त जिलाधिकारी, उ.प्र.

4. आयुक्त आगरा मण्डला

कार्यालय आदेश (वर्षिबम वतकमत)—

कार्यालय आदेश किसी कार्यालय या मंत्रालय के एक या एक से अधिक कर्मचारियों को आन्तरिक प्रशासन सम्बन्धी आदेश, अनुदेश, सूचना आदि देने के लिए प्रयुक्त होता है। इस आदेश के द्वारा कभी-कभी अवकाश की स्वीकृति, अस्वीकृति, पदोन्नति रोकने और नियुक्ति आदि की भी सूचना दी जाती है। स्थायीकरण और स्थानान्तरण की सूचना के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार अधिकारियों, अनुभागों और एक मंत्रालय से सम्बद्ध समग्र यूनिट के मध्य आदेश आदि की जानकारी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है।

इसमें उत्तम पुरुष एकवचन का प्रयोग किया जाता है।

3. इसमें सम्बोधन और स्वनिर्देश का प्रयोग नहीं होता है।

4. आदेश के अन्त में बायीं ओर आदेश देने वाले अधिकारी के हस्ताक्षर तथा पद नाम का उल्लेख रहता है

हस्ताक्षर के बायीं ओर उस व्यक्ति, विभाग, अनुभाग और कार्यालय का नामोल्लेख रहता है, जिन्हें यह आदेश और उसकी प्रतिलिपियाँ भेजी जा रही है।

कार्यालय आदेश का उदाहरण

२४२/०५

भारत सरकार

परह मचालय

नई दिल्ली, जून, 2012

लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित विभागीय परीक्षाएँ नवम्बर 2005 में होंगी। उक्त परीक्षा में सम्मिलित होने के इच्छुक अभ्यर्थी अपने आवेदन पत्र 31 अगस्त तक इस कार्यालय में अवश्य भेज दें।

प्रतिलिपि प्रेषितरू— पी. के अरोरा

अवर सचिव

भारत सरकार

1. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग

2. सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय

अधिसूचना —

अधिसूचना के माध्यम से सरकारी विज्ञप्तियाँ, सूचनाएँ, आदेश, अध्यादेश, अधिनियम, विधायक, त्रियुक्तियाँ आदि की सूचना दी जाती है। अधिसूचना या तो प्रान्तीय सरकार प्रान्तीय गजट में प्रकाशित कराती है या केन्द्र सरकार अपने राजकीय गजट में प्रकाशित कराती है। राजपत्रित अधिकारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, स्थानान्तरण, सेवा निवृत्ति आदि की जानकारी भी अधिसूचना के माध्यम से लोगों तक पहुँचाती जाती है।

1. अधिसूचना में निम्न बातें उल्लेखनीय हैं—

अधिसूचना में यह उल्लेख रहना आवश्यक है कि यह गजट के किस भाग में और किस खण्ड में प्रकाशित होनी है।

2. अधिसूचना पर संयुक्त सचिव या उससे बड़े सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर होते हैं, क्योंकि अधि

कसूचना प्रकाशित कराने का अधिकार इसी स्तर के अधिकारी को प्राप्त है।

3. इसमें सम्बोधन और स्वनिर्देशन नहीं होता।

4. अधिसूचना जिस कार्यालय से प्रकाशित कराने के लिए भेजी जाती है, उस कार्यालय का नाम, पता भी आवश्यक है।

5. अधिसूचना सदैव अन्य पुरुष में लिखी जाती है।

6. जिन्हें प्रतिलिपि प्रेषित की गई हो, उनके नाम, पते बायीं ओर लिखे जाने चाहिए।

अधिसूचना का उदाहरण— (भारत के राजपत्र के भाग—4 खण्ड—3 में प्रकाशनार्थ)

भारत सरकार (मानव संसाधन विकास मंत्रालय) नियुक्तियाँ नई दिल्ली दिनांक 25—8—12



प्रयोजनमूलक हिन्दी

क्रमांक 6/बी.57-05 श्री ए. बी. पटवर्द्धन आई.ए.एस. जो गुजरात सरकार में कार्यरत थे, को प्रतिनियुक्ति पर भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय में संयुक्त सचिव पद पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने 22-8-12 को अपना कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

सेवा में-

प्रबन्धक

भारत सरकार का राजपत्र

सचिवालय (नार्थ ब्लॉक)

एस.पी. सिौदिया

सचिव, भारत सरकार

नई दिल्ली।

प्रतिलिपि प्रेषित-

अवस्थापना अधिकारी, गरह मंत्रालय, भारत सरकार

सचिव, गरह मंत्रालय, भारत सरकार

3. श्री एबी पटवर्द्धन को सूचनार्थ ।

प्रेस विज्ञप्ति (त्तमे बउउनदपुनम)

सरकार द्वारा समाचार-पत्रों में ऐसी सूचनाएँ प्रकाशित करायी जाती है जिनका सम्बन्ध जनसाधरण से होता है। ये सूचनाएँ प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से जनता तक पहुँचायी जाती हैं। प्रेस विज्ञप्ति पूर्णतः औपचारिक होती है अतः उसमें कोई काट-छाँट नहीं की जाती जबकि प्रेस नोट में सम्पादन किया जा सकता है। यही इन दोनों का अन्तर है।

प्रेस विज्ञप्ति के प्रारूप लेखन में निम्न निर्देशों का पालन करना अपेक्षित है-

प्रेस विज्ञप्ति किस तिथि को किस समय प्रकाशित की जाय, इसका उल्लेख सबसे ऊपर रहता है।

2. विषयानुरूप शीर्षक देना भी आवश्यक

सम्बोधन और स्वनिर्देश नहीं होता।

विषय-वस्तु के उपरान्त दायीं ओर जारी करने वाले अधिकारी का नाम एवं पद रहता है तथा बायीं ओर जारी करने वाले कार्यालय का नाम रहता है। हों पर प्रेस विज्ञप्ति संख्या भी होती है।

प्रेस विज्ञप्ति मुख्य सूचना अधिकारी या जिला सूचना अधिकारी के द्वारा प्रसारित की जाती है, अतः सामान्यता जारी करने वाला अधिकारी सूचना को इसे प्रसारित करने का आदेश देता है।

प्रेस विज्ञप्ति का उदाहरण

(दिनांक 9 नवम्बर 12 पूर्व प्रकाशित न करें।)

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि फीरोजाबाद नगर में शान्ति-व्यवस्था भंग होने की आशंका को दृष्टिगत रखते हुए 10 नवम्बर 12 से 10 दिसम्बर 05 तक एक महा के लिए धारा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता के अन्तर्गत निशेधाज्ञा लागू कर दी गयी है।

कोई भी व्यक्ति बन्दू, चाकू, लाठी, तलवार आदि लेकर सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलेगा तथा एक स्थापर चार से अधिक लोग एकत्र नहीं होंगे। इस अवधि में लाउडस्पीकर का प्रयोग वर्जित होगा तथा बिना पूर्व अनुमति के आम सभाओं पर प्रतिबन्ध होगा।

प्रेस वि. संख्या 5/05

समस्त स्थानीय समाचार-पत्रों के प्रतिनिधि ।
अनुस्मारक अथवा अनुसमरण पत्र (तमउपदकमत)

वी.पी. शर्मा

डी.एम. (नगर)

अनुस्मारक को स्मरण-पत्र भी कहते हैं। अनुस्मारक अंग्रेजी शब्द तमउपदकमत का हिन्दी रूपान्तर जब किसी पत्र, कार्यालय गायन, अर्द्ध सरकारी पत्र आदि का उत्तर सम्बन्ध मन्त्रालयों कार्यालयों अथवा व्यक्ति विशेष से निश्चित अवधि बीत जाने पर भी नहीं मिलता, उस दशा में उसे स्मरण कराने के लिए अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक का भी उत्तर न आने पर द्वितीय एवं तृतीय अनुस्मारक भेजा जाता है। अनुस्मारक भेजने के लिए पत्र के मूल रूप का प्रयोग किया जाता है। सरकारी पत्र के अनुस्मारक के लिए सरकारी पत्र के समान तथा अर्द्ध-सरकारी पत्र के लिए अर्द्ध-सरकारी पत्र के समान व्यवहार किया जाता है। यदि मूल पत्र कार्यालय ज्ञापन होता है तो अनुस्मारक का रूप भी कार्यालय ज्ञापन के समान ही रहेगा।

अनुस्मारक में पूर्वपत्र की भाषा को दोहराने के बाद खेद प्रकट किया जाता है कि निर्धारित समयावधि निकल जाने पर आवश्यक जानकारी नहीं भेजी गयी अथवा आवश्यक कार्यवाही नहीं की गयी। इससे इस पत्र से सम्बन्धित कार्य की प्रगति रुकी हुई है। पत्र प्राप्त करने वाले के अनुसार उचित भाषा का प्रयोग करते हुए शीघ्र पत्र का उत्तर देने का आग्रह किया जाता है।

यदि एक से अधिक अनुस्मारकों को भेजना पड़ता है तो मूलपत्र के साथ उनके क्रमांक दिनांक एवं भेजे गये अनुस्मारकों की संख्या का भी उल्लेख किया जाता है। अनुस्मारकों का आकार जहाँ तक सम्भव हो, छोटा रखना चाहिए।

अनुस्मारक का उदाहरण

(षासकीय पत्र के रूप में)

अनुस्मारक संख्या-31/6/98-। उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा मन्त्रालय, लखनऊ दिनांक 20-3-12

प्रेशक-

प्रति-

सचिव

शिक्षा मन्त्रालय

उत्तर प्रदेश सरकार

लखनऊ

जिला विद्यालय निरीक्षक आगरा

विशय- सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हाईस्कूलों की निरीक्षण रिपोर्ट भेजने के सम्बन्ध में।
महोदय,

इस मन्त्रालय द्वारा प्रेषित पत्र संख्या 315 / एस/67/156 दिनांक 16-2-12 के सम्बन्ध में मुझे आपको यह सूचित करने का आदेश हुआ है कि उक्त पत्र द्वारा आपको कुछ हाईस्कूलों को सूची भेजी गयी थी, जिन्होंने वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु प्रार्थना की थी। इन हाईस्कूलों के प्रार्थनापत्र आपके माध्यम से नहीं आये थे, पर उन पर आपके जिले के सांसद, विधायक एवं पार्टी अध्यक्ष की सिफारिशें थी। नियमानुसार किसी भी हाईस्कूल को वित्तीय सहायता स्वीकृत करने से पूर्व आपकी अनुषंसा आवश्यक होती है। आपसे इन हाईस्कूलों के विषय में अपने निरीक्षण की रिपोर्ट और अनुषंसा भेजने को कहा गया था। पर्याप्त समय बीत जाने पर भी आपकी अनुषंसा प्राप्त नहीं हुई है। उक्त हाई स्कूलों को



प्रयोजनमूलक हिन्दी

वित्तीय सहायता देने हेतु राजनैतिक प्रभाव पड़ रहा है। आप इन हाईस्कूलों के विषय में अपनी अनुषंसा पीछे भेजें।

भवदीय

एन.के. शर्मा

शिक्षा सचिव

उत्तर प्रदेश सरकार

संलग्नक— वित्तीय सहायता चाहने वाले हाईस्कूलों की सूची।

संकल्प (त्मेवसनजपवद)

संकल्प शासकीय पत्राचार का एक महत्वपूर्ण भेद है, जिसका उपयोग नीतिगत राजकीय निर्णयों की सार्वजनिक घोशणा के लिए, जाँच आयोगों एवं जाँच आयोगों एवं जाँच समितियों की घोशणा हेतु और इन आयोगों एवं समितियों के प्रतिवेदनों की समीक्षा हेतु अथवा उनके परिणामों (निष्कर्षों) को प्रचारित करने हेतु किया जाता है। संकल्प का प्रकाशन राजकीय गजट में अनिवार्य रूप से होता है। संकल्प की लेखन—विधि में निम्न तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए—

2. संकल्प में पत्र क्रमांक दिनांक जारी करने वाले कार्यालय का पता रहता है।

संकल्प जारी करने का अधिकार विभागीय सचिव या संयुक्त सचिव जैसे उच्च अधिकारी को ही प्राप्त है।

3. इसमें न तो स्वनिर्देश (भवदीय) होता है और न सम्बोधन।

संकल्प से क्रमांक से भी ऊपर यह निर्देश रहता है कि यह राजपत्र के किस भाग में और किस खण्ड में प्रकाशित होगा।

संकल्प को टकित रूप में गजट में प्रकाशन हेतु भेजा जाता है तथा इसके मसौदे में कोई काट—छाँट नहीं की जा सकती है।

संकल्प का उदाहरण

(भारत के राजपत्र के भाग—1 खण्ड—2 में प्रकाशनार्थ)

क्रमांक—पी.एस.—39 / 330—87 / 05

भारत सरकार

वित्त मन्त्रालय

नई दिल्ली

दिनांक 20—8—12

संकल्प

केन्द्रीय कर्मचारियों के वेतन पुनरीक्षित करने की माँग को देखते हुए सरकार ने सभी श्रेणियों के कर्मचारियों का वेतनमान पुनः निर्धारित करने हेतु छठवें वेतन आयोग का गठन किया है। इस आयोग के चार सदस्य होंगे—

1. श्री वी. एन. शर्मा, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश इलाहाबाद

2. श्री पी. के. माथुर, रिटायर्ड आई.ए.एस. पटना

3. डॉ. ए.के. नारायण, सदस्य योजना आयोग, नई दिल्ली

4. श्री के.जी. खन्ना, अवर सचिव, वित्त मन्त्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

जस्टिस वी.एस. मुकुन्द इस आयोग के अध्यक्ष होंगे।

आयोग अपनी रिपोर्ट 31-12-05 तक दे देगा तथा आयोग का मुख्यालय 36, सफरराज रोड नई दिल्ली, फोन नं० 2513789 होगा।

आदेश- संकल्प की एक-एक प्रति वेतन आयोग के सदस्यों को भेजी जाय। जन-सामान्य की सूचना हेतु इसे भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

वी.एन. करणामूर्ति

संयुक्त सचिव भारत सरकार

सेवा में

प्रबन्धक

भारत सरकार मुद्रणालय

नई दिल्ली

पष्ठठांकन संख्या- 17/वी-87/05 दिनांक 20-08-12

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

1. सचिव, गरह मन्त्रालय, भारत सरकार
2. सचिव, प्रधानमंत्री सचिवालय, भारत सरकार
3. कैबिनेट सचिव, भारत सरकार
4. 4 से 7 तक वेतन आयोग के सदस्यगण

परिपत्र (व्यतबनसंत)

परिपत्र का प्रयोग नियमों या अनुदेशों या अनुदेशों की सामान्य रूप से सूचना देने के लिए होता है। यह परिपत्र शासकीय पत्र, अशासकीय पत्र, अर्द्ध-शासकीय पत्र, कार्यालयी ज्ञापन, विज्ञप्ति आदि में से किसी भी रूप में हो सकता है। परिपत्र का प्रयोग आन्तरिक सूचना के लिए होता है।

वस्तुतः जब कोई सूचना, आदेश या अनुदेश एक साथ समस्त सम्बद्ध और अधीनस्थ कर्मचारियों तथा कार्यालयों को भेजा जा रहा है, उस सूचना या आदेश को सरकारी पत्र का रूप न देकर परिपत्र के रूप में भेजा जाता है। परिपत्र द्वारा मन्त्रालय आदि अपने संलग्न तथा अधीनस्थ कार्यालयों को विभागीय सूचनाएँ आदेश भेजते हैं।

परिपत्र भेजने वाला एक व्यक्ति होता है और उसकी विषय-वस्तु भी एक होती है तथा सम्बद्ध समस्त कार्यालयों को एक साथ भेजा जाता है। जिन-जिन अधिकारियों या कार्यालयों को परिपत्र भेजा जाना होता है, सम्बोधन की जगह उनके नाम, पद तथा पता लिखा जाता है।

शासकीय पत्र एवं परिपत्र में एक अंतर यह होता है कि परिपत्र में स्वनिर्देश के लिए वदीय आदि का प्रयोग न होकर पद और मन्त्रालय का नाम रहता है, जबकि सरकारी पत्र में भवदीय, आपका आदि के रूप में स्वनिर्देश रहता है, जबकि सरकारी पत्र में भवदीय आपका आदि के रूप में स्वनिर्देश रहता है। दूसरा अन्तर यह है कि परिपत्र लेखन अन्य पुरुष में ही होता है, उत्तम पुरुष में नहीं।

मुख्य सचिव भारत सरकार द्वारा एक परिपत्र प्लेग की रोकथाम एवं सतर्कता हेतु सभी प्रान्तों को लिखिए।

उत्तर- परिपत्र संख्या- स्वास्थ्य 90/18/05

गृह मन्त्रालय भारत सरकार

प्रेषक- मुख्य सचिव

भारत सरकार, नई दिल्ली।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

प्रति मुख्य सचिव

समस्त प्रान्तीय सरकारें

विशय— प्लेग की रोकथाम और सतर्कता के सम्बन्ध में।

सचिवालय

भारत सरकार, नई दिल्ली

दिनांक 15—6—12

प्रिय महोदया

गुप्तचर विभाग से सूचना मिली है कि पाकिस्तान ने कुछ ऐसे व्यक्तियों को दिल्ली में भेजा जिन्हें प्लेग की बीमारी हो गयी थी और जिनके बचने की कोई आशा नहीं रही थी। इन लोगों को यह समझकर भेजा गया है कि तुम लोग मरते-मरते अपने दुष्मन हिन्दुस्तान को सबक सिखाते जाते। ये लोग प्लेग से बचाव न करके प्लेग से बचाव न करके प्लेग को महामारी का रूप देंगे। दिल्ली में प्लेग के अधिक रोगी होने से यह आशंका सत्य जान पड़ती है। सभी प्रान्तों के लोग दिल्ली आते हैं। ऐसे लोगों का प्लेग से प्रीणावित होकर अपने नगरों लौटना स्वाभाविक है। इसके बचाव का प्रयत्न पूरे भारत को करना आवश्यक है। सभी प्रान्तीय सरकारें अपने नागरिकों को अनिवार्य रूप से प्लेग के टीके लगवायें तथा तथा समाचार-पत्रों दूरदर्शन — आकषवाणी आदि के द्वारा इस बात का प्रचार करें कि प्लेग को फैलने से कैसे रोका जा सकता है?

के.एल. अग्रवाल

मुख्य सचिव

भारत सरकार

प्रतिलिप प्रेषित—

मुख्य सचिव

समस्त प्रान्तीय सरकारें ।

डॉ.बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय, आगरा

परिपत्र संख्या— 301 / 05 /

प्रेषक—

सेवा में—

सहायक कुल सचिव (परीक्षा)

बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय

आगरा।

समस्त प्राचार्य/प्राचार्या

डॉ. बी. आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध

सभी महाविद्यालया

विशय— संस्थागत परीक्षार्थियों के परीक्षा आवेदन—पत्र।

महोदय/ महोदया,

विश्वविद्यालय ने शिक्षा सत्र नियमित करने हेतु यह निर्णय लिया है कि वर्ष 2012 की परीक्षाएँ 7 अप्रैल से प्रारम्भ कर दी जायें, अतः आपसे यह अनुरोध किया जा रहा है कि आप अपने महाविद्यालय के संस्थागत परीक्षार्थियों के आवेदन—पत्र निर्धारित शुल्क सहित 15

जनवरी, 05 तक विश्वविद्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करवा दें। इसके उपरान्त विशेष परिस्थितियों में ही कुलपति का लिखित आदेश मिलने पर ही आदेश मिलने पर ही आवेदन पत्र जमा किये जा सकेंगे।

करपया छात्र-छात्राओं को इस सम्बन्ध में सूचित कर निर्धारित तिथि तथा परीक्षा आवेदन-पत्र एवं शुल्क जमा करके विश्वविद्यालय में प्रेशित करने की व्यवस्था करें।

जे.एन गुप्ता

सहायक कुल सचिव,

(परीक्षा)

प्रतिलिपि प्रेशित-

1. वैयक्तिक सहायक, कुलपति
2. सहायक कुल सचिव, गोपनीय

सचिव खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से एक परिपत्र सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित करें जिसमें खाद्यान्नों की वसूली की व्यवस्था करने का निर्देश दिया गया हो।

परिपत्र संख्या के/ 32-89/05

उत्तर प्रदेश शासन

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय

सचिवालय

लखनऊ दिनांक 15-3-12

प्रेषक-

खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय,

उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ

सेवा में-

समस्त जिलाधिकारी

विशय - खाद्यान्न की वसूली

महोदय/ महोदया,

उत्तर प्रदेश शासन द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार इस वर्ष खाद्यान्न वसूली का लक्ष्य 1 करोड़ टन निर्धारित किया गया है इसमें गेहूँ की वसूली का लक्ष्य 70 लाख टन रखा गया है। लक्ष्य पूर्ति के लिए यह आवश्यक है कि सभी जिलाधिकारी अपने-अपने जनपद में खाद्यान्न वसूली केन्द्रों की व्यवस्था करें और इन पर किसानों को समुचित सुविधाएँ उपलब्ध करायें।

गेहूँ की विभिन्न किस्मों का खरीद मूल्य पहले ही निर्धारित किया जा चुका है। कृपया निधरित लक्ष्य प्राप्त करने हेतु समुचित प्रबन्ध करें और शासन को प्रति सप्ताह खरीदे गये खाद्यान्न का विवरण प्रेशित करते रहें।

ओ.पी. शर्मा

सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्रालय

उत्तर प्रदेश शासन

प्रतिलिपि प्रेशित-



प्रयोजनमूलक हिन्दी

1. वैयक्तिक सचिव, मुख्यमन्त्री, उ.प्र.
2. वैयक्तिक सचिव, खाद्य एवं आपूर्ति मन्त्री, उत्तर प्रदेश।

निविदा सूचना (जमदकमत छवजपबम) –

सरकारी, स्वायत्तषासी संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के कार्य ठेकेदारों से कराये जाते हैं। इस हेतु मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से कार्य कराने हेतु निविदाएँ (जमदकमत) आमन्त्रित की जाती हैं। निविदाएँ आमन्त्रित करने के लिए जो प्रारूप समाचार-पत्रों में प्रकाशित कराया जाता है, उसे निविदा सूचना कहते हैं।

निविदा सूचना में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम, पता होता है, जो निविदा आमन्त्रित कर रहा है। निविदा में उसका क्रमांक भी दिया जाता है।

जमानत राशि, यदि आवश्यक हो, उसका विवरण भी लिखा जाता है।

प्रयोजन मूलक हिन्दी

निविदाएँ स्वीकार करने की तिथि व समय तथा निविदाएँ खोलने की तिथि व समय अंकित करना आवश्यक हैं

कार्य का विवरण, कार्य समाप्त करने की अवधि एवं भुगतान विधि का उल्लेख करना भी आवश्यक है।

निविदा आमन्त्रित करने वाले अधिकारी का नाम, पद भी होना चाहिए।

निविदा का उदाहरण

कार्यालय सहायक अभियन्ता – तृतीय बेवर फीडर निर्माण खण्ड—एटा अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या 2/ 111/98-05 निम्नलिखित कार्यों के लिए मुहरबन्द निविदाएँ अनुभवी ठेकेदारों से अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 8-8 को 3 बजे अपराह्न तक आमन्त्रित में उपस्थिति निविदादाताओं अवा उनके मनोनीति प्रतिनिधियों के सामने खोली जायेंगी। प्रत्येक निविदा के साथ निर्धारित धरोहर धनराशि राष्ट्रीय बचत पत्र या किसी राष्ट्रीय बचत पत्र या किसी राष्ट्रीयकृत बैंक के क्रॉस डिपोजिट एवं डाकघर बचत पासबुक के रूप में जो अधिषासी अभियन्ता बेवर फीडर निर्माण खण्ड एटा के नाम बन्धक होगी, संलग्न करना आवश्यक है। यह धरोहर राशि नकद/बैंक ड्राफ्ट अथवा चौक के रूप में मान्य न होगी। निविदा प्रपत्र निर्धारित मूल्य के नकद भुगतान के उपरान्त किसी भी दशा में वापस नहीं होगा। निविदा प्रपत्र दिनांक 7-8 दो बजे अपराह्न तक किसी भी कार्य दिवास में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं।

क्रमांक/ लाट न. कार्य का नाम कार्यपूर्ण करने की अवधि

अनुमानित लागत धरोहर धनराशि

निविदा प्रपत्र का मूल्य

बेवर फीडर के कामन बैंक पर ककर मेटलिंग का कार्य कंकर की आपूर्ति एवं दुलाई सहित किमी 30-00 से 40-00 तक 40 दिवस

2. किसी 40-00 से 41-00 तक 50,000/ 1,000/- 10/-

3. किमी 41-00 से 41-00 तक

षर्तें—

4. कार्य से सम्बन्धित आवश्यक विवरण किसी भी कार्य दिवस में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय से ज्ञात किया जा सकता है। निविदादाता निविदा देने से पूर्व कार्य स्थल पर जाकर कार्य की पूर्ण जानकारी अवश्य कर लें।

अधोहस्ताक्षरी द्वारा बिना कारण बताये किसी भी अथवा समस्त निविदाओं को निरस्त करनेका अधिकार सुरक्षित है।

कोई भी निविदा बिना धरोहर धरोहर धनराशि के मान्य न होगी।

निविदा फार्म के साथ रु 5/- का जनरल स्टाम्प तथा 1/- का रेवेन्यू टिकट लगाना अनिवार्य

ओ.पी. गुप्ता

सहायक अभियन्ता तृतीय

(2) व्यावसायिक पत्र

(बुद्धिमत्तबपंस स्मजजमत)

व्यावसायिक पत्रज को व्यापारिक पत्र भी कहते हैं। वसा के सिलसिले में लिखे जाने वाले पत्र इस श्रेणी में आते हैं। ये पत्र पूर्णतरु औपचारिक होते हैं तथा इनमें केवल मतलब की बात ही लिखी जाती है। बतमंजम को विशय-वस्तु के आधार पर अनेक वर्शों में बेटा जा सकता है। यथा-

1. पूछताछ पत्र

3. तकादे के पत्र

5. साख पत्र एवं परिचय-पत्र

विषेशताएँ

2. आदेश पत्र

4. एजेन्सी सम्बन्धी पत्र

6. बैंक सम्बन्धी पत्र ।

2. व्यापारिक पत्र छपे हुए लेअर पैड पर लिखे जाते हैं।

ये पत्र पूर्णतः औपचारिक होते हैं।

3. पत्र की भाशा पूर्णतः संयत, मैत्रीपूर्ण, सुस्पष्ट होती है।

4. पत्र संक्षेप में लिखे जाने चाहिए।

5. सम्बोधन में प्रिय महोदय का प्रयोग होता है।

6. जिसे पत्र भेजा जाता है उस फर्म या व्यावसायिक संस्थान का नाम पत्र पर सबसे ऊपर दाहिनी

ओर लिखा जाता है।

पत्र का क्रमांक भी दाहिनी ओर होता है।

8. बायीं ओर पत्र भेजे जाने का दिनांक होना आवश्यक है।

उदाहरण- आदेश पत्र

सुभाश बुक सेण्टर

(थोक पुस्तक विक्रेता)

सेवा में

महोदय,

मै, संजय पुस्तक मन्दिर

राजा की मण्डी, आगरा। कोटला रोड. फीरोजाबाद मितपबी 15-10-12



प्रयोजनमूलक हिन्दी

करपया हमें निम्न पुस्तकें निम्न पुस्तकें अविलम्ब भेजने का कष्ट करें। पुस्तकें ट्रान्सपोर्ट कम्पनी

से भेजें तथा बिल्टी हमारे बैंकर्स सेण्ट्रल ऑफ इण्डिया, फीरोजाबाद को भेज दें। पुस्तकों का विवरण निम्नवत है—

क्रमांक पुस्तक का नाम

संख्या 50

1. संजय हिन्दी भाषा बी.ए. (1)
2. संजय हिन्दी साहित्य बी.ए. (९)
3. संजय समाजशास्त्र बी.ए.(९)
4. संजय राजनीति विज्ञान बी.ए. (11)
5. संजय अर्थशास्त्र दिग्दर्शन बी.ए. (1)
6. संजय जनरल इंग्लिश बी.ए. (८)

धन्यवाद सहित,

40 40 30 60 8 8 8 8 8 न 50 270 प्रतियाँ

भवदीय

(एस.के. शर्मा)

करते सुभाष बुक सेण्टर

उदाहरण 2. तकादे का पत्र

समरकिंग कूलर्स

(कूलर्स एण्ड स्टील फर्नीचर डिवीजन)

सेवा में,

मैं, मंतद जमतम

जलेसर रोड

फीरोजबाद

महोदय,

32, जी.टी. रोड गाजियाबाद

दिनांक 30-11-12

हम आपका ध्यान अपने बिल संख्या 324 दिनांक 4-5-04 की ओर आकश्लट करना चाहते हैं। इस बिल की धनराशि 16,375.50 रु० है और अभी तक आपने इसका भुगतान नहीं किया है।

हम आपके अत्यन्त आभारी होंगे यदि आप शीघ्र ही उक्त राशि का ड्राफ्ट प्रेशित कर दें। आपके

नये आर्डर की भी हमें प्रतीक्षा है।

सधन्याबाद,

उदाहरण 3. एजेन्सी प्राप्त करने हेतु

दिनकर एण्ड कम्पनी ताररु दिनकर दूरभाषरु 2368423 पत्र संख्या रु 245/01

सेवा में,

भवदीय

के.के. बंसल

करते समरकिंग कूलर्स

पुराना बाजार, माल एवेन्यू

कोलकाता

दिनांक 8-7-12

सर्वश्री चूर्क सीमेण्ट फैक्टरी,

गाँधी रोड, मिर्जापुर

विशय-एजेसी के लिए आवेदन- पत्र

प्रिय महोदय,

हमें विश्वसनीय रूप से ज्ञात हुआ है कि आपको बंगाल राज्य के लिए सीमेण्ट की बिक्री बढ़ाने के लिए कुछ प्रतिनिधियों की आवश्यकता है। अतः हम बंगाल राज्य के लिए आपके एकाकी प्रतिनिधि होने के लिए आवेदन-पत्र भेज रहे हैं।

हमारी संस्था की स्थापना सन् 1990 में की गई थी और तभी से हम यहाँ ठेकेदार एवं दलालों का कार्य कर रहे हैं। हमारे नियन्त्रण में यहाँ अनेक सरकारी व गैर-सरकारी इमारतों का निर्माण हुआ है। निर्माण कार्य में सीमेण्ट की आवश्यकता होती है। अतः आप हमें बंगाल राज्य के लिए एकाकी प्रतिनिधि नियुक्त कर दें तो इससे आपको लाभ होगा और साथ ही हमारे निर्माण कार्य सरलता से पूर्ण हो सकेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि यहाँ सीमेण्ट की बिक्री बहुत बढ़ जायेगी।

विक्रय पर 4: कमीशन तथा 1: बिक्री व्यय पर हम कार्य करने को तैयार हैं।

हमारी ख्याति एवं आर्थिक स्थिति के विशय में आप निम्नलिखित से पूछताछ कर सकते हैं।

1. मैं बजाज ऑटोमोबाइल्स, हार्बर रोड, कोलकत्ता ।

स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, विधान सभा रोड, कोलकाता ।

श्री आर के, बिरला, हिन्दुस्तान मोटर्स, न्यू चाइना टाउन, कोलकत्ता ।

भवदीय

उदाहरण-4 माल भेजने की सूचना

संजय पुस्तक मन्दिर

सन्दर्भ संख्या रु 384/05

दिनकर एण्ड कम्पनी के लिए

रमेश चन्द्र घोशाल पार्टनर राजा की मण्डी, आगरा दिनांक 5-10-12

सर्वश्री कैलाषनाथ मुकर्जी,

प्रोप्राइटर, इण्डियन बुक डिपो बनारस।

विशय- माल भेजने की सूचना ।

प्रिय महोदय,

हमें आपको यह सूचित करते हुए अत्यन्त हर्ष होता है कि आपके आदेश क्रमांक 1305 दिनांक खनन के अनुसार हमने आपको अपेक्षित पुस्तकें आज मालगाड़ी से रवाना कर दी है।

आपको बिल्टी संख्या 332 पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा इस आदेश के साथ भेजी जा रही है कि वे 1,780 रु. के एक महा के बिल पर आपकी स्वीकृति मिलने पर बिल्टी आपको दे दें।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

इस पत्र के साथ बीजक की एक प्रति भी हम आपको भेज रहे हैं ताकि आपको 1,780 रु. के माल का विवरण स्पष्ट हो जाये। कृपया बिल को स्वीकार करके बिल्टी लेकर माल छुड़ा लें।

आशा है आप भविष्य में भी इसी प्रकार का माल का आदेश देकर सेवा का अवसर देते रहेंगे।

संलग्न बीजक

भवदीय

संजय पुस्तक मन्दिर के लिए

के.सी. जैन प्रोप्राइटर

(3) व्यावहारिक पत्र

व्यावहारिक पत्रों से अभिप्राय वैयक्तिक पत्रों से है। दैनिक जीवन में हमें इस प्रकार के पत्रों को बराबर आवश्यकता पड़ती है। ये पत्र सरकारी या कार्यालयी पत्रों से भिन्न होते हैं। पारिवारिक पत्र भी इन्हीं के अन्तर्गत आते हैं। व्यावहारिक पत्रों को मोटे तौर पर निम्न वर्गों में बाँट सकते हैं—

1. पारिवारिक पत्र
2. निमन्त्रण पत्र
3. बधाई पत्र
5. सम्पादक के नाम पत्र

7. आवेदन पत्र

(प) पारिवारिक पत्र

3. शोक सन्देश
4. शिकायती पत्र
8. प्रार्थना पत्र ।

पारिवारिक पत्रों को वैयक्तिक पत्र भी कहते हैं। ये पत्र प्रायः परिवारीजनों, सम्बन्धियों, एवं मित्रों को लिखे जाते हैं तथा पूर्णतः अनौपचारिक होते हैं। इन पत्रों के लिखते समय उन सभी

बातों का ध्यान रखना चाहिए जो सामान्य पत्राचार के लिए आवश्यक मानी गयी है। वैयक्तिक पत्रों में आत्मायता, भावों की सहजता, अनौपचारिकता एवं अकरत्रिमता रहती है साथ ही उसमें विनम्रता, सहजता, शिष्टता और सरलता भी होनी चाहिए। अनावश्यक शब्दजाल से बचना चाहिए, कथन की पुनरावृत्ति नहीं करनी चाहिए तथा व्यक्त विचारों में क्रमबद्धता होनी चाहिए। जहाँ तक सम्भव हो पत्र में प्राप्तकर्ता के वैचारिक स्तर के अनुरूप भाषा का प्रयोग करना चाहिए।

पत्र साफ—सुथरे अक्षरी में अच्छे कागज पर लिखा जाना चाहिए।

पत्र में दाहिनी ओर अपना पता तथा दिनांक लिखना आवश्यक है। पता होने से प्राप्तकर्ता को उतर भेजने में सरलता रहती है।

वैयक्तिक पत्रों में पाने वाले का नाम व पता पत्र में न लिखकर लिफाफे पर लिखा जाता है।

पत्र में बायीं ओर उपयुक्त सम्बोधन होता है। बड़ों के लिए आदरणीय, पूज्य, श्रद्धेय, माननीय, पूजनीय जैसे सम्बोधन होते हैं किन्तु स्त्रीलिंग में इनके रूप बदल जाते हैं यथा— आदरणीय, माननीया, आदि। अपने से छोटों को पत्र लिखते समय प्रिय के बाद उसका नाम लिखकर सम्बोधित करते हैं। मित्र के लिए प्रिय मित्र सम्बोधन प्रायः प्रयुक्त होता है।

सम्बोधन के उपरान्त पत्र का मूल विषय प्रारम्भ हो जाता है। पारिवारिक पत्रों में प्रायः अपनी कुशलता की सूचना देकर उनकी कुशलता की आकांक्ष की जाती है।

जिस कारण से पत्र लिखा जा रहा है, उसका उल्लेख करने के बाद अपने मंतव्य को सरल एवं स्पष्ट ढंग से व्यक्त करना चाहिए।

पत्र की समाप्ति पर पत्रोत्तर की अपेक्षा आशा व्यक्त की जाती है तथा समाप्ति सूचक शब्दों का प्रयोग होता है।

दायीं ओर हस्ताक्षर करने से पूर्व बड़ों के लिए आपका आज्ञाकारी और छोटों के लिए आपका शुभचिन्तक, आपका स्नेही बन्धु जैसे शब्दों का प्रयोग होता है।

वैयक्तिक पत्र में आत्मीयता एवं अनौपचारिकता साफ झलकनी चाहिए।

यहाँ वैयक्तिक पत्रों के कुछ उदाहरण प्रस्तुत

उदाहरण 1. पिता का पत्र पुत्र के लिए

प्रिय अंकित,

डो-314, कमला नगर,

बाईपास रोड, आगरा।

दिनांक 10-11-12

शुभाशीश!

आशा है, ईश्वर करपा से तुम सकुशल होंगे। यहाँ पर भी सब लोग कुशल से हैं। जब से तुम गये हो, तब से न तो तुमने फोन किया और न ही अपनी कुशलता पत्र द्वारा सूचित की। हम लोग तुम्हारे विषय में चिन्तित रहते हैं, अतः प्रति सप्ताह फोन अवश्य कर लिया करो।

इस वर्ष तुम्हें पी.सी.एस. की परीक्षा में अवश्य की सफलता प्राप्त करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा परिश्रम सफल होगा। यदि तुम्हें पुस्तकों के लिए और रूपयों की आवश्यकता हो तो संकोच मत करना। अपनी आवश्यकता के अनुरूप पाठ्य सामग्री की व्यवस्था के अनुरूप पाठ्य सामग्री की व्यवस्था तो तुम्हें करनी ही है, इसके लिए जो भी पैसा चाहिए, सकी चिन्ता तुम्हें बिल्कुल नहीं करनी है। मैंने शुक्रवार को तुम्हें दो हजार रुपये मनीआर्डर से भिजवाये हैं, एक-दो दिन में मिल जायेंगे।

य पैसा एक समय तुम्हारा एक मात्र लक्ष्य इस परीक्षा में सफलता पाना है। तुम अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो- इसका आशीवाद हमारी ओर से तुम्हें सदैव मिलता रहेगा। तुम्हारी मममी की तबियत अब ठीक है। वे भी तुम्हें अपना आशीश दे रही हैं। प्रतिमा तुम्हें बाद करती रहती है। कहती है मेरा मझ्या एक दिन सारे परिवार का नाम रोषन करेगा। अगले महीने जब तुम्हारी परीक्षाएँ सम्पन्न हो जावें, जब उसके लिए कुछ अच्छी साहित्यिक पुस्तकें दिल्ली से आवश्यक ले आना। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना।

पेश सब ठीक है। तुम्हारे फोन की प्रतीक्षा रहेगी। अपनी कुशलता से समय-समय पर अवश्य सूचित करते रहा करो।

उदाहरण 2. मित्र के लिए पत्र

शुभेच्छु कुलदीप मिश्र

26- बी गांधी नगर, काँग्रेस रोड, अलीगढ़ दिनांक 8-7-12

प्रिय मित्र गौरव,

नमस्कार ।

तुम्हारा दिनांक 30-6-12 को पत्र प्राप्त हुआ और यह जानकर अतीव प्रसन्नता हुई कि तुम्हारी पोस्टिंग नैनीताल के नगर मजिस्ट्रेट पद पर हो गई है। मित्र, इस शानदार उपलब्धि



प्रयोजनमूलक हिन्दी

के लिए मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। आपने मुझे नैनीताल आने के लिए सपरिवार आमन्त्रित किया है, यह पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। तुम्हारी भाभीजी तो इस आमन्त्रण को पाकर इतनी प्रसन्न हैं कि तुरन्त ही नैनीताल आने की तैयारी में जुट गई। पर आप तो जानते ही हैं, इस महीने में मुझे अवकाश नहीं मिल सकता। अर्द्ध-वार्षिक परीक्षाएँ सम्पन्न करानी हैं तथा कॉलेज अभी सितम्बर तक खुलेंगे।

ऐसी स्थिति में हम लोग 15 दिसम्बर से पहले वहाँ नहीं आ सकते। मैंने इसी के अनुरूप अपना कार्यक्रम निश्चित किया है। हम वहाँ 15 दिसम्बर को पहुँचेंगे और एक सप्ताह तक आपका आतिश्रय ग्रहण करेंगे। मेरे साथ तुम्हारी भाभीजी एवं बच्चे भी आ रहे हैं।

आदरणीय भाभीजी को मेरा सादर नमस्कार पहुँचा दें। आपकी भतीजी भी आप लोगों को नमस्ते कह रही हैं। बच्चों को मेरा स्नेह दें। पेश शुभ है। यदि इधर से कुछ माँगना हो तो निःसंकोच लिखें।

पत्र की प्रतीक्षा रहेगी।

उदाहरण 3 पुत्र का पत्र पिता के लिए

सस्नेह

आपका मित्र प्रेम प्रकाश अग्निहोत्री

15, वैष्णव छात्रावास

एम.जी.रोड, आगरा। दिनांक 18-11-12

परम पूज्य पिताजी,

सादर चरण स्पर्श।

आशा है कि ईश्वर कृपा से आप सब लोग कुशलतापूर्वक होंगे। घर से आने के बाद मुझे सर्दी-जुकाम, बुखार हो गया था, इसलिए समय पर पत्र नहीं डाल सकता। अब मैं स्वस्थ हूँ और चिन्ता करने की कोई बात नहीं है। सम्भवतः ट्रेन में सर्दी लग जाने के कारण बुखार आ गया था। आप किसी प्रकार की चिन्ता न करें, मैंने दवाइयाँ ले ली हैं और डॉक्टर की सलाह के अनुसार गर्म पानी पी रहा हूँ।

पिताजी, यहाँ आने पर मुझे पता चला कि मैं अपनी दो किताबें घर पर ही भूल आया हूँ। कृपया आगले माह जब आप यहाँ आयें तो अपने साथ इन किताबों को अवश्य लेते आयें। मेरे प्रेक्टीकल्स लगभग पूरे हो गये हैं, अतः अब परीक्षा की तैयारी पर पूरा ध्यान लगा रहा हूँ। आपके आशीर्वाद से मैं पहले की भाँति प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो जाऊँगा।

मैं चाहता हूँ कि इस बार गर्मी की छुट्टियों में यहाँ छात्रावास में रहकर आई.ए.एस. को तैयारी कर लूँ। क्योंकि घर पर अध्ययन में बाधा पड़ती है। यहाँ मेरे कुछ अन्य मित्र भी रुकेंगे जिनके साथ सम्मिलित रूप में परीक्षा की तैयारी करना सुविधाजनक रहेगा।

आपकी कठिनाइयों को अनुभव करते हुए मैंने यह निर्णय लिया है कि अगले माह से आप केवल 1,500 रुपये मुझे भेजें। पेश पाँच सौ रुपये प्रतिमाह की व्यवस्था मैंने एक प्राइवेट ट्यूशन से कर ली है।

आदरणीया माताजी के स्वास्थ्य के सम्बन्ध में मुझे चिन्ता लगी रहती है। यदि सम्भव हो तो आप अपने साथ उन्हें यहाँ आगरा लेते आयें। किसी अच्छे चिकित्सक को उन्हें दिखाकर दवाई ले लेंगे। प्रिय रिकू एवं शालिनी को मेरा स्नेह दें।

आपके पत्र की प्रतीक्षा रहेगी।

आपका आज्ञाकारी पुत्र

मोहन लाल

उदाहरण 4 शोक संवेदना

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University
प्रिय सुरेश,

3/23 गाँधी नगर, आगरा।

दिनांक 5-4-12

यह जानकर मुझे अत्यन्त दुःख हुआ कि तुम्हारे पूजनीय पिताजी का आकस्मिक निधन हो गया है। निष्चय ही अभी उनकी अवस्था दिवंगत होने योग्य नहीं थीं, पर क्रूर काल के आगे किसका वरा चलता है।

मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि षोक संतप्त परिवार को धैर्य प्रदान करे और दिवंगत आत्मा को शान्ति दे। आपको इस अवसर पर विवेक एवं धैर्य से काम लेना है क्योंकि अब आप ही अपने परिवार के प्रमुख कर्णधार हैं। आपको सब कुछ संभालना है तथा सारे परिवार को धैर्य देना है।

मुझे पूरा विश्वास है कि आप जैसा विवेक वान व्यक्ति विपत्ति के इन क्षणों में विचलित नहीं होगा और अपनी सूझबूझ से परिवार को साहस एवं धैर्य प्रदान करेगा।

उदाहरण 5 बधाई—पत्र

प्रिय मनोज,

3/32, विभव नगर,

जलेसर रोड, फीरोजाबाद

दिनांक 9-6-12

तुम्हारे विवाह का निमन्त्रण पत्र मुझे यथा समय प्राप्त हो गया था किन्तु उसी तारीख को मेरे छोटे भाई का विवाह कोलकाता में था अतः तुम्हारे विवाह में सम्मिलित नहीं हो सका इसका मुझे खेद है।

करपया मेरी बधाई स्वीकार करें। परमपिता परमात्मा से मेरी यही प्रार्थना है कि वह नव दम्पति का जीवन भर स्नेह के सूत्र में बाँधे रखे और उनका दामन खुशियों से भर दें। समय मिलते ही मैं सपरिवार दिल्ली आकर अपना आशीर्वाद तुम दोनों को प्रदान करूँगा। एक बार पुनः बधाई।

शुभाकांक्षी

आपका गुरुवर

कक्षणकान्त शास्त्री

उदाहरण 6. निमन्त्रण पत्र

प्रिय शर्मा जी, पर्णकुटीर

डी-36, जयपुर हाउस आगरा।

दिनांक 8-10-12

आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि हम अपने नये मकान में दिनांक 13-10-12 को गरह प्रवेश कर रहे हैं। इस अवसर पर आयोजित हवन एवं दोपहर के भोज में आप सपरिवार सादर आमन्त्रित हैं। हम प्रातः 11 बजे ऊपर लिखे पते पर आपकी प्रतीक्षा करेंगे।

स्नेहाकांक्षी

रामप्रताप भट्टेले

सेवा में.

श्री प्रेम मोहन शर्मा

32, न्यू राजामण्डी कालोनी आगरा।

(पप) सम्पादक के नाम पत्र



प्रयोजनमूलक हिन्दी

वे पत्र जो समाचार-पत्र के सम्पादकों को सम्बोधित करके सामान्य जनता, पाठकों द्वारा लिखे जाते हैं, सम्पादक के नाम पत्र कहे जाते हैं। जनतन्त्र में समाचार-पत्रों की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण मानी गयी है। वे लोकतन्त्र का तीसरा स्तम्भ कहे जाते हैं, क्योंकि जनमत बनाने में उनकी प्रगुणी भूमिका रहती है। वस्तुतः समाचार-पत्र जनता और सरकार के बीच सेतु का काम करते हैं। सम्पादक के नाम लिखे गये पत्रों में जन-आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति होती है। इन पत्रों के द्वारा किसी समस्या में अवगत कराया जाता है, शिकायत की जा सकती है, शिकायत की जा सकती है तथा किसी विषय पर अपना अभिमत व्यक्त किया जा सकता है।

□ सम्पादक के नाम लिखे जाने वाले पत्रों में इन बातों पर ध्यान देना चाहिए—

संक्षिप्तता— यथासम्भव पत्र संक्षिप्त होना चाहिए। अधिक लंबे पत्रों को छापना सम्भव नहीं हो पता। कम से कम शब्दों में पुनरावृत्ति से बचते हुए अपनी बात कहनी चाहिए।

स्पष्टता— पत्र-लेखक सरल, सहज भाषा में अपने विचार व्यक्त करे। उसका मंतव्य पूर्णतः स्पष्ट होना चाहिए। यह तभी सम्भव है जब विचार सुलझे हुए हों। अस्पष्ट एवं भ्रामक शब्दों नहीं करना चाहिए।

क्रमबद्धता— इन पत्रों में लेखक को अपने विचार क्रमबद्ध रूप में प्रस्तुत करने चाहिए। असम्बद्ध अपूर्ण विचारों वाले पत्र प्रकाशित नहीं किये जाते हैं।

पूर्णता— पत्र में पूर्णता का गुण भी होना चाहिए। उसका समग्र प्रभाव पढ़ने वाले पर पड़े तभी उसमें पूर्णता का गुण समाविष्ट होता है।

भाषागत सहजता— ऐसे पत्रों में सरल, सहज, सुस्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। उसमें न तो आलंकारिता हो और न करत्रिमता। एक अच्छे पत्र की भाषा कसी हुई ही, दाक्स गठन दोशरहित हो तथा प्रचालित शब्दावली से युक्त हो।

विनम्रता— पत्र का स्वर विक्रम होना आवश्यक है। शिष्ट एवं संयत भाषा से विनम्रता का समावेश स्वतः हो जाता है। दूसरे की भावनाओं को ठोस पहुँचाने वाली भाषा की प्रयोग नहीं करना चाहिए।

निश्चित प्रारूप— सम्पादक के नाम पत्र निश्चित प्रारूप में लिखे जाते हैं। सामान्यतया इस प्रारूप में निम्न बातों का समावेश होता है—

1. प्रेशक का पता और दिनांक
3. विषय का निर्देशन
5. विषय-वस्तु

सम्पादक के नाम पत्र के उदाहरण

2. प्राप्तकर्ता का पता
4. सम्बोधन
6. प्रेशक का हस्ताक्षर एवं पूरा नाम

उदाहरण 1. आगरा नगर में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी विषय पर एक पत्र सम्पादक अमर उजाला को लिखिए।

20, स्वदेशी बीमा नगर

सेवा में,

आगरा सम्पादक

अमर उजाला

विषय— आगरा नगर में बढ़ती हुई गुण्डागर्दी।

आगरा एक प्रमुख ऐतिहासिक नगर एवं पर्यटन स्थल है, जहाँ देश-विदेश के हजारों पर्यटन प्रतिदिन आते हैं। खेद है कि ऐसे प्रमुख पर्यटन स्थल पर कानून-व्यवस्था की हालत सन्तोषजनक नहीं है। आये दिन पर्यटकों की लूट, राहजनी की घटनाएँ भी सुनने में आयी हैं।

नगर की इस बढ़ती हुई गुण्डागर्दी को रोक पाने में पुलिस असफल रही है। गुण्डों ने जोर-जबर्दस्ती बाजारों से चन्दे के नाम पर चौथ वसूलने का धन्धा चला रखा है। यही नहीं अपितु वे दुकानों से माल लेकर पैसा देने में आनाकानी करते हैं। विरोध करने पर जान से मार देने की धमकी देना, गालीगलोज करना या चाकू मार देना अब उनके लिए सामान्य बात हो गयी है।

सिटी बसों में चलने वाली महिलाओं के साथ छेड़खानी करना तथा महिला कालेजों के पास एकत्र होकर अश्लील हरकतें करना या आवाजकषी करना भी इन गुण्डों की दैनिकचर्या बन गयी है।

मैं इस पत्र के माध्यम से पुलिस उच्चाधिकारियों का ध्यान इस बढ़ती हुई गुण्डागर्दी के प्रति आकषट करना चाहूँगा और उनसे ये अपेक्षा करूँगा कि वे संवेदनशील स्थलों पर पुलिस पिकेट की व्यवस्था कर आम जनता एवं पर्यटकों को इस गुण्डागर्दी से छुटकारादिलायें।

आशा है, इस पत्र का प्रभाव प्रशासन के उन अधिकारियों पर अवश्य पड़ेगा, जिनकी जिम्मेदारी कानून एवं व्यवस्था बनाये रखने की है।

उदाहरण 2. फीरोजाबाद नगर में पेयजल की अव्यवस्था विषय पर एक पत्र अपने क्षेत्र के प्रमुख समाचार-पत्र को लिखिए।

सेवा में,

दैनिक जागरण फीरोजाबाद आगरा।

दिनांक 10—6—12

विषय— फीरोजाबाद नगर में पेयजल की अव्यवस्था ।

महोदय,

301, आर्य नगर

गली नं. 11

फीरोजाबाद जिला मुख्यालय होने साथ-साथ एक प्रमुख औद्योगिक नगर है जहाँ को आबादी लगभग 5 लाख है। नगर में पेयजल की आपूर्ति करने का उत्तरदायित्व नगर पालिका का है, किन्तु आज नगर में पेयजल की समस्या विकराल रूप धारण कर चुकी हैं प्रायः नलों में पानी नहीं आता और प्यासी जनता बूँद-बूँद पानी को तरसती रहती है। नगर में जहाँ कहीं हैण्ड पम्प लगे हैं, वहाँ बाल्टियों की लम्बी

कतारों के साथ-साथ प्रायः तू-तू मैं-मैं होती देखी जा सकती है।

नगर पालिका के अधिकारी विद्युत आपूर्ति में बाधा पड़ जाने को ही पेयजल संकट का प्रमुख कारण मानते हैं। नगरपालिका के चौबीस नलकूपों में से 10 तो स्थायी यप से खराब पड़े हैं तथा दो मरम्मत चल रही हैं पेश 12 नलकूप पूरे नगर को पर्याप्त जल को आपूर्ति नहीं कर पाते।

मेरा यह सुझाव है कि पेयजल संकट को दूर करने के लिए उच्चशक्ति के जनरेटर नलकूपों हेतु लगवाये जाये तथा खराब नलकूपों की तुरन्त मरम्मत करवा उन्हें चालू किया जाय। कम से कम 100 हैण्ड पम्प भी विभिन्न मुहल्लों में लगवाये जायें तथा चार ओवर हैड टैंक निर्मित कराये जाये। शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना शासन का दायित्व है।

भवदीय



प्रयोजनमूलक हिन्दी

आषा है, इस ओर अविलम्ब ध्यान देकर जनता को पेयजल की सुविधा उपलब्ध करायी
राम नाराण पाण्डेय

उदाहरण 3. अस्पताल में रोगियों की दुर्दशा विषय पर एक शिकायती पत्र सम्पादक के नाम लिखिए।

28, सूर्य नगर आगरा

दिनांक 11-7-12

महोदय,

स्थानीय सरोजनी नायडू अस्पताल में भ्रष्टाचार एवं अव्यवस्था होने के कारण रोगियों की दुर्दशा हो रही है। शासन की ओर से यद्यपि गरीब रोगियों के लिए मुफ्त औषधि एवं मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जाती है, परन्तु इस अस्पताल में यह सुविधा नहीं दी जा रही है। डॉक्टर लोग सरकारी दवा को बाजार में बेच देते हैं, जिससे रोगियों को बादित औषधि बाजार से खरीदने को विवश होना पड़ता है।

रोगियों के खान-पान की व्यवस्था भी षोचनीय है दूध इतना पतला है कि लगता है कि पानी में दूध मिलाया गा है। सब्जियों में पानी की मात्रा अधिक है तो चपातियों में कंकड़ खिलाये जा रहे हैं। चिकित्सालय अधीक्षक से शिकायत करने पर भी कोई सन्तोशजनक उत्तर नहीं मिलता। बेचारे रोगी और उनके तीमारदार, डॉक्टरों, नर्सों और कर्मचारियों की दया पर निर्भर है। डॉक्टर समय पर मरीज को देखनेको राउण्ड नहीं लेते और नर्स सेवा करना तो दूर रहा, बात करते हुए खाने को दौड़ती है। रोगियों के साथ उनका व्यवहार सहानुभूति से रहित होने के साथ-साथ दुर्भाग्यपूर्ण एवं रूखा है। वार्डबॉय एवं जमादार तक पैसा देने पर ही सीधे मुँह बात करते हैं।

मैं इस पत्र के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के उच्चाधिकारियों से अनुरोध करता हूँ कि वे सरोजनी नायडू अस्पताल, आगरा की दशा को सुधारने के लिए अविलम्ब एक जाँच कमेटी की नियुक्ति करें, जो उक्त आरोपों की जाँच कर दोषी व्यक्तियों को दण्डित करे तथा अस्पताल की व्यवस्था की सुधार कर रोगियों को राहत दिलाये।

(पपप) आवेदन पत्र

आवेदन पत्र से अभिप्राय उन पत्रों से लिया जाता है जो नौकरी प्राप्त करने हेतु किसी संस्था को आवेदन द्वारा भेजे जाते हैं। आवेदन पत्र में निम्न बातों का ध्यान रखना अपेक्षित है—

1. आवेदन पत्र की भाषा शिष्ट, संयत एवं विनम्रतापूर्ण होनी चाहिए।
2. आवेदन का नाम, पता एवं योग्यताओं का विवरण भी उसमें दिया होना चाहिए।
3. आवेद का सन्दर्भ भी आवेदन पत्र में होना चाहिए।
6. शैक्षिक योग्यताओं के साथ-साथ कार्यानुभव आदि का विवरण भी दिया जाना चाहिए। अत्यन्त विनम्रतापूर्वक उसमें अपनी कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्तरदायित्व को वहन करने की क्षमता का उल्लेख करना भी आवश्यक है।

पद के अनुकूल वांछित योग्यताओं को विवरण ही आवेदन पत्र में दिया जाना ठीक रहता है।

आवेदन पत्र में अनावश्यक आत्मप्रशंसा से बचना चाहिए तथा जहाँ तक सम्भव हो, उसे औपचारिक ही रखना चाहिए।

दी गई सूचनाओं की सम्पुष्टि हेतु आवश्यक प्रमाण पत्रों, अंक तालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न करनी चाहिए।

9. आवेदन पत्र एक निश्चित प्रारूप में लिखा जाता है फिर भी उसमें नवीनता एवं मौलिकता रहनी चाहिए।

आवेदन पत्र का प्रारूप

2 पत्र में बायों और सेवायोजक के पद एवं कार्यालय का नाम-पता ।

सम्बोधन-महोदय या महोदया ।

3. विषय- किस पद हेतु आवेदन किया जा रहा है ।

पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन का सन्दर्भ या अन्य कोई स्रोत

5. शैक्षिक योग्यताओं का तालिका द्वारा विवरण प्रस्तुत करना ।

शिक्षणोत्तर गतिविधियों का उल्लेख

7. पूर्वकार्यानुभव का विवरण ।

8 जन्म तिथि एवं स्वास्थ्य सम्बन्धी उल्लेख

सेवायोजनक को कार्य एवं निष्ठा का आश्वासन ।

10. साक्षात्कार के लिए बुलाये जाने की आशावादिता ।

11 पत्र का समापन एवं हस्ताक्षर

12. संलग्नकों की सूची ।

13. आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का दिनांक

उदाहरण 1. आगरा कालेज, आगरा में हिन्दी प्रवक्ता पद हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए ।

सेवा में,

प्राचार्य

आगरा कॉलेज, आगरा ।

विषय- हिन्दी प्रवक्ता हेतु आवेदन ।

महोदय,

दैनिक उमर उजाला, आगरा में दिनांक 10-05-12 की हिन्दी प्रवक्ता पद हेतु प्रकाशित विज्ञापन के सन्दर्भ में यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा

मेरी शैक्षिक योग्यता का विवरण निम्न है-

परीक्षा वर्ष परीक्षा संस्था

हाईस्कूल 1994

विषय

श्रेणी प्राप्तांक

माध्यमिक शिक्षा परिषद, हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, प्रथम 70: उ.प्र. जीवविज्ञान

इण्टर 1996 माध्यमिक शिक्षा परिषद, हिन्दी, अंग्रेजी, इतिहास, समाजशास्त्र, प्रथम 68: उ.प्र. शिक्षाशास्त्र बी.ए. एम.ए. 1999 दिल्ली दिल्ली 2001 दिल्ली विश्वविद्यालय, सामान्य अंग्रेजी, हिन्दी साहित्य, इतिहास, प्रथम 67: संस्कृत विश्वविद्यालय छ हिन्दी प्रथम 74: दिल्ली पी.एच. 2004 दिल्ली विश्वविद्यालय हिन्दी (दिनकर काव्य में प्रेम का डी. दिल्ली स्वरूप) विगत दो वर्षों से मैं एस.आर. के. कॉलेज, फीरोजाबाद में अवकाश रिति पर अस्थायी हिन्दी प्रवक्ता के रूप में कार्यरत हूँ। मुझे मौलिक लेखन, कविता एवं कहानी में भी रुचि है तथा मेरे दो काव्य-संकलन और एक कहानी संग्रह भी प्रकाशित हो चुके हैं। विभिन्न शोध-पत्रिकाओं में अब तक मेरे चार शोधपत्र भी प्रकाशित हुए हैं।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि नियुक्ति कर लिये जाने पर अपना कार्य पूर्ण निष्ठा एवं उत्तरदायित्व से करूँगा एवं आपको शिकायत का कोई अवसर न दूँगा। आशा है, मुझे संस्था की सेवा करने का अवसरप्रदान कर अनपेक्षित करेंगे।

दिनांक 16-5-05

प्रार्थी

सुदेश कुमार बंसल

संलग्नक—

1. सभी परीक्षाओं की अंक तालिकाओं की सत्यापित सत्यापित प्रतिलिपि

2. योग्यता प्रमाण—पत्र

3. चरित्र प्रमाण—पत्र

पुत्र श्री प्रेमनारायण बंसल

4/310 महावरी नगर, फीरोबाद

4. कार्यानुभव का प्रमाण—पत्र

5. षोडश—पत्रों का विवरण।

उदाहरण 2. जे.के. जूट मिल्स 32 / बी जवाहर नगर कानपुर में कार्यालय लिपिक पद हेतु आवेदन पत्र का

प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।

कार्यालय लिपिक पद हेतु

आवेदन पत्र का प्रारूप

सेवा में,

जे.के. जूट मिल्स

32 / बी जवाहर नगर

कानपुर।

विशय— कार्यालय लिपिक पद हेतु आवेदन

महोदय,

दिनांक 17-8-12 दैनिक जागरण कानपुर में आपके द्वारा कार्यालय लिपिक हेतु जो विज्ञापन प्रकाशित कराया गया है, उसी के सन्दर्भ में मैं यह आवेदन पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं अमरतितम ततमाओं का विवरण निम्न प्रकार है—

परीक्षा वर्ष

परीक्षा संख्या

श्रेणी

विशय

हाईस्कूल 1995 द्य माध्यमिक शिक्षा परिषद उ.प्र.

द्वितीय

हिन्दी, अंग्रेजी, गणित, वाणिज्य, एवं लेखा

इण्टर

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University

1997 माध्यमिक शिक्षा परिशद उ.प्र.

द्वितीय

हिन्दी, अंग्रेजी, वाणिज्य एवं लेखा,

वाणिज्यिक गणित बी.कॉम.

1999 दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली द्वितीय लेखा एवं विधि, व्यावहारिक अर्थशास्त्र व्यवसाय प्रशासन, सामान्य अंग्रेजी

कम्प्यूटर पर कार्य करने में भी मुझे दक्षता है। अंग्रेजी टंकण में मेरी गति 40 शब्द प्रति मिनट तथा हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट है। सभी प्रकार के लेखा कार्य करने का अनुभव भी मुझे प्राप्त है।

विगत दो वर्षों से मैं स्थानीय बिरला सीमेण्ट उद्योग में अस्थायी लिपिक के रूप में कार्यरत हूँ। आपकी संस्था में मुझे उन्नति के अधिक अवसर प्रतीत हो रहे हैं अतः मेरा विनम्र निवेदन है कि मुझे सेवा का अवसर प्रदान करने की कृपा करें।

मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि संस्था की सेवा पूर्ण उत्तरदायित्व एवं निष्ठा से करूँगा और आपको शिकायत का कोई अवसर प्रदान नहीं करूँगा!

आशा है, मुझे सेवा का अवसर प्रदान कर अनुग्रहीत करेंगे।

दिनांक 20-8-12

संलग्नक-

सभी अंकतालिकाओं की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ

12. कार्यानुभव प्रमाण-पत्र

3. कम्प्यूटर दक्षता प्रमाण-पत्र

चरित्र प्रमाण-पत्र

प्राथी

प्रेम किशोर अनागर

पुत्र श्री लालकृष्ण भटनागर

सी-131, किदवई नगर

कानपुर

(पअ) प्रार्थना-पत्र

प्रार्थना-पत्र उन पत्रों को कहते हैं, जिनमें कुछ देने की प्रार्थना अधिकारी वर्ग से की जाती है, यथा-अवकाश (छुट्टी) का प्रार्थना-पत्र, लाइसेंस प्रदान करने का प्रार्थना-पत्र चीनी का कोटा स्वीकृति करने का प्रार्थना-पत्र, मकान आबंटन का प्रार्थना-पत्र आदि।

प्रार्थना-पत्र और आवेदन-पत्र में अन्तर यह है कि आवेदन-पत्र तो उन पत्रों को कहा जाता है, जो नौकरी पाने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं जबकि प्रार्थना-पत्रों में कुछ माँगा जाता है। यहाँ प्रार्थना-पत्र के कुछ प्रारूप के कुछ प्रारूप प्रस्तुत हैं।

उदाहरण 1. एक प्राध्यापक ने 4 दिनों के अवकाश हेतु प्राचार्य को एक प्रार्थना-पत्र लिखा है। इसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।

सेवा में,

प्राचार्य, महोदय,

आगरा कॉलेज, आगरा



प्रयोजनमूलक हिन्दी

निवेदन है कि मैं एक अत्यावश्यक कार्य से नगर से बाहर जा रहा हूँ अतः कॉलेज आने में असमर्थ रहूँगा। कृपया दिनांक
आवकाश स्वीकृति करने का कष्ट करें।
धन्यवाद सहित,
दिनांककृ से
तक 4 दिनों का आकस्मिक
भवदीय
पी.के. वर्मा
दंदकंप्राध्यापक, हिन्दी विभाग
उदाहरण 2. विवाह में सम्मिलित होने हेतु एक छात्र दिल्ली जा रहा है। एक छात्र दिल्ली जा रहा है। एक सप्ताह की छुट्टी के लिए वह प्रधानाचार्य को जो प्रार्थना-पत्र देगा उसका प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।
सेवा में,
महोदय,
प्रधानाचार्य
सेंट पीटर्स स्कूल आगरा
सेवा में निवेदन है कि मैं अपने मामा के विवाह में सम्मिलित होने हेतु दिल्ली जा रहा हूँ अतः दिनांक से
तक विद्यालय में नहीं आ सकूँगा। कृपया मुझे एक सप्ताह का अवकाश प्रदान करें। आपका अति आभारी रहूँगा।
सधन्यावाद,
दिनांक
प्रार्थी
वीरेन्द्र
कक्षा 10 विज्ञान
उदाहरण 3. क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी को पुत्री के विवाह हेतु चीन का परमिट जारी करने के लिए प्रार्थना-पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए।
सेवा में,
क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी,
मेरठ।
विशय- विवाह हेतु चीनी का परमिट
महोदय,
मेरी सुपुत्री का विवाह दिनांक.
को हो रहा है, अतः मुझे 100 किलो चीनी का
परमिट देने की कृपा करें। इस प्रार्थना-पत्र के साथ पुत्री के विवाह का छपा हुआ निमन्त्रण पत्र प्रमाण
स्वरूप संलग्न कर रहा हूँ।

दिनांक

संलग्न— विवाह का छपा हुआ निमन्त्रण पत्र

भवदीय

एस. के. निगम

अवर अभियन्ता

विद्युत् वितरण खण्ड—3

उ.प्र. राज्य विद्युत् परिशद, मेरठ।

उदाहरण 4. जिलाधीष, फीरोजाबाद को एक पत्र लिखिए जिसमें फीरोजाबाद क्लब से विभव नगर की सड़क को ठीक कराने की प्रार्थना की गई हो।

सेवा में,

महोदय,

जिलाधिकारी,

फीरोजाबाद

फीरोजाबाद क्लब से विभव नगर को जाने वाली सड़क पूरी तरह टूट चुकी है। जगह-जगह गड्डे हो गये हैं और कई जगह तो सड़क का नामोनिषन भी मिट चुका है। इस सड़क पर भारी वाहनों का आवागमन भी होता है तथा नगर से ग्रामीण क्षेत्रों को जाने वाला यह प्रमुख मार्ग है। यह सड़क लोक निर्माण विभाग के क्षेत्र में आती है, नगर पालिका क्षेत्र में नहीं अतः इसके रख-रखाव का दायित्व प्रशासन का है, नगर पालिका इसे ठीक नहीं करा सकती।

ऐसी स्थिति में आपसे विनम्र अनुरोध है कि कृपया नगरवासियों एवं ग्रामीणजनों की सुविधा के लिए इस सड़क को अविलम्ब ठीक कराने की व्यवस्था करें।

सधन्यावाद

दिनांक

भवदीय

सुन्दर सिंह चौहान

2) टापाकला फीरोजाबाद

प्रयोजनमूलक हिन्दी

परिभाषा

संक्षेपण का अर्थ है— संक्षिप्त करना। किसी विस्तृतवक्तव्य, लेख, भाषण, विवरण, आदि के आवश्यक तथ्यों को संक्षिप्त करके लिखना ही संक्षेपण वा संक्षेपीकरण कहलाता है। इस प्रक्रिया में अवतरण के अनावश्यक, अप्रासंगिक और असम्बद्ध अंशों को हटा दिया जाता है तथा मूलभूत तथ्यों को संक्षेप में व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत किया जाता है। संक्षिप्त, अवतरण आकार की दृष्टि से मूल अवतरण का लगभग एक-तिहाई होता है।

संक्षेपीकरण की आवश्यकता वर्तमान समय में पग-पग पर पड़ती है यह गागर में सागर भर देने की कला है, जिसमें आवश्यक तथ्य तो छूटता नहीं किन्तु अनावश्यक तथ्यों से छुटकारा मिल जाता है वस्तुतः संक्षेपण एक कला है जो निरन्तर अभ्यास से निखरती है।

संक्षेपण की विधि

दिये हुए अवतरण को कम से कम दो बार पढ़ना चाहिए तथा उसका भावार्थ समझ लेना चाहिए। अवतरण के प्रमुख भावों, विचारों एवं तथ्यों को रेखांकित कर लेना चाहिए। कोई भी आवश्यक तथ्य छूटना न चाहिए।

3. तदुपरान्त इन रेखांकित तथ्यों के आधार पर संक्षेपण का प्रथम प्रारूप तैयार करना चाहिए। इस प्रथम प्रारूप को पढ़कर यह देखना चाहिए कि क्या यह मूल अवतरण के केन्द्रीय भाव को व्यक्त कर रहा है तथा सभी आवश्यक एवं उपयोगी तथ्यों का समावेश इसमें हो गया है।

संक्षेपण मूल अवतरण का संक्षिप्त रूप होते हुए भी एक मौलिक रचना है। उसमें न तो कोई विचार अपनी ओर से जोड़ा जाता है और न विचार परिवर्तन किया जाता है।

प्रथम प्रारूप के आधार पर यह निर्धारित करना चाहिए कि दिये गये अवतरण के आकार से संक्षिप्त अवतरण का अनुपात क्या है? संक्षिप्त अवतरण लगभग एक-तिहाई होना चाहिए। यदि मूल अवतरण में 300 शब्द हैं तो संक्षिप्त अवतरण लगभग 100 शब्दों का होना चाहिए। शब्दों की संख्या कुछ लगभग 10 प्रतिशत घट-बढ़ सकती है।

संक्षिप्त अवतरण के वाक्य सुसम्बद्ध होने चाहिए।

संक्षेपीकरण में प्रायः अवतरण का षीर्षक भी देना होता है। यह मूल अवतरण का केन्द्रीय भाव ही होता है। यह मूल अवतरण का केन्द्रीय भाव ही होता है।

8. कभी-कभी मूल अवतरण के छ वाक्यों को रेखांकित कर या मोटे टाइप में देकर उनकी व्याख्या भी करवायी जाती है। व्याख्या हेतु अवतरण को भली-भाँति पढ़कर उसी आधार पर आशय स्पष्ट कर देना चाहिए।

ध्यातव्य तथ्य

1. संक्षेपण में भावों या विचारों का क्रम नहीं बदलना चाहिए।
2. संक्षिप्त अवतरण का आकार किसी भी स्थिति में एक-तिहाई से अधिक नहीं होना चाहिए। संक्षेपीकरण एक ही अनुच्छेद में लिखा जाता है, इसमें पैराग्राफ नहीं होते हैं।
4. अलंकारों एवं मुहावरों को संक्षेपीकरण में नहीं दिया जाता।

भाषा सरल, यथासम्भव संक्षिप्त होनी चाहिए।

6. क्लिष्ट शब्दों एवं जटिल वाक्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए।
7. संक्षेपीकरण में प्रत्यक्ष में प्रत्यक्ष कथन वर्जित है। यह सदैव परोक्ष कथन में होता है।

8. यदि सम्भव हो तो संक्षिप्त अवतरण की षब्द संख्या का निर्देश भी कर देना चाहिए।

संक्षेपीकरण की विशेषताएँ

1 सन्तुलित आकार— मूल का लगभग एक तिहाई होना चाहिए।

2. पूर्णता— सभी तथ्यों का समावेश होना चाहिए।

3. पुद्धता— मूल कथन अपरिवर्ति रहे, वैचारिक पुद्धता होनी चाहिए।

4 भाशा — भाशा सरल, सुस्पष्ट, पुद्ध होनी चाहिए।

सुबोधता— संक्षेपीकरण समझ में आना चाहिए। उसकी पैली कठिन नहीं हो।

सम्बद्धता— सभी वाक्य एवं विचार एक—दूसरे से जुड़े हो ।

7. संक्षिप्तता— अनापेक्षित विस्तार से बचना चाहिए।

8. प्रवाहमयता— संक्षेपीकरण के वाक्यों में सुसम्बद्धता के साथ—साथ प्रवाह भी हो।

पैली वैषिष्ट्य— संक्षेपीकरण मूल रचना का संक्षिप्त रूप भले ही है किन्तु वह एक लग रचना है जिसमें रचयिता की अपनी पैली का पुट होता है।

10. षीर्षक संक्षेपण का षीर्षक संक्षिप्त सार्थक एवं सटीक होना चाहिए।

संक्षेपीकरण की उपयोगिता—

1. संक्षेपण से मूल अवतरण का केन्द्रीय भाव पता चल जाता है।

2 संक्षेपण एक कला है जो विस्तृत अवतरण को कम षब्दों में व्यक्त कर देती है।

3. आज की दुनिया में समय की कमी है। पूरा अवतरण पढ़ने के स्थान पर लोग संक्षेप को पढ़ना चाहते हैं।

षेक्सपीयर ने कहा है— बेविटी इज द सील ऑफ विटा

पत्रकारिता इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में भी संक्षेपण की निरन्तर आवष्कता रहती है।

विज्ञापनों में संक्षेपण का ही सर्वाधिक महत्व है। कम से कम से कम षब्दों का उपयोग विज्ञापन की भाशा में किया जाता है।

संक्षेपीकरण के उदाहरण

अवतरण—1

धर्म को जिसने भी एक तरह की अफीम कहा, झूठ नहीं कहा। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि यह अफीम किसी ने किसी को दी लोगों ने षुद इसका आविश्कार किया। यह न होती तो दूसरी कोई अफीम होती जहाँ सर पर पूरे वक्त एक तलवार लटक रही हो और किसी को कुछ पता न हो कि अगले क्षण क्या हो जायेगा, वहाँ आदमी का मन एक न एक सहारा खोजता ही है। कहाँ तक आदमी चिन्ता करे, किस—किस चीज की चिन्ता करे?

इस गद्यांश का उचित षीर्षक लिखिए।

इस गद्यांश का संक्षिप्तीकरण कीजिए।

इस राधाके काले छपे वाक्मारी को व्याख्या कीजिए।

उत्तर—

धर्म की आवष्कता।

संक्षेपण— धर्म रूपी अफीम का आविश्कार लोगों ने खुद किया। धर्म के सहारे वह अपनी दुष्चिन्ताओं से मुक्त होने का प्रयास करता है और दुःख भूल जाता है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

(क) धर्म को जिसने भी एक तरह की अफीम कहा, झूठ नहीं कहा—धर्म को लोगों ने अफीम कहा है। जिस तरह अफीम नशीला पदार्थ है और इसे खाकर व्यक्ति अपनी दुष्चिन्ताओं से अपने की कुछ देर के लिए मुक्त अनुभव करता है, डीस प्रकार धर्म भी व्यक्ति को चिन्ताओं से मुक्ति दिलाने में सहायक बनता है, अतः जिसने भी धर्म को अफीम की संज्ञा दी है, उचित ही दी है।

(ख) सर परपूरे वक्त एक तलवार लटक रही हो— मनुष्य के जीवन में निरन्तर अनिश्चितता बनी रहती है। कब क्या दुर्घटना हो जाये, कुछपता नहीं। उसका हृदय निरन्तर अनिश्चि को आशंका से घिरा रहता है, इसीलिए उसे लगता है कि सर पर सदैव एक तलवार लटकी हुई है।

अवतरण -2

वह जो दीनदयाल सर्वा भगवान है, जो सबका कर्ता, भर्ता और हर्ता है, जिसके बिना लोग कहते हैं— पता भी नहीं हिलता, पायद उससे अधिक बुद्धिहीन नहीं तो दुष्ट और क्रूर कोई नहीं होगा जो केवल अपने अधिकार, अपनी सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन करने के लिए सृष्टि और विनाश की अपनी अन्धी लीला किया करता है। जन्म ही क्यों देते हैं ऐसे किसी को, जिसे तुम्हें रखना नहीं है? और जन्म दिया ही है तो फिर उसे अपनी छोटी-सी उम्र भर खेलने-खाने क्यों नहीं देते ? क्या छीन लेता है कोई तुम्हारा? जन्म पाया है तो क्या चार दिन के लिए भी उसे छोड़ नहीं जा सकता? नहीं छोड़ा जा सकता, वरन् पता कैसे चलेगा कि कोई परम— शक्ति है, जिसके हाथ में एक वज्र है, जिसका वह जब चाहे और जिस पर चाहे इस्तेमाल कर सकता है, पर यह तो कोई ढंग नहीं है अपनी धाक माने का। यह तो बहुत ही घटिया गुण्ड—बदमाशों का ढंग है।

1. इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।

इस गद्यांश का संक्षिप्तीकरण कीजिए।

इस गद्यांश के काले छपे वाक्यों की व्याख्याओं की व्याख्या कीजिए।

उत्तर— (प) सर्वशक्तिमीन ईश्वर की क्रूरता ।

(पप) संक्षेपण— भगवान् इतना दुष्ट एवं क्रूर है कि अपनी सर्वशक्तिमत्ता प्रदर्शित करने के लिए जन्म लेने वालों पर सरशिट और विनाश की अन्धों लीला किया करता है। लगता है। कि लोगों पर वह अपनी धाक जमाने के लिए गुण्डे— बदमाशों की भाँति अपनी शक्ति का प्रयोग करके मरत्यु— मुख में पहुँचता देता है।

(पपप) (क) सशिट और विनाश की अन्धी लीला किया करता है।— परमात्मा अपनी सर्वशक्तिमत्ता का प्रदर्शन करने हेतु जन्म और मरत्यु की लीला किया करता है। यह अन्धी लीला इसलिए है, क्योंकि इसका कोई तर्कपूर्ण या न्यायपूर्ण औचित्य नहीं है। लोगों का जीना मरना उसी के हाथ में है।

(ख) जन्म पाया है तो क्या चार दिन के लिए भी उसे छोड़ा नहीं जा सकता— कैसी लीला है उस ईश्वर की, जिसे वह जन्म देता है, उसी को मार डालता है। इससे उसे क्या मिलता है? यदि किसी को जन्म दिया है, तो उसे जीवन का सुख भोगने के लिए कुछ दिनों की मोहलत भी तो देनी चाहिए पर परमपिता मोहलत कहाँ देता है।

अवतरण-3

लाजवन्ती सोचती थी— मैंने क्या बुरा किया? एक गरीब ब्राह्मण की बेटी के विवाह में सहायता देना क्या देवी की पसन्द नहीं है और मैंने तीर्थयात्रा का विचार छोड़ नहीं दिया, केवल कुछ काल के लिए स्थगित किया है। इस पर देवी देवता गुस्सा क्यों होने लगे? मगर दूसरा सवाल उठता है कि मैंने सचमुच भूल की है कि देवी—देवताओं की भेंट किसी को देना असम्भ्यता नहीं तो और क्या है? यह विचार आते ही उसका कलेजाकांप जाता और हम के विश में भयनक वहम उतपन्न होने लग जाते। संसार बुराइयों तैयों पर पछताता है,

लाजवन्ती भलाई पर पछता रही थी। दिन का चौन उड़ गया, रात की नींद हराम हो गई। दो पहा हो गया था कि अ हेम की कुषल नहीं। उसे खेलते तो उसके हृदय पर कटारियाँ चल जाती थी। बुरे-बुरे विचार आते थे। जी डरता था, डरता था, हिम्मत काँपती थी।

(0) इस गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए।

(पप) काले छपे वाक्यों की व्याख्या की कीजिए।

(पपप) इस गद्यांश का संक्षेपण कीजिए।

(पप) (क) इस पर देवी-देवता गुस्सा क्यों होने लगे— लाजवन्ती ने एक गौरब ब्राह्मण की लड़ी के विवाह में सहायता की है। उसने तीर्थयात्रा का विचार छोड़ा नहीं है इसलिए देवी-देवता उस पर क्रोध क्यों करेंगे?

(ख) संसार बुराइयों पर पछताता है, लाजवन्ती भलाई करके पछता रही थी— दुनिया के लोग बुराई करके पछताते हैं। लाजवन्ती ने तो गरीब ब्राह्मण की लड़की के विवाह में सहायता करके भलाई की थी, उस पर भी वह पछता रही थी।

(ग) रात की नींद हराम हो गई— लाजवन्ती ने जो कुछ किया था, उससे वह इतना चिन्तित रहने लगी कि रात-रात और उसे नींद नहीं आती थी।

(पपप) संक्षेपण— लाजवन्ती का विचार था कि तीर्थयात्रा के लिए एकत्र किये गये रूपयों से एक गौरब ब्राह्मण की बेटी के विवाह में सहायता देने से देवी माता नाराज नहीं होगी। तीर्थयात्रा तो मैं बाद में श्री कर लूँगी परन्तु कभी-कभी ऐसा लगता कि उसने ठीक नहीं किया। लोग तो बुराईपर पछताते हैं,

भलाई कके पछता रही थी। अपने पुत्र हेम के अनिष्ट की आशंका उसेसता रही थी।

परवाह

अवतरण— 4

कविता कामिनी के कमनीय नगर में मेघदूत एक ऐसे भाव्य भवन के सदृश है जिसमें पद्म रूपी अनमोल रत्न जुड़े हैं ऐसे रत्न जिनका मोल ताजमहल में लग हुए रत्नों से भी कहीं अधिक है। ईंट और पत्थर के इतिहास पर जलवर्षित का असर पड़ता है और तूफान से हानि पहुँचती है। बिजली गिरने से भी वह नष्ट हो सकती है, पर इस अलौकिक भवन पर इनमें से किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता न वह गिर सकता है न घिस सकता है, न कोई उसका अंश टूट ही सकता है। काल पाकर और इमारतें जीर्ण होकर भूमिसात हो जाती है, पर यह अद्भुत भवन न कभी जीर्ण होगा, न की इसका ध्वंस ही होगा। प्रत्युत इसकी रमणीयता वषट्क की ही आष है। इसे अजर भी कह सकते हैं और अमर भी।

उपयुक्त शीर्षक बताओ।

(क) संक्षेपण करो।

(ज) काले अंशों की व्याख्या कीजिए।

शीर्षक— सेवदूत

(पप) संक्षेपण— काव्य जगत में कालिदास का मेघदूत अनुपम ग्रंथ है जिसका प्रत्येक पदम अनमोल अलौकिक भवन को प्राकरतिक प्रकोप नष्ट नहीं कर पाते। कालचक्र से इसका ध्वंस नहीं इसकी रमणीयता में वद्धि ही होती है। यह अजर और अमर

(द) काले अक्षरों की व्याख्या—

षट्करूपी अलमोल रत्न जड़े हैं।

व्याख्या— जिस प्रकार किसी भवन के सौन्दर्य को बढ़ाने के लिए उसमें तरह-तरह के रत्न जड़े जाते हैं, उसी प्रकार कालिदास के मेघदूत में प्लोकों के रूप में रत्न षोभायमान हैं। एक



प्रयोजनमूलक हिन्दी

एक प्लोक रत्न के समान मूल्यवान है, जीवन का मार्ग—दर्शन करने में समर्थ है, अतः मेघदूत के पदम या लोक मूल्यवान रत्न है।

इस अलौकिक भवन पर इनमें किसी का कुछ भी जोर नहीं चलता।

व्याख्या— कालिदास का मेघदूत एक भवन के समान है किन्तु वह अलौकिक भवन है। लौकिक भवन पर आँधी, तूफान और बिजली के गिरने का प्रभाव पड़ता है। इनसे लौकिक वन की नष्ट होता है, तो कभी फट जाता है और कभी तहस—नहस हो जाता किन्तु मेघदूत रूपी भवन पर आँधी, तूफान और बिजली अपना प्रीणाव डालने में असमर्थ रहते हैं, इन प्राकृतिक प्रकोपों का मेघदूत जैसी कालजयी रचना पर कोई प्रीव नहीं पड़ता है। हजारों साल बीत जाने पर भी मेघदूत का सौन्दर्य कम नहीं हुआ है वह आज भी विद्वानों और सहृदयों के गले का हार है।

इसे अजर भी कह सकते हैं और अमर भी।

व्याख्या— कालिदास का मेघदूत एक अजर और अमर काव्य है इस प्राकृतिक प्रकोपों का प्रभाव नहीं पड़ता नहीं है, यह कालजयी रचना जितनी पुरानी होती जाती है, उतनी ही इसकी आभा बढ़ती जाती है। अन्य सांसारिक पदार्थ समय के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं, जीर्ण—शीर्ण हो जाते हैं, सजीव प्राणियों पर बुढ़ापे का असर हो जाता है, और समय पाकर वे मर भी जाते हैं किन्तु मेघदूत पर बुढ़ापे का असर हो जाता है, और समय पाकर वे मर भी जाते हैं किन्तु मेघदूत पर बुढ़ापे का असर नहीं होता, मध्यु इसे डसती नहीं है, इसीलिए मेघदूत अजर है, अमर है और सदा बहार सौन्दर्य से विभूषित है।

अवतरण—5

विश्वभर में सब कर्म सबके लिए नहीं है। इसमें कुछ विभाग है अवश्य। सूर्य अपना काम जलता—बलता हुआ करता है और चन्द्रमा उसी आलोक को पीतलता से फैलाता है। क्या उन दोनों से परिवर्तन हो सकता है। मनुष्य कठोर परिश्रम करके जीवन—संग्राम में प्रकृति पर यथाशक्ति अधिकार करके एक शासन चाहता है, जो उसके जीवन का परम ध्येय है। उसका एक पीतल विश्राम है और वह स्नेह, सेवा, करुणा की की मूर्ति तथा सान्त्वना के अभय वरदहस्त का आश्रय मानव समाज की सारी वृत्तियों की कुंजी, विश्व शासन की एक मात्र की अधिकारिणी प्रकृति स्वरूप स्त्रियों के सदाचारपूर्ण स्नेह की शासक है।

(प) उपर्युक्त उद्धरण का अपने षब्दों में संक्षेपण कीजिए।

(पप) उद्धरण का उपयुक्त शीर्षक दीजिए।

(पपप) काले (मोटे) अंशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए।

उत्तर— (प) संक्षेपण — विश्व में कर्म बँटे हुए हैं। सूर्य का कार्य ताप और चन्द्रमा का पीतलता फैलाना इनके कार्यों में जिस प्रकार परिवर्तन नहीं हो सकता है उसी प्रकार पुरुष और स्त्री के कार्यों परिवर्तन नहीं हो सकता। मनुष्य जीवन—संग्राम में संघर्ष करके उस पर अधिकार करते हैं। इतने भी वह अपने ऊपर एक शासन चाहता है जिसमें उसे पीतल विश्राम की प्राप्ति हो सके और प्रकृति स्वरूप नारी अपने सदाचारपूर्ण स्नेह के शासन में प्रदान करती हैं।

(पप) नारी की महत्ता।

(पपप) 1. जीवन संग्राम में

एक मनुष्य अपनी सफल प्रकृति से जीवन—संग्राम में कठोर परिश्रम को सफल करके प्रकृति को अधिकार में करता है। वह संघर्षों से निकलता हुआ प्रकृति पर विजय प्राप्त करता है और उसका अधिकारी भी बनता है।

2. पीतल संग्राम में— एक मनुष्य कठोर संघर्ष और परिश्रम के पश्चात् प्रकृति प अधिकार करता

है। परन्तु इसमें उसका उददेश्य पीतल—सुखद विश्राम प्राप्त करना होता है।

3. अभय वरदहस्त का आश्रय— संघर्ष में विजयी होने पर मनुष्य जो पीतल विश्राम चाहता है

उसे स्नेह—सेवा और करुणा की मूर्ति नारी के अभय वरद हस्त में मिलता है।

4. सारी वषट्तियों की कुंजी— नारी स्नेह, सेवा, करुणा, सात्वता, आदि उन सारी सद्वर्तियों की कुंजी है जो मनुष्य को विश्राम देती है।

5. प्रकृति स्वरूपा स्त्रियाँ— नारी प्रकृति स्वरूपा है। प्रकृति के समान ही उसमें सहिष्णुता, क्षमता

और सदाचारपूर्ण स्नेह का शासन करने की शक्ति हैं।

अवरतण—6रू

बहुत से लोग हिन्दू—मुस्लिम एकता को या हिन्दू संगठन को ही लक्ष्य मानकर उपाय सोचने लगाते हैं। वस्तुतः हिन्दू—मुस्लिम एकता भी एक साधन है, साध्य है— मनुष्य को पशु समतान स्वार्थी धरातल

जिज से उठाकर मनुष्यता के आसन पर बैठाना। हिन्दू और मुस्लिम अगर मिलकर संसार में लूट—खसोट मचाने के लिए, साम्राज्य स्थापित करने के लिए निकल पड़े तो उस हिन्दू—मुस्लिम एकता से मनुष्यता काँप उठेगी। परन्तु हिन्दू—मुस्लिम मिलन का उद्देश्य है— मनुष्य को दासता, जड़ता मोह, कुसंस्कार और परमुखापेक्षिता से बचाना और मनुष्य को क्षुद्र स्वार्थ और अहमिथ्या की दुनिया से ऊपर उठाकर सत्य न्याय और सौन्दर्य की में ले जाना, मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण को हटाकर परस्पर सहयोगिता के बंधन में बाँधना। मनुष्य का सामूहिक कल्याण ही हमारा लक्ष्य हो सकता है। यही मनुष्यता का सर्वोत्तम प्राय है आर्य, द्रविड़, शक, नाग, आभीर आदि जातियों के सैकड़ों वर्ष के संघर्ष के बाद हिन्दू दृष्टिकोण बना है नये सिरे से भारतीय दृष्टिकोण बनाने के लिए इतने लम्बे अरसे की आवश्यकता नहीं है।

(1) संक्षेपण कीजिए।

(पप) उपयुक्त शीर्षक बताइये।

(111) काले (भोटे) अंशों के अर्थ स्पष्ट कीजिए।

(प) संक्षेपण— हिन्दू—मुस्लिम एकता मानव कल्याण का साधन है, वह स्वयं लक्ष्य नहीं है। हिन्दू—मुस्लिम एकता का प्रमुख उद्देश्य है— मनुष्य को पशुता से मानवता की ओर ले जाना। मानव मात्र का समूहिक कल्याण ही मनुष्य का सर्वोपरि लक्ष्य है। अतः इसके लिए नये भारतीय दृष्टिकोण को बनाने की आवश्यकता तो है, किंतु लम्बी अवधि वाले उपाय की जरूरत नहीं है।

(पप) शीर्षक— हिन्दू—मुस्लिम एकता।

(पपप) काले अंशों की व्याख्या।

1. हिन्दी मुस्लिम एकता भी एक साधन है, साध्य नहीं।

व्याख्या— साधन होते हैं सहयोगी तब और साध्य हैं लक्ष्य, या प्राप्त करने की वस्तु। हिन्दू और मुसलमानों की एकता लक्ष्य नहीं है। यह तो उस परम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए साधन मात्र है।

2. साध्य है, मनुष्य को पशु समतान स्वार्थी धरातल से उठाकर मनुष्यता के आसन पर बैठाना। व्याख्या— मनुष्य को स्वार्थ को दुनिया से लग ले जाकर मनुष्यता के उच्चतम पद पर बैठाना। पशु अपने स्वार्थवश लड़—झगड़कर अपना पेशा भर लेता है, यदि मनुष्य भी लड़ाई झगड़ा करता है तो वह भी पशु के समान हो जाता है इस पशुता से मुक्ति ही मनुष्यता

3. परमुखापेक्षिता।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

व्याख्या— दूसरे के मुख को निहारते रहना, दूसरे के अधीन रहना, दूसरों के सहारे जीना, यह परमुखापेक्षिता

4. मनुष्यता का सर्वोत्तम प्राप्त हैं

व्याख्या— मनुष्य जाति का चरम लक्ष्य है सम्पूर्ण मानव जाति का कल्याण। यह कल्याण प्राप्त करना ही मनुष्यता का सर्वश्रेष्ठ प्राप्य है। मनुष्य उसी को कहते हैं जो विचारपूर्वक कार्य करता है, विचार कर ही स्वार्थ से व्यक्ति ऊपर उठ जाता है।

अवतरण—7

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण तथा काले अंशों की व्याख्या कीजिए—

जनता के सम्पूर्ण जीवन को स्पर्श करने वाला क्षात्रधर्म है। क्षात्र धर्म के इसी व्यापकत्व के कारण हमारे मुख्य अवतार राम और कण क्षत्रिय है। क्षात्रधर्म एकतक नहीं है। इसका सम्बन्ध लोक रक्षा से है। कोई राजा होगा तो अपने घर का होगा, इससे बढ़कर झूठ बात पायद ही कोई और मिले। झूठे खिताबों के द्वारा यह कभी सच नहीं की जा सकती। कर्म—सौन्दर्य की योजना सान— जीवन में जितने रूप में सम्भव है, उतने रूपों में और किसी जीवन में नहीं शक्ति के साथ क्षमा, वैभव के साथ विनय, पराक्रम

के साथ रूपमाधुर्य, तेज के साथ कोमलता, सुख—भोग के साथ परदुःखकातरता, प्रताप के साथ कठिन धर्म—पथ का अवलम्बन इत्यदि, कर्म—सौन्दर्य के इतने अधिक प्रकार के उत्कर्ष—योग कहाँ घट सकते हैं। इसी से क्षात्र धर्म के सौन्दर्य में जो मधुर आकर्षण है वह अधिक व्यापक, अधिक मर्मस्पर्शी और अधिक स्पष्ट हैं। मनुष्य की सम्पूर्ण रागामिका वषत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने और विषुद्ध करने की सामर्थ्य उसमें है।

संक्षेपण क्षत्रिय धर्म मानव की सम्पूर्ण प्रेम और राग की वत्तियों को उत्कर्ष पर ले जाने में समर्थ हैं क्षत्रीयत्व एकांगी नहीं है। यह लोकरक्षक धर्म है। कर्म के जितने मनोहारी रूप हैं वे सभी क्षत्रिय—धर्म में उपलब्ध हैं। उसमें तेज, शक्ति, पराक्रम, क्षमा, विनय कोमलता और परदुःखकातरता जैसे विरोध दुर्लभ धर्मों का अपूर्ण समन्वय है, इसीलिए भगवान के मुख्य अवतार राम और कर्मण क्षत्रिय है। काले अंशों की व्याख्या—

(प) क्षात्र धर्म एकान्तिक नहीं है।

व्याख्या— एकान्तिक धर्म वह होता है जो आत्मकेन्द्रित है, आत्मलीन है किन्तु क्षत्रिय—धर्म एकान्तिक नहीं है क्योंकि उसका सम्बन्ध लोक की रक्षा से है। मानव मात्र के कल्याण से है।

(पप) कर्म—सौन्दर्य की योजना

व्याख्या— कर्म की सुन्दरता का निवास क्षत्रिय में हैं इसीलिए उसमें शक्ति और क्षमा, वैव ओर विनय, पराक्रम और माधुर्य, तेज और कोमलता जैसे लगीग परस्पर विरोधी भवों का समन्वय मिलता है। यही कर्म सौन्दर्य की योजना है

(पपप) परदुःखकातरता

व्याख्या— दूसरे के दुःख को देखकर व्याकुल होने की भावना क्षत्रिय में सर्वाधिक होती है।

अवतरण—8

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण तथा रेखांकित की व्याख्या करो—

बसन्त का प्रमाण ढूँढ़ने की जरूरत नहीं, रागाकुल चित्त ही बसन्त का अधिष्ठान है, इसलिए कोयल बोले न बोले, भोर में अलसायी दखिनैया बहे, आम में बौर आये न आये, महुआ में कूचे द्रवें या नु द्रवें कुछ अन्तर नहीं पड़ता, चित्त अकुलता पड़े, बस उसी क्षण बसन्त का आविर्भाव हो गया। सुन्दर दृष्य, मधुर शब्द, स्निग्ध स्पर्श, मंदिर गन्ध और दूध धोया चाँदनी का जल अपने आप में व्यर्थ हैं। ये अर्थ पाते हैं निष्चिन्त और निरुद्विग्न चित्त को पर्युत्सुक बना कर ही। यह पुत्सुकता, अबोध पूर्व का स्मरण है, आस्तित्व की निरन्तरता का प्रतबोधन

है, मैं की श्रंखलाओं का संग्रथन हैं व्यष्टि और समष्टि चिन्हों के मिलन की बेचौनी हैं जननानंतर सौहृद या जन्मानंतर प्रीत या पिछली पहचान का वास्तविक अभिप्राय यही है कि इस पिण्ड में रह-रहकर ब्रह्माण्ड गूँजता है, उस गूँज को सुनकर उसके पीछे दौड़ जाने की बेकली उठती है और तब पिण्ड ही ब्रह्माण्ड बना जाता है पिण्ड का नवसन की बसन्त बन जाता है।

संक्षेपण— राग से व्याकुल चित्त ही बसन्त का निवास स्थान है, भले ही प्रकृति के नाना तत्वों मेपरिवर्तन लक्षित हो या न हो। चित्त के व्याकुल होते ही बसन्त का आगमन हो जाता है। प्रकृति की मधुरिमा अपने में स्वयं व्यर्थ है, इसकी सार्थकता है चित्त को उत्सुक बनाने में। यह आकुलता पूर्व-परिचित का स्मरण है, उसके अस्तित्व को अनुभूति है। वस्तुतः व्यक्ति का द्रवित होना ही बसन्त है।

षीर्षक बसन्त का आगमन।

काले अंशों की व्याख्या—

(प) रागाकुल चित्त ही बसन्त का अधिष्ठान है।

व्याख्या— प्रेम या अनुराग से भरपूर हृदय में बसन्त का निवास है। प्रिय वस्तु के प्रति मन में उठने वाले भाव जब हृदय में घर कर लेते हैं, यही बसन्त का भाव है।

(पप) चित्त अकुलता पड़े, बस उसी क्षण बसन्त का आविर्भाव हो गया। व्याख्या— दिल जब धडकने लगे, भावों की उददाम लहर हिलोर लेने लगे, वास्तव में तीरी बसन्त का आगमन हो जाता है।

(पपप) मंदिर पन्थ और दूध धोया चाँदनी का जल अपने आप में व्यर्थ हैं

व्याख्या— मतवाला बनाने वाली सुगन्ध और दूध जैसी उज्ज्वल और भीगी चाँदनी भी अपने आप में व्यर्थ है, यदि दिल में उमंग, अनुभूति या प्रेम नहीं है।

(पअ) निष्चिन्त और निखट्टिन बित्त को पर्युत्सुक बना कर ही।

व्याख्या— दिल में प्रेम की अनुभूति या किसी की समरति को जगाकर की प्रकृति की मधुरिमा और उसकी मनोरमता सार्थक होती है।

(अ) अबोधपूर्व का स्मरण है।

व्याख्या— ठीक-ठीक जाने बिना अपने चित्त की वासना के संस्कारवाष किसी का स्मरण।

(अप) व्यष्टि और समष्टि चिन्हों के मिलन की बेचौनी है।

व्याख्या— यह उत्सुकता व्यक्ति और समजा के हृदयों के मिल की व्याकुलता है। अर्थात् बसन्त में जन-जन के हृदय जन-जन में मिलकर एक अपूर्व उल्लास की अनुभूति करते हैं।

(अपप) इस पिण्ड में रह-रहकर ब्रह्माण्ड गूँजता है।

व्याख्या— मनुष्य में एक शरीर में उत्पन्न होने वाली व्याकुलता या अनुभूति अनन्त लोग की गूँज या अनुभूति बन जाती है।

अवतरण—3

कलाकार का अपना भावबोध ही कला का मूल उपकरण है।

बना भावबाध ही कला का मूल उपकरण हैं अतः निर्मिति का सिद्धान्त अभिव्यक्ति से मूलतः भिन्न नहीं है। भेद केवल बलाबल का है। अभिव्यक्ति में वस्तु तत्त्व माध्यम है और आत्म-तत्त्व प्रधान। जबकि निर्मिति में आत्म तत्त्व प्रच्छन्न रहता है और और वस्तु तत्त्व उभरकर सामने आ जाता तत्त्वदर्शित से विचार करने पर सौन्दर्य चेतना का ही फल है। प्रकृति का नहीं। अनेक कला मर्मज्ञों में सौन्दर्य की सर्जना में कलाकार की तटस्थ दृष्टि को को प्रमाण माना है। उनका स्पष्ट कथन है कि कला भाव का मोचन नहीं बल्कि भाव से पल्लयान है अहम् की अभिव्यक्ति नहीं, वरन् अहम् का निवर्तन है। प्रकृति का कलाकार अपने आन्तरिक भावों के



प्रयोजनमूलक हिन्दी

लिए या अपने अहंकार के परितोष के लिए कला की रचना नहीं करता हवरन अपने राग-द्वेश के परिष्कार के लिए अहम् से मुक्ति पने के लिए वह कला की साधना करता है अभिव्यक्ति सिद्धान्त का इस स्थापना से कोई विरोध नहीं है, उसके अनुसार भी व्यक्तिगत राग-द्वेश का उद्गार कविता नहीं है।

संक्षेपण— कलाकार की भावानुभूति को कला का मुख्य तत्व है। कलाकार कथ्य के द्वारा अपने को व्यक्त करता है। तत्त्वतः सौन्दर्य कलाकार की तटस्थ चेतना का फल है। कला भाव का मोचन न होकर भाव से पलायन है। अहं की अभिव्यक्ति न होकर अह का त्याग ह कलाकार अपने भावों के परिष्कार या अह से मुक्ति के लिए लि कला की साधना करता है अतः व्यक्तिगत राग-द्वेशों की अव्यक्ति कविता नहीं है।

पीरिशक— कला का मूल तत्व अथवा कला का तात्विक विप्लेशन

काले अंशों की व्याख्या —

अभिव्यक्ति में वस्तु सत्य माध्यम है और आत्म-तत्व प्रधाना

व्याख्या— कवि या कलाकार अपने आत्म तत्व या अनुभूति को ही व्यावत करता है। इस व्यंजना में वस्तु या कथ्य अभिव्यक्ति का साधन मात्र है। उस कथ्य के द्वारा कलाकार अपनी आत्मानुभूति को ही पूर्ण करता है।

अनेक कला मर्मज्ञों ने सौन्दर्यकी सर्जना में कलाकार की तटस्थ दृष्टि को की प्रमाण माना है।

व्याख्या— कला-समीक्षकों ने सज्जन में कलाकार की राग-द्वेश, अपने-पराये, ऊँच-नीच के भेद से ऊपर, रहने वाली भावना को ही प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है।

(पपप) कला भाव का मोचन नहीं बल्कि भाव से पलायन हैं

व्याख्या— कला में भाव का त्याग नहीं है अपितु भाव से भागना हैं कलाकार भावों को व्यक्त कर ही भावों से दूर हो पाता है अन्यथा भाव उसके हृदय में निरन्तर अभिव्यक्ति के लिए अकुलाते रहते हैं, जब कलाकार उन्हें व्यक्त कर लेता है तथा की बह उनसे दूर हो पाता है।

क्तिगत राग-द्वेश का उद्गार कविता नहीं है।

व्याख्या— कविता भावों का परिष्कार करती है नकि कविता के द्वारा कवि अपने राग-द्वेश लोभ-माहे आदिभावों को व्यक्त करता है। भाव यह है कि कलाकार अपने भावों को मानवता के लिए कल्याणकारी उदात्त भावों को ही व्यक्त करता है, अपने राग-द्वेशों को नहीं।

अवतरण-10

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण कीजिए तथा कले अंशों की व्याख्या कीजिए।

रमणीयता और नित्य-नूतनता अन्योन्याश्रित है, रमणीयता के अभाव में कोई भी चीज मान्य नहीं होती है। नित्य नूतनता किसी भी सर्जन की मौलिक उपलिब्ध की प्रामाणिकता सूचित करती है और उसकी अनुपस्थिति में कोई भी चीज वस्तुतः जनता व समाज के द्वारा स्वकार्य नहीं होती। सड़ी-गली मान्यताओं से जकड़ा हुआ समजा जैसे आगे बढ़ नहीं पाता, वैसे ही पुरानी रीतियों और षैलियों की परम्परागत लीक पर चलने वाली भाशा भी जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ ही रह जाती है। भाशा समूची युग चेतना की अभिव्यक्ति का एक सषक्त माध्यम है और ऐसी अषक्तता वह तीरी अर्जित कर सकती हैं जब वह अपने युगानुकूल सही मुहावरों को ग्रहण कर सके। भाशा समाजिक भाव-प्रकटीकरण की सुबोधता के लिए ही उदिदष्ट है उसके अतिरिक्त उसकी जरूरत ही सोची नहीं जाती। इस उपयोगिता की सार्थकता समसामयिक सामाजिक चेतना में प्राप्त अनेक प्रकारों की संश्लिष्टताओं की दुरुहता का परिहार करने में ही निहित है। कभी-कभी अन्य संस्कृतियों के प्रभाव और अन्य जातियों के संसर्ग से भाशा में नये षब्दों का प्रवेश होता है और इन षब्दों के सही पर्यायवाची षब्द अपनी भाशा में न प्राप्त हो तो उन्हें वैसे ही अपनी भाशा में स्वीकार

के सही पर्यायावाची षब्द अपनी भाषा में न प्राप्त हों तो उन्हें वैसे ही अपनी भाषा में स्वीकार करने में किसी भी भाषा-भाषी को आपत्ति नहीं होनी चाहिए। यही भाषा की आधुनिकता होती है भाषा की सजीवता इस नवीनता को पूर्णतः आत्मसात् करने पर ही निर्भर करती है। भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है। उसकी स्वतः एक सिद्ध सहज गति है, जो सदैव नितय नूतनमा को ग्रहण कर चलने वाली है।

संक्षेपण— रमणीयता और नवीनता अन्योन्याश्रित हैं एक के अभाव में दूसरे का अस्तित्व स्वीकार्य नहीं। सड़ी गली मान्यताओं वाले समाज की तरह लोक पर चलने वाली भाषा जनचेतन की अभिव्यक्ति में सखम नहीं होती। अभिव्यक्ति का सफलतम माध्यम भाषा है, यह सफलता युगानुकूल संश्लिष्ट भाव और चेतना को सक्षम रूप में व्यक्त करने में है। जातियों और संस्कृतियों के मिलन पर नये षब्दों के ग्रहण से भाषा की आधुनिकता, सजीवता और नवीनता सुरक्षित रहती है भाषा गतिशील है, वह मात्र म्यूजियम में राने की वस्तु नहीं है।

काले अंशों की व्याख्या—

(अन्योन्याश्रित।

व्याख्या— परस्पर एक-दूसरे के अधीन सौन्दर्य और नवीनता परस्पर सापेक्ष हैं एक का अस्तित्व दूसरे पर निर्भर है। नवीन वस्तु सुन्दर लगती है और सुन्दर वस्तु में एक अपनी नवीनता या विषिष्टता होती है

जनचेतना को गति देने में प्रायः असमर्थ।

व्याख्या— परम्परागत लोक पर चलने वाली भाषा या बँधी-बँधारी षब्द राशि जन-जन की अनुभूति को, जनमानस की मनोवृत्ति को, ज्ञानात्मक भावना को व्यक्त करने में असमर्थ रहती है क्योंकि भाषा की धारा निरन्तर परिवर्तनशील होती है।

समाजिक भाव प्रकटीकरण की सुबोधता।

व्याख्या— वास्तव में भावाभिव्यक्ति के अनुम साधन है— संकेत, मूर्ति, चित्र आदि। किन्तु समाज के जनता-जनार्दन के भावों को सरल और सहज-गम्य रूप में व्यक्त करनेकी क्षमता केवल भाषा में है।

संश्लिष्टताओं को दुरुहता।

व्याख्या— मिली-जुली वस्तु को अलग-अलग करके परखना कठिन होता है। ठीक इसी प्रकार समजा की चेतना जब अनेक रूपों में परस्पर संश्लिष्ट या मिश्रित होती है, उस समय भाषा ही उस संश्लिष्टता की कठिनाई को सरल करती है। यही भाषा की उपयोगिता है।

(अ) भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है।

व्याख्या— भाषा किसी संग्रहालय में रखने की वस्तु नहीं है। भाषा निरन्तर गतिशील एवं विकासशील है। नाना जातियों, नाना संस्कृतियों के मिलने पर नये-नये षब्दों का भाषाओं में प्रवेश होता है। इन षब्दों को आत्मसात् कर लेना ही भाषा की आधुनिकता है, नवीनता है और विकास है। यही भाषा का धर्म है। भाषा की एक गति है जिसकी सार्थकता नवीन के ग्रहण करने में है अतः भाषा म्यूजियम की वस्तु नहीं है।

अवतरण—11

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण तथा काले अंशों की व्याख्या कीजिए—

आज का युग बौद्धिक और वैज्ञानिक है, और तर्कवाद इस युग का मूल सिद्धान्त है। भावना और श्रद्धा तो इस वैज्ञानिक युग में अपना सीमित स्थान बनाये हुए हैं। अब आविश्कारों की लड़ियाँ बन गई हैं। सभी क्षेत्रों में मानव प्रकृति पर अपना अधिकार करता दिखाई पड़ता है। नवीन-नवी सिद्धान्तों का निर्माण वैज्ञानिक रूप से होता रहा है। यातायात के साधन, औद्योगिक कलें, मनोरंजक सामग्री, तार-बेतार इत्यादि में तो मानव अपने स्थान से बहुत ही ऊँचा उठ गया है। क्या से क्या कर दिखाया है। जिन वस्तुओं की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, नहीं कर सकते थे, उन्हें आज आँखों से देख रहे हैं। जो वस्तुएँ देव-सिद्ध या अपारुशेय, अमानुशीय और अलौकिक समझी जाती थी, वे आज के युग में प्रत्यक्ष रूप



प्रयोजनमूलक हिन्दी

मनुष्यकष्ट और लौकिक हो गई है। यह सब कुछ विज्ञान की देन ही है। और विज्ञान की इन सब वस्तुओं का मूल रूप है विद्युत-शक्ति से ही असम्भव का सम्भव रूप दिखाई पड़ता है। सभी यातायात के साधनों में, मशीनों में बिजली की ही कला है। इसीलिए आधुनिक युग में विद्युत् के चमत्कार को देखकर कौन अपना सिर नीचा नहीं कर सकता? स्वर्ग की इस अप्सरा को मानव की बुद्धि ने अपने अधिकार में कर लिया और इस ध्वंसकारी वस्तु को मानव सेविका और उपयोगी बना दिया। संक्षेपण— आज का युग बुद्धिवादी और वैज्ञानिक है। तर्क इस युग की कसौटी हैं भावना और श्रद्धा का क्षेत्र सीमित हो गया है। नित नये-ये आविष्कारों के द्वारा मनुष्य ने प्रकृति को वशीभूत कर लिया है यातायात, मनोरंज, संचार—व्यवस्था और न जाने कितन तत्व है, जिनकी कल्पना भी असम्भव थी, वहीं आज हमारे दैनिक जीवन को सुगम और रोचक बना रहे हैं। विज्ञान और विद्युत् शक्ति के कारण दिव्य और अलौकिक वस्तुएँ मनुष्यकर तथा लौकिक हो गयी हैं। विद्युत शक्ति का चमत्कार सर्वत्र दृष्टिगत हो रहा है, आज मानव बुद्धि ने विद्युत रूपी अप्सरा को वशीभूत कर सेविका बना लिया है।

(प) आज का युग बौद्धिक और वैज्ञानिक है, और तर्कवाद इस युग का मूल सिद्धान्त है। भावना और श्रद्धा

श्रद्धा तो इस वैज्ञानिक युग में अपना सीमित स्थान बनाये हुए हैं।

व्याख्या— वर्तमान युग बुद्धिवादी और वैज्ञानिक है। तर्क की कसौटी पर खरा उतरने पर ही किसी तथ्य या सिद्धान्त को स्वीकार किया जाता है भावना और श्रद्धा का स्थान सीमित और गौण हो बगा है। भावना और श्रद्धा में हृदय पक्ष का प्राधान्य है और विज्ञान में बुद्धि तत्व का।

(पप) सभी क्षेत्रों में मानव प्रकृति पर अपना अधिकार करता दिखाई पड़ता है।

व्याख्या— जीवन ओर जागृत् के किसी भी पक्ष को देखें, मनुष्य ने प्रकृति को अपने वश में कर लिया है विद्युत, नदी, पर्वत, समुद्र आदि सभी पर मनुष्य ने विजय प्राप्त कर ली है।

(पपप) जो वस्तुएँ देव-सिद्ध या अपारुशेय, अमानुशीय और अलौकिक समझी जाती थी। व्याख्या — आकाश, चन्द्र, पर्वत, समुद्र, विद्युत् आदि तत्वों को दैवी, ईश्वरीय, मानवशक्ति से परे और अलौकिक समझा जाता था, (उन सभी को मनुष्य ने अपनी बुद्धि से जीत लिया है और अधिकृत कर लिया है।)

(पा) स्वर्ग की इस अप्सरा को मानव की बुद्धि ने अपने अधिकार में कर लिया और इस ध्वंसकारी वस्तु को मानव सेविका और उपयोगी बना दिया।

व्याख्या— स्वर्ग की अप्सरा दिव्य होती हैं मानव शक्ति से परे होती किन्तु मनुष्य ने अपनी बुद्धि के सामर्थ्य से स्वर्ग की अप्सरा विद्युत को अपने वश में कर लिया है, अतः यह विबजी प्रकाश, यातायात और संचार जैसे अनेक वैज्ञानिक उपकरणों में दासी की तरह प्रयोग में आने लगी है। इस प्रकार ध्वंसकारी दिव्य अप्सरा—विद्युत् आज के जीवन में मनुष्य की सर्वाधिक सेवा करने वाली और उपयोगी बन गयी है।

अवतरण— 12

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण कीजिए तथा रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए।

मुझे मानव जाति की दुर्दम-निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है, वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्मचारों, विश्वासों, उत्सवों और व्रतों को धोत बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से

मनुष्य की दुर्दम जिजीविशा । वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। सभ्यता और संस्कृति का मोह खणीर बाधा उपस्थिति करता है, धर्माचार का संस्कार थोड़ी दे तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा

में सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवन को समर्थ बनता है, उतना उकसा अंग बना जाता है बाकी फेंक दिया जाता है।

संक्षेपण— मानव—जाति की विकास धारा अजस्र हैं मनुष्य अपनी जीवनी—शक्ति से सभ्यता और संस्कृति के हजारों वर्षों के इतिहास को छिन्न—भिन्न कर अग्रसर है संघर्ष और निर्माण ग्रहण और त्याग की यह धारा नया रूप लेकर बढ़ती रही है। विषुद्ध संस्कृति की चर्चा निरर्थक है क्योंकि मिलावट और शुद्धता से पथ बनता है। शुद्ध है केवल गंगा की पवित्र धारा के समान मानव की अदम्य जिजीविशा जो ग्रहण के बाद भी पवित्र है। संस्कृति, सीयता और धर्माचार क्षणभर के लिए बाधक होते हैं किन्तु वह दुर्दम—धारा अच्छे को लेती हुई, पेश को छोड़ती हुई आगे बढ़ जाती है।

काले अंशों की व्याख्या—

मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निमर्म है

मनुष्य की जीने की इच्छा बड़ी कठोर है, निमर्म है। वह सामने आने वाली प्रत्येक बाधा को नष्ट करती है, उसे किसी से न मोह है, न रो गहै और न किसी पर विश्वास है। वह केवल नितान्त आवश्यक को ग्रहण करती हुई आगे बढ़ती चली जाती है।

दुर्दम जिजीविशा ।

व्याख्या— अदम्य जीवन की इच्छा। मनुष्य की यह जीवित रहने की इच्छा दमन के योग्य नहीं है। यह कठोर और निमर्म है।

(पपप) अबाधित अनाहत ।

व्याख्या— बाधाओं से भी न रुकने वाली और कभी न नष्ट होने वाली। गंगा की धारा नये—नये मार्ग का निर्माण करती हुई अविच्छिन्न रूप से प्रवाहित है। ठीक इसी प्रकार मानव जाति की निर्मल धारा भी निरन्तर गतिमान है।

(पअ) धर्माचार का संस्कार थोड़ी

इस धारा से टक्कर लेता है।

व्याख्या— विकास की दुर्दम धारा को रोकने के लिए संस्कृति, सभ्यता और धर्म के आचार—विचार कुछ देर के लिए बाधा उपस्थित करते हैं। उचित, अनुचित, पवित्र—अपवित्र, ग्राह्य और अग्राह्य के नारे लगाते हैं किन्तु मानव के विकास की यह गंगा सतत् बढ़ती चले जाती है।

अवतरण— 10

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण तथा काले अंशों की व्याख्या कीजिए।

यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्यता का अभाव रहता है, सर्वथा अनुचित ठहरता है। सत्यता का जो अर्थ साधारणतया किया जाता है, उसे कविता में ढूँढना ठीक न होगा। वह तो केवल विज्ञान में मिल सकता है। कविता में सत्यता से अभिप्राय उस निश्कपटता से है जो हम अपने भावों या मनोवर्गों का व्यंजन करने में उनका हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे प्रत्यक्ष करने तथा उनके कारण हम में जो सुख—दुःख आष—निराशा, भय, आशंका, चमत्कार, श्रद्धा—भक्ति आदि के भाव उत्पन्न होते हैं उनको अभिव्यक्त करने में प्रदर्शित करते हैं, अतएव कविता की कल्पना की कसौटी यह नहीं हो सकती कि हम बहुओं का वास्तविक रूप दिखाएँ, किन्तु इस बात में होती है कि उन वस्तुओं की सुन्दरता, उनका, रहस्य, उनकी मनोमुग्धकारिता आदि का हम पर जो प्रभाव पड़ता है, उसे कविता की दर्पश से स्पष्ट करके दिखाएँ यही कविता द्वारा जीवन की, मानव जीवन और प्राकृतिक जीवन की कल्पना और मनोवर्गों के रूप में व्याख्या है।

संक्षेपण— कविक की कल्पना में सत्य नहीं होता है, यह कथन अनुचित है। कवि का सत्य सामान्य और वैज्ञानिक सत्य से भिन्न होता है। कविता का सत्य है— कवि का निश्कपट भाव से भावों का प्रकाशन— इसी सत्य—भाव प्रकाशन से पाठक प्रभावित और रस विभोर होता है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

इसलिए कविता के सत्य की कसौटी सतुओं के वास्तविक चित्रण में न होकर उनकी प्रभावन्वित में है। यह प्रभाव कविता द्वारा जीवन और मनोवेगों की व्याख्या के रूप में देखा जाता है।

काले अंशों का व्याख्या—

(प) कवि की कल्पना में सत्यता का अभाव रहता है।

व्याख्या— कवि का सत्य विज्ञान का सत्य नहीं है (जहाँ दो और दो चार होते हैं) कवि का सत्य सामान्य सत्य से भी भिन्न होता है, अतः यह कहना कि कवि की कल्पना में सत्य का अभाव होता है, सर्वथा

असंगत है।

(पप) अपने भावों या मनोवेगों का टजना

व्याख्या— मनुष्य के हृदय की मूल वषटियाँ सुख—दुःखात्मक हैं। यही सुख—दुःख विविध भावों और मनोविकारों से परिणत हो जाते हैं। प्रेम, घरणा, लज्जा, उत्साह, करुणा, ईर्ष्या और भय आदि मनोवेगों की अभिव्यक्ति कविता में होती है। कवि यदि इनको निष्कपट भाव से व्यक्त कर देता है, तो वह सत्य की अभिव्यक्ति ही है। यह कविता का सत्य है।

(पपप) कविता की कल्पना की कसौटी

व्याख्या— कविता के सत्य की कसौटी मानव हृदय के भाव है। भावों की निष्कपट और प्रभावशाली अभिव्यक्ति ही कविता का सत्य है।

(पअ) यही कविता द्वारा जीवन की, मानव जीवन और प्राकृतिक जीवन की कल्पना और मनोवर्गों के रूप में व्याख्या है।

व्याख्या— कविता का सत्य यथार्थ चित्रण या वास्तविक विवरण देना नहीं है। कविता का सत्य वर्ण्य विषय को सुन्दरता, उसका रहस्य और मनमोहकता का मनुष्य के हृदय पर क्या प्रभाव पड़ता है। है, मज उं ज विता में व्यक्त करना, कवि का लक्ष्य है। यही कविता द्वारा जीवन को व्याख्या है। इसी व्याख्या को रोचक और मनोरम बनाने के लिए कवि कल्पना प्रकृति और मनुष्य के मनोवेगों का आश्रय लेता है।

अवतरण 14

निम्नलिखित गद्यावतरण का संक्षेपण तथा काले अंशों की व्याख्या कीजिए—

वैज्ञानिक और औद्योगिक विकास के उददण्ड परिणामों से अपने की सुरक्षित रखकर हम उनका उपयोग अपनी रीति से किस प्रकार करें— इस बारे में दो बातों का बराबर ध्यान रखना है, पहली बात तो यह है कि हर प्रकार की प्रकृति—जन्तु और मानव—कष्ट विपदाओं के पड़ने पर भी हम लोगों की सज्जनात्मक शक्ति कम नहीं हुई, हमारे देश में साम्राज्य बने और मिटे, विभिन्न सम्प्रदायों का उत्थान—पतन हुआ, हम विदेशियों से आक्रान्त और पददलित हुए, हम पर प्रकृति और मानवों ने अनेक बार मुसीबतों के पहाड़ ढा दिये पर फिर भी हम लोग बने रहे। हमारी संस्कृति बनी रही और हमारा जीवन एवं सज्जनात्मक शक्ति बनी रही। हम अपने दुर्दिनों में भी ऐसे मनीशियों और कर्मयोगियों को पैदा कर सके जो संसार के इतिहास के किसी युग में उत्थन्त उच्च आसन के अधिकारी होते। अपने दासता के दिनों में हमने गाँधी जैसे कर्मठ, धर्मनिष्ठ, क्रान्तिकारी को, रवीन्द्र जैसे मनीशी कति को और अरविन्द तथा रमण महर्ष जैसे योगियों को पैदा किया और उन्हीं दिनों में हमने ऐसे अनेक उद्भट विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किये जिनका सिक्का संसार मानता है। जिन हालातों में पड़कर संसार की प्रसिद्ध जातियाँ मिट गयीं, उनमें हम न केवल जीतिव ही रहे वरन् अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाये रख सके। उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आदर्श पर ठहरी हुई है, जो पहाड़ों से भी मजबूत, समुद्रों से भी गहरी और आकाश से भी अधिक व्यापक है। संक्षेपण— वैज्ञानिक और औद्योगिक उन्नति के दुष्परिणामों से मुक्त रहकर हमने अपनी सज्जनात्मक शक्ति और संस्कृति को बनाये रखा है दुर्दिनों में भी हमने जिन विद्वान और कर्मठ व्यक्तियों को पैदा किया है, उनका महत्व देश काल—निरपेक्ष है। दासता के युग में गाँधी, रवीन्द्र, अरविन्द और रमण जैसे

मनीषी और सन्तों को हमने उत्पन्न किया है। इसी युग ने अनेक प्रकाण्ड विद्वान और वैज्ञानिक भी पैदा किये हैं, इनका महत्व संसार स्वीकार करता है विपत्तियों में पड़कर संसार की न जाने कितनी जातियाँ नष्ट हो गयी, उन दुर्दिनों में भी हम अपने गौरव की रक्षा कर सके हैं। इसका कारण है हमारी पुष्ट, गम्भीर और व्यापक नैतिक सामूहिक चेतना ।

काले अंशों की व्याख्या—

मानव—कष्ट विपदाओं— विपत्ति के दो प्रकार हैं— प्राकृतिक या दैवी तथा मनुष्यकष्ट । मनुष्य द्वारा पैदा की गयी विपत्ति जैसे— मार—पीट, चोरी—डकैती ।

सृजनात्मक शक्ति— उत्पादक शक्ति । यह सरजन औद्योगिक भी हो सकता है और वैज्ञानिक भी । साहित्य और कला के क्षेत्र में भी सृजन कार्य होता है । महाकवि काव्य का सृजन करता है । एक कलाकार या पिल्पी मूर्ति का ।

विद्वान और वैज्ञानिक पैदा किये जिनका सिक्का संसार मानता है । गौरव के दिनों की बात यदि जाने भी दें तो भारत ने पराधीनता के दिनों में भी एक से बढ़कर एक रामकृष्ण परमहंस, विवेकानन्द, महर्षि रमण, रामतीर्थ, दयानन्द, अरविन्द, राधाकृष्ण जैसे— विद्वान पैदा किये और मेघनाद साहा, भाभा, चन्द्रशेखर वेंकटरमन, विक्रम सारीगाई जैसे भौतिक विज्ञानी, पी. सी. राय, शान्तिस्वरूप भटनागर जैसे रसायनशास्त्री, जगदीश चन्द्र बसु जैसे वनस्पति वैज्ञानिक, रामानुजम, गणेश प्रसाद, प्रभान्त चन्द्र महालनवीस जैसे गणिज्ञ भी पैदा किये । उक्त विद्वान और वैज्ञानिकों का लोहा आज सम्पूर्ण संसार स्वीकार करता है ।

आध्यात्मिक और बौद्धिक— आत्माज्ञान अथवा आत्मा तथा परमात्मा के सम्बन्ध का क्षेत्र हो अथवा बुद्धि के कौशल का क्षेत्र हो, हमने दुर्दिनों में भी एक से एक योग्य व्यक्तित्व संसार को दिये हैं । सन्त, विद्वान, वैज्ञानिक एक नहीं, अनेक भारतवर्ष में उत्पन्न हुए हैं । अतः हम आत्मिक और बौद्धिक दोनों ही क्षेत्रों में अपने गौरव को सुरक्षित रख सके हैं ।

सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आदर्श पर ठहरी हुई है— भारतीय व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की ओर अग्रसर होते हैं । एक—एक व्यक्ति जब नैतिक मूल्यों का पालन करता है तो सामूहिक चेतना का स्वतन्त्र उच्च कोटि का विकास हो जाता है । सार यह है भारत की सामूहिक चेतना के मूल में नैतिकता है । नैतिकता का आधार इतना दृढ़ गम्भीर और व्यापक है कि उस पर अन्य तत्व प्रभाव नहीं डाल पाते हैं ।

अवतरण— 15

निम्नलिखित गद्य खण्ड का संक्षेपीकरण कीजिए—

संस्करति स्थिर वस्तु नहीं है, फिर भी उसमें कुछ शाश्वत तत्व हैं और कुछ परिवर्तनशील है । हमारी संस्कृति के जो शाश्वत तत्व हैं वे मानवता के तत्व हैं । अद्वेश—भाव, करुणा, मैत्री, मुदिता ये तत्व हमको भारतीय संस्कृति ही नहीं, मानव संस्कृति की ओर ले जाते हैं । हमारा अद्वेश भाव हमको सब संस्कृतियों के उत्तम और संरक्षणी तत्वों को ग्रहण करने के लिए प्रेरित करता है । हमारा हिन्दुत्व दूसरों के साथ अद्वेश—भाव रखने में ही संरक्षित रहा है । दूसरों के साथ उदारता करके हम अपनी ही संस्कृति का पोषण करते हैं । किन्तु दूसरों के साथ उदारता का व्यवहार करते हुए हमको यह न भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति का पोषण करते हुए हमको यह न भूलना चाहिए कि हमारी संस्कृति हमारे देश की जलवायु और वातावरण के अनुकूल है । हम विदेशी संस्कृति का अन्धानुकरण न करें । अपनी संस्कृति पर गर्व करना सीखें । हमारी संस्करति में पर्याप्त वैज्ञानिकता है । दूसरी संस्कृतियाँ के संरक्षणीय तत्वों को अपनाकर भी संस्करति अपनत्व और अपनी विषेशता रख सकती है । अपनी विषेशता बनाये रखने के लिए हमको अपनी विषेशताओं का अध्ययन करना चाहिए । हमारी प्राचीन संस्कृति के मूल स्रोत हैं, हमारे वेद—शास्त्र और काव्य और कला — करतियाँ इनकी उपेक्षा करना अपने पूर्वजों के प्रति कृतघ्नता है । हमारे रीति—रिवाज, पर्व और उत्सव भी हमारी संस्करति के परिचायक हैं । संस्कृति के बाहरी चिन्हों का आदर करते हुए और उसको अपनाते हुए उसकी आत्मा को न भूलना चाहिए ।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

संक्षेपण— संस्कृति स्थिर वस्तु नहीं है फिर भी उसमें कुछ षाश्वत एवं कुछ परिवर्तनशील तत्व हैं। मैत्री, करुण जैसे भाव भारतीय ही नहीं मानव संस्कृति के प्रतिष्ठापक तत्व हैं हमारा अद्वेष—भाव विभिन्न संस्करतियों के श्रेष्ठ तत्व ग्रहणकरने के लिए प्रेरणा देता है उदारतापूर्व अन्य संस्कृतियों के श्रेष्ठांश ग्रहण करते हुए भी हमें अन्धानुकरण नहीं करना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारे वातावरण, साहित्य और कलाओं के अनुकूल तथा वैज्ञानिक है। उसकी उपेक्षाकरना हमारी कष्टघ्नता है। हमारी परम्पराएँ संस्करति की परिचायक है। अतः बाह्य चिन्हों का सम्मान करते हुए हमें अपनी संस्कृति की आत्मा को भूलना नहीं चाहिए।

काले अंशों की व्याख्या—

(1) अद्वेष भाव

व्याख्या— षत्रुता का अभाव, मित्र दृष्टि । मानव मात्र के प्रति मैत्री भाव ।

(पप) संरक्षणेन तत्व—

व्याख्या— संरक्षण करने योग्य भाव । मित्रता, करुणा, सम्मान, प्रेम, श्रद्धा और दया आदि ऐसे भाव या तत्व हैं, जिनकी रक्षा करनी चाहिए। इन तत्वों की रक्षा अथवा इनका योग प्रत्येक देश की संस्कृति में मिलता

(पपप) अन्धानुकरण

व्याख्या— आँख बन्द कर पीछे चलना अथवा अन्धे की पीछे चलना । भाव यह है कि हमें अपनी, प्रकृति वातावरण, आचार—विचार और आदर्शों के प्रतिकूल किसी भी विदेशी संस्करति की नकल नहीं करनी चाहिए । विचार—विमर्ष कर ही श्रेष्ठ तत्व को ग्रहण करना हितकर होता है ।

(पअ) पर्याप्त वैज्ञानिकता ।

व्याख्या— किसी तत्व का विवेचन ही विज्ञान है । भारतीय संस्करति के अनेक तत्व ऐसे हैं जिन्हें पर्याप्त चिन्तन के बाद स्वीकार किया गया है । उस तत्व के औचित्य को जीवन की नाना कसौटियों पर परीक्षण करने के बाद उसकी अच्छाई का निष्पत्ति किया गया है अतः भारतीयों संस्करत वैज्ञानिक है ।

(अ) संस्करति के बाहरी चिन्हों का आदरा

व्याख्या— रीति—रिवाज, पर्व, उत्सव और मेरी किसी भी संस्करति के बाह्य तत्व होते हैं । इन रीति—रिवाजों, और परम्परागत स्वीकार्य तत्वों के प्रति आदर व्यक्त करते हुए इस संस्कृति की आत्मा जो मंत्री, करुण, मुदिता आदि बिस्मृत नहीं कर देना चाहिए ।

अवतरण—16

निम्नलिखित अवतरण का संक्षेपण तथा काले अंशों की व्याख्या कीजिए—

भाक्ति भारतीय संस्करति के प्रधान अंगों में से एक अंग है । सश्रुति के आदि काल से ही सुख के अन्वेषण और दुःख के निवारणार्थ । मानव इसकी निर्मल और पावन धारा में अवगाहन करताह चला आ रहा है । वह किसी ऐसी महान शक्ति का निरूपण करता है जो उसके सुख में सहयोग और दुःख में सहानुभूति प्रकट करे । यह महान् शक्ति केवल ईश्वर है । सुख में नहीं तो दुःख के लीलामय संग्राम में जब मानव लड़ता हुआ हार जाता है, उसकी शक्ति और आशा जब उसके जीवन के समक्ष प्रज्वावचक चिह्न लगा देती है । तभी उसका निराश हृदय ईश्वर की शरण में जा गिरता है और उस महान् आदर्श शक्ति का स्मरण कर आत्म—सन्तोष और आत्म—प्रबोध प्राप्त करता है । सम्भवतः किसी दो अथवा जाति पर तभी दुःख और कष्ट के घने बादल छा जाते हैं, जब वह सुख और विलास की क्रीडास्थली में निमग्न होकर ऐन्द्रिकता का उपयोग करता है, और भवगान् की पुनीत नाम को विस्तृतकर देता है । इसी विस्मरण का दण्ड भोगने के हेतु किसी न किसी रूप में मानव काल का ग्रास बनकर उद्धार हेतु फिर भगवान् की शरण में जाता है । साहित्य और इतिहास भी इसी तथ्य को प्रमाणित करते आये हैं ।

संक्षेपण—भक्ति भारतीय संस्कृति का मुख्य तत्व है। प्रारम्भ से ही दुःख निवारण और सुख की प्राप्ति के लिए मनुष्य भक्ति में लीन रहा है। परम तत्व ईश्वर का स्मरण ही पराजय एवं दुःख में उसे शक्ति देता है। उसके स्मरण में ही भक्त को आत्म—सुख और ज्ञान होता है। जब कोई देश या समाज भोग—विलास में डूब कर भगवान् के नाम को भूल जाता है, तभी वह दण्डस्वरूप काल का ग्रास बन जाता है, उससे उद्धार केवल भगवान की शरण में ही होता है। इतिहास और साहित्य इसके प्रमाण हैं।

काले अंशों की व्याख्या—

(प) सुख के अन्वेषण और दुःख के निवारणार्थ ।

व्याख्या— भक्ति की धारा में डूबता चला आया है। भक्ति की धारा में डूब कर ही मनुष्य सुख की खोज करता है और दुःख को दूर करता है।

(पप) प्रज्ञावचक चिह्न लगा देती है।

व्याख्या मनुष्य दुःख और संकट में जब हार जाता है, उसकी शक्ति और आशा जीवन का साथ छोड़ने को तत्पर सी हो उठती है। तभी जीवन पर प्रज्ञा चिह्न लग जाता है। अर्थात् जीवन पर सन्देह होने लगता है।

(पपप) वह सुख और विलास की क्रीडास्थली में निमग्न होकर ऐन्द्रिकता का उपयोग करता है। व्याख्या— जब मनुष्य और भोग में पूरी तरह से डूबकर इन्द्रिय सुखों को उठाने लगता है। भोग—विलास के ऐश्वर्य में डूबकर जब मनुष्य इन्द्रियों का दस हो जाता है।

(प्ट) मानव काल का ग्रास बनकर ।

व्याख्या— मनुष्य मष्ट्यु का कौर है। जब मनुष्य भगवान् को भूलकर भोग—विलास में डूब जाता है। परम शक्ति को भूल जाता है, तभी वह काल का ग्रास बन जाता है।

अभ्यासार्थ प्रश्नावली

निम्नलिखित अवतरणों का संक्षेपीकरण करते हुए उपयुक्त शीर्षक दीजिए—

(1) किसी काव्य का श्रोता या पाठक जिन विशयों को मन में लाकर रति, करुणा, क्रोध, उत्साह, इत्यादि भावों तथा सौन्दर्य, रहस्य, गाम्भीर्य आदि भावनाओं का अनुभव करता है, वे अकेले उसी के हृदय से सम्बन्ध रखने वाले नहीं होते? मनुष्य मात्र की भावात्मक सत्ता पर प्रभाव डालने वाले होते हैं इसी से उक्त काव्य को एक साथ पढ़ने या सुनने वाले सहस्रों मनुष्य उन्हीं भावों या भावनाओं को थोड़ा या बहुत अनुभव कर सकते हैं। जब किसी भाव का कोई विशय इस रूप में नहीं लाया जाता कि पूर्ण शक्ति नहीं आती। इसी रूप में लाया जाना हमारे यहाँ साधारणीकरण कहलाता है। यह सिद्धान्त यह घोषित करता है कि सच्चा कवि वही है जिसे लोक हृदय की पहचान हो, अनेक विशयताओं और विचित्रताओं के बीच मनुष्य जाति के सामान्य हृदय को देख सके। इसी लोक हृदय के लीन होने की दशा का नाम रस दशा है।

(2) यह स्पष्ट है कि अलंकार षोधावृद्धि में सहायक होते हैं परन्तु उल्लेखनीय है कि अलंकारों का विवेचन करते समय आचार्यों ने अलंकार को काव्य के सन्दर्भ में विवेचित किया है। जिस प्रकार लोक में आभूषणों को कामिनी का शृंगार माना गया है, यद्यपि पुरुष भी उन्हें धारण करते हैं, उसी प्रकार साहित्य में अलंकारों को कविता—कामिनी का शृंगार माना गया है। इसके बावजूद हर प्रकार के कथन में अलंकारों की महत्ता बनी रहती है। भारतीय आचार्यों ने अलंकारों का अत्यधिक महत्व आँकते हुए भी इन्हें कथन को आकर्षक तथा प्रभावोत्पादक बनाने वाले साधनों के रूप में प्रस्तुत किया है। भारतीय विद्वानों में अलंकारों के विवेचन के सन्दर्भ में मतभेद रहा है। आचार्यों का एक वर्ग अलंकारों को काव्य का प्रमुख



प्रयोजनमूलक हिन्दी

तत्व मानता है। ऐसे आचार्यों के अनुसार अलंकार विहीन रचना उश्णता रहित अग्नि की भाँति है

और वाणी विधवा प्रतीत होती है। दूसरे वर्ग के आचार्यों के अनुसार काव्य में अलंकारों का वहीं स्थान है जो किसी सुन्दर स्त्री के शरीर में प्रसाध नो और आभूषणों का।

(3) भाषा में सबसे अधिक महत्व अर्थ और भाव का है। शब्द और वाक्य अर्थ को अभिव्यक्ति के

उपादान है। मनुष्य अपने भावों और विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही भाषा को अपनाता है। अतः यदि भाषा आर्थव्यक्ति में समर्थ न हुई तो भाषा का प्रयोग व्यर्थ हो जाता है। शब्दों में अर्थ निहित होता है परन्तु उसकी ग्राहकता शब्दों के समूह के सार्थक प्रयोग से होती है, जिसे वाक्य कहते हैं, भाषा के शुद्ध प्रयोग के अन्तर्गत वाक्य एवं शब्द के शुद्ध प्रयोग को विचारित किया गया है, परन्तु अर्थ की अभिव्यक्ति केवल भाषिक शुद्धि पर निर्भर नहीं करती। वास्तविक अभिव्यक्ति किसी वाक्य से तब होती है, जब उसे अत्यधिक सुगठित रूप में प्रस्तुत किया जाये। वाक्य अर्थ तो देते हैं, परन्तु अर्थ की एक विशेषता होती है—प्रभविशुता। वक्ता के भावों और विचारों में प्रभविशुता तभी आती है, जब शब्द चयन एवं वाक्य विन्यास की दृष्टि से भाषा संघटन प्रांजल हो। इसलिए लेखन या भाषाण में अर्थ गौरव को विशेष महत्व दिया जाता

(4) अर्थ सामान्य रूप से कहने से भी समझ में आ जाता है परन्तु भाव अर्थ में एक भंगिमा चाहता है। भाव का सम्बन्ध मन से होता है, अर्थ का बुद्धि से। बुद्धि अर्थ तो ग्रहण कर लेती है परन्तु यदि उसमें भावात्मकता नहीं है तो प्रभावित नहीं होती परन्तु जब भाव को महत्व दिया जाता है तो अर्थ गौरव स्वतः आ जाता है। किसी के समक्ष अपनी सम्पन्नता या विपन्नता का सीधे वर्णन करते जाने से श्रोता ऊबने लगता है परन्तु जब कथन में भाव-भंगिमा ला दी जाती है तो कथन पदपूर्ण हो जाता है। इस प्रकार अर्थ और भाव लग-अलग होकर भी भाषा के साथ-साथ चलते हैं तथा अर्थ गौरव की दर्पश से विशेष उपादेय होते हैं।

(5) सामान्यतया देखा जाता है कि एक ही बात को भिन्न-भिन्न वक्ता अलग ढंग से कहते हैं। अन्तर जिनमें किसी का कथन अधिक मर्मस्पर्शी और प्रभावोत्पादक होता है और किसी की बात प्रभावशून्य होती है। ऐसी स्थिति में यह नहीं कहा जा सकता, कि दूसरे वक्ता की भाषा दोषपूर्ण या अपुष्ट है। भाषा की शुद्धता के बावजूद अर्थ गौरव न होने के कारण ही प्रभावान्विति में आता है। संस्कृत कवि भारवि के काव्य में अर्थ गौरव न होने के कारण ही प्रभावान्विति में अन्तर आता है। संस्कृत कवि भारवि के काव्य में अर्थ गौरव की प्रशंसा सभी विद्वानों ने की है। इसका आशय है कि भाषा के शुद्ध प्रयोग के साथ ही यह जानना भी आवश्यक होता है कि अर्थ गौरव क्या है और भाषा को अर्थ गौरव से कैसे संयुक्त किया जाता है।

(5) मक्खियाँ देखने में कितनी सीधी जान पड़ती हैं और उनके जीवन को हम लोग कितना क्षण-भंगुर समझते हैं। इच्छा मात्र करने से वे मसल दी जा सकती हैं पर निरन्तर हमें इतनी हानि पहुँचाती हैं जिसका कुछ ठिकाना नहीं। संक्रामक रोगों का विश यें मक्खियाँ ही लाती हैं, हैजा ही नहीं, क्षय रोग, प्लेग, चचेक आदि रोगों को भी बात की बात में मक्खियों ही फैलाती हैं। है। भोजन के पदार्थों से लेकर विश्टा तक पर इनका समान रूप से स्नेह रहता है। ये किसी के साथ पक्षपात नहीं करती हैं, अथवा यह समझिये कि उन्हें अच्छे और बुरे का ज्ञान ही नहीं रहता। इन्हें तो बस रस से ही काम है फिर वह कैसा ही क्यों न हो। इनके

विषसे जो विश ये लाती हैं सो तो लाती — हैं, साथ ही रोगों के सहस्रों कीटाणु भी ये पंखों में ले जाती हैं यह कीटाणु मनुष्य के पेट में जाकर उसे बीमार कर देते हैं।



पल्लवन का अर्थ

पल्लवन का अर्थ विस्तार करना या बड़ा करना। इसके लिए विषदीकरण शब्द का प्रयोग भी होता है। किसी सुगठित एवं सुगुम्फित विचार या भाव का इस प्रकार विस्तार करना जिससे वह पूर्णतरु स्पष्ट हो जाये, पल्लवन कहलाता है।

विस्तारण का प्रयोग भी पल्लवन के लिए होता है। दिये हुए सूत्र या वाक्य के प्रत्येक शब्द को भली-भाँति समझकर यह जान लेना चाहिए कि लेखक का मूल मन्तव्य क्या है। उसी को केन्द्र मानकर सूक्ति का पल्लवन करना चाहिए। सूक्ति में गागर से सागर भरने की पैली अपनायी जाती है, अतः उसी सम्यक् विवेचना पल्लवन में की जाती है मूल वाक्य में आये विचार सूत्रों के सही अर्थ को स्पष्ट करने की चेष्टा विस्तारण में होता है।

पल्लवन की विधि—

1. मूल वाक्य का भली-भाँति वाचन कर लें।
2. उसमें प्रयुक्त लोकोक्ति, मुहावरे, सूक्ति आदि के भावार्थ को समझ लें।
3. सूक्ति का केन्द्रीय भाव क्या है, इसे जान लें।

4.

सभी विचारों को स्पष्ट करते हुए अनुच्छेद बना लें।

5. पल्लवन में अनावृष्ट, असम्बद्ध या अप्रासंगिक बातों का उल्लेख नहीं होना चाहिए।
6. पल्लवन में आलोचना या टीका— टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।
7. पल्लवन की रचना अन्य पुरुष में की जानी चाहिए।
8. पल्लवन में व्यास पैली का प्रयोग किया जाता है।

पल्लवन और व्याख्या का अन्तर

2. व्याख्या के लिए सन्दर्भ प्रसंग की अपेक्षा आवश्यकता रहती है जबकि पल्लवन बिना सन्दर्भ प्रसंग जाने किया जाता है।

पल्लवन में हम उक्ति के केन्द्रीय भाव का विस्तार करते हैं तथा हमारा समग्र कथन उसी के चारों ओर घूमता है जबकि व्याख्या में प्रत्येक पंक्ति एवं प्रत्येक भाव का स्पष्टीकरण किया जाता है।

3. पल्लवन सामान्य सत्य का उद्घाटन करता है जो निर्व्यक्तिक एवं सार्वभौम होता है, जबकि

व्याख्या वैयक्तिक होने के साथ-साथ देशकाल के सापेक्ष होती है।

4. व्याख्या में विवेचन, विश्लेषण होता है अतः उसमें पुनरुक्ति की सम्भावना रहती है जबकि पल्लवन में इससे बचने का प्रयास किया जाता है।

पल्लवन के उदाहरण—

दाम्पत्य की भारी-भरकम मषीन के रगड़ खाते हुए चूँ-चरख कल-पुर्जों को चिकनाई देने वाला बच्चा ही है।

पल्लवन— जिस प्रकार भारी-भरकम मषीन के कुल पुर्जों में तेल देकर चिकनाई उत्पन्न की जाती है, जिससे उसकी रगड़ कम हो जाती है और मषीन ठीक ढंग से बेआवाज काम करने लगती है। ठीक उसी प्रकार पति-पत्नी के बीच बच्चा स्नेहन क्रिया का कार्य सम्पन्न करता है। दाम्पत्य की इस मषीन में बच्चा ही तेल का काम करता है और जीवन की गाड़ी फिर



प्रयोजनमूलक हिन्दी

ठीक-ठाक ढंग से काम करने लगती है। यदि बच्चा न हो तो दाम्पत्य की मशीन के कलपुर्जे वू-चरख की आवज अधि क करेंगे और अन्ततः मशीन काम करना बन्द कर देगी।

2. सुख-दुःख से ऊपर नहीं उठा जा सकता।

पल्लवन- सुख-दुःख से ऊपर उठ पाना मनुष्य के वष की बात नहीं है। कहने की बात और है, अनुव की अभिषप्त है- सुख और दुःख दोनों भोगने के बान अलग है। सच यही है किन लिए भले ही गीता में उपदेश दिया गया है कि -सुख-दुःखे समेकरत्वा

' लाभालाभौ जयाजयो पर व्यवहार में इसे अपनाना बहुत कठिन है। कौन ऐसा प्राणी है जो सुख में सुखी न हो और में दुःखी न हो? ऐसा समभाव बनाये रख पाना बहुत कठिन ही नहीं, असम्भव है। यह या तो जानवरों के लिए सम्भव है या किसी अतिमानव के लिए। सामान्य मनुष्य तो सुख-दुःख से ऊपर नहीं उठ सकता।

3. लाचारी का ही दूसरा नाम तकदीर है।

पल्लवन - मनुष्य कूदरत के आगे लाचार है। सब जीजों पर आदमी का वष नहीं होता और न हर चीज तर्क से समझी जा सकती है। वास्तव में मानव-मात्र ईश्वर की मर्जी के आगे लाचार है और इसी लाचारी को तकदीर या भाग्य कहा गया है। जो रहस्य हमारी समझ में नहीं आता कि अमुक घटना क्यों हुई- पुत्र की मौत के पीछे का तर्क जब समझ में नहीं आता, तब वह यही सोचते को बाध्य हो जाता है कि यह मेरी तकदीर का खेल है जो मैं अपने पुत्र को बचा न सका। अपनी इस लाचारी को ही वह तकदीर कहकर अपने को समझाने का प्रयास करताह जान पड़ता है। 4. हमारे वर्तमान हिन्दू समाज में ही एक और पढ़ाई और दूसरी ओर षादी दोनों साथ-साथ चल सकते हैं।

पल्लवन- हिन्दू समाज में बहुत-सी बुराइयाँ हैं। उनमें एक बाल बिवाह भी है। बच्चे छोटे होते हैं, उनके हंसने- खेलने के दिन होते हैं, तभी उन्हें विवाह के बन्धन में बाँध दिया जाता है बेचारे उस समय समझते भी नहीं कि विवाह क्या होता है? बचपन का समय पढ़ने-लिखने का होता है। बच्चे का पूरा ध्यान पढ़ाई-लिखाई में लगाना चाहिए। ऐसे समय में विवाह हो जाने से बालक पढ़ाई में कोई हानि नहीं होती है, पर वास्तविकता ऐसी नहीं है। विवाह के कारण अधिकांश समय पत्नी के साथ बीतता है। जो ध्यान पुस्तकों में लगाना चाहिए, वह पत्नी की ओर चला जाता है, इससे पढ़ाई की हानि होता है।

जवान का असल काम बात को कहना नहीं, ढकना है।

पल्लवन- जैसे-जैसे आदमी का बच्चा बड़ा होता चला जाता है, उसकी सरलता और सहजता समाप्त हो जाती है और दुनियादारी की दर्शष्ट में वह चालाक हो जाता है। वाणी की शक्ति उसके पास आ जाती है और वह बातें बनाना सीख जाता है। अपनी वाक्शक्ति का प्रयोग वह अपने को व्यक्त करने के लिए नहीं, भावों को छिपाने के लिए अधिक करता है। लोग इसी को सभ्यता - और दुनियादारी कहते हैं। दूसरी ओर जनवर वाक्शक्ति के अभाव में अपने असल भावों को छिपा नहीं पाता यही मोटा अन्तर है।- जानवर और आदती है।

6. जहाँ मुँह बन्द हो जाता है, वहीं से मौन की भाशा, आँखों की भाशा पुरु होती है।

पल्लवन- भाशा केवल जुबान की नहीं होती, आँखों का भाशा भी होती है। आँखों की यह भाशा सनातन और सार्वभौम हैं आँखों की अपनी अलग भाशा है। उदास आँखें, सूनी आँखें, लजीजी आँखें रसमयी आँखें व्यक्त नहीं कर पातीं। सच तो यह है कि आँखों की भाशा कभी धोखा नहीं दे पाती, जबकि जुबान की भाशा से हम धोखा खा सकते हैं।

7. पराधीन सपनेहुँ सुख नाही ।

पल्लवन- पराधीन को स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। गुलामी जीवन का सबसे बड़ा अभिषाप है। गुलाम या पराधीन व्यक्ति की कोई आषा-आकांक्षा नहीं होती। उसका न तो कोई स्वाभिमान होता है और न आत्म-गौरव। इसलिए पराधीनता को समाप्त करने के लिए एवं स्वतन्त्रता को प्राप्त करने हेतु व्यक्ति को संघर्ष करना चाहिए।

8. वसुधैव कुटुम्बकम् ।

पल्लवन— पृथ्वी के समस्त समस्त प्राणी हमारे कुटुम्बी हैं, परिवारीजन हैं अतः सबके प्रति प्रेमभाव बनाये रखना हमारा कर्तव्य है। मनुष्य धर्म, भाषा, राष्ट्र के नाम पर अलगाव अनुभव करता जो अन्ततः घटना—द्वेष में बदल जाता है। इसके विरुद्ध यदि हम मानवतावाद को हृदय में स्थान दें और समस्त पृथ्वी निवासियों के प्रति प्रेम एवं भाईचारे को भावना विकसित करें, सबके कल्याण की कामना करें तो विश्वशान्ति की स्थापना हो सकती है। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुम्बकम् में विश्वास रखने वाली समन्वयवादी संस्कृति है।

9. हिंसा बुरी चीज है, परदासता उससे भी बुरी है।

पल्लव—दूसरों की हत्या करना अच्छी बात नहीं है, बिना कारण किसी की हत्या करना बहुत बुरा काम है, लेकिन गुलाम रहना हत्या करने से बुरी बात है। इसका तात्पर्य यह है। कि गुलामी दूर करने के लिए अत्याचारी की हत्या करना अथवा युद्ध लड़ना अथवा क्रान्ति करना बुरी बात नहीं है। जो लोग हत्या करने के डर से अथवा से बचने के लिए गुलाम बने रहते हैं और परतन्त्र बनाने वाले का विरोध नहीं करते, वे बहुत बुरे हैं।

10. जो तो को कांटा बुवे ताहि बौउ तू फूल।

पल्लवन— सभ्यता और धर्म भावना यह कहती है कि उसके साथ भलाई करो। जो अपने साथ बुराई करता है, उसके साथ भी भलाई करो। अगर बुरे के साथ बुराई और शत्रु के साथ शत्रुता की जायेगी तो समाज में ही नहीं, सारे राष्ट्र में, सारे विश्व में अशान्ति फैल जायेगी। अगर अपने साथ काँटा बोनने वाले के साथ हम फूल बोयेंगे तो कभी—न—कभी वह हमारा विरोध त्याग देगा।

11. साहित्य समाज का दर्पण है।

पल्लवन— जिस प्रकार दर्पण में हमें हमारा प्रतिबिम्ब दिखाई देता है उसी प्रकार साहित्य में तत्कालीन

समाज का नाताबम्ब साफ— साफ देखा जा सकता है। यदि साहित्य में वीरता के भाव वर्णित हैं तो

समाज में भी वीरता, शौर्य प्रदर्शन एवं युद्ध की स्थिति रही होगी। यदि साहित्य में श्रृंगार भावना अधिक है तो समाज में भी विलास की प्रवृत्ति रही होगी। वीरगाथकाल एवं रीतिकाल के साहित्य की भिन्नता भी यही प्रदर्शित करती है।

12. निज भाषा उन्नति अहं सब उन्नति को मूला

पल्लवन — भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र ने इस पंक्ति में अपनी भाषा की उन्नति पर बल दिया है। वे भारतवासियों से यह कहते हैं कि हमें अंग्रेजी का मोह त्यागकर अपनी हिन्दी भाषा की उन्नति एवं विकास का प्रयास करना चाहिए क्यों अपनी भाषा की उन्नति अन्य सब प्रकार की उन्नतियों का मूल है। जब तक किसी देश की भाषा उन्नति नहीं करती तब तक वह देश किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पाता।

13. बैर क्रोध का अचार या मुरब्बा है।

पल्लवन— जब क्रोध हृदय में स्थायी हो जाता है तो समयान्तराल के पश्चात् उसी प्रकार बैर के रूप में परिणत हो जाता है जैसे आम को नमक, मसाला एवं तेल मिलाकर रख देते हैं और वह

कुछ समय के बाद आचार में बदल जाता है। क्रोध आने पर यदि वह तुरन्त निकल जाये तो नैर नहीं बन पाता। जैर वह तभी बनता है जब कुछ समय तक वह हृदय में धर कर ले और बाद में उसे निकालने का अवसर मिले।

14. मन के हारे हार है मन के जाते जीत।

पल्लवन— व्यक्ति वास्तव में मन के कारण हारता है और मन के कारण ही जीतता है। सुख—दुःख आशा—निराशा, हानि—लाभ तो जीवन में जीते की उलझे हैं। व्यक्ति को चाहिए कि



प्रयोजनमूलक हिन्दी

निराशा या कष्ट के क्षणों में भी कभी भी अपने मन को पराजित न होने दे। अवसाद के क्षणों में उसे धैर्य से काम लेना चाहिए और हर हालत में विजय के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। वास्तव में हारता है जो मन से हार मान लेता है और जीतता है जिसका मन कभी हार नहीं मानता। एक बार असफलता मिलने पर दुगुने उत्साह से भरकर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होने वाले व्यक्ति अन्ततः अपना लक्ष्य हासिल कर ही लेते हैं।

15. कुलंग का वर बड़ा भयानक होता है।

पल्लवन— व्यक्ति को कुसंग से बचना चाहिए और अच्छी संगति करनी चाहिए। मित्रों का चुनाव सोच-सझकर करना चाहिए। यदि कोई बुरी संगत में फँस गया तो उसके दुश्प्रीव से बच नहीं पाता। जहाँ तक सम्भव हो व्यक्ति को भले लोगों का साथ ही करना चाहिए। कुसंग से हमारे अन्दर बुरी आदतें पनपती हैं जबकि सत्संग हमारे अन्दर सद्गुणों का विकास करता है।

16. करत—करत अभ्यास के जड़मति होत सरजाना

पल्लव— अभ्यास की निरन्तरता मूर्ख को भी विद्वान् बना देती है तथा असफल को भी सफल बना देती है किसी भी कार्य में दक्षता एवं कुशलता निरन्तर अभ्यास से ही प्राप्त होती है। कुएँ की मुँडेर भले ही पत्थर की बनी हो, किन्तु रस्सी निरन्तर उससे रगड़ती रहती है। परिणामतः वहाँ निषान बन जाता है। जब कठोर पक्ष को रस्सी काट सकती है तो निरन्तर अभ्यास से ज्ञानार्जन भी किया जा सकता है। कहा गया है— अभ्यासेन कर्मसु कौषलरु ।

17. आचरण सभ्यता की कसौटी है।

तममंत – व्यक्ति की परख उसे आचरण से होती है। शिष्ट व्यक्ति वही है जिसका आचरण अच्छी है। अशिष्टता व्यक्ति के आचरण से प्रकट हो जाती है। संस्कृत में कहा गया है—

आचाररु परमोधर्माः आचारः परमं तपः ।

आचाररु परम ज्ञान आचरत् कि न साध्यते ।।

18. जीवन एक फूल है और प्रेम उसकी सुगन्धा

पल्लवन— पुष्प वही अच्छा होता है जिसकी सुगन्ध मनमोहक हो। यदि सिकी पुष्प में सुगन्ध नहीं है तो भ्रमर उस पर आकट नहीं होता। सुगन्ध पुष्प की आत्मा है, उसका गौरव है तथा सही अर्थों में उसकी पहचान भी है। हर पुष्प की सुगन्ध अलग-अलग होती है। फूलों की सुगन्ध के कारण ही हम प्रियजनों को पुष्पहार समर्पित करते हैं।

ठीक यही स्थिति जीवन की है। जीवन पुष्प की भाँति सुन्दर है किन्तु उसकी सार्थकता तभी है जब हम उसे प्रेम की सुगन्ध से समन्वित करें। जिस जीवन में प्रेम की सुगन्ध नहीं है, वह किसी को भी आकषट नहीं करता। मानव मात्र के प्रति प्रेम का भाव जो अपने जीवन में रखते हैं वे ही महान पुरुष कहलाने के अधिकारी बनते हैं। प्रेम जीवन का वह तत्त्व है जो इसे आकर्षक उपयोगी एवं प्राणवान बनाता है। इस सूक्ति में प्रेम की महत्ता का प्रतिपादन सटीक ढंग से किया गया है। जीवन में प्रेम की सुगन्ध मिल जाने से वह इत्र की भाँति महकने लगता है, अतः प्रत्येक व्यक्ति को प्रेम, स्नेह देकर हम अपने जीवन को सार्थक करें, यही इस सक्ति का तात्पर्य है और यही सूक्तिकार का लक्ष्य है।

19. वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे ।

अथवा

परहित सरिस धरम नहिं भाई ।

पल्लवन— दूर हैं ।

मनुष्य वह है जिसमें मनुष्यता हो । जो आत्मकेन्द्रित एवं स्वार्थी हैं, वे मनुष्यता से कोसों दूर मानव की सही पहचान पर दुःखकातरता से होती है। जो किसी और के काम न आ सकें

वह किसी काम का नहीं। परमार्थ सबसे बड़ा धर्म है। अपने लिए तो सभी जीता है, उसी का जीना सार्थक है। गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस में ठीक ही कहा है—

परहित सरिस धरम नहीं भाई।

परपीड़ा सम नहीं अधमाई ।।

अर्थात् परमार्थ से बड़ा कोई धर्म नहीं है और परपीड़न से बड़ी कोई नीचता नहीं है। प्रकृति अपने लिए न जीकर दूसरों के लिए जीवित है। वक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियाँ अपना जल स्वयं नहीं पीती इसी प्रकार सज्जन परमार्थ के लिए जीते हैं—

वक्ष कबहु नहीं फल भखै नदी न संचौ नीर ।

परमारथ के कारनै साधुन धरा सरीर ।।

मानव जिस प्रकषत के सान्निध्य में रहता है, उससे उसे सीख लेनी चाहिए। जीवन में करुणा, क्षमा, दया, परोपकार जैसी वस्तुएँ महानता की ओर ले जाती हैं। आज इतिहास में उन्हीं का नाम अमर है जो परमार्थी रहे हैं। स्वार्थी को समय भुला देता है परन्तु परमार्थी व्यक्ति यशः परीर से युगों-युगों तक जीवित रहता है।

20. विपत्ति कसौटी जे कसे ते ही सांचे मीत।

पल्लवन— मित्रता की परख विपत्ति में ही होती है। सुख में हाथ बँटाने वाले और साथ निभाने वाले तो हजारों मिल जाते हैं किन्तु जो विपत्ति में साथ देता है, वहीं सच्चा मित्र है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं— धीरज, धरम, मित्र अरु नारी। आपदकाल परखिए चारी। अर्थात् धैर्य, मित्र और पत्नी की परीक्षा विपत्ति काल में ही हो पाती है जो स्वार्थी एवं कपटी मित्र हैं, वे विपत्ति में साथ छोड़ देते हैं किन्तु सच्चा मित्र कभी साथ नहीं छोड़ता। सुख हो या दुःख वह हर समय साथ देने को

तत्पर रहता है।

21. साँप चाहे जितना काटे चन्दन अपना धरम नहीं छोड़ना।

पल्लवन — संसार में तीन प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं— सतोगुणी, रजोगुणी, और मतोगुणी। रजोगुणी परिस्थिति, क्रिया—प्रतिक्रिया से प्रभावित होते रहते हैं, पर सतोगुणी व्यक्तियों पर दूसरे के स्वीय या प्रतिकार का प्रभाव नहीं पड़ता। साँप अपने काटने का धूर्त स्वभाव नहीं छोड़ सकता तो भला चन्दन अपना स्वभाव क्यों छोड़े और वह वास्वव में छोड़ता भी नहीं

22. वे रिश्वत से दूर भागते थे, तभी न्याय कर पाते थे।

पल्लवन— न्यायकर्ता का आसन भगवान् के आसन के समान है, उसको लोभ, भय, प्रीति, द्वेष से सदा दूर रहना चाहिए। ये विकार उसकी नीर—क्षीर विवेक क्षमता को कुण्ठित कर देते हैं। उनका न्याय महान् था क्योंकि वे लोभ रिश्वत से सदा दूर भागते थे। रिश्वत का प्रयोग ही कर्तव्य विमुख करने हेतु होता है और कर्तव्य विमुख व्यक्ति अपने जीवन कभी न्याय पर अडिग नहीं रह सकता। 23. निन्दक नियर राखिए आंगन कुटी छवाय।

पल्लवन— यह पंक्ति कबीर की है। निन्दक कई प्रकार के होते हैं। एक तो वे होते हैं जिनके लिए निन्दा कार्यएक धर्म बन चुका होता

, दूसरे वे जो सुधार की भावना से निन्दा करते हैं, पर वे हैं कहाँ? फिर भी निन्दा व्यक्ति को सचेत करती है, उसे पारिश्रिक का अवसर प्रदान करती है, अतः निन्दा व्यक्ति विकास में सहायक होती है।

24. मन ही मनुश्य के बन्धन और मोक्ष का कारण है।

पल्लवन— मनुश्य को दो षक्तियाँ परिचालित करती हैं, पहला है मन और दूसरा है उसका विवेक। विवेक तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का ही आधार है, पर सामान्य व्यक्ति मन से ही परिचालित होता है। मन ही उसे सुमार्ग पर ले जा सकता है मन ही उसे कुमार्ग पर ले जा सकता



प्रयोजनमूलक हिन्दी

है। मन ही उसे भोग-विलास की कीचड़ में धकेलता है मन ही उसेसारे बन्धनों से मुक्ति दिला सकता है और मन ही उसे नाना प्रकार के जाल में फसा कता है।

25. वसुधैव कुषुम्वकम् ही मानवता की कुंजी है।

पल्लवन – मानव संसार का श्रेष्ठतम प्राणी है, वह पशु नहीं है अतः उसी प्रवृत्ति सामाजिक है, परोपकारी है, शिव है। यही उसकी मानवता है। यह मानवता जितने बड़े क्षेत्र में विस्तृत होगी, उतनी ही महान् होगी। परिवार से बड़ा क्षेत्र समाज है, समाज से बड़ा राष्ट्र है और राष्ट्र से बड़ा विश्व है। जब व्यक्ति अपना उदार भाव विश्व को अपना ही परिवार मानकर प्रकट करता है तो वह सच्चा मानव हो जाता है और उसकी मानवता महान् हो जाती है।

26. अत्याचार करने वाला उतना दोषी नहीं है, जितना उसे सहन करने वाला।

पल्लवन— अत्याचार सहन नहीं करत है, जो या तो सर्वथा अशक्त होता है, यह लालची भीरु और निष्क्रिय। उज्ज्वल व्यक्तित्व, श्रेष्ठ चेतना, अदम्य साहस, उत्कृष्ट स्वाभिमान युक्त व्यक्ति अत्याचार नहीं सहते। यदि वे भी अत्याचार सहते हैं तो उन्हें धिक्कार है, वे स्वयं हतवीर्य हैं, भयभीत हैं। ये दुर्गुण उनको निकट कोटि का ही बना देते हैं। अतः वे भी उतने ही दोषी हैं, जितना अत्याचारी। दिनकार जी ने कहा है—

अन्याय सहकर बैठ रहना यह महा दुश्कर्म है।

न्यायार्थ अपने बन्धु को भी दण्ड देना धर्म है।

27. रहिमन निज मन की व्यथा मन ही राखो गोया

पल्लवन— यह रहीम का कथन है इसका दूसरा अंश है— सुनि इठलइये लोग सब बँटि न लीजे कोय। अर्थात् व्यथा को सुनकर लोग मजाक ही करेंगे, कोई उसेदूर नहीं कर सकेगा। फिर क्या फायदा अपनी मानसिक व्यथा का बार-बार उल्लेख करने से। अतः मन की व्यथा को अपने मन में ही समेट कर रखना उचित है।

28. जो तोको काँटे दुबै, साहि बोय तू फूल

पल्लवन— इस सूक्ति का दूसरा अंश है— तो को फूल हैं बाकी हैं तिरसूल। अर्थात् अपनी करनी, अपनी धरनी होती है। पर यह फूल बोने के काम सात्विकी प्रवृत्ति के व्यक्ति ही कर पाते हैं, उनका जीवन महान् होता है। महर्षि भरगु ने विश्णु के वक्षस्थल पर लात मारी थी, पर भगवान् ने उनकी वन्दना ही की। इससे क्या भगवान् विश्णु का मान घटा, नहीं अपितु बढ़ा ही वे और पूज्य हो गये। अतः भले ही आपके साथ कोई बुराई करें आपकी उसके साथ अच्छाई ही करनी चाहिए।

29. त्याग करेंगे इन पर और बदले में चाहेंगे मन भर

पल्लवन त्याग मानव का श्रेष्ठ धर्म माना जाता है, इस तप की श्रेणी में खड़ा किया जाता है। निःस्वार्थ भाव से किया गया त्याग, मानव को देवत्व प्रदान करता है। पर जो त्याग स्वार्थवश किया जाता है, वह महत्वहीन होता है। पर आज व्यक्ति में त्याग की प्रवृत्ति कहाँ, यही कारण है, सुख षान्ति समाज से विदा हो गयी है। आज का व्यक्ति त्याग तुरन्त प्रतिफल चाहता है और जरा पा त्याग करके उसका बड़ा-सा फल भी पाना चाहता है।

30रू— स्वार्थ को इतनी छूट देना ठीक नहीं है कि वह विवेक को ही खा जाये।

पल्लवन – स्वार्थ मानव का सहज गुण है। पर स्वार्थ की प्रवृत्ति तो पशु में भी होती है, फिर जानव और पशु

में क्या अन्तर है। मा। इतना कि पारन अपने निजी स्वार्थ के साथ परहित का भी ध्यान रखता है, या उसे रखना चाहिए। यदि वह ऐसा नहीं करता तो यह पशु के तुल्य है। व्यक्ति को

अपने स्वार्थ का ध्यान रखते हुए भी अपना विवेक नहीं खोना चाहिए अर्थात् अपने स्वार्थ की पूर्ति में हम दूसरों का पोषण करे या उन्हें हानि पहुँचाये, यह ठीक नहीं है।

31. जो सुख त्याग में है वह ग्रहण में नहीं।

पल्लवन – यह सूक्ति सतयुगी मालूम होती है, देवताओं के लिए उपयुक्त हो सकती है, आज के मानव के स्वाभाव के यह सर्वथा विपरीत है। आज तो व्यक्ति सब कुछ ग्रहण करना चाहता है, सब कुछ बटोरना चाहता है, अनाधिकार बटोरना चाहता है और त्याग तो वह करना ही नहीं चाहता है। पायद इसी से आज के मानव जीवन में अषान्ति ही अषान्ति फैली हुई है। पर मानव जीवन का सत्य भी यही है कि त्याग मन को षान्ति, सुख, सन्तोष देता है, और लालसा असन्तोष, पीड़ा का कारण बनती है।

32. स्त्रियों के आँसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेल का काम करते हैं।

पल्लवन – यह सूक्ति प्रसंग विषेश से सम्बन्धित है, जबकि किसी अबला पर अत्याचार हो रहा हो या कोई स्त्री अपनी पीड़ापरक गाथा आँसू बहाकर सुना रही हो तो उसका प्रभाव पुरुष पर गहरा पड़ता है। यह सूक्ति बड़े घर की बेटा कहानी की है, जिसमें आनन्दी के आँसू देखकर श्रीकुंठ सिंह, अत्यधिक क्रोधित हो उठे थे। इसी सन्दर्भ में प्रेमचन्द जी ने कहा है, स्त्रियों के आँसू पुरुष की क्रोधाग्नि भड़काने में तेलका काम करते हैं।

33. नारी स्वतन्त्रता का यह मतलब नहीं कि वह अपने नारीत्व को ही खूँटी पर टाँग दे।

पल्लवन— नारी की कई भूमिकाएँ होती हैं, मता होती है, गरहिणी होती है, होती है, उसमें षील, लज्जा, दया, ममता, सेवा, परोपकार की भावना होती है वह सुसंस्कृत सन्तान की निर्माता होती यही उसका नारीत्व है।

नारी स्वतन्त्रता से तात्पर्य है सदियों से जिस नारी को पैर की जूती समझा गया, उसे दलित माना गया, उसका जो भरकर षोषण किया गया, उसकी कोई इच्छा, कामना, आकांक्षा को नहीं समझा गया, उसे भी समजा में दासतारहित जीवन जीने का अधिकार मिलना चाहिए।

यह अधिकार आवश्यक हैं, समाज हित में भी है, पर जब यह स्वतन्त्रता इतनी बढ़ जाती है कि उच्छृंखलता की सीमा तक पहुँच जाती है, तो वह अपने नारीत्व को ही पीछे छोड़ देती है। यह स्थिति नारी के लिए हितकार नहीं है, न ही समाज के लिए हितकर है।

34. चन्दन की रगड़ से आग निकलती है और जंगल जल जाता है।

पल्लवन— चन्दन षीतल माना जाता है, पर उसको यदि अधिक रगड़ा जाय तो उससे भी अग्नि उत्पन्न हो जाती है। अर्थात् षान्त तत्व को भी यदि रगड़ा जाय तो उसे भी आग निकल सकती है और इतनी निकल सकती है कि जंगल को भी जला सकती है। यह कहा गया है— अतिषत रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चन्दन तै होई। यह रगड़ कठोर निश्ठापूर्वक सतत् अनवरत अथक परिश्रम का ही प्रतीक है। जब चन्दन जैसा षीतल पदार्थ पड़ने पर अग्नि दे सकता है, तब मानव विद अपने को रगड़े सतत् प्रयत्नशील रहे तो क्या वह अपने भीतर की ऊर्जा को इतनी बलवती नहीं सकता है कि वह उसक सामने के सारे कंटकों को ही भस्म कर दे और उसे लक्ष्य तक पहुँचा दे।

35. हिंसा से हिंसा बढ़ती है।

पल्लवन – हिंसा प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है, हिंसक व्यक्ति की सोच भी हिंसावादी हो जाती है और हिंसा उसक जीवन का अंग बन जाती है। दूसरी ओर जिस पर हिंसा का प्रयोग किया जाता है, वह भी प्रति हिंसक हो उठता है और बैर को मन में टान लेता है। हजारों मामले ऐसे सामने आते हैं जहाँ किसी व्यक्ति ने किसी अबोध बालक के पिता की हत्या कर



प्रयोजनमूलक हिन्दी

दी थी, बड़ा होते ही उसके उस व्यक्ति की हत्या कर दी। कहीं-कहीं तो यह सिलसिला ही चलता रहता है। आज उसने उसके परिवार के किसी सदस्य की हत्या कर दी तो चार दिन बाद उस परिवार के किसी व्यक्ति को समाप्त कर दिया। यही है वह स्थिति जिसमें यह कहा जाता है कि हिंसा से हिंसा बढ़ती है।

36. जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

पल्लवन— प्रजातन्त्र में कुर्सी सत्ता के लिए जनता ही सौंपती है और जनता ही यदि चाहे ती राज्य बदल सकती है। भारतीय राजनीति का भी यही हाल है, आपातकाल के बाद देश की जनता ने ऐसी एकता प्रदर्शित की कि कांग्रेस पार्टी धरापायी हो गयी और इन्दिरा गाँधी तथा संजय गाँधी जैसे दिग्गज भी चुनाव हार गये। पर हमारे देश का यह दुर्भाग्य है कि हमारी जनता क्षेत्रीयता, जातीयता की संकीर्णता में बँटी है और नेता मनमानी कर रहे हैं। उन्हें यह विश्वास है कि जनता कभी एकता का प्रदर्शन कर ही नहीं पायेगी। फिर डर क्या है? साथ ही वे कुछ ऐसी स्थितियाँ निर्मित करते रहते हैं कि जनता एकजुट हो न सके, क्योंकि जनता की एकता कुर्सी के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

37. होनहार बिरवान के होत चीक ने पाता

पल्लवन— बागवानी विज्ञान से सम्बन्धित व्यक्ति यह जानते हैं कि जो वृक्ष प्रारम्भ से ही पौधे रूप में हरा-भरा चिकना, लहलहाता हुआ होता है, वहीं आगे चलकर श्रेष्ठ, षक्तिसम्बल, लहलहाता हुआ वृक्ष बनकर फूल-फलों से लद जाता है। जो सूखा-सूखा रूखा-रूखा बदरंग पौधा होता है वह उतना श्रेष्ठ वृक्ष नहीं बन पाता है, यही स्थिति मानव जीवन पर लागू होती है। जो बच्चा होनहार होता है, उसके रंग-ढंग बचपन में ही दीख जाते हैं वह अपनी बुद्धि विवेक, षक्ति, सामर्थ्य, कार्य और व्यवहार के माध्यम से यह प्रकट कर देता है कि उसका व्यक्तित्व प्रभावी, श्रेष्ठ और प्रतिभा सम्पन्न होगा। यही वह स्थिति है जब कहा जाता है होनहार बिरवान के होत चीकने पात

38. क्षमा वीरों का आभूषण है।

पल्लवन — एक विद्वान् की धारणा है, किसी को दण्ड देना साधारण कार्य है अतिसाधारण व्यक्ति श्री दण्ड दे सकता है, पर क्षमा असाधारण कार्य है। महान् व्यक्तित्व ही क्षमा कर सकता है और वह सोलह आने सही है। अपे प्रति किये गये अत्याचार, अपमान, प्रताड़ना आदि के देश को भुलाकर सहज भाव से क्षमा कर देना अति साधारण कर्म है। यह कर्म वही व्यक्ति प्रदर्शित कर सकता है जो वीर हो, श्रेष्ठ होख महत्वपूर्ण हो, क्योंकि वीर को ही क्षमता प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है, जो बदला देने की सामर्थ्य ही नहीं होती कि वह किसी अपमान का बदला ले सके, फिर उसकी क्षमा प्रदान करने का अधिकार प्राप्त है, जो बदला देने की सामर्थ्य रखता है फिर भी उसका उपयोग नहीं करता। कायर, डरपोक में तो यह सामर्थ्य ही नहीं होती कि वह किसी अपमान का बदला ले सके, फिर उसकी क्षमा का मूल्य ही क्या है वह तो उसकी विवषता है। दिनकरजी का कथन क्षमा षोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है। उसको क्या जो दन्तहीन विशहीन विनीत सरल है।

39 सेवा तीर्थयात्रा से बढ़कर है।

पल्लवन— प्रस्तुत सूक्ति सुदर्शन जी की कहानी तीर्थयात्रा की है जिसमें यह भाव व्यजित है कि परोपकार, परसेवा और परकल्याण की भावना, सच्ची उपासना है। भगवान भी परोपकारी से प्रसन्न रहता है। तीर्थ यात्रा से पुण्य लाभ होता है, ऐसा माना जाता है पर मानव सेवा से तो महापुण्य लाभ होता है, षिवम की साधना होती है, दानो लोकों का उद्धार हो जाता है, अतः सेवा सब उपासनाओं से महत्वपूर्ण है। किसी भी तीर्थ यात्रा से श्रेष्ठ है। तुलसी ने कहा है—

परहित सरिस धर्म नहीं भाई।

पर पौडा सम नहि अथमाई

40. गुलामी आत्मा का क्षय करती है।

पल्लवन— गुलाम व्यक्ति का जीवनपराधीन होता है, उसके सारे कर्म, व्यवहार, सोच, चिन्तन पराश्रित होते हैं फलतः उसके विवेक का सदुपयोग नहीं हो पाता और उसकी आत्मा सुख की अनुभूति कर हो नहीं सकती क्योंकि उसका जीवन हर क्षण दबा-दबा, महणा-सहमा, कुण्ठित बना रहेगा। कुण्ठा व्यक्ति के समूचे व्यक्तित्व को रौंद देती है, जिसके साथ उसकी परम तेजामयी आत्मा भी घुट जाती है, कुण्ठित हो जाती है, इसी प्रकार गुलाम व्यक्ति की आत्मा, ओजमयी, तेजमयी नहीं हो सकती है।

41. क्रोध सब मनोविकारी से फुर्तीला है।

पल्लवन— क्रोध मन एक भाव है, इसे मनोविकार कहते हैं। क्रोध का वेग अत्यन्त तीव्र होता है, उसमें विचार-विमर्श का समय नहीं मिलता है और क्रोधी अपनी प्रतिक्रिया प्रकट कर देता है, कभी अपषब्द के रूप में और कभी शारीरिक प्रतिक्रिया के रूप में। अतः कहा जा सकता है कि क्रोध समस्त मनोविकारों में फुर्तीला होता है।

42. क्रोध षान्ति भंग करने वाला मनोविकार है।

पल्लवन— क्रोध अन्य सब मनोविकारों की अपेक्षा फुर्तीला होता है उनमें सोच-विचार का समय नहीं होता है, वह तो तडाक-भडाक अपना कार्य कर बैठता है। परिणामतः इस मनोविकार से व्यक्ति की, समजा की और दूसरों की षान्ति भंग होती है। क्रोध से क्रोध का संचार होता है। यह एक ऐसा मानोविका है जिससे व्यक्ति का अपमान होता है, उसकी त्योंरी चढ़ती है और संघर्ष होता है साथ ही षान्ति भंग भी। इसलिए सनत और सभ्य व्यक्ति क्रोध से दूर रहता है।

43. धर्म की रसात्मक का नाम भक्ति है।

पल्लवन— इस वाक्य में भक्ति को धर्म की रसात्मक अनुभूति कहा गया है तुलसी के अनुसार धर्म ब्रह्म के सत् स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति है। परम तत्त्व जब विश्व के कण-कण में अपने स्वरूप को व्यक्त करता है उसके स्वरूप में परम तत्त्व के अनन्त रूप में दर्शन होते हैं। इसी परम तत्त्व में असीम स्वरूप का अभास होता है। वस्तुतः यही अनुभूति धर्म है और धर्म की रसात्मक या प्रेमपरक अनुभूति ही भक्ति है जिसमें श्रद्धा और प्रेम का योग रहता है।

44. मनोवेग वर्जित सदाचार दम्भ या झूठी कवायद है। मनुष्य के अन्तःकरण में सात्विकता की ज्योति जगाने वाली यही करुणा है।

पल्लव— व्यक्ति और समाज के लिए कुछ नियम बने हैं, बने हैं, उन नियमों को सदाचार कहते हैं। यह सदाचार अथवा नियम समा के कल्याण और व्यक्ति के उत्थान के साधन है। न कि साध्य। समाज की व्यवस्था के लिए सदाचार के नियमों का पालन आवश्यक है। यह नियम षील और सद्वृत्ति के साधन हैं किन्तु न तो उनके समकक्ष और न स्वयं साध्य ही। इन नियमों का पालन मनुष्य स्वयं की भावना से करता है, दूसरों के द्वारा लादे जाने पर नहीं। धर्मोपदेशन या समाज-सुधारक उनके पालन को साध्य मान लेते हैं या कड़ाई से पालन करना चाहते हैं भले ही उसके लिए व्यक्ति की आत्मा का हनन हो या षील और सद्वृत्ति का नाश हो। अतः जो सदाचार मन की भावना से प्रेरित नहीं है अथवा मनोविकार जिसे सहज रूप में स्वीकार नहीं करता अथवा के प्रतिकूल उस सदाचार का पालन करना पड़ता है, ऐसा सदाचार वास्तव में मिथ्या है।

करुणा एक ऐसा मनोविकार है, जो स्वेच्छा से प्रेरित होता है, हृदय की तीव्र अनुभूति से उत्पन्न होता है, अतः यह मानव-मन की सात्विकता की ज्योति को जाग्रत करता है। करुणा से जब मानव मन का परिष्कार होता, तो ऐसा लगता है कि मानो सदाचारों का पालन हो, गया और करुणा से पूर्ण व्यक्ति प्रायः परोपकार आदि करता हुआ देखा जाता है। आशय यह है कि करुणा सम्पूर्ण सदाचारों में षीर्ष स्थानीय है तथा मनोवेग वर्जित सदाचार दम्भ है। मिथ्या है।

45. सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

पल्लवन— समाजशास्त्रियों की मान्यता है कि समाज में एक—दूसरे की सहायता अपनी—अपनी रक्षा के विचारसे की जाती है। किन्तु करुणा एक ऐसी भावना है जिसके उदय होने पर हम एक—दूसरे की सहायता पारस्परिक सहायता की अपेक्षा मन की स्वतः प्रवृत्ति करने वाली प्रेरणा से करते हैं। यह प्रेरणा करुणा के द्वारा ही होती है। यदि समाजशास्त्रियों की मान्यता को स्वीकार कर लें तो हमारी दया, करुणा, भक्ति और श्रद्धा के पात्र मोटे— मुस्टण्ड गुण्डे अत्याचारी ही हुआ करते, किन्तु ऐसा

होता नहीं है। हमारी दया और करुणा के पात्र प्रायः दीन और अपाहिज ही होते हैं। एक अनाथ अबला को मार खाते देखकर हम द्रवित हो जाते हैं किन्तु पहलवान, चोर और डाकू को पिटते देखकर नहीं।

सामाजिक जीवन के सफलतापूर्वक निर्वाह के लिए मानव मात्र में करुणा का प्रसार आवश्यक क्योंकि करुणा से ही प्रेरित होकर मनुष्य परस्पर सहायता आदि करता है। समाज की सहायता के लिए उसकी स्थिति के लिए और रक्षा के करुणा का प्रसार आवश्यक है।

करुणा का प्रसार इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि इसमें प्रतिदान की भावना नहीं होती है। यह एक निःस्वार्थ भाव है और सात्विक भावना है। अतः जिस समाज में करुणा का प्रयोग जितना अधिक होता है। उस समाज की स्थिति उतनी ही अच्छी होती है और समाज में शान्ति, सुव्यवस्था और सात्विकता का उतना ही अधिक प्रचार होता है।

46. करुणा अपना बीज अपने आलम्बन या पात्र में नहीं फेंकती है।

पल्लवन— सामाजिक जीवन की पुष्टि के लिए करुणा का प्रसार आवश्यक है क्योंकि करुणा एक ऐसा भाव है जिसमें प्रतिदान की गुंजाइश नहीं रहती है। करुणा स्वार्थ से प्रेरित होकर नहीं की जाती है, जैसा कि अन्य अनेक भाव—प्रेम, घरणा आदि में होता है। इस जिससे प्रेम करते हैं, उससे हमें प्रतिदान की कामना भी कामना भी रहती है। धरणा करने वाले से हम धरणा करते हैं, वह हमसे चरणा करता है किन्तु करुणा में ऐसा नहीं होता है। करुणा स्वार्थवश नहीं होती है। हम यह कभी नहीं चाहते कि जिसके प्रति हम करुणा करते हैं वह हम पर भी करुणा, करे, या बदले में हम कुछ दे। बस करुणा के बदले में वह कष्टज्ञ होता है या श्रद्धा करता है अथवा प्रेम और क्रोध प्रतिदान चाहने वाले मनोविकार हैं जबकि करुणा ऐसा भाव नहीं है। अतः यह कथन सत्य है कि करुणा किसी लक्ष्य को रखकर, या किसी स्वार्थभाव से प्रेरित होकर नहीं की जाती है। वह तो अकस्मात् हृदय से उत्पन्न होने वाली एक तीव्र अनुभूति है। इसीलिए जिस पर करुणा की जाती है वह बदले में करुणा नहीं करता है। यदि वह कुछ करता है तो श्रद्धा अथवा कष्टज्ञता ज्ञापन। 47. मनुष्य की प्रकृति में शील और सात्विकता का आदि संस्थापक यही मनोविकार है।

पल्लवन— करुणा वह भाव है जो मानवता का प्रसार करता है, सामाजिक सम्बन्धों को अधिक पुष्ट करता है, समाज की भावना की स्थापना करता है। मनुष्य के स्वभाव में शील, सदाचार ओश्र आचरण की स्थापना में भी करुणा का महत्वपूर्ण योगदान है। सात्विक भावना की स्थापना में भी करुणा रहती है, क्योंकि करुणा के मूल में किसी की भलाई की भावना रहती है। मनुष्य जैसे ही मानव समाज का अंग बनता है, वैसे ही उसके सुख और दुःख का बहुत—सा अंश दूसरों की क्रिया और अवस्था पर निर्भर हो जाता है।

संसार के कल्याण के लिए उत्तम कर्मों की साधना के मूल में करुणा की भावना रहती है क्योंकि करुणा की उत्पत्ति किसी के दुःख को देखकर होती है। दूसरों के दुःख को देखकर दुःखी होने का नियम दूसरों के सुख को देखकर होती है। दूसरों के दुःख को देखकर दुःखी होने का नियम दूसरों के सुख को देखकर सुखी होने की अपेक्षा कहीं अधिक व्यापक है। इस प्रकार करुणा सात्विकता का प्रसार करती है।

48. आदमी पाप से नीचा होता है, खाने—पीने से नीच नहीं होता। प्रेम से जो भोजन मिलता है,

वह पवित्र होता है उसे तो देवता भी खाते हैं।

पल्लवन— भारत में छुआछुत एक भयकर अभिषाप के रूप में प्रचलित है। व्यक्ति एक—दूसरे के भोजन जैसे महत्त्वपूर्ण तत्व को भी उसी दर्पश्ट से देखते हैं। वास्तव में जिसकी आत्मा महान् हो बड़ी पुण्यात्मा है। आदमी पाप या बुरे कर्म से नीच होता है, उसके बुरे कर्म उसे नीच बनाते हैं, न कि खाने—पीने से कोई नीच होता है। प्रेम से जो भोजन मिलता है, वह पवित्र होता है, वह चाहे किसी भी व्यक्ति के द्वारा प्रदत्त क्यों न हो। ऐसे प्रेम से दिये गये भोजन को देवता भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। भगवान राम ने षबरी के हाथों बेर खाये थे और बुद्ध ने सुजाता के हाथों खीर। आशय यही है कि जाति की उच्चता से न कोई ऊँचा होता है और न नीचाई से नीचा। अपितु उसके कर्म ही नीच और महान् बनाते हैं। भगवान् बुद्ध ने भी लिखा है कि— ने जया से, न जन्म से, मनुष्य ब्राह्मण होता है अपितु जिसमें सत्य और धर्म है वह बुद्ध है और वही ब्राह्मण है।

49. व्यापारी की लागत निकल आती है, तो नफे को तत्काल की लिए आग्रह नहीं करता।

पल्लवन— इस कथन में व्यापार में सफलता का सूत्र निहित है। इस सूत्र का भाव यह है कि यदि व्यापारी का मूलधन जो उसने उस वस्तु को खरीदने में व्यय किया है, मिल जाता है, उसकी लागत निकल आती है, तो व्यापारी लाभ को उसी समय पाने के लिए आग्रह बनते हैं। भावी लाभ के लिए वर्तमान की अधिक चिन्ता वह नहीं करता है।

50. स्त्री का सप्रेम आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता।

पल्लवन— स्त्री का प्रेमपूर्वक निवेदन, उसका आग्रह पुरुष से क्या नहीं करा सकता। स्त्री की इच्छा पूर्ति को करते हुए पुरुष अपने को कष्टकष्ट मानता है, इसके लिए बड़ी से बड़ी विपत्ति को, यातना को को पुरुष सहज ही सह लेता है। वास्तव में स्त्री का आग्रह षक्कर में लिपटी कुनैन की गोली हैं ऊपर से नारी का प्रेम और उसका निवेदन लिपटा रहता है और उसके भीतर कष्ट और यातना समाई रहती है। इस वाक्य में जीवन का अनुभव और मानव मन का अध्ययन समाहित है।

51. प्रेम आत्मा को तृप्त कर देता है।

पल्लवन — पत्नी का प्रेम, उसका सहवास मानव की आत्मा को इतना तृप्त कर देता है कि फिर कहीं देखने की इच्छा नहीं होती है। पत्नी के प्रेम की मधुर स्मृतियों में प्रेम का सजीव आनन्द भरा रहता है। उस सुख की उपेक्षा कर देन सह नहीं है। व आत्मा ही तरप्त हो गयी, फिर पेश ही क्या रह गया।

52. द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता।

पल्लवन— मानव में यदि किसी के प्रति असन्तोष और क्रोध है तो वह दूसरे के क्रोध और नाराजी की चिन्ता नहीं रकता। उसका मन में यही भाव रहता है कि रानी रूठेगी अपना सुहाग लेंगी। और वह व्यक्ति किसी तर्क औश्र प्रमाण को सुनने की प्रस्तुत नहीं होता है। क्योंकि द्वेष तर्क और प्रमाण नहीं सुनता। व्यक्ति पूर्वाग्रह से युक्त होता है। प्रत्येक प्रमाण उसकी द्वेष भावना को ही बलवती करता है। अतः यह सत्य है कि द्वेष तर्क और प्राण नहीं सुनता।

53. भेष और भीख में सनातन मित्रता है।

पल्लवन— आज के जीवन में एक सत्य बड़े ही व्यापक धरातल पर दिखाई देता है कि अच्छी आय तभी हो सकती है। जब अच्छा ठाठ—बाट हो। सक के चोकीदार के लिए एक पैसा ही पर्याप्त है। दरोगा को कोई एक पैसा नहीं दखिलायेगा। फटे हाल भिखारी के लिए एक चुटकी भिक्षा पर्याप्त है, लेकिन रेषमी वस्त्रधारी साधु के लिए एक रुपया देना ही पड़ता है। आशय यह है कि सरशिट के आदि से लेकर आज तक वेशभूषा और भीख में षाश्वत मित्रता है, जैसा वेश होगा, वैसी ही भिक्षा मिलेगी। जितना बड़ा आदमी होगा उतना ही बड़ा दान मिलता है।

54. स्वातन्त्र्य व्यक्ति के विकास की पहली प्रस्थापना है, नारी का स्वातन्त्र्य सामाजिक विकास की प्राथमिक अपेक्षा।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

पल्लवन— किसी भी व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है कि उसे इसविकास की स्वतन्त्रता भी प्राप्त हो, साथही समाज के सन्तुलित विकास के लिए केवल पुरुष की नहीं, नारी की स्वतन्त्रता भी पहली आवश्यकता है। समाज व्यक्तियों की सामूहिक इकाई है, व्यक्तियों के विकास से ही समाज का विकास होता है। इन व्यक्तियों में पुरुष और स्त्री दोनों ही आ जाते हैं। इनमें से किसी एक के विकास की उपेक्षा कर देने से समाज का समुचित विकास सम्भव नहीं है। व्यक्ति चाहे वह पुरुष हो, चाहे स्त्री— का कवीस भली प्रकार तभी हो सकता है, जब वह स्वतन्त्र हो। पराधीन व्यक्ति का सम्यक विकास नहीं हो सकता है। जिस तरह व्यक्ति के विकास के लिए उसका स्वतन्त्र हो आवश्यक है, उसी तरह समाज के विकासक लिए स्त्री का स्वतन्त्र होना आवश्यक है। यदि स्त्री परातन्त्र होग, उसका शोषण होगा, उसके व्यक्तित्व के विकास को प्रतिबन्धित कर दिया जायेगा, तो पारिवारिक आर सामाजिक गतिरोध उत्पन्न होंगे और समाज का सर्वांगीण, विकास हो ही नहीं सकेगा। अतः व्यक्ति के विकास के लिए उसकी स्वतन्त्रता तथा समाज के लिए नारी की स्वतन्त्रता पहली शर्त है।

55. स्वदंदज और मर्यादा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

पल्लवन— यह कहना सत्य है कि स्वतन्त्रता और मर्यादा एक—दूसरे के पूरक हैं। स्वतन्त्रता का अर्थ उच्छृंखलता नहीं है, अराजकता नहीं है, मनमानापन नहीं है। स्व का अर्थ है आत्म और तन्त्र का आ है। व्यवस्था या व्यवस्था या शासन। अतः स्वयं व्यवस्थित रहना आत्म—शासित रहना ही स्वतन्त्र रहना है। इस आत्मशासन को ही मर्यादा कहते हैं। अतः अपने हित और विकास के लिए इस प्रकार स्वतन्त्र रहना कि दूसरे की स्वतन्त्रता में बाधा न आये, ही सच्ची स्वतन्त्रता है। दूसरे के मार्ग में बाधा न आने देने का ध्यान रखकर जो व्यवहार किया जाजा है, वही संयत और मर्यादित व्यवहार होता है। इससे स्पष्ट है कि पारस्परिक सौजन्य, संयम और मर्यादा के बिना सच्ची स्वतन्त्रता की कल्पना नहीं की जा सकती। मर्यादा—विहीन स्वतन्त्रता और मर्यादा का परस्पर अनिवार्य सम्बन्ध

है। वस्तुतः मर्यादा और स्वतन्त्रता अन्योन्याश्रित हैं, परस्पर पूरक हैं। मर्यादा स्वतन्त्रता का दूसरा पक्ष है। ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं।

56. पशु मनुष्य के निष्कल नह से परिचित रहते हैं, उसकी ऊँची—नीच सामाजिक स्थितियों नहीं।

पल्लवन— यह कथन सत्य है कि समाज में मनुष्य के ऊँचे या नीचे स्तर से पशुओं को कोई मतलब नहीं होगा, वे तो बस एक ही बात जानते हैं कि कोई मनुष्य उन्हें सच्चा स्नेह करता है या नहीं। मानव—समाज में मनुष्यों को सामाजिक दर्पण से ऊँचा और नीचा माना जाता है कोई अधिकारी है, नेता है। साहित्यकार, समाज—सेवी है, उच्च पद पर है, निर्धन और दीन—हीनों को प्रतिष्ठा नहीं मिलती। यह भेद—भाव नहीं जानते। पशु तो उसी से प्रेम करता है, उसी से निकटता दिखाता है, उसी के वशीभूत हो जाता है, जो उसे निष्कल स्नेह प्रदान करता है, फिर चाहे वह मनुष्य समाज में कितना ही छोटा या कितना ही बड़ा क्यों न हो। पशु के लिए तो निष्कल स्नेह का ही मूल्य है सामाजिक बड़प्पन का नहीं। स्नेह को वह भली भाँति पहचानता है और उसका प्रत्युत्तर भी स्नेह में ही देता है चाहे वह स्नेह राजा से मिले या रक से पशु के लिए उसमें कोई अन्तर नहीं है।

57. एक देश की सामाजिक व्यवस्था उसे शासन—तन्त्र से कहीं अधिक व्यापक होती है।

पल्लवन— इसमें सन्देह नहीं किसी भी देश की सामाजिक व्यवस्था के अनेक तत्व ऐसे हैं, जो उस सम्पूर्ण जाति के विश्वासों, संस्कारों और दी—ईमान के साथ गहराई से जुड़े होते हैं एक चित्र के बिम्बों की भाँति ये तत्व उस समाज की समय लय को निर्धारित करते हैं। इन्हें इतिहास की धूँ नहीं पाती। इन तत्वों को, इन्हें नष्ट किये बिना बदला भी नहीं जा सकता। उस समझ के लोगों के लिए ये तत्व कानून और और संविधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होते हैं। वस्तुतः शासन—तन्त्र और आर्थिक व्यवस्था का मूल्यांकन भी इन्हीं सामाजिक तत्वों के आधार पर होता है। समाज के वे आधारभूत तत्व जीने की सतत् धारा बनाये रखने की अनिवार्य शर्त हैं। इसलिए वे अत्यन्त व्यापक हैं। शासन—तन्त्र उस गहराई

तक व्याप्त नहीं होता, वह तो सामाजिक व्यवस्था की मान्यताओं के अनुरूप ही विकसित होता है। अतः सामाजिक व्यवस्था की व्यापकता शासन व्यवस्था से मजबूत होती है।

58. ऊँचे लक्ष्यों की प्राप्ति केवल पवित्र की प्राप्ति केवल पवित्र और सच्च साधनों से ही सम्भव पल्लवन— गाँधी जी की अनेक आधारभूत मान्यताओं में से एक मान्यता यह भी थी कि पवित्र लक्ष्य को पाने के लिए साधन भी पवित्र ही होने चाहिए। मनुष्य बड़े-बड़े आदर्शों, बड़े ऊँचे-ऊँचे लक्ष्यों को पाने का प्रयास करता आया है इस रूढ़ि में अनेक लोगों ने इन लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयोग किये जाने वाले साधनों पर भी विचार किया है। कुछ तो यह मानते हैं कि ऊँचा लक्ष्य पाने के लिए पवित्र अपवित्र कैसे भी साधन प्रयोग किये जा सकते हैं। ऐसे लोग हिंसा से क्रान्ति लाने और शान्ति स्थापित करने की बात करते हैं। किन्तु प्रस्तुत मत इसके विपरीत है। इस मत के अनुसार, साध्य के साथ ही साधन की पवित्रता भी अनिवार्य है। अनुचित, अपवित्र झूठे साधन छल, जाड्यन्त्र को बढ़ावा देते हैं, जिनसे कभी भी किसी ऊँचे मानवीय आदर्श को प्राप्त करना सम्भव हो ही नहीं सकता है। घृणा के माध्यम से प्रेम की, द्वेष से हायोग की, अन्याय और अत्याचार से शान्ति की प्राप्ति भला कैसे हो सकती है? बस्तुतः प्रत्येक उच्च लक्ष्य केवल उच्च और पवित्र साधन से ही प्राप्त किया जा सकता है।

59. हम अन्ध श्रद्धा के कारण वृद्धि और प्रगति को एक समझ लेते हैं।

पल्लवन— हमारी यह कमी है कि हम वृद्धि और प्रगति में अनंतर नहीं कर पाते और अन्ध श्रद्धावश वृद्धि को ही प्रगति मान बैठने की भूल कर जाते हैं। वृद्धि तो किसी चीज की संख्या में बढ़ोत्तरी को कहते हैं। आज दुनिया में चारों ओर मनुष्यों की, दैनिक उपयोग की वस्तुओं की, बड़ी-बड़ी कम्पनियों की, कल-कारखानों की, नये-ये विनाशकारी हथियारों की संख्या में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है किन्तु क्या इसे प्रगति मान लिया जाय? कदापि नहीं। इन सब चीजों की वृद्धि से अनेकानेक कठिनायें अनेक विकट समस्याएँ— जैसे— प्रदूषण खाद्य पदार्थों की कमी, महाविनाशकारी युद्ध की आशंका आदि— मानव समाज के सम्मुख उपस्थित हो गयी हैं। अतः वृद्धि प्रगति नहीं कही जा सकती है। प्रगति तो श्रेष्ठ दिशा में, सुख-शान्ति की दिशा में बढ़ने का नाम है। संख्या की वृद्धि और सुख-शान्ति को दिशा में विकास अलग-अलग बातें हैं, एक नहीं। पर हम भ्रमवश वस्तुओं की बढ़ोत्तरी की ही प्रगति समझ बैठते हैं, या विचार नहीं करते कि यह बढ़ोत्तरी मानवीय विकास के पथ को प्रशस्त कर रही है या नहीं।

60. मनुष्य केवल रोटी के ही सहारे जिन्दा नहीं रहता।

पल्लवन— बाइबिल की इस उक्ति के माध्यम से कहा गया है कि शरीर की आवश्यकताएँ पूरी करके जीवित रह लेने भर से मनुष्य की सच्ची जिन्दगी नहीं बितायी जा सकती। मनुष्य को मनुष्य के रूप में जीवित रहने के लिए रोटी के अतिरिक्त शरीर के अस्तित्व के लिए आवश्यक भोज्य पदार्थों के अतिरिक्त— कुछ और भी चाहिए। यह कुछ और है उसके विश्वास, उसके आदर्श, उसकी नैतिकता, उसके जीवन मूल्य। इनके सहारे ही वह अन्य पशुओं से ऊपर उठकर मनुष्य की भाँति जीवित रहता है। केवल रोटी के सहारे तो पशु जिन्दा रहते हैं। पशु से मनुष्य को ऊँचा उठाने वाली कोई चीज है, जो निष्चय की रोटी नहीं हो सकती। नैतिक और धार्मिक मूल्यों को अपनाकर ही मनुष्य की जिन्दगी जीता है। इसी बात को हमारे प्राचीन विचारकों ने इस रूप में कहा है, कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन तो पशु और मनुष्यों में समान होते हैं, बस धर्म ही मनुष्य में एक अलग विशेषता है। जिसके बिना वह पशु के समा ही है।

61. केवल धन सम्पत्ति मानव को सन्तुष्ट नहीं कर सकती।

पल्लवन — हमारे प्राचीन ऋषि-मुनि यही कहा करते थे कि धन-सम्पत्ति से कोई भी मनुष्य भीतर से पूर्ण सन्तुष्ट नहीं हो सकता। केवल अर्थ सम्पन्नता ही सब कुछ नहीं है। सन्तोष धन सम्पदा से नहीं होता, वह तो मानव मन की आन्तरिक वृत्ति है। जिसके पास भीतर की सम्पत्ति है, मन का धन है, नैतिक और धार्मिक मूल्यों का अक्षय कोश है, वही सुखी और सन्तुष्ट है। सादा जीवन बिताते हुए भी उच्च विचार रखने वाला सन्तुष्ट रहता है। वैभव—विलासमय जीवन बिताकर भी अधर्म और अनैतिकता के पथ का पथिक असन्तुष्ट ही



प्रयोजनमूलक हिन्दी

रहता है। अनैतिक साधनों से अर्जित की गयी धन-सम्पत्ति अन्ततः दुख, क्लेश, असन्तोश की ही जन्म देती है। अतः स्पष्ट है कि मनुष्य को केवल धन-सम्पत्ति से सन्तोश नहीं मिल सकता। उसके साथ जबधर्म और नैतिकता का संयोग होता है, तभी मनुष्य सन्तुष्ट हो पता है। धन-सम्पत्ति पारिरीक सुख-सुविधाएँ जुटाने का साधन होती है और मनुष्य जीवन केवल पारीर तक ही सीमित नहीं है। उसके मनोजगत् की निधि सन्तोश है। 62. संसार के सभी महान् धर्मों में एक उच्च नैतिक शिक्षा के हमें दर्शन होते हैं।

पल्लवन— संसार का हर धर्म उच्च नैतिक शिक्षा देता है। विश्व के प्रत्येक महान् धर्म—हिंदू, इस्लाम, ईसाई, बौद्ध आदि में उच्च मानवीय आदर्शों के पालन और प्रचार-प्रसार पर बल दिया गया है।

हर धर्म की यह शिक्षा है कि चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, किसी को धोखा न दो, परहित करो, हिंसा मत करो, किसी को हानि न पहुँचाओ, दूसरों से वही व्यवहार करो जो तुम अपने लिए उनसे चाहते हो आदि-आदि। ये सभी मनुष्य को उच्च नैतिक धरातल पर प्रतिष्ठित करने वाली बातें हैं। कोई भी धर्म इनके विपरीत चोरी, हत्या, पर-पीड़ा, असत्य, छल-कपट स्वार्थ-सिद्धि अन्याय, अनाचार आदि की सीख नहीं देता, उल्टे इन्हें समाप्त करने की प्रेरणा देता है। वस्तुतः धर्म का अर्थ ही है मानव मूल्यों को धारण करना। उच्च नैतिक मूल्य ही सच्चे मानव मूल्य हैं। नैतिक मूल्यों को ही सच्चे अर्थों में धर्म कहा जा सकता है। इसलिए हर महान् धर्म उच्च नैतिक शिक्षा देता है।

63. कर्ज से बड़ा पाप दूसरा नहीं।

पल्लवन— कर्ज एक बहुत बड़ा अभिषाप है, क्योंकि इसके कारण अनेक विपत्तियों का जन्म होता है। इससे मुक्ति पाने के लिए व्यक्ति नाना प्रकार के दुष्कर्म करता है फिर भी वह उससे छुटकारा नहीं पाता है। निष्चय ही कर्ज लेना एक बुरा कार्य है, यह अनेक विपदाओं को जन्म देता है अतः यहपाप है, इससे दूर रहना चाहिए।

64. जहाँ विश्वास नहीं है। वहाँ प्रेम कैसे रह सकता

पल्लवन — विश्वास मन का एक भाव है, यह भाव पारस्परिक सौहार्द्र को बढ़ाता है। विश्वास करने वाला व्यक्ति अपने हृदय के गुढ रहस्यों को अपने मित्र, भाई, पत्नी आदि से कह देता है और अपने प्रेम का विस्तार कर लेता है किन्तु जहाँ परस्पर विश्वास नहीं होता, वहाँ प्रेम नहीं रह सकता है। विश्वास प्रेम का जनक है। आप दूसरे विश्वास कर और विश्वास द्वारा संसार को जीत कसते हैं, जहाँ विश्वास रहता है, वहीं प्रेम रहता है और जहाँ विश्वास नहीं होता है वहाँ प्रेम भी नहीं होता।

65. अनुराग अनुराग से उत्पन्न होता है।

पल्लवन— अनुराग मानव का एक भाव है। आप जिससे अनुराग करेंगे वह आप से अनुराग करेगा। आप अपने हृदय के समस्त अनुराग को किसी पर न्योछावर कर दें तो बदले में वह भी आपसे अनुराग प्रेम करेगा। अनुराग न यौवन से होता है और न रूप से, न धन से, अपितु वह प्रेम से होता है, विश्वास से होता है आत्म-समर्पण से होता है। प्रेम के बदले प्रेम मिलता है, विश्वास के बदले विश्वास, घरणा के बदले घरणा अविश्वास और सन्देह के बदले अविश्वास और सन्देह वास्तव में मानव हृदय प्रेम का भूखा है, उसे प्रेम से जीतकर ही अपना बनाया जा सकता है। 66. प्रेम अपने उच्चतम स्थान पर पहुँच कर देवत्त से मिल जाता है।

पल्लवन— प्रेम की उच्चतम भावना त्याग और समर्पण की है। यह त्याग या बलिदान प्रेम की अन्तिम स्थिति है। इसी भावना के कारण देश पर वीर अपने प्राणों तक का बलिदान कर देते हैं। त्याग करने पर ही पता चलता है कि त्याग का भाव कितना मनोहर, कितना विषाल और विषुद्ध होता है। वास्तव में प्रेम जब अपनी चरमोत्कर्ष की स्थिति में पहुँच जाता है तो वह देवत्व को प्राप्त कर लेता है। राधा-कृष्ण, गोपिका-कृष्ण, मीरा और कृष्ण आदि का प्रेम इसी कोटि में पहुँचकर उ दिव्यता प्रदान करते हैं। व्यक्ति के हृदय का कलुश धुलकर जब साफ हो जाता है तब वह प्रेम दिव्य प्रेम कहलाता है।

67. सच है वीरता जब भागती है तब उसके पैरों से राजनीतिक छल-कन्द की धूल उड़ती है। पल्लवन – मनुश्य जब साहस और वीरता से दूर हो जाता है, तब उसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे की आवष्यता होती है, वह सहारा छल और प्रपंच का होता है। छल-प्रपंच राजनीति के अचुक हथियार है। इसीलिए इस वाक्य में कहा गया है कि वीरता जब किसी मनुश्य से दूर होती है तो वह राजनीतिक हथियारों का प्रयोग कर अपना कार्य सिद्ध करने चाहता है और वह कायर व्यक्ति ही कूटनीति का आश्रय लेता है।

68. अनवरत प्रयत्न का ही नाम जीवन है।

पल्लवन- निरन्तर कर्मण्य रहना ही जीवन है, क्योंकि जीवन संघर्षों की मरुभूमि है। जीवन में कष्ट ३ और कठिनाइयों आती ही है। जो व्यक्ति उन कठिनाइयों का समाना करता है। और उन पर वजिय प्राप्त करता है वही सफल व्यक्ति कहलाता है। कष्ट-कंटकों के उन्मूलन के लिए सदैव प्रयत्न करते रहना ही जीवन का सत्य है

प्रयोजनमूलक हिन्दी

प्रारूपण का तात्पर्य है – किसी पत्र का प्रारूप तैयार करना और टिप्पण का अर्थ है— प्राप्त पत्र पर अपनी टिप्पणी देना। सरकारी कामकाज के लिए ये दोनों आवश्यक हैं। कार्यालयों में कम करने वाले लिपिकों एवं अधिकारियों को प्रारूपण एवं टिप्पण में कुशल होना चाहिए। प्रायः प्रत्येक सरकारी कार्यालय को पत्र लिखने पड़ते हैं। इन पत्रों का मसौदा क्या होगा, इनकी विषय-वस्तु का स्वरूप क्या होगा तथा किन-किन सूचनाओं को पत्र में देना है— इसकी जानकारी कार्यालयों में कार्य करने वाले कर्मचारियों को अवश्य होनी चाहिए। प्रत्येक पत्र का प्रारूप एक जैसा नहीं होता। पत्र किस प्रकार का है, इसे ध्यान में रखकर ही उसका प्रारूप तैयार किया जाता है। उदाहरण के लिए कार्यालय आदेश, अधिसूचना, परिपत्र, निविदा सूचना का प्रारूप अलग-अलग तरह से बनाया जाता है। कार्यालयी पत्रों के अन्तर्गत इस पर विस्तार से विचार किया जा चुका है तथा यह भी बताया गया है कि ऐसे पत्रों की क्या-क्या विशेषताएँ होती हैं। प्रारूपण की जानकारी केवल सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं है अपितु प्राइवेट प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को भी इनकी जानकारी होनी चाहिए क्योंकि वहाँ भी बिना पत्रों के काम नहीं चल सकता। एक अच्छा प्रारूपण वही माना जाता है जिसकी विषय-वस्तु सुस्पष्ट ही तथा पत्र पढ़ने वाला सारी बातों को भली-भाँति समझ लें। सरकारी कार्यालयों में प्रायः नियमों, अध्यादेशों आदि का सन्दर्भ में देतु हुए पत्र लिखे जाते हैं। अतः इन नियमों, उपनियमों, आदेशों एवं अध्यादेशों से भी कर्मचारियों एवं अधिकारियों का अवगत होना आवश्यक है। प्रारूपण में शुद्धता (बबनतंबल) पर विशेष बल दिया जाता है। हर प्रारूपण की अपनी अलग प्रविधि होती है तथा अपनी पैली होती है। अर्थात् उसे लिखने का ढंग नितान्त औपचारिक एवं नियमबद्ध होता है। उदाहरण के लिए निविदा सूचना का प्रारूपण अधिसूचना के प्रारूपण से एकदम अलग है।

प्रारूपण की विशेषताएँ

एक अच्छे प्रारूपण में निम्न विशेषताएँ हैं—

1. प्रारूपण में विषय पूर्णतरु स्पष्ट हो जाना चाहिए।
2. पिछले पत्र व्यवहार का सन्दर्भ, यदि हो तो अवश्य दिया जाना चाहिए।
3. प्रारूपण को उपविभागों एवं पैराग्राफों में बाँट लेना चाहिए।
4. प्रारूप के प्रथम भाग में विषय का वर्णन, द्वितीय भाग में विषय में पक्ष में तर्क तथा तत्प्रीय भाग में अपनी संस्तुतियाँ प्रस्तुत करनी चाहिए।
5. यदि प्रारूपण लम्बा हो तो अनुच्छेदों पर क्रम संख्या डाल देनी चाहिए।
6. प्रारूपण में यदि किसी अधिकारी के या न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया गया हो तो वह अविकल रूप में बिना एक भी शब्द को परिवर्तन किये प्रस्तुत करना चाहिए।
7. प्रारूपण की भाषा स्पष्ट होनी चाहिए तथा ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो द्विअर्थी हो
8. प्रारूपण में दिये गये तथ्य, निर्देश, आदेश सन्दर्भ बिल्कुल ठीक होने चाहिए। उनमें किसी प्रकार की त्रुटि होने पर प्रारूपण की विषय-वस्तु प्रभावित हो सकती है।
9. प्रारूपण अपने में सम्पूर्ण होना चाहिए। वह अधूरा, अधकचरा नहीं लगना चाहिए।
10. प्रत्येक प्रारूपण पर पत्र संख्या अवश्य डालनी चाहिए।

प्रारूप लिखने की विधि—

प्रारूपण तैयार करने की एक निश्चित विधि होती है और उसकी अपनी पैली भी होती है जिसका ध्यान प्रारूप लिखते समय अवश्य रखना चाहिए। एक अच्छे प्रारूपण में निम्नलिखित बातों का समावेश होना आवश्यक है—

1. प्रारूप में सबसे ऊपर बायीं ओर पत्र संख्या लिखी जाती है।
2. इसके ठीक नीचे प्रेषक का नाम, पद लिखा जाता है।
3. दाहिनी ओर मंत्रालय या विभाग का नाम तथा पता दिया जाता है।
4. बायीं ओर प्रेषक के नाम पते की ठीक नीचे प्रेषिती पत्र पाने वाले का नाम पद और पता होना चाहिए।

इसके ठीक सामने दायीं ओर स्थान एवं दिनांक का उल्लेख होता है।

5. पत्र के बीचों-बीच विषय का उल्लेख करना चाहिए।
6. उसने ठीक नीचे बायीं ओर सम्बोधन महोदय होना चाहिए।
7. तत्पश्चात् पत्र का मुख्य विषय लिखा जाता है जिसमें पूर्व पत्र, यदि कोई हों, का सन्दर्भ देकर जो तंतु लिखनी है वह लिखी जाती है तथा पत्र पाने वाले से जो अपेक्षा है उसका उल्लेख करने हुए पत्र का समापन किया जाता है।

दायीं ओर पत्र भेजने वाले हस्ताक्षर नाम एवं पद लिखा जाता है।

पत्र में नीचे बायीं ओर सलग्नकों का विवरण होता है, तत्पश्चात् पत्र की प्रतिलिपियाँ जिन्हें भेजी

गयी हो, उनका उल्लेख किया जाता है।

यहाँ प्रारूप के दो उदाहरण प्रस्तुत

उदाहरण 1. षसकीय पत्र का प्रारूप

पत्र संख्या— 293—बी/05

प्रेषक—

सेवा में—

मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश शासन

लखनऊ

सचिवालय लखनऊ दिनांक 29-05-12 जिलाधिकारी आगगा

विषय— ताज महोत्सव का आयोजन

महोदय,

ताजमहल के निर्माण के 350 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय लिया है फिता महोत्सव का आयोजन भव्य रूप में किया जाया करपया संस्कराते एवं पर्यटन मंत्रालय से सम्पर्क कर आयोजन की रूपरेखा बना लें तथा इस पर होने वाले अनुमानित व्यय से शासन को अवगत करा दें जिससे धन अवमुक्त किया जा सके।

कार्यक्रम की विस्तृष्टरूपरेखा बनाकर अतिषीघ्र संस्कृति मंत्रालय को भेज दें। इस कार्यक्रम का उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी से करवाना है अतः उनसे कोई सुविधाजनक तिथि लेले। सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

प्रतिलिपि प्रेषित—

1. सचिव संस्कृति एवं पर्यटन मंत्रालय, उत्तर प्रदेश शासन



प्रयोजनमूलक हिन्दी

2 प्रमुख सचिव, मुख्यामंत्री सचिवालय

3. वित्त सचिव, उ.प्र. शासन

भवदीय

पी.के. सचदेवा

मुख्य सचिव

उदाहरण 2. निविदा सूचना का प्रारूपण

निविदा सूचना की परिभाषा

सरकारी, अर्द्धसरकारी, स्वायत्तशासी संस्थाओं में अनेक प्रकार के कार्य ठेकेदारों से कराये जाते हैं। इस हेतु मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से कार्य पूरा कराने हेतु निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। निविदाएँ आत्रित करने के लिए जो सूचना समाचार-पत्रों में प्रकाशित करायी जाती है उसे निविदा सूचना (जमदकमत छवजपबम) कहते हैं।

निविदा सूचना का प्रारूप तैयार करने के लिए निम्न बातों का ध्यान रखा जाना चाहिए—

1. सबसे ऊपर उस कार्यालय का नाम पता होता है जो निविदा आमंत्रित करता है।
2. निविदा सूचना का क्रमांक भी दिया जाता है।
3. निविदा सूचना में कार्य का विवरण, कार्य समाप्त करने की अवधि, जमानत राशि, भुगतान विधि का उल्लेख आवश्यक रूप से किया जाता है।
4. निविदा स्वीकार करने की अन्तिम तिथि तथा समय का उल्लेख भी निविदा सूचना में होना चाहिए।
5. निविदाएँ कब और कहाँ खोली जायेंगी इसका उल्लेख भी करना आवश्यक है।

आगरा कॉलेज, आगरा

निविदा सूचना 31/05

कॉलेज परिसर में 2 प्रयोगशालाओं का निर्माण करने हेतु मान्यता प्राप्त ठेकेदारों से मुहरबन्द निविदाएँ आमंत्रित की जाती हैं। प्रयोगशाला भवन के निर्माण का नक्शा किसी भी कार्यशील दिवस में कार्यालय अधीक्षक के पास देखा जा सकता है तथा आवश्यक भुगतान करने पर उसकी फोटो कॉपी प्राप्त की जा सकती है।

निविदा प्रपत्र का मूल्य 1,000 रुपये होगा जो कॉलेज कार्यालय से नकद भुगतान करके प्राप्त किया जा सकता है। पूर्णतरु भरी हुई निविदाएँ 30-06-12 तक कॉलेज कार्यालय में दोपहर 2 बजे तक स्वीकार की जायेंगी तथा उसी दिन अपराह्न 3 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेंगी। निविदा स्वीकार होने की स्थिति में 20,000 रुपये जमानत राशि के रूप में तुरन्त जमा करने होंगे। कार्य पूरा करने का समय 6 माह है। प्राचार्य को यह अधिकार होगा कि बिना कारण बताये किसी एक निविदा या सभी निविदाओं को अस्वीकृत कर दे।

आर. के. शर्मा

प्राचार्य

सरकारी पत्रों के अन्य प्रारूप कार्यालयी पत्रों के अन्तर्गत पहले ही प्रस्तुत किये जा चुके हैं अतः उनकी पुनरावृत्ति यहाँ नहीं की जा रही।

टिप्पण (छवजपदह)



टिप्पण का अभिप्राय है प्राप्त पत्रों पर कार्यालय के लिपिकों, सहायकों एवं अधिकारियों के द्वारा लिखी गई टिप्पणी, जिससे उस पत्र का सुविधापूर्वक निस्तारण किया जा सके। टिप्पणी लिखते समय इन बातों का समावेश करना आवश्यक होता है—

1. पूर्व पत्रों के सारांश
3. जिस प्रश्न पर निर्णय होना है, उसका विवरण
की जाने वाली कार्यवाही का सुझाव
अधिकारी का आदेश
- एक अच्छे टिप्पण की विशेषताएँ इस प्रकार बतायी जाती हैं—
1. टिप्पणी पूर्वाग्रह से मुक्त होनी चाहिए।
2. टिप्पणी वैयक्तिक आक्षेप से रहित होनी चाहिए।
3. टिप्पणी सरल, संयत, स्पष्ट भाषा में लिखी जानी चाहिए।
4. टिप्पणी में पष्ठभूमि, पूर्ववत्, नियम अधिनियम की जानकारी आवश्यक होने पर करायी जानी चाहिए।
5. टिप्पणी निशेक्ष निस्संग होकर विषय के गुण-अवगुण को देखते हुए लिखी जानी चाहिए।
6. टिप्पणी यथासम्भव संक्षिप्त, तर्कसंगत, औचित्यपूर्ण हो।
7. टिप्पणी में लिपिक बायी ओर लघु हस्ताक्षर करता है जबकि अधिकारी दायीं ओर पूरे हस्ताक्षर करते हुए पदनाम का उल्लेख करता है।

यहाँ टिप्पण के दो उदाहरण प्रस्तुत

उदाहरण-1. एक महाविद्यालय के कार्यालय अधीक्षक ने 20 दिन के बहर्जत अवकाश के लिए प्रार्थना-पत्र दिया है इस प्रार्थना-पत्र पर अकवारा लिपिक एवं प्राचार्य की टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीजिए। अवकाश लिपिक की टिप्पणी

प्राचार्य जी,

श्री ओ.पी. शर्मा कार्यालय अधीक्षक ने 20 दिन के र्जित अवकाश का प्रार्थना-पत्र दिया है।

इन्होंने अब तक 10 दिन का अर्जित अवकाश लिया है तथा इनके एकाउण्ट में 40 दिन का जित अवकाश पेश है।

नियमानुसार ये 20 दिन का अवकाश ले सकते हैं।

ए.के. अग्रवाल

अवकाश लिपिक

प्राचार्य की टिप्पणी

अवकाश स्वीकृत ए.ए. श्रीवास्तव

प्राचार्य

उदाहरण 2. डाकुओं के आक से ग्रस्त ग्रामीणों ने एक पत्र जिलाधिकारी आगरा को प्रेषित किया है। इस

पत्र के निस्तारण हेतु विभिन्न टिप्पणियाँ प्रस्तुत कीजिए।

(1) जिलाधिकारी अधीक्षक,



प्रयोजनमूलक हिन्दी

कार्यालय अधीक्षक

प्रयोजनमूलक हिन्दी

मूल पत्र एस.पी. ग्रामीण को आवश्यक टिप्पणी हेतु प्रेषित करें।

(पप) एस.पी. ग्रामीण की टिप्पणी—

थानाध्यक्ष बिचपुरी,

संलग्न पत्र पर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें।

ए.के. रस्तोगी जिलाधिकारी

(पपप) थानाध्यक्ष बिचपुरी की टिप्पणी—

पी.सी. बुक्ला

एस.पी. (ग्रामीण)

श्रीमान् बिचपुरी थाना क्षेत्र में दो डाकू दल सूची बद्ध हैं। इनकी गतिविधियाँ पिछले 15 दिनों से बढ़ गई हैं। डाकू दल वारदात करके बीहड़ क्षेत्र में जाकर यमुना के पार चले जाते हैं। कृपया दो सेक्शन पी.ए.सी. उपलब्ध करायें तथा प्रभावित क्षेत्र में कांभिंग करवायी जाये।

पी.सी. राणा,

थानाध्यक्ष,

एस.पी. की पुनरु टिप्पणी—

जिलाधिकारी महोदय,

दस्तु प्रभावित क्षेत्र में दो सेक्शन पी.ए.सी. तैनात कर दी गई है। सम्बन्धित थाना क्षेत्र की पुलिस पी.ए.सी. के साथ डाकुओं की तलाश में कांभिंग कर रही है। प्रभावित ग्राम में पुलिस चौकी स्थापित होने से डाकुओं से मुक्ति मिल सकेगी।

पी.सी. बुक्ला

स.पी. (ग्रामीण)

जिलाधिकारी की टिप्पणी—

कार्यालय अधीक्षक,

प्रभावित ग्राम में पुलिस चौकी की स्वीकृति प्रदेश सरकार से ली जाये। पी.ए.सी. अगले आदेशों तक इसी थाने में रहेगी।

6. भाषा कम्प्यूटिंग

ए.के. रस्तोगी जिलाधिकारी

कम्प्यूटर सामान्य परिचय—

कम्प्यूटर शब्द की व्युत्पत्ति अंग्रेजी शब्द कम्प्यूट (बुझना/गणना) से हुई, जिसका अर्थ है— गणना करना। वस्तुतः कम्प्यूटर (बुझना/गणना) एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिससे अनेक प्रकार के कार्य यि जा सकते हैं। प्रारम्भ में इसका प्रयोग गणना करने के लिए ही किया जाता था पर धीरे-धीरे इसका स्वरूप एवं कार्यविधि में परिवर्तन—परिवर्द्धन होता रहा और निरन्तर इसकी क्षमता में वृद्धि होती रही इसलिए यह जीवन के विविध क्षेत्रों में प्रयुक्त होने लगा। वर्तमान समय में कम्प्यूटर के बढ़ने हुए प्रयोग को देखकर यह कहना उचित है कि यह कम्प्यूटर की जानकारी नहीं है उसकी जानकारी आज के युग में अधुरी मानी जाती है तथा वह नौकरी के लिए नितान्त अयोग्य माना जाता है अतः यह आवश्यक है कि किसी भी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त करने के लिए हमें कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी तथा इसकी कार्यविधि से अवगत होना चाहिए। कम्प्यूटर में तार्किक शक्ति एवं स्मृति (डिजिटल) का

भण्डारण होता है। दिये गये निर्देशों में मेमोरी में वह सुरक्षित कर लेता है और आवश्यकतानुसार उसे पुनः प्रयोग में लाता है।

कम्प्यूटर के विकास का श्रेय अमेरिका के हावर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर होवार्ड आइकन को जाता है जिन्होंने 1937 से 1944 ई. 1944 ई. के बीच इसका निर्माण किया। उनका जनाया लगभग 2 टन वजन का था। बाद में 1945 में पेनसेलवेनिया के वैज्ञानिकों ने प्रथम इलेक्ट्रॉनिक बनाया जो एक सेकण्ड में 5,000 गणनाएँ कर सकता था। जब सिलिकन, जर्मेनियम, ट्राजिस्टर की खोज हुई तो

कम्प्यूटर का आकार भी छोटा हो गया तथा इसमें खपत होने वाली ऊर्जा में की आई, साथ ही इसकी कीमत भी कम हो गई। सन् 1962 में फ्रांस के 19 वर्षीय युवक पास्कल ने यांत्रिक कम्प्यूटर का विकास या जिसे पास्कलीन कहा जाता है। 1975 में ऐसे छोटे कम्प्यूटरों की तुलना में 25,000 गुना अधिक है। 1985 में सुपर कम्प्यूटरों का निर्माण किया गया। कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी निरन्तर विकास के पथ पर अग्रसर है। नवीन अनुसंधानों से इसमें तीव्र विकास हो रहा है तथा कम्प्यूटर आज जीवन के हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहे हैं।

कम्प्यूटर के उपयोग एवं प्रयोग को जानने से पूर्व हमें कम्प्यूटर के प्रमुख भागों की जानकारी कर लेनी चाहिए।

कम्प्यूटर के मुख्य भाग

कम्प्यूटर के तीन मुख्य भाग होते हैं—1. मानीटर, 2. केन्द्रीय विप्लेशक इकाई 3. की बोर्ड।

(प) मानीटर (डवदपजवत)— जब हम कम्प्यूटर पर कार्य करते हैं तो हमारे द्वारा दिये गये निर्देशों एवं परिणामों का प्रदर्शन मानीटर स्क्रीन पर होता है। इसमें सामने की ओर पावर को चालू करने और बन्द करने के बटन होते हैं तथा टी.वी. स्क्रीन की भाँति ब्राइट कंट्रास्ट को नियन्त्रित करने के बटन होते हैं। क्षैतिज एवं ऊर्ध्व नियन्त्रण एवं फोकस कंट्रोल पीछे वाले भाग में होते हैं। पीछे ही दो तार केन्द्रीय विप्लेशक यूनिट से जोड़े जाते हैं जिनमें एक इनपुट कोर्ड और दूसरा आउटपुट कोर्ड होता है। (पप) केन्द्रीय विप्लेशक इकाई (बमदजतंस चतवबमेपदह न्दज वत ब्ल्)— केन्द्रीय विप्लेशक इकाई के निम्नलिखित भाग होते हैं—

पावर चालू या बन्द करने बटन

2. रिसेट बटन

3. तेज गति से पिरणाम देने वाला टर्बो बटन

4 स्पीड डिस्प्ले

की लाक

6. फ्लापी डिस्क ड्राइव

7. की-बोर्ड पोर्ट

8. मानीटर पोर्ट

पावर टर्मिनल

10. सीरियल पोर्ट

11. समानान्तर पोर्ट

‘दंजम तिपमे’ई के आन्तरिक भागों का विवरण इस प्रकार है—

1 मटर बोर्ड (डवजीमत ठवंतक)

2. सेण्टल प्रोसेसिंग यूनिट

3. रेम चिप्स

डिसक ड्राइव कंट्रोल कार्ड्स



प्रयोजनमूलक हिन्दी

5 डिस्प्ले कार्ड

स्पीकर (चमामत)

केन्द्रीय विप्लेशक इकाई (ब्लू) कम्प्यूटर का प्रमुख भाग है जिसमें आँकड़ों, सूचनाओं, सन्देशों एवं षब्दों का संग्रह किया जाता है। यही भाग कम्प्यूटर को निर्देश देता है कि उसे क्या कार्य करना है। (पपप) की-बोर्ड (झमल ठवंतक)– टाइपराइटर की भाँति कम्प्यूटर का भी की-बोर्ड होता है जिसमें निम्नलिखित कुंजी पटल देकर वांछित सुविधाएँ प्राप्त की जाती हैं—

1. टाइपराइटर की
2. एण्टर की
3. फंक्शन की
4. कर्सर नियन्त्रण की
5. टेक्स्ट एडिटिंग की
6. न्यूमेरिकल की पैड
7. कैप्स लाक की
8. शिफ्ट की
9. बैक स्पेस की
10. टैब की
11. पॉज की
12. प्रिंट स्क्रीन की

कम्प्यूटर के की-बोर्ड की सहायता से निर्देश दिये जाते हैं। माउस की सहायता से भी कम्प्यूटर को निर्देशित किया जाता है।

मेमोरी – कम्प्यूटर की मेमोरी दो प्रकार की होती है—

1. मुख्य स्मरति
2. वैकल्पिक स्मरति

कम्प्यूटर में सर्वाधिक महत्व मेमोरी का है। मुख्य स्मरति को किलोबाइट (ज़ठ) में मापा जाता है। 1ज़ठ का अर्थ है 1,024 अक्षरों को संग्रह करने का क्षमता। यदि एक कम्प्यूटर की क्षमता 1000ज़ठ है तो इसका अर्थ है कि उसमें 10,24,000 अक्षरों को संग्रहित किया जा सकता है।

संग्रहण माध्यम

ये भी दो प्रकार के होते हैं—

1. हार्ड डिस्क (भ्तक क्पो)
2. फ्लोपी डिस्क (थ्सवचचल क्पो)

हार्ड डिस्क की क्षमता फ्लोपी डिस्क से कहीं अधिक होती है। हार्ड डिस्क को कम्प्यूटर की केन्द्रीय विप्लेशक इकाई (ब्लू) में स्थापित किया जाता है। इसकी क्षमता मेगा बाइट (डठ) में अंकित की जाती है, यथा 20डठ, 40डठ, 120डठ, 260डठ।

फ्लोपी डिस्क का प्रयोग कम्प्यूटर से प्राप्त परिणामों को संग्रहित करने तथा आँकड़ों, निर्देशों एवं परिणामों को स्थानान्तरित करने में किया जाता है यदि गलती से हार्ड डिस्क की सूचनाएँ खराब हो जाती हैं तो फ्लोपी डिस्क पर संग्रहित डाटा से उसे पुनः प्राप्त किया जा सकता है। फ्लोपी डिस्क वृत्ताकार डिस्क होती है जो सामान्यतया दो साइजों 3.55", 5.25" में होती है तथा इनकी संग्रहण क्षमता क्रमशः 1.44डठ तथा 1.2डठ होती है।

कम्प्यूटर पर कार्य करने के लिए हार्डवेयर एवं डिस्क आपरेंटिंग सिस्टम की आवश्यकता होती है। ये तीनों एक-दूसरे के पूरक हैं कम्प्यूटर के जिन भागों को हम छूकर देख सकते हैं, यथा— मानीटर, की-बोर्ड, ब्लू, आदि — वे हार्डवेयर कहलाते हैं जबकि डिस्क आपरेंटिंग सिस्टम (वै) हार्डवेयर और साफ्टवेयर के बीच सम्बन्ध स्थापित करता है इसका दो कार्य है।

1 कम्प्यूटर को इस स्थिति में लाना कि उस पर अन्य साफ्टवेयर्स पर काम किया जा सके, तथा

2 फाइल नियन्त्रण, प्रदर्शन एवं संचालन करना।

साफ्टवेयर का अभिप्राय उन प्रोग्रामों से है जो कम्प्यूटर पर आपरेट किये जा सकते हैं। इनकी सहायता से लेखन, गणना, डिजायनिंग आदि कार्य किये जा सकते हैं। प्रत्येक कम्प्यूटर असंख्य इलेक्ट्रॉनिक सर्किटों के जाल से निर्मित होता है। ये सर्किट ही सूचनाओं एवं आँकड़ों को कोड या संकेतों में परिवर्तन करने में सहायता पहुँचाते हैं। कम्प्यूटर में प्रयुक्त

डु: अलग होती है। कम्प्यूटर की भाषा तीन

भाषा से प्रकार की होती है—यंत्र भाषा और उच्चतर मंत्र भाषा में अंकों या संख्याओं का प्रयोग होता है तथा

भाषा, कोडलि भाषा सा

कम्प्यूटरों में सर्किटों का निर्माण इस प्रकार किया जाता है कि वह यंत्र भाषा को ग्रहण कर उसे विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। यदि यंत्र भाषा की संख्याओं को अक्षरों या प्रतीकों में बदल दिया जाये तो उसे कोडांतरण भाषा कहते हैं। कम्प्यूटर की गुणवत्ता इस आधार पर आँकी जाती है कि वह कितनी तेजी से कार्य कर सकता है। एक साधारण कम्प्यूटर एक सेकण्ड के एक लाखवें भाग अर्थात् 10: सेकण्ड तक में गणनाएँ आसानी से कर लेता है।

यद्यपि प्रारम्भिक कम्प्यूटरों का निर्माण गणितीय गणनाओं के पीछे निष्पादन के लिए किया गया था किन्तु आज इसका प्रयोग विज्ञान, तकनीक, डिजायन, षोध, मौसम, अन्तरिक्ष, संचार, उद्योग चिकित्सा, मुद्रण, ई-मेल, इंटरनेट, हवाई यातायात, रेल यातायात, बैंकिंग, फिल्म निर्माण आदि अनेक क्षेत्रों से होता है। सच तो यह है कि आप जीवन का कोई भी क्षेत्र कम्प्यूटर से रहित नहीं हैं।

(अ) षब्द संसाधन

ऐसा कम्प्यूटर प्रोग्राम जिससे हम कम्प्यूटर पर तरह-तरह की रिपोर्ट, पत्र, निबन्ध, आलेख आदि लिख सकें षब्द संसाधन कहलाता है। इसे वर्ड प्रोसेसर भी कहा जाता है। वर्ड प्रोसेसर ही हमें कम्प्यूटर पर लिखने में सक्षम बनाता है।

वर्ड प्रोसेसर (षब्द संसाधन) के द्वारा हम षब्दों को छोटा, बड़ा, हाईलाईट, बोल्ड, रेखांकित आदि कर सकते हैं। यही नहीं यदि प्रोग्राम में सुविधा उपलब्ध हो तो षब्दों की वर्तनी (चमससपदह) श्री जाँच सकते हैं। जिस साफ्टवेयर में वर्तनी की जाँच के लिए षब्दकोष की सुविधा रहती है, उसमें षब्दों की वर्तनी सही की जा सकती है। वर्तमान में कुछ बहुभाशी वर्ड प्रोसेसर उपलब्ध हैं जिनकी सहायता से एक ही प्रलेख में विभिन्न भाषाओं के अक्षरों को विभिन्न फोंटों आकारों में प्रयुक्त किया जा सकता है।

हिन्दी में षब्द संसाधन कमते समय में भारत और विदेशों में षब्द संसाधन के अनेक पैकेज उपलब्ध हैं जिनमें प्रमुख इस

प्रकार हैं—

एम.एस. वर्ड (डै. वतक)

2. पेज मेकर (चंहम उंमत)



प्रयोजनमूलक हिन्दी

3. सुलेख
4. षब्द रत (इक त्तं)
5. बेन्चुरा पब्लिषर
6. अक्षरमाला
7. किककीज
8. बहुभाशी वर्ड प्रोसेसर
9. ई-पत्र
10. एम.एस. आउटलुक
11. देव बेस

कै और कवू दोनों पर कार्य करने में सक्षम बहुभाशी षब्द संसाधन (वत त्तवबमेवत) भी विकसित किये गये हैं। इसमें प्रमुख हैं—

माइक्रोसाफ्ट का आफिस एस.पी.

हिन्दी अंग्रेजी द्विभाशी षब्द संसाधक—षब्दमाला जो कब्ड ने तैयार किया है।

3. ब्ड हैदराबाद द्वारा विकसित लिपि

क्रम संख्या 2 और 3 प दिये गये षब्द संसाधन उनकी अपनी मषीनों क्रमशः सिद्धार्थ और लिपि पर ही चलाये जा सकते थे अतः अधिक लोकप्रिय नहीं हुए क्योंकि ये कार्यक्रम हर किसी कम्प्यूटर पर नहीं चलाये जा सकते थे।

किककीज साफ्टवेर हिन्दी षब्द संसाधन की दृष्टि से बेहतर सिद्ध हुआ है। रोमन लिपि में टाइप करने पर देवनागरी लिपि में इच्छित रूप टंकित हो जाता है। आई लीप नामक साफ्टवेयर द्वारा 13 भाषाओं में ई-मेल भेजी जा सकती है। इसमें यदि रोमन लिपि में भी लिखा जाय तो देवनागरी लिपि में टंकित होता है।

वर्तनी षोधक —

प्रायः सभी षब्द संसाधकों में वर्तनी जाँच की सुविधा उपलब्ध होती है। यह अत्यन्त उपयोगी प्रोग्राम है, क्योंकि यहन केवल षब्द की वर्तनी में गलती होन पर गलती की ओर इंगिम करता है अपितु सही वर्तनी का सुझाव भी देता है। प्रयोग करने वाला व्यक्ति इसमें संग्रहीत षब्दों की डिक्षनरी में नये षब्द भी जोड़ सकता है। हिन्दी में जो वर्तनी षोधक साफ्टवेयर उपलब्ध हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है—

1. काल साफ्टवेयर
2. समिट डिक्षनरी
3. अक्षरमाला फोर्म्स
4. हिन्दी ग्रामर चौकिंग
5. एडवांस्ड स्क्रिप्ट प्रोसेसर
6. जिस्ट वर्ड प्रोसेसर
7. एपेक्स लेंग्वेज प्रोसेसर
8. श्री लिपि

सच तो यह है कि दिन-प्रतिदिन की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नये-नये साफ्टवेयर बाजार में विकसित होकर आ रहे हैं, जिन्होंने हर प्रकार के कार्य को आसान बना दिया हैं

हिन्दी में कम्प्यूटर द्वारा अनुवाद

आई.आई.टी. बेंगलूर के प्रो. पी.सी. गणेश सुन्दरम् ने अंग्रेजी, हिन्दी कन्नड़, तमिल, रूसी भाषा के सरल वाक्यों का पारस्परिक अनुवाद करने के लिए विशेष प्रकार की अनुवाद प्रणालियों का विकास करके उसका साफ्टवेयर तैयार किया। आई.आई.टी. कानपुर तथा संस्कृत विद्यापीठ विरूपति के सहयोग से पाणिनीय व्याकरण पर आधारित इंटरलिंग्वा फ्रेमवर्क का विकास किया जा रहा है। इस साफ्टवेयर की सहायता से भारतीय भाषाओं में पारस्परिक अनुवाद किया जा सकेगा। राष्ट्रीय साफ्टवेयर कन्द्र मुम्बई ने स्क्रीन टाक नामक साफ्टवेयर का विकास किया है जो अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करता है। केन्द्रीय हिन्दी संस्थान ने षक्ति साफ्टवेयर का निर्माण हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद हेतु किया है।

अनुवाद सम्बन्धी प्रमुख साफ्टवेयर उपलब्ध हैं उनका विवरण निम्न प्रकार है—

1. स्क्रीन टाक
2. इंटरलिंग्वा पाणिनीय फ्रेमवर्क
3. अनुवादक प्रोग्राम
4. षक्ति साफ्टवेयर

हिन्दी भाषा शिक्षण

हिन्दी भाषा की शिक्षा देने के लिए विकसित किये गये प्रमुख साफ्टवेयर इस प्रकार है—
लीला (LILA or Learn Indian Languages through Artificial Intelligence)

2. विजुअल हिन्दी
3. आन लाइन कोर्सेस
4. रेपिडली लर्न हिन्दी
5. लिंगोटेक साफ्टवेयर

भारतवाणी हिन्दी टीचर

7. हिन्दी गुरु सीडी

इस प्रकार हिन्दी सीखने के लिए कई साफ्टवेयर अभी उपलब्ध हैं तथा कुछ नये साफ्टवेयरों का विकास किया जा रहा है। हिन्दी के कुछ साफ्टवेयरों में वे तमाम सुविधाएँ भी उपलब्ध हैं जो वर्डस्टार, वर्ड परफेक्ट तथा बर्ड माइक्रोसाफ्ट जैसे नवीन वर्ड प्रोसेसिंग पैकेजों में प्रदान की गई हैं।

(ब) डाटा संसाधन

डाटा (कंज)– बेतरतीब तथ्यों के समूह या कच्ची सूचना को डाटा (कंज) कहा जाता है।
संसाधन (क्लवबमेपदह)– डाटा को परिणाम में बदलने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है।

इस प्रकार डाटा को प्रोसेस करके परिणाम प्राप्त किया जाता है। डाटा प्रोसेसिंग से परिणाम या उपयोगी सूचना प्राप्त करना ही हमारा लक्ष्य है।

उदाहरण के लिए यदि हम 8 और 5 का गुणा करना चाहते हैं तो 8 और 5 के अंक हमारे लिए डाटा (कंज) कहे जायेंगे तथा इन दोनों अंकों के गुणा करने की प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहेंगे कहेंगे, जिसे करने पर अपेक्षित परिणाम 40 प्राप्त होता है। इस पूरी प्रक्रिया को कम्प्यूटर के लिए तैयार किये गये प्रवाह चित्र (थ्रसवू बेंतज) पर इस प्रकार अंकित किया जायेगा—

डाटा प्रोसेसिंग की विधि—



प्रयोजनमूलक हिन्दी

डाटा प्रोसेसिंग का हमारे जीवन में विशेष महत्व है इसका उपयोग हम कई दृष्टियों से कर सकते हैं डाटा प्रोसेसिंग के चरण इस प्रकार निर्दिष्ट किये जा सकते हैं—

1. जानकारी एकत्र करना
2. एकत्र आँकड़ों को कम्प्यूटर में डालना

एकत्र आँकड़ों का प्रस्तुतीकरण

सूचना से प्राप्त परिणाम

डाटा भण्डारण

सर्वप्रथम हम दिये गये क्षेत्र से सम्बन्धित जानकारी करते हैं तथा सम्बन्धित आँकड़ों को एकत्र किया जाता है। तत्पश्चात् उपलब्ध आँकड़ों को इनपुट डिवाइस कुजी पटल, डिस्क, छिद्रित कार्ड आदि की सहायता से कम्प्यूटर में दर्ज कर लिया जाता है। कम्प्यूटर में दर्ज इन आँकड़ों को हम विविध प्रकार से प्रस्तुत करते हैं कभी वर्णानुक्रम से तो कभी आरोही में तो कभी अवरोही क्रम में, कभी अवरोही क्रम में, कभी आय ग्रुप में तो कभी किसी अन्य आधार पर। इसे डाटा परिचालन कहा जाता है तथ्य इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाले जाते हैं।

डाटा प्रोसेसिंग का उद्देश्य विविध प्रकार के सारांश या निर्णय तैयार करना है आवश्यक सूचनाओं से हमें निर्गम प्राप्त हो जाता है। जो आउटपुट इनफोर्मेशन हमें प्राप्त होती है उसे कम्प्यूटर की स्मरति में सुरक्षित कर लिया जाता है जिससे आवश्यकता पड़ने पर उसका पुनः प्रयोग किया जा सके। कभी-कभी पूर्व सुरक्षित किये गये निष्कर्षों में कुछ घटा-बढ़ाकर नये आउटपुट तैयार किये जाते हैं। केवल थोड़े से हेर-पोर से नवीन नाति सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती हैं। पिछले आँकड़ों महीय योजना बनाने में भी अत्यन्त सहायक होते हैं अतः डाटा संसाधन कम्प्यूटिंग का एक महत्वपूर्ण तत्व है।

(स) फॉण्ट प्रबन्धन (थ्वदज डंदहमउमदज)

फॉण्ट का तात्पर्य एक आकार या साइज से है। कम्प्यूटर की स्क्रीन पर जब अक्षर टाइप किये जाते हैं तो उनके आकार को इच्छानुसार छोटा या बड़ा किया जा सकती है— इसी क्रिया को फॉण्ट प्रबन्धन (थ्वदज डंदहमउमदज) कहते हैं।

कम्प्यूटर की सहायता से जितने प्वाइंट आकार का अक्षर या अंक चाहिए, उसे की-बोर्ड में दी गई व्यवस्था के आधार पर सेट कर लिया जाता है। सेट करने के बाद स्क्रीन पर सभी अक्षर अंक मात्राएँ चिह्न आदि एक ही आकार एवं माप के लिखे जाते हैं। एक आकार और एक माप प्वाइंट साइज के ये सभी अक्षर, अंक, चिह्न, मात्राएँ। एक फॉण्ट के कहे जायेंगे।

सामान्तया साफटवेयर में सेम फॉण्ट होते हैं। यथा—

1. कबूतर

फॉण्ट साइज 14

2. कबूतर

फॉण्ट साइज 16

3. कबूतर

फॉण्ट साइज 18

4. कबूतर

फॉण्ट साइज 20

5. कबूतर

फॉण्ट साइज 22

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University

फॉण्ट साइज 24

7. कबूतर

फॉण्ट साइज 26

जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वहाँ उसी फॉण्ट का प्रयोग किया जाता है। इसी को फॉण्ट प्रबन्धन या फॉण्ट मैनेजमेंट कहते हैं। सामान्यतया फॉण्ट साइज-3 का प्रयोग कम्प्यूटर में टाइप आदि के लिए किया जाता है। जिसे आवश्यकतानुसार घटा या बढ़ाकर अपेक्षित साइज प्राप्त कर लिया जाता है। यदि फॉण्ट साइज को एडजस्ट न किया गया हो तो कम्प्यूटर स्क्रीन पर फॉण्ट-3 स्वतः ही आता है। मनचाहे फॉण्ट के लिए फॉण्ट बटन दबाकर फिर फॉण्ट साइज बटन का दबाकर मन चाहे फॉण्ट साइज में अपना टेक्स्ट कंजोप कर लिया जाता है। प्रायः हीडिंग बड़े साइज में रखा जाता है। यदि किसी वाक्य को अंडरलाइन करना हो या अटेलिक में देना हो या बोल्ड करना हो तो सम्बन्धित बटन को दबाना पड़ता है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी

पत्रकारिता को अंग्रेजी में जर्नलिज्म (श्रवणतदंसपेज) कहा जाता है जिसका सम्बन्ध लेटिन शब्द जर्नल से है। जर्नल शब्द का अर्थ है दैनिक कार्यकलापों एवं सरकारी बैठकों का विवरण आगे चलकर इसके अन्तर्गत गम्भीर समालोचनाओं, समाचारों तथ्यों तथा विद्वतापूर्ण लेखों का समावेश भी हो गया है।

आधुनिक सन्दर्भ में पत्रकारिता एक व्यवसाय है जिसके अन्तर्गत समाचार संकलन, समाचार, लेखन, समाचार सम्पादन समाचार-पत्र का मुद्रण एवं प्रकाशन, विज्ञापन कला, व्यावसायिक प्रबन्धन आदि सब कुछ सम्मिलित है। समकालीन गतिविधियों में पत्रकारिता भी दो प्रकार की हो गयी है— 1. प्रिन्ट मीडिया, 2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इनसे जुड़े लोगों को पत्रकार (श्रवणतदंसपेज) कहा जाता है।

प्रिन्ट मीडिया के अन्तर्गत मुद्रित (छपी हुई) सामग्री आती है जिसमें सभी प्रकारके दैनिक, साप्ताहिक पाक्षिक, मासिक, त्रैमासिक, अर्द्धवार्षिक एवं वार्षिक पत्र-पत्रिकाएँ हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत रेडियों एवं टेलीविजन की पत्रकारिता आती है। टीवी के अनेक चैनल प्रतिवर्ष खुल रहे हैं अतः दूरदर्शन की पत्रकारिता का दिनों-दिन विस्तार हो रहा है अनेक न्यूज चैनल चौबीस घण्टे के चैनल हैं अतएव पत्रकारिता का आभातीत विस्तार हो रहा है।

पत्रकारिता की परिभाषा

पत्रकारिता की अनेक परिभाषाएँ प्रस्तुत की गई हैं, जो उसके स्वरूप को स्पष्ट करती हैं। यहाँ कुछ प्रमुख परिभाषाएँ दी जा रही हैं

1. प्रो. एडविन एमरी के अनुसार, रु पत्रकारिता का कार्य समाचार-पत्रों तथा पत्रिकाओं के समाचारों को एकत्र करके लिखना, सम्पादन करे प्रकाशित करना या समाचारों पर टिप्पणियाँ देना सा गया है किन्तु पत्रकारिता का क्षेत्र अब अधिक बढ़ गया है। उसमें सामुदायिक या आकर्षक लोक सामग्री का विविध संचार माध्यमों द्वारा प्रसारण भी सम्मिलित है जिसमें मुख्य रूप से रेडियो और दूरदर्शन आते हैं।
2. एच.एम. सटैनलेज के अनुसार पत्रकारिता षायद सबसे अधिक रोमांचक तथा जोखिमपूर्ण व्यवसायों में से एक है जिसमें पत्रकारों को देश के दैनिक जीवन के कार्यकलापों के साथ-साथ युद्ध और खोज जैसे विषयों के संवाद भी देने आवश्यक होते हैं।
3. डेविड वेनराइट के अनुसार पत्रकारिता एक जनसंचार है। यह रोजमर्रा की घटनाओं को कुछ शब्दों, ध्वनियों या तस्वीरों को जनसंचार के मंत्र द्वारा पेष करती है, जिसे जानने के लिए मानव सदा उत्सुक रहता है कि नया क्या है।
4. सी. जी. पूलर के अनुसार, पत्रकारिता सामयिक ज्ञान का व्यवसाय है। इस व्यवसाय में आवश्यक तथ्यों की प्राप्ति, सावधानीपूर्वक उनका मूल्यांकन तथा वचित प्रस्तुतीकरण होता है। सामयिक ज्ञान में केवल घटना की जानकारी ही पर्याप्त नहीं होती अपितु उसका विश्लेषण एवं मूल्यांकन भी महत्व रखता है। यह ठीक है कि पत्रकारिता एक पेषा है किन्तु साथ ही वह लोक सेवा भी है। पत्रकार के कुछ कर्तव्य एवं दायित्व होते हैं। उसे अपने पेष के प्रति ईमानदार रहते हुए एक आचार संहिता का पालन करना पड़ता है। उसका उददेश्य केवल नौकरी करना ही नहीं है अपितु वह लोगों का ज्ञानवर्द्धन मार्गदर्शन करते हुए लोक रुचि का संस्कार और परिस्कार भी करता है पत्रकार को तटस्थ, निरपेक्ष रहते हुए बड़े सलीक से और मँजी हुई भाषा में अपनी बात लोगों के सामने रखनी चाहिए।

प्रो. अर्जुन तिवारी के अनुसार, "राष्ट्रीय एवं मानवीय मूल्यों से सन्दर्भित सत्कार्य ही पत्रकारिता है जिससे देशवासियों की नस नस में स्वतन्त्रता, समानता और विश्व बन्धुत्व की भावना का संचार होता है। १८

पत्रकार की सबसे बड़ी चिन्ता अधिकतम लोगों का अधिकतम हित करना है। इसी कारण वह लोकतंत्र का पहरेदार है तथा कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका के साथ-साथ लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ हैं प्रसिद्ध पत्रकार प्रभास जोषी के अनुसार, "न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रेस में यदि मैं चौथा खम्भा हूँ तो पत्रकार होने के नाते मेरा अधिकार और कर्तव्य है कि इन तीन खम्भों को मैं जज करूँ। १९

पं. जवाहरलाल नेहरू समाचार-पत्रों पर किसी प्रकार का अंकुष लगाने के खिलाफ थे। उनके अनुसार, व्यापक अर्थों में समाचार-पत्रों की स्वतन्त्रता केवल एक नारा नहीं है, अपितु लोकतांत्रिक प्रक्रिया की एक आवश्यक विशेषता है। मैं दबे हुए या नियन्त्रित समाचार पत्र की बजाय स्वतन्त्रता के दुरुपयोग के सभी खतरों में पूर्णतरु मुक्त स्वतन्त्र समाचार-पत्र अधिक पसन्द करता हूँ। २

महात्मा गाँधी का विचार है कि २ सत्य की विजय के लिए समाचार-पत्र ही अनिवार्य साधन है। ऐसी कोई भी लड़ाई जिसका आधार आत्मबल हो समाचार-पत्रों की सहायता के बिना नहीं चालायी जा सकती। अहिंसक उपयों से सत्य की विजय के लिए समाचार-पत्र एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य साधन है। ३

समाचार-पत्र को प्रसिद्ध हिन्दी पत्रकार अम्बिका प्रसाद बाजपेयी ने लोकगुरु कहा है। वह जनसाधारण को उसके कर्तव्य का बोध कराता है, शासक वर्ग को चेतावनी देकर या पीठ ठोकर जनहित के कार्य करने के लिए प्रेरित करता है तथा निर्भीकता एवं प्रबुद्धता से अपने उत्तरदायित्व का वहन करता है। समाचार-पत्र केवल समाचारों का संकलन नहीं होता अपितु वह देश की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का लेखा-जोखा भी होता है। आधुनिक समाचार-पत्र वस्तुतः टुकड़े-टुकड़े इतिहास होता है जो वर्तमान को इतिहास से सीखे गये पाठों की कसौटी पर कसता है।

वर्तमान समय में अखबार दैनिक जीवन में इतने आवश्यक हो गये हैं जैसे भोजन और वस्त्र। एक दिन भी यदि अखबार पढ़ने को न मिल पाये तो ऐसा लगता है जैसे हम किसी अभाव का अनुभव कर रहे हैं। समान्यताया लोकतंत्र में अखबारों की स्वतन्त्रता बहाल रहती है किन्तु कभी-कभी उनकी आवाज पर अंकुष लगाकर प्रेस का गला घोटने का प्रयास किया जाता है। समाचारों को अखबार में एक कला है। प्रसिद्ध पत्रकार पण्डित पण्डेय के अनुसार, प्रस्तुत करना भी

Newspapers play a very significant role in the life of a nation- The presentation of news on papers is a great art- In the world of today newspapers have become almost as indispensable as food and clothing- The freedom of press is a sacred privilege but it requires great fact and patience to exercise it properly-

अर्थात् राष्ट्रीय जीवन में समाचार-पत्र महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। वर्तमान विश्व में वे भोजन एवं वस्त्र की भाँति अपरिहार्य बन गये हैं। प्रेस की स्वतन्त्रता एक पवित्र अभिकरण है किन्तु उसका उपयोग धैर्य एवं उत्तरदायित्व के साथ तथा उपयुक्त ढंग से करना चाहिए। ४

पत्रकारिता वर्तमान युग में एक सशक्त माध्यम है जिसका मूल उद्देश्य जनहित एवं व्यावसायिक लाभ



प्रयोजनमूलक हिन्दी

यदिहमें उकसे उददेश्यों को निर्धारित करना हो तो निम्न तथ्य उल्लेखनीय कहे सकते हैं—

पत्रकारिता का मूल्य उददेश्य है जनता को सही जानकारी प्रदान करना।

पत्रकार की ध्यान मूलतः लोकहित पर रहता है जनता को विवेकवान बनाने, अपना भला-बुरा सोचने, तथा समाजिक संस्कृति को बढ़ावा देने में पत्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

पत्रकार समग्र देश की नब्ज को पहचानता है। वह अपने पत्र में जनता की भावना को व्यक्त कर सरकार को अपने निर्णय पर पुनर्विचार के लिए बाध्य कर सकता है।

सरकार को नुचित निर्णय लेने पर तथा जनविरोधी कार्य करने पर त्रकार ही चेतावनी देकर सही मार्ग पर ला सकते हैं।

जनता को राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय समाचारों से अवगत कराने में समाचार-पत्रों की प्रमुख भूमिका होती है।

पत्रकारिता जनता को उसके अधिकारों के प्रति सेवत करती है तथा उसे उसकी शक्ति का बोध कराती है।

सामाजिक बुराइयों का पर्दाफाश करने तथा उनका निराकरण करने में भी पत्रकारिता का विषो योगदान होता है।

पत्रकार को ऐसी जौज जनता के सामने नहीं लानी चाहिए जो उसके चारित्रिक पतन को प्रोत्साहित करे।

लोकतन्त्र में पत्रकारिता को चौथा स्तम्भ माना जाता है। प्रेस की स्वतन्त्रता लोकतन्त्र की शक्ति है।

10. पत्रकारों को पीत पत्रकारिता से बचते हुए जनहित में रिपोर्टिंग करनी चाहिए।

11. खेल पत्रकारिता फिल्म, पत्रकारित खोजी पत्रकारिता से जनता की विविध क्षेत्रों में अभिरुचित

उत्पन्न होती है तथा उसे सुससकष्ट एवं पश्चिकरत भी बनाया जा सकता है

17. जनचेतना को जाग्रत करने, जनरुचित का परिश्कार एवं संस्कार करने तथा जनता को अपने

परिवेश के प्रति जागरूक बनाने में भी पत्रकारिता की प्रमुख भूमिका होती है।

13. अनेक राजनीतिक दल अपने मुखपत्र प्रकाशित करते हैं जिनमें उन दलों की नोतियों विचारध ओ की अभिव्यक्ति होती है। इन्हें जानकर दल में नये लोग शामिल भी होते हैं तथा पार्टी को अपनी मान्यताओं एवं विचारों को व्यक्त करने का माध्यम सुलभ होता है।

पत्रकारिता के विविध रूप

जैसे जीवन के विविध रंग हैं, वैसे ही पत्रकारिता भी बहुरंगी है। जनता की रुचि को ध्यान में रखते हुए समाचार-पत्र में राजनीति खेल, आर्थिक मामले, उद्योग-व्यापार, फिल्म, साहित्य, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाक्रम आदि से सम्बन्धित विवरण दिये जाते हैं। हरबर्ट बूकर के अनुसार, पत्रकारिता वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मस्तिष्क में उस विश्व के बारे में समस्त सूचनाएँ संकलित करते हैं, जिन्हें हम स्वतः कभी नहीं जान सकते।

९

दूसरे शब्दों में समग्र विश्व में घटनाचक्र को तथा समस्त विश्व की जानकारी को प्रदान करने का माध्यम समाचार-पत्र ही है। विशय के आधार पर पत्रकारिता के विविध स्वरूप हो सकते हैं जिन्हें सुविधा की दृष्टि से निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है—

ग्रामीण एवं कर्षश पत्रकारिता

खेल पत्रकारिता

आर्थिक पत्रकारिता

संसदीय पत्रकारिता

साहित्यिक—सांस्कृतिक पत्रकारिता

2 खोजी पत्रकारिता

4. फिल्म पत्रकारिता

5. रेडियो—टी.वी. पत्रकारिता

8. विज्ञान पत्रकारिता

10 विकास पत्रकारिता

वस्तुतः पत्रकारिता का क्षेत्र इतना व्यापक है कि उसे पूरी तरह समेट पानी किसी एक पाकार का काम हनी है अतः प्रत्येक प्रमुख समाचार-पत्र में विषय के अनुरूप जिम्मेदारियाँ बाँट दी जाती हैं और पत्रकार अपने-अपने क्षेत्र में सूचनाएँ संकलित कर उन्हें स्टोरी को रूप देकर प्रस्तुत करते हैं। पत्रकारिता नित्य परिवर्तित होते समाजिक जीवन, भौतिक परिवेश, राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय घटनाचक्र का संकलन एवं प्रस्तुतीकरण मात्र नहीं है अपितु वह व्यापक जनसंवेदन, परवर्ती मानवीय अनुभूतियों एवं अमूर्त भावनाओं को संप्रेषित करने का लोकप्रिय माध्यम है। पत्रकारिता की आत्मा है— ज्ञानक्षुधा, जो उसे विभिन्न रूपों में विभक्त कर अपने तरपित के साधन जुटाती है। ज्ञान और विचार को षडों और चित्रों के रूप में दूसरों तक पहुँचाना ही पत्रकला है।

यहाँ हम पत्रकारिता के विविध रूपों पर विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं—

1. ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता— ग्रामीण जजीवन से जुड़ी हुई सूचनाएँ कृषि पत्रकारिता में आती हैं। कृषि, बीज, खाद, पशुपालन, कीटनाशक, पंचायतीराज, कृषि उत्पादन की उन्नत तकनीक, सरकारी अनुदान, परिवार कल्याण आदि की विस्तृत जानकारी प्रदान करना ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता का विषय है। जो पत्रकार इस क्षेत्र में काम करते हैं। वे कृषि पत्रकार कहे जाते हैं। आज भी भारत की 80 प्रतिशत जनता गाँवों में निवास करती है। तथा उनका जीवन कृषि पर आधारित है अतः इस क्षेत्र में होने वाली प्रगति हो उन समाचार-पत्रों के माध्यम से जनता तक पहुँचाना, जो क्षेत्रीय जनता में लोकप्रिय हों, पत्रकार का दायित्व है। बागवानी, भूमि संरक्षण कीट विज्ञान, पादप रोग विज्ञान से सम्बन्धित विषय विषेशणों के साक्षात्कार इन अखबारों में छपते हैं जो जनता को जानकारी प्रदान करते हैं। परम्परागत कुटीर उद्योग सरकार की ग्रामीणान्मुख योजनाओं, हरित क्रान्ति, श्वेत क्रान्ति, लोक संस्करति आदि से सम्बन्धित सामग्री भी ग्रामीण एवं कृषि पत्रकारिता का अंग है।

2. खोजी पत्रकारिता— छिपायी जाने वाली सूचनाओं, तथ्यों, राजनीतिक काण्डों को प्रमाण सहित प्रकाश में लाने का कार्य खोजी पत्रकारिता का है। बाबरीन के अनुसार, "जिस तथ्य को कोई छिपाना चाहे अथवा जो अनपेक्षित हो, वैसे समाचार को प्रकाश में लाने का कार्य खोजी पत्रकारिता का है।" इस प्रकार की खोजी पत्रकारिता प्रायः शासन और सत्ता के खिलाफ होती है अतः खोजी पत्रकारको बहुत सचेत, सजग रहना पड़ता है। क्योंकि उसकी खोज रिपोर्ट से सत्ता की कुर्सी तक हिल जाती है और कभी-कभी सत्ता में परिवर्तन तक हो जाता है। अमेरिका का वाटर गेट काण्ड तथा भारत में बोफोर्स दलाली काण्ड ऐसी ही पत्रकारिता के परिणाम हैं। अभी तहलका ने टी.वी. पर एक ऐसी वीडियो फिल्म दिखाई थी जिससे यह सिद्ध होता था कि रक्षा सौदों में दलाली ली जाती है। एक पार्टी के अध्यक्ष को नोट लेते हुए दिखाया गया था जिसे वे पार्टी फण्ड के नाम पर ऐसे कथित दलालों से ले रहे थे। पार्टी ने अपनी साख बचाने के लिए पाट अध्यक्ष से इस्तीफा दिलवा दिया। भारतवर्ष में इस प्रकार के बहुत सके काण्ड हुए जो खोजी पत्रकारों ने जनता के सामने बेपर्दा किये। इनमें प्रमुख हैं— हवाला काण्ड, प्रतिभूति घोटाला काण्ड, ताबूत काण्ड, चारा घोटाला काण्ड, गोधरा काण्ड, पेट्रोल पम्प आवंटन काण्ड आदि। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जब से अपने पैर पसारे हैं तब से इस प्रकार के काण्डों को खोज खबर अधिक ली जाने लगी है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

खोजी पत्रकार को बिना पक्के सुबूतों के कोई स्टोरी नहीं बनानी चाहिए। अफवाहों काल्पनिक कथाओं एवं अप्रमाणिका तथ्यों को अपनी रिपोर्टिंग में स्थान नहीं देना चाहिए। अन्यथा खोजी पत्रकारिता पीत पत्रकारिता में बदल सकती है तथा पत्रकार की साख पर आँच आ जाती है। खोजी पत्रकारिता (पुद्गलपहंजपद्म रवन्तदंसपेउ) में प्रासंगिक विशयों तथ्यों के कर्तपूर्ण अध्ययन अनुसंधान के माध्यम से निश्कर्षों तक पहुँचा जाता है। इसका उद्देश्य किसी का चरित्र हनन करना या किसी को बदनाम करना कदापि नहीं होता है। खोजी पत्रकार की निर्भीक जनहित के लिए समर्पित होना चाहिए साथ ही उसे राष्ट्रीयहित को सर्वोपरि रखते हुए अपनी रिपोर्टिंग करनी चाहिए। 3. खेल पत्रकारिता— खेल—कूद के प्रति लोगों की बढ़ती हुई रुचि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक पत्र—पत्रिका में खेल का पन्ना अनिवार्य रूप से रखा जाता है यही नहीं कुछ पत्रिकाएँ तो केवल खेलों का ही विवरण प्रस्तुत करती हैं और खेल पत्रकारिता से ही लाखों की संख्या में बिकती है। क्रिकेट

के प्रति लोगों की दीवानगी एक सीमा तक बढ़ गई है कि क्रिकेट का लइन प्रसारण टी. वी. पर देखने के समय सड़के सुनसान हो जाती है और लोग टीवी पर प्रत्येक गेंद का आनन्द लेते हैं। पहले जहाँ रेडियों पर लोग क्रिकेट कमेंटरी सुनते थे वहीं अब दुनिया भर में कहीं भी खेला जा रही क्रिकेट अख़लाओं को घर बैठे टीवी पर देखा जा सकता है। टीवी पर कुछ तो स्पोर्ट चैनल ही हैं जो 24 घंटे खेलों को प्रसारित करते हैं। तथा दुनिया भर में होने वाली खेल गतिविधियों को प्रस्तुत करते हैं। समाचार—पत्रों में भी खेल के पन्ने हेतु रिपोर्टिंग करने वाले खेल पत्रकार होते हैं जो खेल सम्बन्धी समाचारों का संकलन, खिलाड़ियों से जुड़ी बातों की रिपोर्टिंग करते हैं। हॉकी, टेनिस, क्रिकेट, फुटबाल, बाक्सिंग की अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएँ विश्व में कहीं न कहीं चलती रहती हैं जिनकी रिपोर्टिंग हम समाचार—पत्रों टीवी पर प्रायः देखते रहते हैं। इन समाचारों का संकलन करने वाले संवाददाता प्रत्येक समाचार—पत्र एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रहते हैं। ओलम्पिक, एषियाई खेल, राष्ट्रमण्डलीय खेल के आयोजन बहुत बड़ी घटना हैं। इन सबकी विस्तृत जानकारी खेल पत्रकार जनता को कराते हैं। प्रमुख खिलाड़ियों के बारे में जानकारी देना भी इनका कार्य है। खिलाड़ियों के साक्षात्कार लेना, उनके खेल रिकार्ड को प्रस्तुत करना, खेलों की सम्भावनाओं एवं सीमाओं पर चर्चा करना भी खेल पत्रकारिता का अंग है। टीवी के कई चैनल यथा—स्टार स्पोर्ट, दूरदर्शन स्पोर्ट, ई.एस.पी.एन ऑस्ट्रेलिया का चैनल नाइन, आदिकेवल खेल से जुड़े हुए चैनल हैं। खेल सम्बन्धी जानकारी जनता तक पहुँचाने में खेल पत्रकारिता का विशेष योगदान है।

भारत फिल्म पत्रकारिता— वर्तमान समय में फिल्मों का हमारे जीवन में दिनों—दिन महत्त्व बढ़ रहा है बनने वाली फिल्मों की संख्या भी विश्व में सर्वाधिक है। हिन्दी के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में भी फिल्में बनती हैं। फिल्मी कलाकारों का समाज में बड़ा नाम है। हर कोई उनके बारे में जानने को उत्सुक रहता है। उनसे सम्बन्धित समाचारों को जानने के लिए जनता उतावली रहती है। कौन—सी फिल्म फ्लाप हो गयी। कौन—सा अभिनेता व्यस्त है, किसकी पटरी किससे नहीं बैठती, किसका हेयर स्टाइल अच्छा है, आदि फिल्मी पत्रकारों के प्रिय विशय हैं। इसके अतिरिक्त ड्रेस डिजायनिंग, स्टूडियो समाचार, सितारों की निजी जिन्दगी उनके रोमांस उनके साक्षात्कार आदि से फिल्मी पत्रकारों को नयी—नयी स्टोरी, संकल्प, आदि मिलते हैं।

इसके अतिरिक्त अनेक प्रकार के फिल्म अवार्ड पुरस्कार भी प्रदान किये जाते हैं। जिनके समाचार लोग अखबारों में पढ़ना पसन्द करते हैं। फिल्मों पत्रकार बड़े परिश्रम से यह सब सामग्री जुटाता है और उसे ऐसे चटपटे ढंग से प्रस्तुत करता है। कि पढ़ने वाले उस खबर को पढ़कर प्रसन्न हो जाते हैं। प्रायः प्रत्येक समाचार—पत्र में एक परिशिष्ट सप्ताह में फिल्म सम्बन्धी समाचारों का होता है। जिसमें फिल्मी सितारों के जनमदिन और उनके पते भी अखबारों में प्रकाशित होते रहते हैं, जिसका लाभ उनके फैन्स उठाते हैं। भारत में सिने ब्लिट्ज जैसी कई फिल्मों पत्रिकाएँ केवल फिल्म सम्बन्ध सामग्री ही प्रकाशित करती हैं। फिल्मी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या पर्याप्त होती है। अब तो छोटे पर्दे टेलीविजन की खबरें

भी फिल्मी पत्रकारिता का अंग बन रही हैं। इस विवेचन से स्पष्ट है कि भारत में फिल्मी पत्रकारिता की भी खूब माँग है।

5. आर्थिक पत्रकारिता— आर्थिक पत्रकारिता का तात्पर्य उस विषिष्ट सामग्री से है जो अर्थशास्त्र के विषयों से जुड़ी रहती है। वाणिज्य, व्यापार, षेयर, मार्केट, उद्योग, जगत् मुद्रा स्फीति, बाजार भाव आदि से सम्बन्धित खबरों को प्रायः प्रत्येक समाचार-पत्र में एक पेज पर स्थान मिलता है अखबारों में अलग-अलग नाम से यह पेज रहता है, यथा— कारोबार, अर्थजगत् उद्योग जगत् अर्थतंत्र आदि। अंग्रेजी में द इकनॉमिक टाइम्स और फाइनेन्सियल एक्सप्रेस जैसे पूरे अखबार आर्थिक पत्रकारिता पर ही निर्भर हैं। प्रमुख षेयरों के भाव, सर्राफा बाजार, मण्डी में विभिन्न खाद्यान्नोंदलहनों, तेलों के भाव कैमीकल बाजार के भाव आदि की विस्तृत जानकारी इस कारोबारी पृष्ठ पर होती है। किस कम्पनी को कितना मुनाफा हुआ, कौन-सी कम्पनी की सामान्य बिक्री बढ़ी या घटी है तथा बाजार में कौन-कौन से नये उत्पाद आये हैं? उनकी गुणवत्ता क्या है तथा उनके बाजार भाव क्या है, भविष्य में की क्या रणनीति होगी तथा किस कम्पनी से किस फिल्मी सितारे या खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है इसको खोज-खबर भी आर्थिक पत्रकारों को रखनी पड़ती है।

आर्थिक पत्रकारिता का क्षेत्र भी बहुत व्यापक है। देश-विदेश की आर्थिक गतिविधियों पर पैनी नजर रखने के साथ-साथ आर्थिक मामलों से जुड़े पत्रकार को बाजार की नब्ज भी टटोलने पड़ती है। विदेशीमुद्रा की स्थिति, बजट, भुगतान सन्तुलन, ग्रामोद्योग, भारी उद्योग, राष्ट्रीय आय पंचवर्षीय योजना, योजना आयोग, वित्त मंत्रालय, राज्य सरकारों के बजट, औद्योगिक घराने, विदेशी पूँजी निवेश, रोड ट्रांसपोर्ट, षेयर बाजार की तेजी एवं मंदी आदि अनेक ऐसे विषय हैं जिनमें कारोबारी लोगों की अभियुक्ति होती है। ऐसे लोग अखबार हाथ में आते ही सबसे पहले उस पृष्ठ को खोलते हैं जो इस विषयों से सम्बन्धित होता है।

6. रेडियो-टी.वी. पत्रकारिता— वर्तमान समय में रेडियो एवं टीवी पत्रकारिता का क्षेत्र बहुत व्यापक हो गया है। सच पूछा जाय तो आने वाला समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ही होगा। टीवी से जुड़े पत्रकार को दृश्य-श्रव्य दोनों माध्यमों का सहारा लेना पड़ता है। उसे खबरों को सुनने के साथ-साथ दिखाना भी पड़ता है अतः टीवी से जुड़े पत्रकार के साथ कैमरामैन का होना अनिवार्य है। टीवी पत्रकार को सच जानने के लिए जनता, प्रशासन, संस्था सभी से साक्षात्कार लेना पड़ता है। उसे कभी-कभी घटनाओं का जीवन्त प्रसारण भी करना पड़ता है जिसमें बड़ी सजगता को आवश्यकता पड़ती है। रेडियो पत्रकारों को भी अपने परिवेश के प्रति सजग रहकर घटनाओं की रिपोर्टिंग करनी पड़ती है।

टीवी पत्रकार तरह-तरह के कार्यक्रम तैयार करते हैं। उन्हें राजनेताओं, फिल्मी कलाकारों, खिलाड़ियों उद्योगपतियों विदेशी मेहमानों के साक्षात्कार लेने पड़ते हैं तथा खेल, राजनीति चुनाव, युद्ध, प्राकृतिक आपदाओं, रेल दुर्घटनाओं आदि की खोज खबर लेनी पड़ती है। कभी-कभी उन्हें दूर-दराज के ऐसे क्षेत्रों में भी जाना पड़ता है जहाँ पहुँचना आसान नहीं है तथा इसमें जान जोखिम में भी डालनी पड़ती है। गर्व के साथ हम कह सकते हैं कि भारत के टीवी पत्रकार इस दृष्टि से विश्व स्तर के हैं तथा उन्होंने प्रत्येक घटना को टीवी पर दिखाने में सफलता प्राप्त की है। आज टीवी पर अनेक न्यूज चैनल 24 घण्टे समाचार देते हैं अतः उन्हें हर समय घटित होती घटनाओं की जानकारी विभिन्न नगरों में तैनात किये गये अपने पत्रकारों या प्रतिनिधियों से प्राप्त होती रहती है। इस समय टीवी पर आज तक स्टार न्यूट सहारा समय आदि अनेक न्यूज चैनल उपलब्ध हैं।

7. संसदीय पत्रकारिता— संसदीय पत्रकारिता का अभिप्राय है संसद के दोनों सदनों तथा राज्य विध नसभाओं एवं विधान परिशदों की कार्यवाही का विवरण देना। इस प्रकार की रिपोर्टिंग में विशेष सावधानी की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि असावधानी होने पर पत्रकार एवं उसके अखबार की साख पर बटाला जाता है। अखबार में गत खबर छपने से विरोधी दल या सत्ता पक्ष उस पर विपेक्षाधिकार हनन का आरोप भी लग जाता है। अखबार में गलत खबर छपने से विरोधी दल या सत्ता पक्ष उस पर विपेक्षाधिकार हनन का आरोप भी लगा सकते हैं और अगर सदन ने यह पाया कि खबर जानबूझकर तोड़ी-मरोड़ी गयी है तथा



प्रयोजनमूलक हिन्दी

इससे सदन की अवमानना हुई है तो अध्यक्ष सम्बन्धित पत्रकार को दण्डित भी कर सकता है।

संसदीय पत्रकारिता का सम्बन्ध प्रिन्ट मीडिया के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से भी है। क्या छापा जाये, क्या नहीं तथा क्या दिखाया जाय और क्या नहीं इसका निर्णय विवेक से संसदीय पत्रकार को करना पड़ता है।

8. विज्ञान पत्रकारिता—वर्तमान युग को यदि विज्ञान एवं तकनीक का युग कहा जाय तो अतिशयोक्ति न होगी। हमारे दैनिक जीवन को विज्ञान की खोजों ने अनेक रूपों में प्रभावित किया है। विज्ञान पत्रकारिता विज्ञान की नवीन खोजों में दिलचस्पी रखती है तथा संसार में चल रही वैज्ञानिक गतिविधियों, यथा—नवीन अनुसंधानों, विभिन्न बीमारियों की रोकथाम के लिए खोजी जाने वाली दवाइयों, अन्तरिक्ष अनुसंधान, मारक अस्त्रों नोबल पुरस्कारों आदि की जानकारी जनता को कराती है। वैज्ञानिक अनुसंधानों एवं आविष्कारों को पत्रकार ऐसी सरल भाषा में जनता तक पहुँचाते हैं जो जनसाधारण की समझ में आ जाय। भारत में डॉ. गुणाकर मुले का नाम इस क्षेत्र में अग्रणी है।

9. साहित्यिक—सांस्कृतिक पत्रकारिता—जो पत्रकार साहित्यिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की

रिपोर्टिंग करते हैं, वे इस वर्ग में आते हैं। साहित्य के क्षेत्र में कौन से पुरस्कार दिये गये, कौन-सी नयी पुस्तक विमोचित हुई, किस पुस्तक की विषय-वस्तु क्या है। तथा उनकी लोकप्रियता कैसी रही—इसका विवरण देने के साथ-साथ ऐसे पत्रकार साहित्यिक गोष्ठियों कवि सम्मेलनों, संगोष्ठियों आदि की रिपोर्टिंग भी करते हैं। कला और संस्कृति से जुड़े समाचार—पत्र के पाठक हर वर्ग के होते हैं तथा उन सबकी अभिरुचियों को ध्यान में रखते हुए पत्रकार सामग्री जुटाया करते हैं। 10. विकास पत्रकारिता—देश के विकास देश के विकास की गतिविधियों से जुड़े समाचारों को जो पत्रकारिता प्रस्तुत करती है, उसे विकास पत्रकारिता कहते हैं। यह पत्रकारिता कहते हैं। यह पत्रकारिता सामाजिक आर्थिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सभी क्षेत्रों में हुए विकास की रिपोर्टिंग करती है। केन्द्रीय एवं प्रान्तीय सरकारें जनता के विकास के लिए कौ-कौस से नये कार्यक्रम में क्या खूबियों एवं क्या कमियाँ हैं इसका लेखा-जोख भी ऐसे पत्रकार जुटाते हैं। विकास पत्रकारिता के अन्तर्गत भ्रष्टाचार एवं गबन के मालों की रिपोर्टिंग की जाती है। वस्तुतः ऐसे पत्रकार का कार्य विविधमुखी होता है।

उक्त विवेचन के आधार पर यह निश्कर्ष निकला जा सकता है कि पत्रकारिता के विविध स्वरूप हैं तथा उसे सुविधा के अनुसार विषय के आधार पर अनेक वर्गों में बाँटा गया है। सामान्यताया पत्रकार का कार्य एक ही है—जनता को नयी-नयी सूचनाओं से अवगत कराना। ये सूचनाएँ विविध क्षेत्रों की होती हैं अतः पत्रकार भी विविध क्षेत्रों में विशेषता प्राप्त करते हैं।

पत्रकारितारू वर्तमान परिदृश्य

भारत जैसे विकासशील लोकतान्त्रिक का भविष्य उज्ज्वल है। हिन्दी का पहला अखबार उदन्त मार्तण्ड माना जाता है जो 30 मई 1826 ई. को कलकत्ता से श्री युगल किशोर भुक्ल के सम्पादन में प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर अब तक लगभग 175 वर्ष हो गये हैं। इस दीर्घ अवधि में हिन्दी पत्रकारिता का दिनों-दिन विकास हुआ है। वर्तमान समय में हिन्दी समाचार-पत्रों की संख्या मोटे अनुमान से इस प्रकार है—

दैनिक समाचार—पत्र

साप्ताहिक पाक्षिक मासिक 600 3,000

हिन्दी में प्रकाशित होने वाले दैनिक समाचार-पत्रों में नवभारत टाइम्स, हिन्दी मिलाप, दैनिक हिन्दुस्तान, दैनिक नवभारत, स्वतन्त्र भारत, दैनिक जागरण, दैनिक जागरण, अमर उजाला, युगधर्म, राष्ट्रीय सहारा, राष्ट्रदूत, वीर अर्जुन, राजस्थान पत्रिका, वीर प्रताप, दैनिक भास्कर, देशबन्धु पंजाब केसरी, अमरत प्रभात तरुण—भारत, जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून आदि महत्वपूर्ण

समाचार-पत्र है। इन समाचार-पत्रों की कुल प्रसार संख्या यदि मिलाकर देखी जाय तो वह करोड़ों में होगी। इससे पता चलता है कि हिन्दी समाचार-पत्रों

का भविष्य उज्ज्वल है।

रेडियो, टीवी ने यद्यपि समाचार जगत् में एक क्रान्ति ला दी तथापि इलेक्ट्रॉनिक मीडियाप्रिन्ट मीडिया का विकल्प नहीं बन सकता है। केबिल टीवी ने यद्यपि दर्शकों के समक्ष अनेक विकल्प प्रस्तुत किये हैं तथापि समाचार-पत्रों की प्रसार संस्था में गिरावट आयेगी। पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने वालों की संख्या 18 करोड़ के ऊपर वर्तमान में पहुँच गयी है। पहले मलयालम मनोरमा एवं आनन्दजाजार पत्रिका सर्वाधिक बिकने वाले अखबार रहे हैं। टाप टेन की सूची में भी पहले अंग्रेजी अखबारों का बर्चस्व होता था किन्तु अब हिन्दी के अखबार प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर हैं। भारत के 50 प्रतिशत से अधिक लोग हिन्दी लिख पढ़ लेते हैं। अतः हिन्दी समाचार-पत्रों का भविष्य निष्चय ही उज्ज्वल है। नयी मुद्रण कला, कम्प्यूटर तकनीक से छपने वाले अखबार विविध अभियंत्रणों से युक्त सामग्री रंगीन पृष्ठों में प्रकाशित करते हैं जो जनता को अखबार पढ़ने के लिए प्रेरित करती है। दुनिया भर के घटनाक्रम को जानने के लिए समाचार-पत्र से अच्छा कोई अन्य माध्यम नहीं है। प्रत्येक सभ्य सुसंस्कृत परिवार में प्रातःकालत चाय के साथ अखबार का होना अनिवार्य है लोगों को अपना मनपसंद अखबार यदि एक दिन भी पढ़ने को न मिले तो ऐसा लगता है कि आज कुद अभाव का अनुभव कर रहे हैं। वस्तुतः अखबार पढ़ना भी एक नशा है। लोग अपने पसंदीदा समाचार-पत्र का प्रदिन बेसब्री से इंतजार करते हैं और नियम समय पर अखबार न आने से तनिक भी विलम्ब हो जाने पर असहज अनुभव करने लगते हैं।

हिन्दी पत्रकारिता को भी अब एक कैरियर के रूप में युवा पीढ़ी ले रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो ग्लैमर है उसकी ओर आकर्षित होकर भी बहुत से युवक और युवतियाँ इस पेशे में आ रहे हैं। अखबार की ताकत को सब जानते हैं। पुलिस, प्रशासन, नेता, जनता, अधिकारी—सब अखबारवालों से भयभीत रहते हैं कि कहीं उनकी पोल न खोल दी जाये। पत्रकारों को अब पर्याप्त वेतन एवं सुविधाएँ मिलने लगी हैं। समाज में पत्रकारों की हैसियत, रौबदाब भी बढ़ा है। विदेशी पूँजी के आगमन से अब इस क्षेत्र में भी प्रतिस्पर्धा होगी। पत्रकारों को अपने कर्तव्य का निर्वाह निष्पक्षता, निडरता से करना चाहिए। तथा प्रलोभन से बच रहना चाहिए। समग्रतः कहा जा सकता है कि हिन्दी पत्रकारिता का भविष्य उज्ज्वल है।

समाचार लेखन (News Writing)

प्रयोजनमूलक हिन्दी

समाचार लेखन की आवश्यकता पत्रकारों को बाराबर पड़ती रहती है। अपने क्षेत्र में घटित घटनाओं को समाचार-पत्र के संवाददाता प्रतिनिध रोचक पैली में प्रस्तुत कर लोकप्रिय बनाते हैं संवाददाताओं के द्वारा भेजे गये समाचारों की सम्पादन विभाग इस दृष्टि लोकप्रिय बनाते हैं। संवाददाताओं के द्वारा भेजे गये समाचारों की सम्पादन विभाग इस दृष्टि से जाँच-परख करता है। कि इनमें से कितने समाचार छपने योग्य हैं तथा समाचार-पत्र के किस पृष्ठ पर छापे जाने चाहिये। वह आवश्यकतानुसार भेजे गये समाचार में काँट-छाँटकर उसका सम्पादन भी करता है।

समाचार लेखन वस्तुतः एक कला है जो निरन्तर अभ्यास से निखरती है। समाचार लेखन की प्रमुख विशेषताओं का निरूपण इस प्रकार किया जा सकता है—

समाचार लेखन की विशेषताएँ—

1. समाचार यथासंभव संक्षिप्त एवं सारगर्हित हो ।

समाचार में प्रयुक्त भाषा सरल, प्रवाहपूर्ण एवं रोचक होनी चाहिए।

3. प्रत्येक समाचार का एक ऐसा शीर्षक देना चाहिए जो उसमें वर्णित विशय-वस्तु से सम्बन्धित हो।

संवाददाता को कोई समाचार तभी लिखकर अपने अखबार में भेजना चाहिए जब उसकी सत्यता को पूरी तरह जाँच लिया गया है।

समाचार लेखन में रोचकता, उत्सुकता, उत्कंदा एवं जिज्ञासा जैसे तत्वों का समावेश होना चाहिए।

घटना की भूमिका में घटना स्थान, समय, घटना का मुख्य पात्र, घटना की प्रकृति आदि का विवरण होना चाहिए।

घटना का विवरण उसक महत्व के आधार पर छोटा या बड़ा हो सकता है। समग्र घटना इस प्रकार से प्रस्तुत करनी चाहिए कि उसका कोई आँ छूटने न पाये तथा जनता को घटना के सम्बन्ध में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाये।

यदि सम्भव हो तो घटना की सूचना का स्रोत भी देना चाहिए।

समाचार लेखन में वाक्य छोटे होने चाहिए, लोक प्रचलित शब्दों का प्रयोग होना चाहिए, भाषा सुस्पष्ट तथा व्याकरण सम्मत होनी चाहिए।

10. समाचार लेखक को वस्तुनिष्ठ होना चाहिए अर्थात् उसे अपने समाचार पर केन्द्रित रहना चाहिए। समाचार इस प्रकार लिखा जाना चाहिए कि भूल सूचना प्रारम्भ में ही सामने आ जाए।

11. समाचार लेखन में आडम्बरपूर्ण भाषा-पैली का प्रयोग नहीं करना चाहिए और न ही लेखक की

अपने पाण्डित्य का प्रदर्शन करना चाहिए।

12. समाचार लेखक को पूर्ण तटस्थ एवं निरपेक्ष होकर घटना का प्रस्तुतीकरण करना चाहिए तथा

समाचार पर अपने भावावेगों एवं पूर्वाग्रहों की छाप नहीं छोड़नी चाहिए।

13. समाचार लेखक को केवल सत्य पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। किसी घटना को अतिरंजित करना या उसमें से कुछ तथ्यों को जानबूझकर छिपा देने से सत्यनिष्ठा को आघात लगता है।

14. समाचार को अनुच्छेदों में बाँटकर इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे समग्र घटनाक्रम स्पष्ट

जाया

15. समाचार लेखन में वक्ता या साक्षात्कार देने वाले व्यक्ति के कथन को बिना किसी परिवर्तन

के ज्यों का त्यों का देना चाहिए।

16. यदि किसी समाचार स्टोरी में पूर्ववत् के रूप में पष्ठभूमि देनी हो तो वह समाचार या मुख्य

घटना से पहले देनी चाहिए।

समाचार लेखन के प्रमुख बिन्दु

हिन्दी के सुप्रसिद्ध पत्रकार कमलापति त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक पत्रकारिता के सिद्धान्त में समाचार लेखन के निम्नलिखित सात बिन्दुओं का उल्लेख किया है—

1. तथ्यों का संकलन
2. कथा योजना का निर्माण
3. आमुख लेखन
4. अनुच्छेदों का निर्धारण
5. वक्ता के कथन की अविकल प्रस्तुति
6. सूत्रों के संकेतों को उद्धृत करना
7. धीर्शक्तीकरण

अपने कथन के समर्थन में त्रिपाठी जी ने एल.जे. डिकर के मत का उल्लेख किया है जिसमें उन्होंने समाचार के पाँच अंग माने हैं—

1. सूचना
2. उद्देश्य
3. प्रक्रिया विधि
4. घटना की पष्ठभूमि तथा प्रबन्ध और
5. पारस्परिक संचार इन्हें संक्षेप में प्ड 14 कहते हैं।

समाचार लेखन के सम्बन्ध में प्रसिद्ध लेखन अनेस्ट हेमिंग्वे की निम्न पंक्तियाँ उल्लेखनीय हैं.

Use short sentences use short paragraphs

Be positive not negative

समाचार तत्व एवं समाचार लेखन

समाचार में समाचार तत्व का विशेष महत्व है। यदि यह कहा जाय कि समाचार तत्व समाचार की आत्मा है तो अतिशयोक्ति न होगी। वस्तुतः कौन-सी घटना समाचार है और कौन-सी नहीं यह जानना आवश्यक है। सामान्यतया जनता की रुचि जिस घटना को जानने में होती है, वही समाचार है। कुत्ते ने आदमी को काट लिया— यह घटना समाचार नहीं हो सकती क्योंकि यह सामान्य घटना है और रोजमर्रा की बात है। इसमें किसी को कोई रुचि नहीं किन्तु कुत्ते ने मुख्यमंत्री को काट लिया या राष्ट्रपति को काट लिया— यह घटना विषिष्ट है क्योंकि लोग मुख्यमंत्री या राष्ट्रपति के स्वास्थ्य के स्वास्थ्य को लेकर



प्रयोजनमूलक हिन्दी

चिंतित होंगे। उनका इलाज कहाँ चल रहा है और यह भी कि वे खतरे से बाहर हैं या नहीं— इसे जानने में लोगों की दिलचरूपी अवष्य होगी।

कुत्ता आदमी को काट ले— यह समाचार नहीं है किन्तु आदमी कुत्ते को काट ले— यह समाचार है। इस प्रकार जो अस्तमवितम, विचित्र हैं, जो हमारे मन, मस्तिष्क एवं भावना को प्रभावित करे वह घटना

अस्वाभाविक, समाचार तत्व से युक्त होती है। जिस घटना में सर्वाधिक विचित्रता, असाधारणता, असंभावितता, दुःसाहसिकता होती है या जिसमें किसी तथ्य पर पड़े हुए परदे का आवरण हटाया जाता है— वह समाचार योग्य है। किसी लोक प्रसिद्ध व्यक्ति के निजी जीवन से जुड़े प्रेम—प्रसंग जब जनता के समक्ष आते हैं, उन पर पड़ा आवरण हटता है तब भी जनता की उत्सुकता उनसे जुड़े समाचारों को जानने की होती है। अमेरिका राष्ट्रपति बिल क्लिंटन के विवाहेतर यौन प्रसंगों के उजागर होने पर समाचार पत्रों में उनकी बड़ी किरकिरी हुई। जनता में इससे जुड़े समाचारों को जानने की तीव्र उत्कंठा रही। ब्रिटिश राजघराने में प्रिंस ऑफ वेल्स की पत्नी प्रिंसेस डायन हुई खबरें भी लोगों के आकर्षण का केन्द्र रही हैं। वस्तुतः घटना अपने में कोई समाचार नहीं होती, समाचार वह तभी बनती है जब उसमें कोई अस्वाभाविकता या विचित्रता हो जो लोगों को अपनी ओर आकृष्ट करे। किसी व्यक्ति का आसाधारण कारनामा, असीम दुस्साहस, अद्भूत प्रतिभा आदि ऐसी बातें हैं जो लोगों को अनायास आकट करती हैं तथा लोग ऐसी बातों को जानने के लिए उत्सुक रहते हैं। यही कारण है कि ऐसी घटनाएँ समाचार बन जाती हैं।

प्रयोजनमूलक हिन्दी

समाचार लेखन जिन छरू बिन्दुओं से जुड़ा होता है, वे हैं— क्या कब, कहाँ, किसने, क्यों और कैसे? इन प्रश्नों का समाधान ही समाचार लेखन में होता है। समाचार लेखन एक कला है। इसे लाने वाले को पाठक में उत्सुकता एवं रोचकता उत्पन्न करने का प्रयास करना पड़ता है। समाचार लेखक के लिए यह आवश्यक है कि वह समाचार को सजीवन रूप में प्रस्तुत करे। क्या घटित हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ,

किसने किया, क्यों किया और कैसे किया ? इन प्रश्नों का समाधान करते हुए यदि समाचार लिखा जायेगा तो वह पाठकों को घटना का पूरा विवरण प्रदान कर देगा तथा घटना पाठकों को हृदयंगम हो जायेगी। समाचार के पहले पैराग्राफ में समाचार सारांश होता है तदुपरांत उसका पूरा विवरण पेश किया जाता है।

यहाँ कुछ समाचारों के उदाहरण प्रस्तुत किये जा रहे हैं—

हिमस्खलन में बीएसएफ के छह जवानों की मौत

श्रीनगर, 10 फरवरी, 1 जम्मू—कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में नियन्त्रण रेखा के निकट शुक्रवार को हिमस्खलन में बीएसएफ के छह जवानों की मौत हो गई। 13 अन्य जवानों को बचा लिया गया। उधर, बर्फ जमे होने के कारण शुक्रवार को पाँचवें दिन भी जम्मू—श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग बंद रहा। जम्मू—कश्मीर से सटे चंबा जिले के किहार इलाके की सीमा में भारी बर्फबारी के कारण आईटीबीपी के 17 जवान फँस गए हैं। पिछले दो दिनों से इन जवानों से कोई संपर्क नहीं हो पाया है वायुसेना के हेलिकॉप्टर यहाँ फँसे लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुँचाने के काम में लगे हुए हैं।

बीएस एफ के डीआईजी के श्रीनिवासन ने बताया कि शुक्रवार तड़के तंगधार के फारकिया गली में हिमस्खलन के कारण बीएसएफ के दो षिविर बर्फ में दफन हो गए। इन षिविरों में सीमा की रखवाली के लिए तैनात 19 जवानों से एक सब—इंस्पेक्टर समेत 13 जवानों को बचा लिया गया, लेकिन छह जवानों की बर्फ में दबने से मौत हो गई। ब्यूरो उक्त समाचार में सर्वप्रथम क्या का उत्तर है कि हिमस्खलन में बी.एस.एफ के छह जवानों की मृत्यु हो गई। कब का उत्तर देते हुए घटना का समय 10 फरवरी 2012 दिया गया है। कहाँ का उत्तर देते हुए बताया गया है कि यह घटना जम्मू—कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर में घटित हुई। इसके उपरान्त घटना का विवरण है। घटना के सम्बन्ध में बी.एस. एफ. के. डी. जी.

का बयान है। घटा कैसे हुई यह भी बताया गया है। इस प्रकार उक्त समाचार लेखनमें पूर्णता है। वाक्य छोटे-छोटे हैं, भाशा सरल, प्रवाहपूर्ण, सुस्पष्ट एवं सजीव है।

मुर्षरफ के लिए अशुभ संकेत बेनजीर व शरीफ की भेंट नई दिल्ली।

लम्बे अरसे के बाद हुई दो पूर्व प्रधानमन्त्रियों की मुलाकात ने पाकिस्तान की राजनीति में हलचल पैदा कर दी है। पूर्व प्रधानमन्त्री नवाज शरीफ व बेनीर भुट्टों की कोषिषें कितना रंग लायेंगी, यह कहना तो अभी मुश्किल है पर यह मुलाकात राष्ट्रपति जनरल मुर्षरफ के लिए अशुभ है। पाकिस्तान मामलों के जानकारों का मानना है कि तमाम कोषिषों के बावजूद मुर्षरफ पाकिस्तान की राजनीति से बेनजीर भुट्टो व नवाज शरीफ का वजूद खत्म नहीं कर पाये है। दोनों पार्टियाँ अगर एकजुट होकर मुर्षरफ के खिलाफ मुहिम चलाती हैं तो जनरल के लिए खासी मुश्किल पैदा हो सकती है।

पाकिस्तान की राजनीति पर नजर रखने वालों की राय है कि दोनों नेताओं के बीच कोई भी समझौता काफी मुश्किल है। पर नवाज शरीफ और बेनजीर भुट्टों मुर्षरफ को हटाने के लिए साझा मुहिम शुरू करते हैं तो यह पाकिस्तान की राजनीति में नई शुरूआत होगी। ब्यूरो उक्त समाचार पाकिस्तान के अंदरूनी हालात से सम्बन्धित है। पाकिस्तान में सैनिक शासक राष्ट्रपति जनरल मुर्षरफ ने नवाज शरीफ की सरकार को हटाकर सैनिक शासन स्थापित किया था। नवाज शरीफ एवं बेनजीर भुट्टों पाकिस्तान के निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में जाने जाते हैं। यद्यपि ये दोनों अलग-अलग पार्टियों के प्रमुख रहे तथा दोनों में राजनीतिक विरोध है किन्तु इस समय दोनों ही मियाँ मुर्षरफ की तानाशही के षिकार बनकर निवाससन भोग रहे हैं। इनका पाकिस्तान की जनता पर काफी प्रभाव है। यदिदोनों मिलकर प्रयास रकें तो पाकिस्तान के सैनिक तानाशाह राष्ट्रपति मुर्षरफ के लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। इसी सिलसिले में दोनों नेताओं की भेंट हुई है।

कर्नाटक में छह पुलिसजनों समेत सात लोगों की हत्या—

बंगलौर कर्नाटक पुलिस द्वारा मुठभेड में एक कट्टर नक्सली के मारे जाने के कुछ ही दिनों बाद आन्ध्र प्रदेश के नक्सलियों ने बरहस्पतिवार रात टुमकुर जिले में स्थित कर्नाटक स्टेट रिजर्व पुलिस (केएसआरपी) के कैंप पर हमला कर छह पुलिसकर्मियों समेत सात लोगों की हत्या करदी और पाँच को घायल कर दिया। उधर इस घटना के तत्काल बाद कर्नाटक सरकार ने घोशणा की है कि मैदानी इलाकों में नक्सलवाद से निपटने के लिए दो नक्सल निरोधी दस्तों का गठन किया जायेगा। कर्नाटक में नक्सलियों का यह पहला बड़ा हमला है।

कर्नाटक के पुलिस महानिदेशक एस. एन. बोरकार ने कहा कि लगभग 110 नक्सली तीन वैनों पर सवार होकर केएसआरपी कैंप पहुँचे। नक्सलियों ने गोली चलाकर पहले संतरी की जान ली। उसके बाद पुलिसकर्मियों पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। नक्सली एकै-47 राइफलों व ग्रेनेड से लैस थे। हमले के समय कैंप में 30 पुलिसकर्मी कॉबिंग कर लौटे थे। बोरकार ने कहा कि नक्सलियों ने एक धमकी भरा पत्र भी छोड़ा जिसमें लिख था कि वे ऐसी कार्यवाही फिर करेंगे। नक्सलियों का यह हमला प्रध नमन्त्री मनमोहन सिंह का कर्नाटक दौरा शुरू होने से कुछ ही घण्टे पहले किया गया। पीटीआई उक्त समाचार देश में बढ़ रही नक्सलवादी गतिविधियों से सम्बन्धित है। नक्सलवादियों द्वारा कर्नाटक पुलिस के कैम्प पर हमला करके छह पुलिसजनों को मार दिया गया। यह घटना क्यों हुई, कैसे हुई कब हुई, इसका विवरण भी विवरण भी समाचार में पेश किया गया है। वाक्य छोटे-छोटे हैं। घटनाक्रम को सरल, सहज व प्रवाहपूर्ण भाशा में प्रस्तुत किया गया है तथा समाचार को दो पैराग्राफों में विभक्त किया गया है।

उक्त उदाहरण समाचार लेखन कला पर प्रकाश डालने हेतु प्रस्तुत किये गये हैं एक विस्तृतसमाचार भी यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है।

विहार में मुख्यमंत्री कौन बनेगा? आईएनएस पटना।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

पूर्व केन्द्रीय मंत्री नीतीश कुमार को बिहार के अगले मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किये जाने मुद्दे पर भाजपा और उसके सहयोगों दल जनता दल यू में मतभेद उभर कर सामने आ गया है। यूँ तो नीतीश जनता दल यू के नेता हैं, लेकिन उनकी ही पार्टी के धीरे नेता जॉर्ज फर्नांडिस उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किये जाने के विरोधी हैं। उधर, अभिनेता सांसद षत्रुघ्न सिन्हा का कहना है कि इस मुद्दे पर माथा खपाना वक्त बर्बाद करना है कि अगला मुख्यमंत्री कौन होगा। पहले हम राबड़ी को तो हराये। भाजपा ने ऐलान कर दिया है कि अगर उसके नेतरत्व वाला गठबंधन सत्ता में आता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। जदयू के अध्यक्ष और राजग संयोजक जार्ज फर्नांडिस भाजपा की इस राय कसे इत्तफाक नहीं रखते। पूछे जाने पर फर्नांडिस कहते हैं कि नीतीश कुमार को भविष्य के मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने से जनता भ्रमित होगी। उनके मुताबिक जनता को भ्रमित करने के लिए नीतीश को मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किया जा रहा है।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, इसका फैसला नव-निर्वाचित विधायक करेंगे। उन्होंने नीतीश की मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट किये जाने के भाजपा के ऐलान को पार्टी की निजी राय कराया दिया। नीतीश और फर्नांडिस के बीच मतभेद की खबर छपती रही है। जब कभी मामला तूल पकड़ता है तो दोनों नेता एक-दूसरे की तारीफ कर चर्चा को ठंडा करने की कोषिष करते हैं।

फर्नांडिस की इस टिप्पणी से नीतीश के समर्थक दुःखी हैं। भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोषी, उमा भारती, प्रमोद महाजन, अरुण जेटली आदि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद की दौड़ में मानते हैं। अभिनेता- सांसद षत्रुघ्न सिन्हा इस दौड़ में शामिल रहे हैं।

उक्त समाचार बिहार के अगले मुख्यमंत्री बनने वाले व्यक्ति से सम्बन्धित है। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। जनता दल के नेता नीतीश कुमार को भाजपा अध्यक्ष लालकृष्ण आडवाणी ने अगले मुख्यमंत्री के रूप में पेश किया है जिसका विरोध जनता दल के नेता जार्ज फर्नांडिस के साथ-साथ भाजपा नेता एवं अभिनेता षत्रुघ्न सिन्हा कर रहे हैं क्योंकि वे स्वयं ही मुख्यमंत्री बनने के इच्छुक हैं। समाचार को विशयानुरूप चार अनुच्छेदों में बाँटा गया है वाक्य छोटे-छोटे हैं, कथन प्रभावपूर्ण है तथा पूरी बात समाचार में स्पष्ट हो रही है।

इन उदाहरणों से हमें समाचार लेखन कला की व्यावहारिक जानकारी प्राप्त करने में सहायता मिलती है।

3. धीरेकीकरण

धीरेकीकरण का अभिप्राय है- समाचार का धीरेक है (भ्रमकपदह) देना। प्रत्येक समाचार के ऊपर मोटे अक्षरों में जो हैडिंग दिया जाता है वह समाचार कासार होता है। हैडिंग को पढ़कर ही पाठकों को यह ज्ञात हो जाता है कि घटना या समाचार किससे सम्बन्धित है। यदि धीरेक में आकर्षक है तो पाठक उस साचार को पढ़े बिना नहीं रह सकता किन्तु यदि धीरेक में रोचकता नहीं है और वह बेजान है तो उसे पाठक नहीं पढ़ता।

सच तो यह है कि हैडिंग या धीरेक सोचने में काफी माथा-पच्ची करनी पड़ती है। काफी सोच-विचार के बाद ही सही हैडिंग दिया जा सकता है इसीलिए प्रसिद्ध पत्रकार सी. वाई. चिंतामणि ने लिखा है- भ्रमकपदह पे धीरेकीम अर्थात् धीरेक लगाना सबसे बड़ा सिरदर्द है। कहा जाता है कि बड़े-बड़े साहित्यकारों को भी यह समस्या परेशान करती रही है तथा उन्हें अपनी रचनाओं के नाम हैडिंग खोजने के लिए काफी माथा-पच्ची करनी पड़ती है। अंग्रेजी के सुप्रसिद्ध नाटककार शेक्सपीयर को जब अपनी एक रचना का कोई धीरेक नहीं सुझा तो उन्होंने उकसा नाम रखा दिया - एज यू लाइक इट (। लवनद सपाम पज.)

अखबारों में अनेक समाचार होते हैं तथा इन समाचारों के उपयुक्त धीरेक लगाये जाते हैं। समाचारों की प्रकृति भी अलग-अलग होती है

अतः सभी पर उचित षीर्षक लगाना निश्चय ही एक बड़ी समस्या होती है जिसका पत्रकारों को प्रतिदिन सामना करना पड़ता है।

एक अच्छे षीर्षक की निम्न विशेषताएँ हो सकती हैं—

1. पाठकों का ध्यान आकृष्ट करना।

समाचार का सार प्रकट करना।

3. समाचार पत्र के स्वरूप को सुन्दर और आकर्षक बनाना।

4. लोकमत को प्रभावित करना।

5. षीर्षक यथासम्भव संक्षिप्त होना चाहिए।

6. षीर्षक के लिए जितना स्थान उपलब्ध हो, उतने में ही षीर्षक बनाना चाहिए।

7. षीर्षक का आधार समाचार का प्रमुख अंश होना चाहिए।

8. समाचार के महत्व के आधार पर षीर्षक का प्वाइंट साइज कम या अधिक किया जाता है।

कभी—कभी षीर्षक समाचार—पत्र के कई कॉलमों को घेरता है तब उसका आकार बड़ा होता

9. है और जब वह एक या दो वाक्यों में दिया जाता है तब उसका आकार छोटा होता है।

10. षीर्षक लगाते समय प्वाइंट साइज का ध्यान रखना चाहिए। 8 कॉलम की चौड़ाई 13.5 एम होती है।

11. यदि समाचार के साथ कोई तस्वीर दी गई हो तो हैडिंग को उसी के अनुपात में छोटा या बड़ करना पड़ता है।

12. षीर्षक देते समय हमें मैटर और हैडिंग के बीच एक निश्चित अनुपात बनाये रखना चाहिए अन्यथा पूरा पेजा अनाकर्षक हो जाता है।

षीर्षकों के प्रकार

आज समाचार—पत्रों की कम्पाजिंग कम्प्यूटर से होती है, अतः अक्षरों के साइज (फाण्ट साइट) का निध रिण कम्प्यूटर द्वारा बड़ी सरलता से तथा विभिन्न आकारों में किया जा सकता है। षीर्षकों को समाचार

अनुसार अनेक प्रकार से लगाया जा सकता है। इनमें से प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं—

1. पूर्णपातज षीर्षक— जो षीर्षक पूरे एक कॉलम में फैला होता है, उसे पूर्णपाती षीर्षक कहते हैं। इसे लगाते समय यह ध्यान रखना पड़ता है कि कॉलम के बाहर कोई अक्षर निकलने न पाये।

2. विलोम स्तूपी षीर्षक— स्तूप रचना को कहते हैं जिसका नीचे का भाग चौड़ा होता है और ऊपर का भाग पतला होता है। विलोम स्तूपी का अर्थ उस रचना से है जो ऊपर चौड़ी तथा नीचे पतली होती है। ऐसा षीर्षक जो ऊपर चौड़ा हो अर्थात् ऊपर की पंक्ति में अधिक हों तथा नीचे कम अक्षर हो विलोम स्तूपी कहलाता है। जैसे—

1. स्मैक विक्रेता

ते गिरफ्तार

फरियादियों ने मण्डलायुक्त को बताई व्यथा

आगणन प्रपत्र

जमा करें।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

3. सोपानी षीर्षक— सोपान का तात्पर्य है— सीढ़ी। ऐसा षीर्षक जो सीढ़ीनुमा हो सोपानी षीर्षक कहलाता है। इसमें पहली पंक्ति में बायी ओर से षीर्ष आरम्भ करते हैं तथा दाहिनी ओर कुछ स्थान छोड़ देते हैं। षीर्षक की दूसरी पंक्ति पहली पंक्ति के ठीक नीचे से प्रारम्भ कर पहली से कुछ बड़ी लिखते हैं तथा यहाँ भी कुछ स्थान छोड़ देते हैं जबकि तीसरी पंक्ति को पूरा लिखते हैं। इस प्रकार पूरे षीर्षक का आकार सीढ़ीनुमा दिखाई देता है। व्यवहार में ऐसा षीर्षक कम ही दिखाई पड़ते हैं। साक्षात्कार में जब चित्र के साथ षीर्षक दिया जाता है तो इसी प्रकार का होता है। इसे लेफ्ट एलाइनमेंट भी कहते हैं, यथा—

सरकार

प्रतिबद्ध है।

कर बढ़ाने के लिए

विलोन सोपनी षीर्षक— यह षीर्षक ऊपर बताये गये सोपनी षीर्षक का उल्टा विपरीत होता है। इसमें ऊपर वाली पंक्ति पूरी होती है। दूसरी पंक्ति कुछ छोटी और तीसरी पंक्ति सबसे छोटी होती है। तीन पंक्तियों वाले ऐसे षीर्षक अखबारों में बहुत दिखायी पड़ते हैं। इस प्रकार के षीर्षक का एक उदाहरण दृष्टव्य हैं—

फरियादियों ने

मंडलायुक्त को

बताई यथा

आयताकार षीर्षक— वह षीर्षक जिसके चारों कोनों को मिला देने पर आयत की आकृति बन जाती है, आयताकार षीर्षक कहलाता है। यह प्रायः दो पंक्तियों का होता है और दोनों पंक्तियों का आकार बराबर होता है। इस प्रकार के षीर्षक के उदाहरण देखिए—

(1) अगवा युवक बदमाशों

को चकमा देकर भागा

(पप) तहसील नये भवन में जल्द स्थानान्तरिक होगी

6. कॉट षीर्षक— कटि का अर्थ है कमर। जैसे स्त्री को कमर पतली होती है किन्तु ऊपर—नीचे का भाग चौड़ा होता है उसी प्रकार जब षीर्षक को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाय कि उसकी ऊपर—नीचे की पंक्ति तो बड़ी हो किन्तु बीच की पंक्ति छोटी हो, तब उसे काट षीर्षक कहते हैं। प्रायः पहली और तीसरी पंक्ति बड़ी अर्थात् पूरी रखी जाती है जबकि दूसरी पंक्ति छोटी अर्थात् कम अक्षरों की रखी जाती है यथा—

(अपराधों को लेकर

जनरोश

मुख्यमंत्री का पुलता फूँका

(पप) मलयाली फिल्मों में

हृद दर्ज की अप्लीलता एवं हिंसा

7. कपाली षीर्षक— मुख्य षीर्षक के ऊपर छोटे टाइप में जब षीर्षक का एक अंश दिया जाता है। तो उसे कपाली षीर्ष कहते हैं। इसमें पहली पंक्ति कुछ छोटे अक्षरों में होती है। जिसे रेखांकित भी करते हैं तदुपरान्त मोटे अक्षरों में षीर्षक प्रस्तुत किया जाता है इसका एक उदाहरण इस प्रकार है—

सोनिया गाँधी ने कर्णभर की रैली में कहा

8. आतंकवादी गोलियों

का जवाब मतदान

पताका पीर्शक— अखबार के पहले पृष्ठ पर अखबार का नाम, प्रकाशन तिथि और पीर्शक रेखा के ठीक नीचे सबसे मोटे अक्षरों में दिये जाने वाले पीर्शक को पताका या बैनर झंडा कहा जाता

है। यह उस दिन की सबसे महत्वपूर्ण समाचार को सामने लगात है। अंग्रेजी में पताका पीर्शक को स्ट्रीमर भी कहते हैं।

इसका एक उदाहरण प्रस्तुत है—

अमर उजाला से लिये गये इस उदाहरण में पताका पीर्शक

श्वजट सत्र के पहले दिन भारी हंगामा श

राज्यपाल ने पूरी की अभिभाषण की औपचारिकता

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। इलाहाबाद के विधायक राजू पाल की हत्या के विरोध में बसपा सदस्यों ने

बसपा सदस्यों ने शुक्रवार को दोनों सदनों में जकर हंगामा किया। इससे पहले विधानसभा में नारेबाजी व हंगामे के बीच ही राज्यपाल टीवी राजेश्वर ने महज आधा मिनट में संयुक्त अधिवेशन को सम्बोधित करने की रस्म अदायगी की। राज्यपाल ने अभिभाषण की शुरुआत की चंद लाइनें पढ़ी। बाद में अध्यक्ष माताप्रसाद पांडे जब राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ने खड़े हुए तो भाजपा सदस्य जहाँ वाकआउट कर गये, वही बसपा सदस्यों ने हत्यारी सरकार को बर्खास्त करो आदि नारों के साथ बेल में आकर पीठ पर कागज के गोले फेंके। दोनों सदनों में हंगामे के बीच चंद मिनटों में विधायी कार्य निपटाकर कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई।

सुबह 11 बजे जैसे ही राज्यपाल विधानसभा में अभिभाषण करने पहुँचे वैसे ही बसपा सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। भाजपा के कुछ सदस्य भी अपने स्थान पर खड़े होकर जोर-जोर से कुछ कहने लगे। बसपा के सभी सदस्य काली टोपी लगाये थे। जिन पर नारे लिखे थे। कई सदस्यों ने नारे लिखी तख्तियाँ व बैनर भी लहराये। इनमें लिखा था— गुंडाराज की सरकार भंग करो, जंगल राज की सरकार बर्खास्त करो। राजू के हत्यारों को फाँसी हो। इसके बाद राज्यपाल ने आधा मिनट में अभिभाषण पढ़ने की औपचारिकता पूरी की और लौट गये। सदन की कार्यवाही 12.20 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।

दोपहर 12.20 पर सदन की कार्यवाही बंदे मातरम् से शुरू हुई। इसके बाद अध्यक्ष ने जैसे ही राज्यपाल का अभिभाषण पटल पर रखा वैसे ही नेता प्रतिपक्ष लालजी टंडन की अगुवाई में भाजपा सदस्य सरकार विरोधी नारेबाजी करते हुए सदन से वाकआउट कर गये जबकि बसपा सदस्य नारेबाजी करते हुए बेल में आकर हंगामा करने लगे। इस बीच कुछ सदस्यों ने कागज के गोले पीठ की तरफ फेंकने शुरू कर दिये। इसके बाद अध्यक्ष ने भी शुरू और अन्त की चार-चार लाइनें पढ़कर चंद मिनटों में विधायी कार्य निपटवाये और कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी। बाद में बसपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि जब तक सरकार बर्खास्त नहीं होती, तब तक उनका आन्दोलन जारी रहेगा। सदन में भी वह अपनी बात मजबूती से रखेंगे।

उधर, 12.30 बजे विधान परिषद् की कार्यवाही बंदे मातरम् के साथ शुरू हुई। इसके बाद जैसे ही सभापति चौधरी सुखराम ने राज्यपाल के अभिभाषण को सदन के पटल पर रखा (पेश पेज 12 पर)

पेशांष के पीर्शक— कभी-कभी समाचार पूर्णतरु अपने पृष्ठ पर दिया जाता है तथा उस समाचार के नीचे यह अंकित कर दिया जाता है कि इसका पेश अंश किस पृष्ठ पर है।

पेशांष का पीर्शक लगाते समय हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि मूल पीर्शक एवं पेशांष के पीर्शक में अन्तर न आ जाय। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि सिकी निश्चित पृष्ठ



प्रयोजनमूलक हिन्दी

पर ही देते हैं यथा अमर उजाला 12वें पृष्ठ पर, राष्ट्रीय सहारा 11वें पृष्ठ पर दैनिक जागरण 8वें पृष्ठ पर हिन्दुस्तान 15वें पृष्ठ पर शेषाष्ट देते हैं। नवभारत टाइम्स शेषाष्ट का चक्कर नहीं चलता है।

पत्रिकाओं के शीर्षक अंतर्जाल की बिक्री उनके शीर्षकों के कारण ही होती है अतः उनके शीर्षक चौकाने वाले होते हैं। प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने तो यहाँ तक कहा है कि इन साप्ताहिक, पाक्षिक या मासिक पत्रिकाओं के शीर्षक चीखने वाले होते हैं। पत्रिकाओं में शीर्षक इस प्रकार के होते हैं जो लोगों को दूर से ही आकृष्ट करते हैं। आवरण कथाओं के कुछ मनोरंजक शीर्षक इस प्रकार के होते हैं—

1. मायावती की माया— ताज कारीडोर
2. किस्सा कुरसी का
3. फिर पक रही है मुलायम सरकार गिराने की खिचड़ी
अटल सरकार कितनी अटल
5. विहार का लालू चक्रव्यूह में
आठ घण्टे का राजनीतिक ड्रामा
7. एम. एफ. हुसैन— माधुरी फिदा हुसैन
8. बालीबुड का बेताज बादशाह— एक रिपोर्ट
9. तीन राज्यों के चुनाव— कौन बनेगा मुख्यमंत्री
10. चुनाव पूर्व सर्वेक्षण— कितने सही कितने गलत
4. पष्ठविन्यास (चंम ततंदहमउमदज)

प्रत्येक समाचार-पत्र में पष्ठसंख्या निर्धारित होती है तथा यह भी पहले से निश्चित होता है कि किस पष्ठपर क्या सामग्री छापी जायेगी। सामान्यताया प्रथम पष्ठपर वे समाचार दिये जाते हैं जो अत्यन्त महत्वपूर्ण होते हैं। प्रायः राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व के समाचारों को प्रथम पष्ठपर स्थान मिलता है। प्रथम पष्ठपर जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण समाचार होता है वह सबसे अधिक मोटे हैडिंग में तथा कई कॉलमों में चित्र के साथ छापा जाता है। इस पष्ठके समाचार ताजे होते हैं। प्रायः सभी अखबारों के पहले पेज का पष्ठविन्यास एक जैसा होता है। इस पष्ठपर छापने वाले विज्ञापन की दर भी अन्य पष्ठों की तुलना में अधिक होती है।

पष्ठविन्यास का तात्पर्य है कि अखबार के किस पेज पर क्या सामग्री दी जाये। वस्तुतः यह नीतिगत निर्णय होता है। जिसे बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के साथ विशेषज्ञ मिल-बैठकर तय करते हैं। क्षेत्रीय समाचार-पत्र इस सम्बन्ध में अलग नीति अपनाते हैं जबकि राष्ट्रीय समाचार-पत्रों की पष्ठविन्यास नीति अलग प्रकार की होती है। उदाहरण के लिए आगरा से प्रकाशित होने वाला अमर उजाला यद्यपि प्रकार संख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश के अनेक नगरों से प्रकाशित होता है। स्थानीय एवं क्षेत्रीय खबरों के लिए पाठक अर उजाला पढ़ता है अतः इस अखबार के नीति निर्धारकों ने इसमें अलग-अलग नामों से चार पेज को साग्री देनी प्रारम्भ की है जिसे आगरा न्यूज, फीरोजाबाद न्यूज, अलीगढ़ न्यूज आदि गायें से जाना जाता है। चार पेजों की यह सामग्री केवल उसी शहर में दी जाती है अर्थात् आगरा के अमर उजाला में ये चार पेज फीरोजाबाद के अमर उजाला से अलग होंगे। फीरोजाबाद में वितरित किये जाने वाले अमर उजाला में फीरोजाबाद न्यूज होगी तो अलीगढ़ ने वितरित किये जाने वाले अमर उजाला में अलीगढ़ न्यूज होगी। इस भारत में उसी भाग में उसी नगर की खबरें प्रमुखता से होती हैं तथा इसका पुरा मैटर भी नगर के स्थानीय प्रतिनिधि जुटाकर आगरा कार्यालय को भेजते हैं।

यह भी उल्लेखनी है कि पष्ठविन्यास (चंम ततंदहमउमदज) पष्ठसज्जा (चंम डांपदह) से अलग है। पष्ठविन्यास के अन्तर्गत प्रत्येक अखबार यह निश्चित करता है कि उसके

किस पष्ठपर क्या सामग्री होगी। यह एक नीतिगत निर्णय होता है जिसे बदलने का अधिकार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही होता है। जैसा कह चुकबे हैं कि प्रत्येक समाचार-पत्र के प्रथम पष्ठपर राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय महत्व की खबरें होती हैं किन्तु अन्य पष्ठों पर क्या सामग्री दी जायेगी इस सम्बन्ध में सभी की नीति अलग-अलग होती हैं।

अमर उजाला के पष्ठ2 पर देश-विदेश की खबरें होती हैं तथा कुछ स्थायी रूप से दी जाने वाली सामग्री इस प्रकार है—

आकाषवाणी आगरा का कार्यक्रम विवरण

ज्ञान सामर्थ्य (वर्ग पहेली)

आज का पंचांग

आज का भविष्य

मौसम सम्बन्धी सूचनाएँ

6. टी.वी. कार्यक्रम

इसी समाचार-पत्र के पष्ठ पर भी देश-विदेश के समाचार होते हैं। पहले कॉलम में सार संक्षेप के अन्तर्गत देश-विदेश के संक्षिप्त समाचार दिये जाते हैं। इस पेज पर विज्ञापनों की भी भरमार होती है।

अमर उजाला का पष्ठचार अत्यन्त महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पष्ठपर सम्पादकीय लेख के साथ-साथ किसी विषिष्ट विषय पर प्रमुख पत्रकार या विद्वान का अग्रलेख होता है। एक हास्य-व्यंग्य का लोख भी इसी पष्ठपर रहता है। इसके अतिरिक्त स्थायी कॉलम-अनमोल वचन, धर्मक्षेत्र, चित्रकथा- दाखिल-खारिज, इन दिनों, पाठकों के पत्र भी इसी पष्ठपर रहते हैं। इस पष्ठपर का नाम है- विविधा इसमें विविध प्रकार की खबरों के साथ-साथ विज्ञापनों के लिए भी जगह रहती है। पष्ठसंख्या छह पर आगरा मण्डल की खबरें रती हं साथ ही एक-दो विज्ञापन भी होते हैं। पष्ठसंख्या सात, आठ, नौ, दस, अलग-अलग नगरों की न्यूज स सम्बन्धित परिषिष्ट होते हैं, यथा-आगरा न्यूज, फीरोजाबाद न्यूज, मथुरा न्यूज, अलीगढ़ न्यूज। वस्तुतः यह चार पष्ठों का अलग अखबार है। इसी एक उपयोगिता तो यह है कि यदि परिवार के सभी लोग एक अखबार पढ़ना चाहें तो इस परिषिष्ट को अलग करके एक व्यक्ति पढ़ सकता है और दूसरा मुख्य पेज को। हर परिवार में प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मैं अखबार पहले पढ़ें। कम से कम दो लोगों की तसल्ली तो इस परिषिष्ट के कारण हो ही जाती है। इस प्रकार के परिषिष्ट की दूसरी उपयोगिता स्थानीय समाचारों से अवगत कराना है। समाचार-पत्र का सतावें किन्तु परिषिष्ट का पला पष्ठ प्रमुख स्थानीय समाचारों की जानकारी देता है। इस पष्ठपर सचित्र समाचार रहते हैं। पष्ठका कुछ भाग रंगीन विज्ञापनों के लिए सुरक्षित रहता है। यही नहीं अपितु कुछ महत्वपूर्ण खबरें अलग रंगों के बॉक्स में भी प्रकाषित की जाती है।

पेज संख्या 8 पर जिला मुख्यालय के आस-पास के छोटे नगरों-कस्बों की खबरें रहती है जैसे फीरोजाबाद न्यूजद में यह पाश्ट टूण्डला, पिकोहाबाद, सिरसागंज की खबरों से भरा रहता है। पष्ठपर सचित्र समाचार होते हैं किन्तु वे चित्र रंगीन न होकर श्वेत-प्याम ही होते हैं। इसी पष्ठपर एक कॉलम में शुभकाना संदेश भी विज्ञापन के रूप में प्रकाषित होते हैं। जिन्हें शुभकामनाएँ नाम से छापा जाता है। स्थानीय सिनेमाघरों में दिखायी जा रही है फिल्मों के नाम भी फीरोजाबाद सिनेमा कॉलम में बोलड अक्षरों में छापे जाते हैं।

पष्ठसंख्या नौ फीरोजाबादा की खबरों के लिए आरक्षित रहता है। इसमें प्रथम कॉलम में फीरोजाबाद संक्षिप्त के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार की छोटी-छोटी खबरें प्रकाषित की जाती हैं। पष्ठका चौथाई भाग श्वेत-प्याम बड़े बड़े विज्ञापन के लिए होता है। इसी पष्ठव्यक्तिगत के अन्तर्गत षवयात्रा, उठावनी, रस्म पगड़ी, पुण्यतिथि आदि से सम्बन्धित विज्ञापन छापे जाते हैं। अमर उजाला के पष्ठसंख्या 10 पर पुनरु फीरोजाबाद की महत्वपूर्ण खबरें रंगीन चित्रों



प्रयोजनमूलक हिन्दी

के साथ प्रकाशित की जाती है। यहाँ पर एक कॉलम में कुछ स्थायी स्तम्भ होते हैं, यथा—फीरोजाबाद में आज, कार्यक्रम सूचनाएँ, सार—संक्षेप आदि। रंग—बिरंगा होने के कारण यह पष्ठअत्यन्त आकर्षक लगता है। पष्ठसंख्या 11 पर पुनः फीरोजाबाद की खबरें श्वेत—ध्याम चित्रों के सा रहती हैं। इस पष्ठपर भी एक कॉलम सार—संक्षेप का होता है जिसमें छोटी—छोटी खबरें दी जाती है। इस पष्ठक एक भाग पर विज्ञापन भी होते अमर उजाला का पष्ठ 12 विविध केना से होता है जिसमें प्रथम तीन कॉलम छोटे—छोटे विज्ञापनों के लिए रहते हैं। अन्य समाचार श्वेत—ध्याम चित्रों के साथ दिये जाते हैं। प्रथम पष्ठके पेशांष भी इसी पष्ठपर छापे जाते हैं। स्थायी कॉलम के रूप में अमर उजाला डाट काम में पाठकों की राय किसी प्रश्न पर माँगी जाती है तथा पिछले प्रश्न के सम्बन्ध में पाठकों की राय का प्रतिषत हॉ, नहीं, पता नहीं में दिखाया जाता

पष्ठ 13 का नाम शुभ लाभ है जिसमें कारोबारी जगत् की खबरें होती है। उद्योग, व्यापार, वाणिज्य से सम्बन्धित समाचारों के साथ—साथ बाजार, भाव, सर्राफा बाजार, आगरा मण्डी आदि के भाव भी इसमें दिये होते हैं इस पेज का एक भाग विज्ञापने से युक् होता है।

पष्ठसंख्या 14 का नाम हाटस्पाट रखा गया है। यह रंगीन पष्ठहै जिसमें सिनेजगत्, छोटे पर्दे के स्कूप रहते हैं। युवाओं के लिए यह पष्ठसर्वाधिक आकर्षक होता है। हैलो हालीवुड हाट वेब, कार्बन, लव फंडा नाम से इसमें स्थायी स्तम्भ भी रहते हैं।

अमर उजाला का पेज 15 स्पोर्ट्स की खबरों के लिए सुरक्षित एक रंगीन पष्ठहै। इसमें विविध प्रकार के खेल सम्बन्धी समाचार रहते हैं तथा विज्ञापन भी रंगीन होता है। विविध रंगों में छपने वाले समाचार पष्ठ को अत्यन्त आकर्ष रूप प्रदान करते हैं। खेल प्रेमी सबसे पहले इसी पष्ठपर अपनी नजर डालते हैं। अमर उजाला का अन्तिम पेज पष्ठसंख्या 16 आइना षीर्षक से छपता है। यह भी एक रंगीन पष्ठहै जिसमें देश—विदेश की मनोरंजक खबरें रहती हैं। इस पष्ठपर छपने वाला विज्ञापन भी रंगी होता है। इसी पष्ठपरसमाचार—पत्र सम्बन्धी सूचनाएँ बायीं ओर सबसे नीचे दी जाती हैं जिनमें संस्थापकों के नाम, प्रथ न सम्पादक, स्थानीय सम्पादक, प्रेस का नाम व पता होता है तथा समाचार—पत्र के महत्वपूर्ण फोन नम्बर भी होते हैं। ई—मेल पता भी इसमें दिया रहता है।

यहाँ उदाहरण के लिए एक अखबार को आधारबनाकर पष्ठविन्यास का स्वरूप प्रस्तुत किया गया है। इस तजट से सभी अखबारों में थोड़े बहत हेरफेर से यही सामग्री रहती है। क्षेत्रीय समाचार—पत्रों में क्षेत्रीय समाचारों को वरीयता दी जाती है जबकि राष्ट्रीय समाचार—पत्रों में क्षेत्रीय खबरें बहुत कम होती है। विज्ञापन सभी अखबारों में रहते है। क्योंकि वही अखबार की आय का प्रमुख साधन है।

सोलह पष्ठों के अतिरिक्त निर्धारित दिनों पर इन अखबारों के परिशिष्ट अलग से निकलते हैं। जैसे अमर उजाला में रंगायन रूपायन कैरियर, टीन वर्ल्ड नाम से निकलने वाले परिशिष्ट पत्रिका के रूप में होते है। रविवार को वैवाहिक विज्ञापनों से अखबार भरा रहता है। उस दिन पष्ठविन्यास भी बदला होता है। सम्पादकीय उस दिन नहीं लिखा जाता है। उस दिन पष्ठसंख्या भी अधिक होती है। संग्रतः कह सकते हैं कि पत्रकारिता में पष्ठविन्यास का विषेश महत्व होता है। पाठकों को आकर्षित करने के लिए समय—समय पर समाचार पत्र अपनी नीति में परिवर्तन करते हुए पष्ठविन्यास को परिवर्तित भी करते रहते हैं।

1. प्रिंट मीडिया में सम्पादन

प्रत्येक समाचार-पत्र में एक सम्पादक होता है जिसके निर्देशन में सम्पादकीय विभाग कार्य करता है। सम्पादक के साथ-साथ यह-सम्पादक, उपसम्पादक, स्थानीय सम्पादक तथा ये पद भी प्रायः समाचार पत्र के मालिकों को ही दिये जाते हैं।

सम्पादन का तात्पर्य है – आये हुये समाचारों को देखना, उनकी गलतियों को शुद्ध करना, किस पृष्ठ पर क्या सामग्री छपेगी इसका निर्धारण करना, तथा आये हुए समाचारों को प्रकाशन योग्य बनाना। प्रिंट मीडिया (समाचार-पत्र) में प्राप्त सामग्री की काँट-छाँट भी की जाती है तथा इसमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि समाचार की मूल आत्मा को सुरक्षित रखते हुए खबर इस प्रकार दी जाये जिससे अनावश्यक अंश हट जायें तथा कम से कम शब्दों में संक्षिप्तता का ध्यान रखते हुए समाचार का प्रकाशन हो सके। सम्पादन एक कला है जिसमें प्रतिभा, निपुणता एवं कार्य कुशलता का सम्यक् योगदान होता है। सम्पादन कार्य से जुड़े प्रत्येक व्यक्ति को न केवल बहुत सावधान रहना चाहिए अपितु उसे अपनी कुशलता, क्षमता, बुद्धि का भरपूर उपयोग करते हुए सम्पादन करना चाहिए। सम्पादन कला सृजनात्मक रुचि के बिना निखरती है। प्रिंट मीडिया के अन्तर्गत समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, जर्नल, पुस्तकें, पम्फलेट, पोस्टर आदि बहुत कुछ आता है तथा इन सबका सम्पादन करना पड़ता है किन्तु सबके सम्पादन की कला एवं पैली अलग-अलग है। भाषा और व्याकरण की शुद्धता तथा विश्वसनीयता समाचार-पत्र के लिए अति आवश्यक है अतः सम्पादक को इस सब में प्रवीण होना चाहिए। यह आवश्यक नहीं है कि अच्छा लेखक अच्छा सम्पादक भी हो।

समाचार-पत्र के सम्पादकीय विभाग को निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है—

समाचार पर लगे हैंडिंग को देखना और यह निर्धारित करना कि वह उपयुक्त है या नहीं। घटना के स्थान का उल्लेख भी समाचार के प्रारम्भ में होता है। पहले तिथि का उल्लेख भी होता था पर अब तारीख का उल्लेख समाचार के साथ नहीं होता।

पूरे अखबार में अब तारीख केवल मास्ट हैड के नीचे एक बार ही दी जाती है अतः प्रत्येक समाचार के साथ तारीख देना अनुपयुक्त है। यदि कोई रिपोर्टर समाचार के साथ तारीख देता है तो एकरूपता बनाये रखने के लिए इसे हटा देना चाहिए।

समाचार के स्रोत का विवरण देकर इन्ट्रों (प्रारम्भिक) पर ध्यान दिया जाता है जो समाचार की पृष्ठभूमि होती है। यदि यह ठीक है तो ज्यों की त्यों कम्पोज कर दी जाती है अन्यथा उसमें आवश्यक सुधार कर दिया जाता है।

घटना का विवरण पढ़ते समय उसमें कब, क्या, कहाँ क्यों, कौन, कैसे का उत्तर मिलना चाहिए। यदि इनमें से कुछ छूट गया हो तो सम्पादक को उसे पूरा करना पड़ता है।

समाचार का आकार छोटा या बड़ा करने का अधिकार भी सम्पादक के पास होता है। इसका निर्णय भी वह अपने विवेक से करता है। खबर के महत्व एवं उपलब्ध स्थान के आधार पर समाचार का आकार बड़ा या छोटा किया जाता है।

सम्पादक को समाचार स प्रकार से बनाना चाहिए जिससे महत्वपूर्ण एवं आवश्यक बात समाचार के प्रारम्भ में आ जायें तथा कम महत्व की बातें बाद में आयें जिससे आवश्यकता पड़ने पर उन्हें हटाया जा सके। इससे मूल खबर अप्रभावित रहती है तथा स्थान की भी बचत हो जाती

8. सम्पादक को घटना के तथ्यों विवरणों के साथ-साथ भाषा की शुद्धता पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित

करना पड़ता है। इसमें से कुछ भी अशुद्ध या त्रुटिपूर्ण नहीं होना चाहिए।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

शीर्षक का भी सम्बन्ध समाचार से होता है— इस बात को ध्यान में रखकर शीर्षक को छोटा-बड़ा किया जा सकता है।

यदि कोई विचरण, घटना या समाचार विभिन्न स्रोतों से प्राप्त हुआ हो तो उसका कुशल सम्पादन

करते हुए केवल तथ्यात्मक एकरूपता पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

कोई समाचार दो बार अखबार में नहीं आना चाहिए। अर्थात् सम्पादक को देखना पड़ता है कि

समाचार भी पुनरावृत्ति अखबार में न हो।

सम्पादन को लोकरुचि का ध्यान रखते हुए उन्हीं खबरों को समाचार-पत्र में स्थान देना चाहिए जो जनता की उत्कण्ठा, जिज्ञासा और कौतूहल को सन्तुष्ट करती हों। जो खबरें पाठकों को रोमांचित कर दें, वे समाचार-पत्र के लिए अत्यन्त उपयोगी होती हैं। वस्तुतः रोमांच इस साहित्य में भले ही न होता हो पर पत्रकारिता में यह विशेष महत्व रखता है।

सम्पादन कला में दक्ष होने के लिए व्यक्ति को समाचार के शीपकीकरण, पृष्ठ विन्यास, आमुख, पृष्ठ सज्जा आदि में दक्ष होना चाहिए। साथ ही सम्पादकीय लेखमें उसकी विद्वता, प्रतिभा एवं तर्क कौशल की छाप रहती है।

समाचार के पर्वपर सम्बन्ध को स्पष्ट करने के लिए पूर्व सन्दर्भ का उल्लेख उचित करना चाहिए तथा यह उल्लेख समाचार के प्रथम पैराग्राफ में होना चाहिए।

जब किसी महान् हसती को मिलने वाले परस्कार आदि का समाचार दिया जाता है या महान् व्यक्तियों के निधन का समाचार देना होता है तब उसी उपलब्धियों का विस्तृत विवरण पुरानी फाइलों, कतरनों के आधार पर देना अनिवार्य होता है। कम्प्यूटर के जमाने में यह साग्री कम्प्यूटरकी मेमोरी में सुरक्षित रहती है किन्तु यदि साग्री कम्प्यूटर में न हो तो उसे पुस्तकालय से ग्रहण करना चाहिए। सम्पादक को समाचार का सम्पादन करते समय यह सब भी देखना पड़ता है।

एक कुशल सम्पादक वही है जो उपर्युक्त बातों के साथ-साथ निम्न तथ्यों पर भी ध्यान देता है— 1. शीपकीकरण— शीर्षक आकर्षक, संक्षिप्त, रोचक, समाचार से जुड़ा हुआ होना चाहिए। सम्पादक को

हर समाचार का शीर्षक देना पड़ता है— चाहे वह छोटा हो या बड़ा।

2. पृष्ठविन्यास— पृष्ठविन्यास सम्पादन कला में विशेष महत्व रखता है। प्रत्येक समाचार-पत्र में पृष्ठसंख्या निर्धारित होती है तथा कौन-सा समाचार किस पृष्ठपर जायेगा इसकी जिम्मेदारी ठमनतमजजम भाग की होती है। खबरों के महत्व को देखकर सम्पादक, समाचार सम्पादक, प्रधान उपसम्पादक यह सुनिश्चित करते हैं। कि पले पृष्ठपर कौन से समाचार जायेंगे तथा मुख्य खबर क्या होगी। उसके साथ कौ-सा चित्र जायेगा। विज्ञापन प्रभरी वह पहले ही बता देता है कि उसे किस पृष्ठपर कितना स्थान विज्ञापनों के लिए चाहिए।

प्रधान उपसम्पादक समाचारों के साथ दिये जाने वाले चित्रों एवं हैडिंग को जाँच करता है। समाचार-पत्र के कार्यालय में जो डेरे समाचार एकत्रित होते हैं उनमें से महत्वपूर्ण खबरें भी प्रकाशित की जाती हैं, बाकी रद्द कर दी जाती हैं। उत्पादक का यह दायित्व है कि यह देखे कि कौन सी

खबर दी जानी है और कौ-सी रद्द कर देनी है। महत्वपूर्ण समाचारों को प्रथम पृष्ठपर दिया जाता है।

समाचार-पत्र की पृष्ठसंख्या को ध्यान में रखते हुए समाचार चयनित किये जाते हैं तथा किस पृष्ठपर कौन-सा समाचार जायेगा, इसका निर्णय भी उसे करना पड़ता है।

3. आमुख लेखन— आमुख का तात्पर्य है समाचार की भूमिका या प्रारम्भिक अंश । यह प्रभावोत्पादक, रोचक, आकर्षक एवं कौतूहल वर्द्धक होना चाहिए। संवाददाता के लिए यह अत्यन्त कठिन होता है कि वह समाचार का प्रारम्भ किस प्रकार करें।

अच्छा आमुख होने से पाठकों की उस खबर में रुचि बढ़ जी है ओश्र वे पूरे समाचार को पढ़ते हैं। समाचार को इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि उसमें महत्वपूर्ण तथ्य प्रारम्भ में हो तथा कम महत्व के तथ्य सबसे बाद में हो जिससे सम्पादन करते समय स्थानाभाव के कारण यदि खबर छोटी करनी पड़े तो अन्तिम अंश काट देने पर भी मुख्य खबर पर कोई प्रीव न पड़े। एक अच्छा आमुख 24 शब्दों में ही अपना प्रभाव छोड़ जाता है। आमुख के लिए सूत्रपात शब्द का प्रयोग भी होता है।

4. समाचार प्रस्तुति प्रक्रिया— प्रसिद्ध पत्रकार के.पी. नाराया के अनुसार, सुसम्पादित समाचार—पत्र एक उद्यान की तरह होता है, जिसका विन्यास अच्छे ढंग से किया गया हो। यह ऐसा जंगल नहीं होता जिसमें सभी प्रकार की झाड़ियाँ पैदा होती है। उसमें प्रत्येक वस्तु के लिए स्थान होता है और प्रत्येक वस्तु उपयुक्त स्थान पर होती है। २

समाचार—पत्र को मुद्रण के लिए तैयार करते समय पष्ठकी साज—सज्जा एवं समाचारों की प्रस्तुति पर विशेष ध्यान समपादकीय विभाग विशेषकर उपसम्पादक को रखना है। कौन—सा समाचार रंगीन पड़ता कॉलम में जायेगा, किस समाचार को किस कॉलम में तथा कहाँ स्थान देना है जिससे पष्ठआकर्षक लगे, कहाँ काट—छाँट करनी है, कहाँ वाक्य पूरा करना है—इन सब बातों का ध्यान उसे रखना पड़ता है समाचारों के हैडिंग कैसे हों, टाइप चयन किस प्रकार का हो तथा सजावट कैसी ही जिससे पष्ठ आकर्षक लगे—इन बातों का ध्यान रखना आवश्यक है।

समाचार पत्र में यद्यपि सम्पादक का सर्वाधिक महत्व होता है किन्तु व्यवहार में पत्र, सम्पादन का उत्तरदायित्व उपसम्पादक पर ही होता है एवं सहायक सम्पादक होते हैं। ऐसी सिीति में एक प्रध न उपसम्पादक रहता है जो कार्यर्य का विभाजन कर देता है। प्रतिदिन छापने वाले समाचार—पत्र में उसकी भूमिका सर्वाधिक महत्वपूर्ण होती है।

प्रिंट मीडिया के साथ—साथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया—रेदियों एवं टी.वी. के लिए भी सम्पादक का विशेष महत्व है किन्तु यहाँ उसे देना अप्रासंगिक है।

2. फीचर लेखन

फीचर का सामाय तात्पर्य उस आलेख से है जो किसी घटना, स्थिति अथवा जीवन के किसी पक्ष के सम्बन्ध में पाठक का मनोरंजन करने अथवा सूचना देने के उददेश्य से लिखा जाता है। वस्तुतः फीचर एक ऐसा स्वानुभूत लेखन है जिसमें रचनात्मक कलात्मकता के साथ संवाददाता या रिपोर्टर घटना की यथातथ्य जानकारी विस्तृप्तपष्ठभूमि के साथ मनोरंजक ढंग से पाठकों को करा देता है। फीचर में घटनाक्रम कौतूहन, रोचकता, कल्पना, चमत्कार, भावना प्रधानता जैसे तत्व विद्यमान रहते हैं। फीचर में ललित निबन्ध की विशेषताएँ होती है किन्तु वह ललित निबन्ध से इसलिए अलग होता है क्योंकि उसमें निर्वैयक्तिकता का तत्व विद्यमान रहता है। ललित निबन्ध में लेखक विशय से भटककर कहीं पहुँच जाता है किन्तु फीचर रहता है। ललित निबन्ध में लेखक विशय से भटककर कहीं पहुँच जाता है किन्तु फीचर में विशय पर केन्द्रित रहना आवश्यक शर्त है। निबन्ध में जहाँ गम्भीर चिन्तन होता है, वहीं फीचर में रोचकता, सहजता, सरलता एवं प्रवाह रहता है। निबन्ध या लेख में आलोचनात्मक दर्पश्ट से काम लिया जाता है जबकि फीचर में तथ्यात्मकता पर बल देते हुए वस्तु, व्यक्ति या घटना या विवरण दिया जाता है। आलोचना में आलोचक अपने मत का प्रतिपादन करने पर विशेष बदल देता है किन्तु फीचर में लेखक का अपन मत महत्व नहीं रखता। हाँ अप्रत्यक्ष रूप में सीमा के भीतर रहते हहुए वह अपना मत गौण रूप में थोड़ा—बहुत दे सकता है। लेखों में विचार बहुलता होती है है जबकि फीचर में वैचारिकता कम होती है हृदयपक्ष अधिक प्रभावी भूमिका का निर्वाह करता है। फीचर में तथ्यों, आँकड़ों तिथियों और घटनाक्रम का विवरण इस प्रकार प्रस्तुत यि जाता है कि वह एक समग्र रचना प्रतीत होने लगती है। इसमें घटनाक्रम के साथ चित्र भी दिये जाते हैं जो रचना को अधिक रोचक, प्रासंगिक एवं उपयोगी बना देते हैं। फीचर का केनवास बहुत विस्तृप्त होता है। के



प्रयोजनमूलक हिन्दी

छोटे से छोटे विषय से लेकर बड़े से बड़े विषय पर लिख जा सकते हैं। विवेकी राय के अनुसार, फीचर का वृष्ट इतना विषाल है तथा जीवन की भाँति इतना व्यापक है कि उसमें समस्त विषयों का समावेश हो जाता है बस शर्त है तो यह कि उन्हें समसामयिक नजरिए से देखा जाये। समसामयिकता को यह परख पत्रकार में निष्पत्ति ही अधिक होती है इसलिए वह फीचर लेखन का सर्वोत्तम अधिकारी होता है।

फीचर के प्रकार

विषय के आधार पर फीचर अनेक प्रकार के होते सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं—

1. घटनापरक फीचर— युद्ध तूफान, भूकम्प दुर्घटना दंगा, आन्दोलन आदि पर तैयार किए गये फीचर। राजनीतिक घटनाक्रम पर आधुनिक फीचर— चुनाव, मतदान, पार्टी-सम्मेलन, सत्ता परिवर्तन आदि पर लिखे गये फीचर।

3. सामाजिक घटनाचक्र पर आधारित फीचर— मेले, त्योहार, पर्व, सामूहिक विवाह, सांस्कृतिक

विरासत, तीर्थ स्थल, विशेष पर्व (कुम्भ मेला) आदि पर आधारित फीचर।

समाचार पर आस्त फीचर— ऐसे फीचर किसी विशेष घटनाचक्र या समाचार पर आधारित होते हैं।

स्थानीय या आंचलिक फीचर— किसी अंचल विशेष की मान्यताओं, जीवन, रहन-सहन, त्योहार आदि को अजागर करने वाले फीचर इस वर्ग में आते हैं।

6. प्राकृतिक फीचर— इस वर्ग में की रस्य प्राकृतिक स्थल के सौन्दर्य का वर्णन करने वाले पर्यटन आधारित फीचर होता है।

प्रकीर्ण फीचर— जो फीचर उपर्युक्त वर्गीकरण में समाविष्ट न हो सके हों, उन्हें इस वर्ग में रखा जा सकता है।

प्रो. हरिमोहन ने भी फीचरों का वर्गीकरण अपने ढंग से विषय को आधार बनाकर किया है। उनका अनुसार फीचर लेखन का वर्गीकरण निम्न प्रकार किया जा सकता है—

1. सामाजिक सांस्कृतिक फीचर,

3. प्राकृतिक फीचर

5. राजनीतिक फीचर,

2. घटनापरक फीचर

4. साहित्यिक फीचर

6. प्रकीर्ण फीचर

श्री प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने फीचरों का एक वर्गीकरण इस प्रकार भी किया है—

1. समाचारी फीचर (तात्कालिक फीचर)

2. विषिष्ट

जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है इनमें से प्रथम समाचार आधुनिक फीचर हैं जबकि दूसरा इससे इतर फीचर है। एक अन्य वर्गीकरण जो चतुर्वेदी जी ने सुझाया है, इस प्रकार है—

(1) वर्णनात्मक फीचर,

(पप) चित्रात्मक फीचर,

(पपप) व्याख्यात्मक फीचर।

किन्तु डॉ. हरिमोहन ऐसे वर्गीकरण को उचित नहीं मानते क्योंकि सभी फीचरों में वर्णात्मकता एवं चित्रात्मकता अनिवार्य रूप से रहती है।

फीचर का रचना विधान— फीचर वस्तुतः सर्जनात्मक विधा है जो घटना के पीछे छिपी संवेदना को उभारती है। यह अपने लालित्य से पाठको सहज रूप से आकृष्ट करती है। तथा सूचनाओं के माध्यम से ज्ञानवर्द्धन भी करती है। यदि किसी व्यक्ति को भारत तीर्थ स्थलों पर भिक्षावपत्ति विषय पर फीचर लिखना हो तो उसे प्रसिद्ध तीर्थों में जाकर वहाँ के भिखारियों फीचरों के पास बैठकर उनकी राम हानी सुननी होगी, उनके दुःख-दर्द बॉटन होंगे। उनसे सम्बन्धित आँकड़े इकट्ठे करने होंगे और समस्या का हर सम्भव समाधान भी सुझाना पड़ेगा। भिखारियों को भीख माँगते हुए चित्रों में दिखाना पड़ेगा तथा इस भिक्षावपत्ति के सम्बन्ध में तीर्थ यात्रियों के क्या विचार हैं, इसको भी साक्षात्कार के माध्यम से जाना होगा। तत्पश्चात् समस्त सूचनाओं को एकत्र कर रोचक ढंग से फीचर लिखना होगा। फीचर लेखक को गहन निरीक्षण शक्ति, मानवीय दृष्टिकोण, सशक्त भाषा का उपयोग करना पड़ता है। उसे अपनी ही आन्तरिक प्रवृत्ति, ज्ञान, अनुभव का भरोसा करना चाहिए क्योंकि फीचर लिखने की कोई बँधी बँधाई पद्धति नहीं है। प्रत्येक फीचर दूसरे फीचर से भिन्न होता है।

फीचर लेखन के लिए तीन आधार भूत बिन्दु हैं—

1. विषय चयन
2. सामग्री संकलन,
3. प्रस्तुतीकरण।

विषय चयन करते समय फीचर लेखक को यह ध्यान रखना चाहिए कि विषय लाकरुचि से सम्बन्धित हो तथा आम विषयों से अलग हो जिससे लोगों के मन में कौतुहल, उत्सुकता जाग्रत हो सके। विषय चयन करते समय यह भी सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि इससे पाठकों को क्या मिलेगा तथा वह जनसाधारण के लिए कितना उपयोगी होगा। विषय में नवीनता होनी भी आवश्यक है। लोगों को यह लगना चाहिए कि उन्हें नवीन विषय पर ऐसी जानकारी दी जा रही है जिससे वे पहले अपरिचित थे।

विषय चयन के उपरान्त दूसरा महत्वपूर्ण बिन्दु है सामग्री संकलन। विषय के अनुरूप ही सामग्री का संकलन स्रोत खोजा जाता है। उदाहरणार्थ— यदि किसी घटना पर फीचर प्रस्तुत करना है तो उसकी सामग्री घटनास्थल पर ही प्राप्त होगी और फीचर लेखक को घटनास्थल पर सामग्री संकलन हेतु जाना पड़ेगा। यदि फीचर का विषय कोई सांस्कृतिक गतिविधि— मेले, त्योहार, पर्व आदि हो तो उस स्थान पर जाकर उसका आयोजकों से वार्तालाप करे, उसके इतिहास की जानकारी करनी चाहिए। यह मेला कब से आरम्भ हुआ, क्यों प्रारम्भ हुआ, किस महापुरुष की याद में इसका आयोजन होता है, मेले में कहाँ-कहाँ से लोग आते हैं, कितने लोग इसमें भाग लेते हैं, यहाँ क्या खरीता बेचा जाता है, कौन-कौन से सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं— इन सब सवालों की जानकारी एकत्र कर ली जाती है। उस विषय से जुड़े हुए समस्त उपलब्ध साहित्य, किंवदन्तियाँ, लोकान्तर लोकमान्यताओं की जानकारी फीचर लेखक को करनी चाहिए तथा अपने फीचर में इससमस्त जानकारी का उपयोग प्रामाणिकता के साथ करना चाहिए।

यदि किसी पर्यटन स्थल को फीचर का विषय बनाना हो तो वहाँ जाकर हर दृष्टिकोण से उसका अध्ययन करना होगा। वहाँ आये हुए पर्यटकों से बातचीत करनी होगी, और यह भी पता लगाना होगा कि पर्यटकों के यहाँ आने का मुख्य कारण क्या है? इस पर्यटन स्थल में आकर्षण की वह वस्तु क्या है जो पर्यटकों को यहाँ खींच लाती है और वे अन्य पर्यटन स्थलों की अपेक्षा इस पर्यटन स्थल को पसंद क्यों करते हैं। यह पर्यटन स्थल कब विकसित हुआ, यहाँ क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध हैं, दर्शनीय स्थल कौन-कौन से हैं तथा पर्यटकों के लिए और क्या-क्या सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए, इसका विस्तृत ब्यौरा फीचर लेखक को नोट्स लेते समय बना लेना चाहिए।

सामग्री संकलित हो जाने के उपरान्त फीचर का प्रस्तुतीकरण लेखन किया जाता है। यद्यपि फीचर लेखन के लिए कोई सामान्य नियम नहीं बनाया जा सका, तथापि उसका एक क्रमिक

प्रयोजनमूलक हिन्दी

रूप अवश्य हो सकता है। हर फीचर लेखक का अपना दृष्टिकोण और अपनी सूझ-बूझ होती है जिसका उपयोग करते हुए वह फीचर लिखता है। प्रोत्र हरिमोहन ने फीचर लेखन के लिए आवश्यक निर्देश इस प्रकार दिए हैं—

1. विषय को एकदम प्रारम्भ नहीं करना चाहिए। पहले भूमिका (पदकजतवकनबजपवद) देनी चाहिए। इसे पत्रकारिता की भाषा में इंट्रो कहते हैं। इसे फीचर का आमुख भी कहा जा सकता है। भूमिका इस प्रकार की होनी चाहिए जो विषय प्रवर्तन का काम करे तथा फीचर के विषय में लोगों की उत्सुकता, कौतूहल उत्पन्न कर सके।

यदि किसी उद्धरण से, दृष्टान्त से, काव्य पाक्तियों से या किसी प्रश्न श्रृंखला से फीचर प्रारम्भ किया जाय जो वह अधिक अच्छा प्रीवषाली रोचक बना जाता है।

व्यक्तियों पर लिखे जाने वाले पुंश्वरों का प्रारम्भ उसके परिचायात्मक विवरण, उसकी उपलब्धियाँ, उससे की गई बातचीत को आधार बनाकर किया जा सकता है।

किसी प्राकृतिक दृश्य, किसी बोध कथा, किसी घटना से भी फीचर का प्रारम्भ कर सकते हैं।

कभी-कभी फीचरों का प्रारम्भ पाठकों को सम्बन्धित शब्दों से भी कर दिया जाता है

फीचर का प्रभावशाली प्रारम्भ करने के उपरान्त फीचर लेखक को मूल विषय पर आ जाना चाहिए ! फीचर लेखक को इधर-उधर की बातों पर अपना समय बर्बाद न करके मूल विषय का निरूपण सावधानी से करना चाहिए। यह ध्यान रहे कि कोई तथ्य छूटने न पाये अन्यथा फीचर में अधूरापन रह जायेगा। विषय की माँग के अनुरूप जिस बात पर सर्वाधिक बल देना हो उसे ही केन्द्रीय घटना के रूप में व्यक्त करना चाहिए। फीचर के मूल विषय पर प्रकाश डालते समय फीचर लेखक को विषय पर केन्द्रित रहना चाहिए तथा अनर्गल प्रसंगों से बचना चाहिए। उसके लेखन में न तो तथ्यों, आँकड़ों को इतनी भरमार हो कि पाठक बोरियत अनुभव करे और न ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हो कि पाठक तथ्यों को जानने के लिए बेचैन रहे। फीचर की रोचकता समाप्त हो जायेगी और उसका उद्देश्य नष्ट हो जायेगा।

फीचर का अन्तिम भाग उसके निष्कर्षों से जुड़ा होता है। एक अच्छा फीचर लेखन अपने फीचर का अन्त समसामयिक जीवन से जोड़कर उसकी उपयोगिता को रखांकित करते हुए करता है। फीचर इतना प्राभावोत्पादक होना चाहिए कि उसे पढ़ने के उपरान्त पाठक को कोई सन्देश (डिमेंहम) प्राप्त हो, वह सोचने को बाध्य हो जाय तथा फीचर लेखक की प्रशंसा के शब्द उसके मुख से निकलें।

फीचर का प्रभाव के दिलों-दिमाग पर छा जाय, तभी वह सफल फीचर माना जाता है।

10. फीचर का एक उपयुक्त शीर्षक भी होना चाहिए जो संक्षिप्त, विषय से सम्बन्धित, रोचक एवं कौतूहलबर्द्धक होना चाहिए। शीर्षक में इतना आकर्षण होना चाहिए कि पाठक उसे पढ़ने को बाध्य हो जाये।

11. एक अच्छा फीचर वही है जो स्वयं को पढ़ने के लिए पाठक को आकृष्ट कर सके। अतः फीचर का आकर्षक बनाने हेतु उसे आवश्यक तथ्यों, चित्रों बाक्सों आदि से सजाना चाहिए।

3. पृष्ठ-सज्जा एवं प्रस्तुतीकरण (चंम डांपदह दक च्तमेमदजंजपवद)

पृष्ठ-सज्जा का अभिप्राय है— पृष्ठकी सजावट। प्रत्येक समाचार-पत्र में पृष्ठसंख्या निर्धारित होती है और नीतिगत निर्णय के अन्तर्गत यह भी निश्चित रहता है कि किसी पेज पर क्या सामग्री होगी। ऐसी स्थिति में सम्पादक का यह प्रयास रहता है कि प्रत्येक पृष्ठको आकर्षक ढंग से पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया जाय। समाचार-पत्र में मुख्य रूप से खबरें रहती हैं किन्तु उन खबरों का प्रस्तुतीकरण किस प्रकार से किया गया है, इस पर पृष्ठसज्जा बहुत कुछ निर्भर करती है। कभी कोई खबर रंगीन बॉक्स में प्रस्तुत की जाती है, कभी-सा चित्र लगाया जाय जिससे स्टोरी उभारने में सहायता मिले, इन सब बातों का ध्यान पृष्ठ-सज्जा करने बलों को रखना पड़ता है। आजकाल सारा काम कम्प्यूटर पर होता है अतः कम्प्यूटर स्क्रीन पर खबरों के पृष्ठका खाका तैयार करके देखा जा सकता

है कि पष्ठछपने के बाद कैसा दिखेगा। यदि कोई कमी नजर आती हो और उसका सुधार करना हो तो वह भी कम्प्यूटर सकीन पर किया जा सकता है।

पष्ठ—सज्जा वस्तुतः कलात्मक अभिरुचि की परिचायक है। पष्ठ—सज्जा करने वाले में कलात्मक अभिरुचि के साथ—साथ सम्पादन करने की क्षमता भी होनी चाहिए तथा उसे प्रत्येक खबर का महत्व पता होना चाहिए। उसे यह भी पता होना चाहिए। कि किस पष्ठपर कौन—सी खबर होगी और वह कहाँ अच्छी लगेगी।

समाचार—पत्र का प्रत्येक पष्ठपठनीय एवं सुन्दर तभी दिख सकता है जब उसका प्रस्तुतीकरण कलात्मक ढंग से किया गया हो और मैटर का संयोजन कुशलता से किया गया हो। डेविडवेन राइट के अनुसार, श्जैमोपसस वचिंहम उंमनच सपमे पद चनजजपदह जीम हतमंजमे उवनदज वपिदवितउंजपवद पदजव जीम चंम जव चतवकनबम अंतपमजल पूजीवनज बवदनिपवदश्.

खबरों के षीर्षक किस प्रकार लगाये जायें जिससे पृष्ठ आकर्शक दिखे, कौन—सी खबर कहाँ रखी जाय, उसे बॉक्स में दिया जा या कॉलम में। बायीं ओर देने पर वह कैसी दिखेगी तथा दायीं ओर रखने पर उसका स्वरूप क्या होगा।

अखबार में विज्ञापनों का महत्व भी सर्वाविदित है। आर्थिक उदारीकरण के इस दौर में खबरों से भी ज्यादा महत्व विज्ञापनों को दिया जाता है। विज्ञापन व्यवस्थापक पहले ही सम्पादकीय विभाग को बता देता है कि उसे किस पष्ठपर विज्ञापन के लिए कितनी जगह चाहिए इसीलिए पष्ठपर पहले विज्ञापन सेट किये जाते हैं तत्पश्चात् खबरों के लिए जो स्थान पेश बचता है, उसमें सेटिंग की जाती है।

अखबार में

कुछ पष्ठरंगीन होते हैं तो कुछ समान्य काले—सफेद। रंगीन पष्ठका रंगीन विज्ञापन दिये जाते हैं। प्रथम पष्ठअखबार में सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। पाठक देखता है। आजकल प्रत्येक अखबार में मुख्य खबर के साथ छपे चित्र को भी पाठक देखता है। आजकल प्रत्येक अखबार में मुख्य खबर के साथ रंगीन चित्स दिया जाता है। यद्यपि आम पाठ को समाचार—पत्र के लेआउट की जानकारी नहीं होती किन्तु वह अपनी मनमाफिक खबरों को पर्याप्त महत्व देता है। पष्ठपर जो बॉक्स दिये जाते हैं वे पाठकों की दृष्टि को तुरन्त आकषट कर लेते हैं यदि बॉक्स रंगीन है तो और भी आकर्शक लगता है। ऐसे बॉक्सों में उन्हीं समाचारों को दिया जाता है जो महत्वपूर्ण होते हैं और जिन्हें समाचार सम्पादक पाठकों को पढ़वाना चाहता है।

यद्यपि पष्ठसजाने की कोई फूल—प्रूफ तकनीक नहीं है तथापि कलात्मक अभिरुचि इसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। पष्ठके ऊपर वाले भाग में मोटे षीर्षक वाली खबरें रहती हैं जबकि नीचे की ओर कम महत्व वाली तथा कम मोटे हैंडिंग वाली खबरें रहती हैं। बड़े समाचारों के अलग—बगल तथा ऊपर—नीच एक कॉलम में आने वाली छोटी—छोटी खबरें रहती हैं। पष्ठको साज—सज्जा हेतु तथा समाचार को उभारने के लिए बॉक्स

— पष्ठपर सेट किया जाता एव इनसेट का प्रयोग किया जाता है। चित्र इनसेट और बॉक्स को इस प्रकार

पष्ठपर सेट किया जाता है जिससे वे किसी विज्ञापन के पड़ोस में न जा बैठें अन्यथा उनका महत्व घट जायेगा। पष्ठपर इनसेट या बॉक्स को लागते समय यह भी देख लेना चाहिए कि वे किसी मैटर के बीच में न आवें। प्रथम पष्ठके मोड़ पर न तो कोई मोट हैंडिंग आना चाहिए और न कोई चित्र ही वहाँ आय डों. प्रोम नरायन चतुर्वेदी यह भी कहते हैं कि अखबार के नीचे वाले हिस्से में लम्बे समाचार नहीं होने चाहिए। लम्बे समाचार नहीं होने चाहिए। लम्बे मैटरों को सन्तुलित कॉलमों में बाँटना चाहिए।

अखबार में सबसे ऊपर नाम पट्टिका के साथ ही प्रमुख कथाओं की झलकियाँ चित्र एवं पष्ठसंख्या सहित दी जाती हैं, इसका उद्देश्य पाठकों को यह बताना है कि अमुक स्टोरी किस पेज प है तथा वह सिसे सम्बन्धित है इसे आप समाचार—पत्र की प्रमुख घटनाओं की



प्रयोजनमूलक हिन्दी

विशय—सूची कह सकते हैं। पत्रिकाओं की पष्ठ—सज्जा में स्टोरी की झलकियाँ देते समय यह ध्यान रखा जाता है कि वे पाठकों में कौतूहल पैदा कर सकें किन्तु अखबारों की झलकियों में सूचनात्मक ही अधिक होती है। अखबारों में इन्हें झलकियाँ न कहकर बिन्दों कहा जाता है। मास्ट हैड के दोनों ओर जो पैनल दिखाई पड़ते हैं उन्हें इअर पैनल कहा जाता है।

पष्ठ—सज्जा के लिए आवश्यक बातें— पष्ठसज्जा का एलात्मक कार्य अतः उसके लिए कुछ नियमों का पालन करना आवश्यक है। इसके लिए प्रमुख बिन्दु निम्नवत् हैं—

1. सन्तुलन

4. संगति

2. फोकस

5. प्रवाह

3. विरोधाभास

1. सन्तुलन (ठसंदबम)— समाचार पत्र के प्रत्येक पष्ठपर प्रस्तुत सामग्री में सन्तुलन का ध्यान रखना अवश्य है, तभी पष्ठआकर्षक बनता है। सामग्री का संयोजन इस प्रकार से किया जाना चाहिए कि

वह देखने में सुन्दर प्रतीत हो। यदि सामग्री का संयोजन उचित ढंग से नहीं किया जायेगा तो पष्ठमनमोहक एवं आकर्षक नहीं लगे। सन्तुलन दो प्रकार का होता है—

1. सामंजस्यपूर्ण 2. विशय सन्तुलन ।

अधिकांश सज्जा सिमिट्रीकल की होती है। इसे समसन्तुलन भी कहा जाता है तथा इस प्रकार के सन्तुलन में पष्ठके बायें तथा दायें भाग में समाचारों एवं अन्य सामग्री को इस प्रकार संयोजित किया जाता है कि वे आकार, प्रकार तथा रूप—रंग में समान प्रतीत हो। यदि पष्ठको बीच से विभाजित करके एक—दूसरे भाग पर रखा जाये तो दोनों में कोई असमानता दिखाई नहीं पड़नी चाहिए। पष्ठसज्जा में अब कम्प्यूटर से पर्याप्त सहायता मिलने लगी है। कम्प्यूटर कम्पोजिंग से बॉक्सों को स्थान निध रित कर दिया जाता है। इन बॉक्सों में महत्वपूर्ण खबरें होती हैं जो पष्ठको अत्यधिक आकर्षक बना देती हैं। सामंजस्यपूर्ण सन्तुलन को पारस्परिक पष्ठ—सज्जा सन्तुलन भी कहा जा सकता है क्योंकि प्रारम्भ में केवल इसी पद्धति से समाचार—पत्र छपते थे।

ससन्तुलन में अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ आती हैं। कभी—कभी एक ओर की सामग्री दूसरी ओर की सामग्री से छोटी या बड़ी होती है तब उसमें काट—छाँट की आवश्यकता पड़ती है। इस प्रकार सन्तुलन बनाये रखने के लिए सामग्री को छोटा—बड़ा करना पड़ता है। दूसरी ओर असमसन्तुलन में यह सब करने की जरूरत नहीं पड़ती किन्तु सम्पादक प्रायरु समसन्तुलन से ही पष्ठ—सज्जा करना पसन्द करते हैं।

2. फोकस— फोकस का तात्पर्य है वह स्थान जहाँ पाठक की दृष्टि समाचार—पत्र पर सबसे पहल केन्द्रित होती है। जिन समाचारों को पाठक सबसे पहले पढ़ने के लिए उत्सुक रहता है, उसी पर उसका ध्यान केन्द्रित रहता है। भले ही पष्ठका पूरा हिस्सा अत्यन्त आकर्षक हो किन्तु पाठक का ध्यान मुख्य खबर की ओर ही सबसे पहले जाती है क्योंकि अधिकांश लिपियाँ बायें से दायें को लिखी जाती हैं जबकि सर्वेक्षण यह कहता है कि पाठक की रुचि दाहिनी ओर क कोने में अधिक होती है। कुछ भी हो यह तो तय है कि अधिकांश पाठक समाचार—पत्र की हैडलाइन को देखना पसन्द करते हैं तथा उनकी तीव्र उत्सुकता मुख्य खबर में होती है। कभी—कभी मुख्य पष्ठपर दिये गये बॉक्स पठक की दृष्टिको आकाट कर उसी खबर को पढ़ने के लिए बाध्य कर देते हैं।

3. विरोधमतम— समाचार—पत्र की पष्ठ—सज्जा में विरोधाभास का भी महत्वपूर्ण स्थान होता है। लम्बे कॉलमों के समाचार के बीच में ही विरोधी है। इस खबर को देखकर ऐसा लगता है जैसे लम्बे कद वालों की भीड़ में एक बौना टिगना आदमी आ गया हो जो स्वतः

अपने कद के कारण लोगों का ध्यान आकाट करता है समाचार-पत्र में काम करने वाले लोग विरोधाभास की सहायता से भी पष्ठसज्जा का कार्य करते हैं।

4. संगीत- संगति का तात्पर्य रूप, आकार की एकरूपता से है। आजकल कम्प्यूटर के माध्यम ले फाण्ट मैनेजमेंट द्वारा एक ही प्रकार के अक्षरों, विराम चिन्हों का प्रयोग करके संगति (भ्तउवदल) की व्यवस्था की जाती है। चित्र और विज्ञापन के रूपाकार में भी संगति बिठायी जानी चाहिए। टाइप में विसंगति होने पर पष्ठ रुज्जा काबुरा प्रभाव पड़ता है।

5. गति- समाचार-पत्र में फोकस बिन्दु एक न होकर कई होते हैं। लेआउट के द्वारा यह निश्चित किया जाता है कि महत्वपूर्ण समाचार अखबार में किस पष्ठके किस स्थान पर हो। पाठक स्वावतरु महत्वपूर्ण समाचारों की खोज में हरता है। सम्पादकीय विभाग को समान प्रकृति के समाचारों को अखबार में नियत स्थान पर ही समायोजित करना पड़ता है। जब तक समाचार-पत्र के समाचारों में प्रवाही आकर्षण नहीं आता तब तक उसमें गति भी नहीं आती।

वर्तमान समाचार-पत्रों विज्ञापनों का उपयोग भी पत्र की साज-सज्जा में चार चाँद लगा देता है क्योंकि इन विज्ञापनों में कई तो रंग-बिरंगे विपिन होते हैं तथा उनमें फिल्मी सितारों, क्रिकेट खिलाड़ियों की ऐसी तस्वीरें होती हैं जिनहे देखना जनता पसन्द करती हैं। पाठक बड़ी रुचि से ऐसे विज्ञापनों को पढ़ते हा कलापूर्ण आदषीष्ट से ही यह सुनिश्चित किया जाता है कि किसी विज्ञापन या सामग्री को कहाँ देने पर समाचार-पत्र की पष्ठ-सज्जा में गति आयेगी और पष्ठअधिक भव्य आकर्षक एवं रुचिकर लगेगा।

पष्ठ-सज्जा समाचार-पत्र में रूप विन्यास अनुभाग में सम्पन्न की जाती है। पष्ठ-सज्जा का दूसरा नाम लेआउट या डिजायन भी है।

बॉक्सों की उपयोगिता- पष्ठ-सज्जा में बॉक्सों की उपयोगिता से इनकार नहीं किया जा सकता। प्रायः छोटी-बड़ी कथाओं (स्टोरी) को प्रस्तुत करते समय उनसे जुड़े रोचक तथ्य, आँकड़े एवं अन्य महत्वपूर्ण सामग्री बॉक्स में देकर उसे रोचक एवं आकर्षक बनाया जाता है। रंग-बिरंगे बॉक्सों में दी गयी ये सूचनाएँ पाठक को सर्वाधिक आकर्षक करती है। अखबारों में बॉक्सों में दी गई खबरें प्रायः चौंकाने वाली होती ह। कभी-कभी कुछ समाचार-पत्रों में या पत्रिकाओं में नियमित स्तम्भ भी किसी शीर्षक के साथ बॉक्स में दिये जाते हैं। यथा- एक नजर, न्यूज डाइजेस्ट कालेज कैम्पस अपराध-जगत। इन बॉक्सों की उपयोगिता समाचार-पत्र को आकर्षक, भव्य एवं सूचनात्मक बनाना है।

रूल की उपयोगिता- एक कॉलम के समाचार दूसरे कॉलम के समाचारों से मिल न जायें, इसलिए समाचार-पत्रों में रूल लगाये जाते हैं। पहले जब कम्प्यूटर नहीं था तब प्रायः गड़बड़ियाँ हो जाती थी। किन्तु अब तो कम्प्यूटर को निर्देश देकर मनचाहे यल लगाये जा सकते हैं। जिन्हें इच्छानुसार मोटा या पतला भी बनाया जाता है। रूलों की बहुतायत भी अखबार में नहीं होनी चाहिए। अन्यथा अच्छे खासे पष्ठबेकार हो जाते हैं दो कॉलमों के बीच सफेद स्थान अद्भूत सौन्दर्य बिखेरता है फिर भी बिना रूल के अखबारों का काम चलता नहीं है।

प्रथम पष्ठकी साज-सज्जा जिनी महत्वपूर्ण होती है, उतीन ही महत्वपूर्ण अन्य पष्ठों की सज्जा है। भीतर के पष्ठों को भी साज-सज्जा के द्वारा आकर्षक बनाया जाता है। नगर की हलचलें भीतर के पष्ठों पर ही होती हैं। नगर की हलचलें भीतर के पष्ठों पर ही होती हैं इसी प्रकार खेल की खबरें स्पोर्ट्स वाले पष्ठपर खिलाड़ियों की आकर्षक तस्वीर के साथ होती हैं। प्रत्येक पष्ठपर दो या तीन कॉलम वाले चित्र कार्टून आदि देने से वह अधिक आकर्ष हो जाता है। प्रेमनाथ चतुर्वेदी ने पष्ठ-सज्जा के कुछ बिन्दु इस प्रकार बताये हैं।

1. अखबार में सबे ऊपर महत्वपूर्ण समाचार दिया जाय।
2. समाचार के महत्व के अनुरूप ही अक्षरों का आकार होना चाहिए।
3. प्रत्येक बायें पष्ठके बायें कोने पर और दाहिने पष्ठक दाहिने कोने पर पाठक की नजर पहले



प्रयोजनमूलक हिन्दी

पड़ती है अतः महत्वपूर्ण एवं रोचक समाचार यहीं देने चाहिए।

4. पृष्ठ के निचले भाग में दिये गये चित्र ऊपर के चित्रों से छोटे होने चाहिए।

शीर्षक बड़े-बड़े एवं फैले फैले होने चाहिए जिससे पाठक की आँखों को तकलीफ न हो।

6. दो कॉलम वाले शीर्षक एक के ऊपर एक न हों अपितु कुछ स्थान छोड़कर दिये जायें।

7. एक कॉलम वाले शीर्षक ईटा की चिनाई जैसे दिखाई न दें।

8. विपणन या चित्र से सटाकर बॉक्स कभी नहीं देना चाहिए।

9. समान मोटाई एवं समान अकार के शीर्षक अगल-बगल के कॉलम में नहीं देने चाहिए।

10. बॉक्स के नीचे मोटा शीर्षक ही अच्छा लगता है।

11. समाचार-पत्र की पैल एवं पृष्ठ विन्यास को अचानक बदलने से पाठक को धक्का लगता है क्योंकि वह अपने प्रिय समाचार-पत्र को उसी रूप सज्जा में देखने का अभ्यस्त हो जाता है।

12. प्रथम या द्वितीय कॉलम में दिया गया चित्र आगे के छठवें और सातवें कॉलम में ऊपर दिए

गये दो कॉलम के चित्र को सन्तुलित करता है।

13. पृष्ठ-सज्जा सन्तुलन का विशेष ध्यान रखना चाहिए

पृष्ठ-सज्जा का प्रमुख उपयोग समाचार-पत्र को आकर्षक बनाना है। पृष्ठसज्जा के लिए प्रयुक्त होने वाले शब्द अंग्रेजी में इस प्रकार हैं।— डिजाइन, मेकअप, लेआउट, कम्प्यूटर के आगमन से अब पृष्ठ-सज्जा का अधिकांश कार्य कम्प्यूटर पर होने लगा है। शीर्षक, विद्यापन, बॉक्स आदि जिस स्थापन रखे जाते हैं, वे पत्र को आकर्षक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पृष्ठकी सज्जा-सज्जा पाठक के मन पर अच्छा असर डालती है तथा उसी कलात्मक अभिरुचि को जाग्रत भी करती हैं।

इकाई –10

मीडिया लेखन

1. संचार भाषा का स्वरूप एवं वर्तमान संचार व्यवस्था

संचार—(बवउउनदपबंजपवद)— सूचनाओं के आदा—प्रदान के लिए, हम अनेक साधनों का उपयोग करत हैं, यथा— पत्र, टेलीफोन, रेडियो, टी.वी. अखबार, इंटरनेट, ई—मेल आदि। समाचार पढ़ना, समाचार सुनना, समाचार देखन आदि भी इसी में सम्मिलित हैं। ये सब संचार के साधन हैं। भावनाओं की अभिव्यक्ति के लिए भी संचार की आवश्यकता पड़ती हैं प्रेम, क्रोध, घरणा आदि की अभिव्यक्ति भी संचार का एक अंग है। वस्तुतः संचार सर्वव्यापी है। जीवन का कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है जो संचार की परिधि में न हो।

संचार के माध्यम से सूचना का व्यापक प्रचार—प्रसार होता है, पारस्परिक विचार विनिमय का अवसर मिलता है, ज्ञान का विकास होता है, पारस्परिक विश्वास के अर्जन होता है तथा समाज में भाईचारा बढ़ता है संचार भावात्मक एकता में भी सहायक होता है तथा इससे सामाजिक व्यवस्था बनाये रखने में सहायता मिलती है।

संचार की परिभाषाएँ इस प्रकार दी जा सकती हैं—

राबर्ट एण्डरसन के अनुसार, श्वाणी लेखन या संकेतों के द्वारा विचारों, अभिमतों अथवा सूचना का विनिमय करना संचार कहलाता है। १

एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कम्यूनिकेशन के अनुसार, “विचारों एवं संदेशों के आदान—प्रदान को संचार कहते हैं। २

संचार में दिए गये संदेश अर्थपूर्ण (डमंदपदहनिस)— होते हैं जिनका प्रभाव दूसरे लोगों पर पड़ता है। इस संदेश से उनमें कुछ प्रतिक्रिया हो, कुछ परिवर्तन हो और हमारे बीच एक साझेदारी या समझ बने, यही संचार का उद्देश्य होता है। इसी बात को ध्यान में रखकर डॉ. हरिमोहन ने संचार की परिभाषा इस प्रकार दी है—

संचार एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण संदेशों (डमंदपदहनिस डमंहम) का आदान—प्रदान किया जाता है ये अर्थपूर्ण संदेश भेजने वाले और पाने वालों के बीच एक समझदायी या साझेदारी बनाते हैं।

संचार में वैचारिक आदान—प्रदान भी होता है तथा दी गई सूचना किसी व्यक्ति तक या समूह तक पहुँचती

तथा वह उन्हें प्रभावित भी करती है।

उपर्युक्त परिभाषाओं से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि संचार का कार्य है

1. जानकारी या सूचना प्रदान करना,
2. वैचारिक आदान—प्रदान,
3. पारस्परिक विचार—विनिमय के द्वारा विश्वास, भाई—चारा उत्पन्न करना,
4. भावनाओं को अभिव्यक्ति करना,
5. मनोरंजन करना,
6. अपने तर्क दूसरों तक पहुँचाना,
7. पारस्परिक समझ उत्पन्न करना,
8. समाज में भावात्मक एवं सांस्कृतिक एकता उत्पन्न करना।

जनसंचार माध्यम— औद्योगिक एवं तकनीकी प्रगति के साथ—साथ जनसंचार माध्यमों में भी अष्टातीत प्रगति हुई। व्यापक स्तर पर सूचना प्रदान करने वाले माध्यमों को जनसंचार



प्रयोजनमूलक हिन्दी

माध्यम कहा जाता है। सामान्यतया टेलीफोन, मोबाइल फोन, रेडियो, टेलीविजन, कम्प्यूटर, इंटरनेट, ई-मेल आदि संचार माध्यम हैं।

जनसंचार माध्यमों को हम मूलतः तीन वर्गों में विभक्त कर सकते हैं—

1. प्रिन्ट मीडिया (मुद्रण माध्यम)
2. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया,
3. नवीन तकनीकी मीडिया।

प्रिन्ट मीडिया के अन्तर्गत— समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, पोस्टर, पैम्फलेट, आदि आते हैं जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में रेडियो, टी.वी. ओडियो कैसेट, वीडियो कैसेट, सी.डी. फिल्म आदि हैं। नवीन तकनीकी मीडिया में उपग्रह, कम्प्यूटर इंटरनेट आदि को लिया जा सकता है।

जब तक संचार केवल दो व्यक्तियों के बीच है तब तक वह जनसंचार की परिधि में नहीं आता किन्तु जब कोई सूचना या संदेश आधिक लोगों के बीच पहुँचता है तब उसका क्षेत्र विस्तृत होने के कारण वह

आ जाता है।

— जनसंचार के अन्तर्गत १

सूचना को ज्ञान का आधार कहा जा सकता है तथा यह मानव जीवन की प्रगति का आधार है। अतः हम कह सकते हैं कि मानव की प्रगति संचार पर निर्भर है।

आज सूचना प्रौद्योगिकी ने जीवन के हर क्षेत्र में अपना प्रभाव डाला है। हमारा जीवन विविधतायुक्त है। तथा बहुउद्देशीय है। सूचना प्रौद्योगिकी का क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है जिसका उपयोग हम निम्न क्षेत्र में कर रहे हैं—

1. शिक्षा एवं ज्ञानार्जन,
2. वैश्विक घटनाओं के प्रति जिज्ञासाओं का समाधान,
3. वैज्ञानिक गतिविधियाँ और उनका अनुप्रयोग,
4. रहन-सहन के भौतिक साधन एवं सुविधाएँ,
5. पारस्परिक संवाद, मनोरंजन एवं फैशन
6. आवागमन एवं यात्राएँ,
7. व्यापारिक गतिविधियाँ,
8. स्वास्थ्य सेवाएँ।

संचार भाषा का स्वरूप— सूचना क्रान्ति के इस युग में संचार की बती हुई आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसी संचार भाषा की आवश्यकता अनुभव की गई है कि जन-जन तक बात पहुँचा सके। समाचार-पत्रों, रेडियों, टेलीविजन में प्रयुक्त होने वाली भाषा को संचार भाषा कहते हैं।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि पुस्तकों की भाषा अखबारों की भाषा से अलग होती है। अखबार में प्रयुक्त भाषा वस्तुतः आम जनता की भाषा होती है जो दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त होती है। पत्रकारों का प्रयास यह रहता है कि वे आम जनता की भाषा में रिपोर्टिंग करें। या अंग्रेजी के पत्रकार का ध्यान सदैव इस बात पर केन्द्रित रहता है कि उसकी बात, विचार जनता अच्छी तरह समझ ले। रेडियों और टी.वी. की भाषा भी आम जनता की भाषा होती है। भाषा का स्वरूप विश्व के अनुरूप रखना पड़ता है। साहित्यिक

पत्र-पत्रिकाओं की भाषा में साहित्यिक शब्दावली एवं तदनु रूप शैली का होना अपरिहार्य है जबकि वैज्ञानिक विषय होने पर तकनीकी पारिभाषिक शब्दावली का प्रयोग करना पड़ता है।

जनसंचार के तीन प्रमुख साधन हैं—

1. समाचार—पत्र
2. रेडियो,
3. टी.वी.

इन्हीं के आधार पर जनसंचार की भाषा भी तीन प्रकार की होती है—

1. समाचार—पत्र की भाषा,
12. रेडियो की भाषा
3. टी.वी. की भाषा।

यहाँ हम इन तीनों की भाषा पर अलग—अलग विचार कर रहे

1. समाचार—पत्र की भाषा— समाचार—पत्र की भाषा आम आदमी की भाषा होती है तथा उसकी षब्दावली में विविधता होती है। समाचार—पत्रों के प्रयुक्त होने वाली हिन्दी को हम साहित्यिक हिन्दी न मानकर आम बोलचाल की ऐसी हिन्दी कह सकते हैं जिसकी षब्दावली संस्कृत, हिन्दी, अंग्रजी, अरबी, फारसी, उर्दू के प्रचलित षब्दों को अपने में समेटे रहती है वस्तुतः यह मानक हिन्दी का वह रूप है जो समाचार—पत्रों की भाषा के रूप में जाना जाता

है। इसमें बोलियाँ के षब्द भी हो सकते हैं तो लोकभाषा के प्रचलित षब्दों को लेने से भी परहेज नहीं किया जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि समाचार—पत्र में प्रयुक्त होने वाली भाषा ऐसी होनी चाहिए। जो आम पाठक की समझ में आ जाय और उसे किसी षब्द का अर्थ जानने के लिए कोईसहारा न लेना पड़े। मिली—जुली भाषा समय की माँग है जिसका प्रयोग संचार भाषा के रूप में समाचार—पत्र एवं इलैक्ट्रॉनिक मीडिया में हो रहा है।

समाचार—पत्र में यद्यपि अनेक स्थायी स्तम्भ होते हैं जिनमें समाचारों के अतिरिक्त कहानी, कविता, चुटकुले, खेलकूद, अर्धजगत्, विज्ञापन, लेख, समीक्षा आदि भी होते हैं। किन्तु समाचार—पत्र की असली भाषा, जिससे उसकी पहचान बनती है, उसमें प्रकाशित समाचारों की भाषा ही होती है। यह भाषा न तो संस्कृतिनिष्ठ विलश्ट हिन्दी होती है और न ही क्षेत्रीय भाषा अपितु वह दैनिक बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले आम आदमी की आषा होती है। एक उदाहरण देखिए जो 21 फरवरी 2005 को अमर उजाला में प्रकाशित समाचारों से लिया गया है—

जीवन के सबसे कठिन मुकाबले में लालू— यूएनआई पटना। बिहार जैसे पिछड़े राजव में राजनीतिक पार्टियों के लिए मुद्दों की कोई कमी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद लगभग सभी पार्टियाँ ने यह मान लिया है कि राज्य में चुनाव का सबसे बड़ा कोई मुद्दा

तो वह हैं— लालू यादव । बिहार में लालू सभी मुद्दों पर हावी नजर आ रहे हैं। बिहार में सभी मुद्दों को छोड़ चुनाव सिर्फ इस मुद्दे पर अटक गया है कि क्या राष्ट्रीय जनता दल पाँच साल के लिए सत्ता फिर से हासिल कर पाएगा या क्या विपक्षी पार्टियों राजद को सत्ता से हटा पाएगी। लेकिन बिहार में राजनीति के बाहुबली को पूरी उम्मीद है कि वह लगातार चौथी बार अपनी पार्टी को गद्दी दिलाने में कामयाब हो सकेंगे। लालू अकेले बूते पर अपनी पार्टी को काफी ऊपर तक ले जाने वाले एक षक्तिषाली नेता माने जाते हैं। लेकिन इस चुनाव में सरकार विरोधी लहर, — कानून—व्यवस्था व विकास की कमी के कारण उन्हें अपने राजनीतिक जीवन का सबसे कठिन मुकाबला झेलना पड रहा है।

पन्द्रह साल तक राज्य पर एकक्षत्र राज करने वाले लालू राज्य के पिछड़ेपन व बदतर कानून व्यवस्था के कारण इस बार एम— बाई मुसलिम—यादव समीरकण के समर्थन पर भी पूरी तरह आश्वस्त नहीं दिख रहे हैं। चुनाव बाद किए गए सर्वेक्षणों में अपनी पाटी को पीछे बताए जाने पर लालू कहते हैं कि विपक्षी पार्टियाँ उन्हें हराने को लेकर दिन में सपने देख रही है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी

लालू ने कहा कि यह चुनाव सिर्फ राजद शासन का पाँच साल बढ़ाने की अनुमति देने के लिए हो रहा है। लालू कहते हैं— लाठी मेरा थमीटर, गरीब और वंचित मेरे ट्रांसफॉर्मर। इन्हीं के बूते मैं विरोधियों को धूल चटा दूंगा। बिहार की राजनीति में सामंती ताकतों और जातिगत समीकरणों के बीच खुद को सामाजिक न्याय का मसीहा मानते हैं।

दरअसल ला ने बिहार का मर्म भापकर अपनी राजनीतिक पहचान को अलग की साँचे में ढाला है वह व्यक्तिगत पहचान की राजनीति को महत्व देते हैं जिसके कारण बिहार जैसे पिछड़े राज्य में राज करने का पारम्परिक जातीय ढाँचा टूटता है सामंती समाज में वह खुद को गरीब-गुरबों के सत्ता प्रतीक के रूप में स्थापित करते हैं, यही वह वजह है चुनाव में सत्ता विरोधी लहर अच्छा शासन और विकास जैसे मसले तो बहुत पीछे छूट जाते हैं। राजद नेता कहते हैं— पहले राज फिर विकास।

यहाँ प्रयुक्त भाषा की षब्दावली देखिए, मुद्दों, बावजूद, हावी, नजर, हासिल, उम्मीद, कायमयाब, मुकाबला, मसीहा आदि षब्द उर्दू के हैं तो पार्टी, एम-वाई, थर्मामीटर ट्रांसफॉर्मर अंग्रेजी के षब्द षक्तिषाली, एकक्षत्र, व्यवसी, आश्वस्त, सर्वेक्षणों, सत्ता प्रतीक आदि संस्कृत षब्द हैं तो पूरी भाषा बोल-चाल की हिन्दी है जिसमें मुहावरों का भी प्रयोग है यथा— धूल चटादेना, दिन में सपने देखना, सामाजिक न्याय का मसीहा होना।

एक अन्य समाचार जो 21-02-05 को आगरा से प्रकाशित उमर उजाला समाचार-पत्र में प्रकाशित हुआ, वह इस प्रकार है। इससे हमें समाचार-पत्र में की भाषा की जानकारी हो सकती है—

बिहार में फिल्मस्टारों ने चुनाव प्रचार में रंग भरा पटना।

बिहार में हो रहे विधानसभा चुनाव में राजनीतिक पार्टियों ने जहाँ अपने बड़े नेताओं को चुनाव प्रचार में उतारा है, वहीं मतदाताओं को अपने पक्ष में करने के लिए वे फिल्मी हस्तियों का भी सहारा ले रही है। फिल्मी सितारों ने बिहार के चुनाव प्राचार में रंग भर दिया है।

षत्रुघ्न सिन्हा और ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो राजेश खन्ना हीरो नम्बर— 1 गोविन्दा व रजा मुराद कांग्रेस प्रत्याषियों के लिए वोट माँगने में दिन-रात जुटे हैं। उधार, मुलायम सिंह यादव की समाजवादी पार्टी भी राज्य में अपना राजनीतिक जनाधार मजबूत करने राज्य की सत्ताधारी पार्टी राजद को सुपरस्टार लालू पर ही पूरा भरोसा है पार्टी को पूरी उम्मीद है कि लालू एक बार फिर नैया को पार लागाएँगे। बॉलीवुड अभिनेता सुनील षेट्टी अपने मित्र राज्यमन्त्री ष्याम रजक के लिए प्रचार कर रहे हैं। रजक फलवारी षरीफ (सुरक्षित) से चुनाव लड़ रहे हैं।

के लिए जयाप्रदा, जया बच्चन व राजबब्बर का सहारा ले रही है।

अपने वैसे चुनाव प्रचार के दौरान फिल्मी कलाकारों की सभाओं में काफी भीड़ जुट रही है लेकिन लोगों का मानना है कि इनका महत्व मनोरंजन तक ही है। चुनाव परिणाम पर इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ने वाला। इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि बरहस्पतिवार को पटना के जयप्रकाष नाराण हवाई अड्डे पर गोविन्दा को देखने के लिए भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। इस बारे में पटना के कंकड़बाग के रहने वाले एक व्यक्ति राकेश कुमार ने कहा कि फिल्मी हस्तियों की रैलियों में भीड़ उन्हें नजदीक से देखने के लिए उमड़ती है न कि वे उनके संदेशों से प्रभावित होते हैं।

उक्त समाचार की भाषा में हिन्दी, अंग्रेजी, एवं उर्दू (अरबी-फारसी) के प्रचलित षब्दों का प्रयोग है। यदि इन्हें वर्गीकृत किया जाय तो इस प्रकार कर सकते हैं—

अंग्रेजी षब्द— फिल्म स्टार, पार्टी, फिल्मी, ड्रीम गर्ल, खोट, सुपरस्टार, बालीवुड।

उर्दू षब्द— हस्तियों, मजबूत, उम्मीद, खास, नजदीक, भरोसा।

संस्कृत षब्द— राजनीतिक, प्रत्याषियों, प्रत्याषियों, जनाधार, सत्ताधारी, अभिनेता, राज्यमन्त्री महत्व, मनोरंज, अनुमान।

मुहावरे दिन रात जुटना, नैया पार लगाना ।

उक्त दोनों उदाहरणों से स्पष्ट है कि समाचार पत्र में प्रयुक्त समाचारों की भाषा आ आदमी की बोलचाल की भाषा होती है। पत्रकारों का पूरा ध्यान इस बात पर रहता है कि भाषा सरल, सहज रहे तथा उसमें विलम्बता न आने पाये।

समाचार-पत्र में प्रकाशित विज्ञापनों की भाषा- अखबारों में प्रकाशित होने वाले विज्ञापनों की भाषा भी अलग प्रकार की होती है। वस्तुतः विपणन एक कला है तथा विज्ञापन की भाषा भी आम भाषा से अलग होती है। विज्ञापन वह व्यावसायिक शक्ति है जिसके अन्तर्गत मुद्रिता शब्दों द्वारा विक्रय वृद्धि में सहायता मिलती है, ख्याति का निर्माण होता है एवं साख बढ़ती है।

विज्ञापन जनमत को प्रभावित करता है, उत्पादन की बिक्री बढ़ाता है तथा सूचनाओं को सार्वजनिक करता है।

अमर उजाला में प्रकाशित दो विज्ञापनों की भाषा देखिए-

उदाहरण 1, पी.एन.बी- आपकी सभी वित्तीय आवश्यकताओं का एवं समाधान-

1. आवास ऋण
2. कार ऋण
3. व्यक्तिगत ऋण

अचल सम्पत्तियों के बन्धक पर ऋण

कामकाजी दम्पतियों के लिए ऋण।

उदाहरण 2. आप है कहाँ?

टैक्सला का नया कलर टी.वी. है यहाँ ।

बेहतर है, महँगा नहीं,

पेप है-बूम्बा टैक्सला

विज्ञापनों की उक्त भाषा से स्पष्ट है कि वह सामान्य भाषा से अटपटी एवं विचलित होती है। उसमें व्याकरणिक विचलन होता है तथा वह उत्पाद की ओर आकाट करने वाली होती है।

विज्ञापनों की भाषा का अध्ययन करने के लिए विज्ञापनों की सूचनी अखबारों से बनायी जा सकी है किन्तु इस विज्ञापनों में शुद्ध हिन्दी को नहीं तलाशना चाहिए। बाजार में उपभोक्तावाद के चलते भाषा का स्वरूप भी बदला है। यदि उसे बाजारवाद के अनुरूप ढलना है तो उसका रूप तालमेल से बनी भाषा का होगा। पूँजी कमाने के लिए विज्ञापनदाता भाषा को मनचाहे रूप में बदल लेता है। इनकी भाषानीति को बदल पाना कठिन है क्योंकि वे इसी बात से परिचालित होते हैं कि उनका विज्ञापन वस्तु की बिक्री बढ़ने वाला हो।

कुछ ऐसे ही विज्ञापन इस प्रकार हैं-

1. बिटेनिया खाओ बल्ड कप जाओ- बिस्किट का विज्ञापन।
2. आई लव यू दिव्या परफेक्ट फिट इंस्टैंट हिट- दिव्या बनियान विज्ञापन।
3. जैसे मेरा एंकर व्हाइट टूथपेस्ट- टूथपेस्ट का विज्ञापन ।
4. ये अन्दी की बात है- अंडर गारमेंट का विज्ञापन।
5. वाह सुनील बाबू, नया घर नयी गाड़ी, नयी मिसेज, बढ़िया है- एषियन पेंटस का विज्ञापन।
2. मिंज की भाषा- रेडियो तकनीकी दृष्टि से ध्वनि पर आधारित जनसंचार माध्यम है जिसमें श्रोता कानों से सुनकर विषय को हृदयगम करते हैं जबकि अखबार एक ऐसा माध्यम है जिसमें चित्रों, शब्दों को देखकर, पढ़कर ही पाठक प्रभाव ग्रहण करते हैं।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

क्योंकि इन माध्यमों की स्वरूप अलग-अलग है अतः इसमें प्रयुक्त भाषा का स्वरूप भी अलग-अलग होता है। रेडियों में षब्द, ध्वनि, संगीत, मौन ध्वनि प्रभाव आदि से भाषा बनती है। उसकी टेकनीक बिल्कुल अलग है। रेडियों की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो मन पर यथेच्छ प्रीणाव डाले, भावनाओं को प्रकट करने में सक्षम हो, मन में बिम्बों को जाग्रत कर सके। रेडियों नाटकों में पहले से रिकार्ड किए गये ध्वनि प्रभावों, यथा- बादलों की गरज, आँधी की आवाज, रेलवे स्टेशन की चहल-पहल, बाजार, का ध्वन्यात्मक दृश्य, नदी या झरने का प्रवाह, घोड़े की टापों की आवाज, घड़ी की टिक-टिक, दरवाजों के खुलने या बन्द होने की आवाज, अन्तराल व्यक्त करने वाली संगीत आदि का समावेश करके अपेक्षित प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। वक्ता को स्वर के उतार-चढ़ाव लय या ताल के आधार पर स्वर में विविधता उत्पन्न करनी पड़ती है। उच्चरित षब्दों की महत्वपूर्ण भूमिका रेडियों में रहती है।

रेडियों कार्यक्रम अनेक प्रकार के होते हैं। रेडियों से जो समाचार प्रसारित किये जाते हैं। उनकी भाषा का स्वरूप अलग होता है, जबकि रेडियो रूपक, रेडियो नाटक, झलकी, फीचर आदि अनेक कार्यक्रमों की भाषा अलग प्रकार की होती है। इसी प्रकार रेडियों से प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की भाषा भी समाचार-पत्रों की विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा से अलग होती है।

रेडियों पर पढ़े जाने वाले समाचारों की भाषा अखबारों में छपने वाले समाचारों की भाषा से भिन्न होती है वह अखबारों की तुलना में अधिक शुद्ध व्याकरण सम्मत एवं तत्सम षब्दावली से युक्त होती है। एक उदाहरण से यह स्पष्ट हो जायेगा-

आकाषवाणी से 21-02-05 को सायंकाल 7 बजे प्रसारित हुए समाचार बुलेटिन की कुछ खबरें इस प्रकार थीं-

“ उच्चतम न्यायालय से जाहिरा षेख को अपने बैंक खातों का विवरण प्रस्तुत करने के लिए चार सप्ताह का समय दिया है न्यायालय ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को राज्य के मेडिकल कॉलजों में उपलब्ध सीटों का ब्योरा देने का भी निर्देश दिया है और यह भी बताने के लिए कहा है कि सम्बन्धित राज्यों में विभिन्न श्रेणियों में केन्द्रीय पूल में कितनी सीटें उपलब्ध होंगी। केन्द्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर राज में हुए अभूतपूर्व हिमपात से उत्पन्न कठिनाइयों से निपटने हेतु पूर्ण सहायता का आश्वासन दिया है जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग आज छठे दिन भी यातायात के लिए बन्द है।

केन्द्रीय मन्त्रिमण्डल ने शुक्रवार से प्रारम्भ हो रहे संसद के बजट सत्र के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विचार किया। बिहार और झारखण्ड के तीसरे दौर का चुनाव के लिए आज प्रचार समाप्त हो गया। केरल में राज्य सरकार के कर्मचारियों एवं शिक्षकों ने अपनी प्रस्तावित हड़ताल सरकार द्वारा वेतन आयोग के गठन का आश्वासन देते के बाद स्थागित कर दी।

आकाषवाणी के कार्यक्रम विवरण करने में प्रयुक्त भाषा की एक बानगी इस प्रकार है-

प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले आज के पेश कार्यक्रम 7 बजकर 10 मिनट पर डॉ. राजषेखर शर्मा की वार्ता होगी- मौलाना अब्दुल कलाम आजाद 7 बजकर 20 मिनट पर आप सुनेंगे- प्रादेशिक समाचार। समात बाजकर 30 मिनट पर डॉ. पेश कुमारी की वार्ता होगी- आँगनबाड़ी कार्यक्रम की उपयोगिता। १ वार्ताओं के अखिल भारतीय कार्यक्रम में आप सुनंगे रात साढ़े 9 बजे “अरुणाचल प्रदेश का लोक साहित्य। ११ 10 बजे फरमाइषी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम होगा- आपकी फरमाइष। कल प्रसारित कार्यक्रमों में युववाणी में सायंकाल 7 बजकर 10 मिनट पर आप सुनेंगे श्री मनेन्द्र पाठक का काव्य पाठ। विधानमण्डल समीक्षा का कार्यक्रम होगा 8 बजकर 10 मिनट पर।

उक्त दोनों विवरणों से हमें रेडियों की भाषा पता चलता है इस भाषा में भी ध्यान इस ओर केन्द्रित रहता है कि श्रोता बात को अच्छी तरह समझ लें किन्तु यहाँ भाषा का स्वरूप निखरा हुआ है। समाचार वाचन में वाक्य लम्बे-लम्बे हैं, भाषा शुद्ध हिन्दी है, जिसमें संस्कृत शब्दों का प्रयोग है किन्तु कार्यक्रम विवरण में समय, कार्यक्रम का नाम तथा

कार्यक्रम के प्रतिभागी का नाम बताया जाता है साथ ही वाक्य में पदक्रम आवश्यकतानुसार बदल देते हैं इससे प्रस्तुतीकरण की अधिक रोचक एवं प्रभावों बनाने का प्रयास किया गया है।

रेडियों समाचारों की भाषागत विषेशताएँ—

रेडियों पर पढ़े जाने वाले समाचारों की भाषा सरल, सहज एवं पारदर्शी हो

2. भाषा सुस्पष्ट हो, वाक्य छोटे हों, यथासम्भव सरल हों।

भाषा बोलचाल की भाषा के निकट होनी चाहिए। प्रचलित अंग्रेजी, उर्दू, शब्दों का प्रयोग कर सकत हैं किन्तु वे ऊपर से दूसे हुए नहीं होने चाहिए।

4. समाचार के स्रोत से घटना का सत्यापन कर लेना चाहिए।

समाचार में निहित तथ्यों में फेरबदल नहीं करना चाहिए।

6. समाचार की मूल आत्मा सुरक्षित रहनी चाहिए।

7. समाचार लेखक को भाषा की प्रकृति की जानकारी होनी चाहिए।

8. रूपान्तर लेखक को मार्ग निर्देशन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए।

9 समाचार लिख लेने के बाद उन्हें पुनरु पढ़कर जाँच लेना चाहिए।

10. समाचारों में तयपरकता का ध्यान रखा जाना चाहिए।

11. समाचार बुलेटिन निश्चित समय में पूरा हो जाय इसका ध्यान भी समाचार लिखने वाले को

रखना चाहिए।

रेडियो विज्ञापन की भाषा—

रेडियो पर प्रसारित होने वाले विज्ञापनों की भाषा भी अखबार में विज्ञापनों से कुछ भिन्न होती है। एक तो इन विज्ञापनों के साथ ध्वनि का प्रयोग किया जाता है, बैकग्राउण्ड में संगीत दिया जाता है, दूसरे इनके शब्द यदि तुकदार एवं संगीतात्मक हो तो उसका प्रभाव कुछ और ही पड़ता है। रेडियो विज्ञापनों के कुछ उदाहरण द्रष्टव्य है—

पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें— बड़ी डिटर्जेंट एवं केका

11. कोई वस्तु खरीदने से पहले उस पर आई. एस. आई. मार्क अवश्य जाँच लेना चाहिए क्योंकि आई.

एस.आई. मार्क गुणवत्ता की गारण्टी है।

भई लानत है। हममें से कुछ लोग अपने बच्चों को पोलियों की दवा नहीं पिला रहे हैं। पोलियो धर्म और जाति देखकर वार नहीं करता है। पल्स पोलियो टीकाकरण— सिर्फ दो बूँद जिन्दगी की। 27 फरवरी को पोलियो बूथ पर बच्चों की दवा पिलाने आवष्य आयें।

पअ. सर्वो प्लाइट हमें देता है जीवन की पहचान, सर्वो प्लाइट भरे हर ढंग के इंजन में वो जान कि इंजन चलें ज्यादा निभाये अपना वादा सर्वो प्लाइट डीजल इंजन आयल फ्राम इण्डियन आयल।

अ. दो बच्चों में तीन साल का अन्तरा सेहत का एक ही मन्तर।

स्पष्ट है कि विज्ञापनों की भाषा आम बोलचाल की वह भाषा है जिसमें आवश्यकतानुसार हिन्दी, अंग्रेजी, उर्दू के चलते हुए शब्दों का प्रयोग किया गया है।

वस्तुतः रेडियों पर तरह-तहर के कार्यक्रम पेश किये जाते हैं अतः उन सब में भाषा की एकरूपता नहीं रखी जा सकती। जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, वैसी भाषा गढ़ ली जाती है। फरमाइषी फिल्मी गीत को प्रस्तुत करने वाली उद्घोषिका की भाषा का एक नमूना देखिए।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

आप सब सुनना चाहते हैं, मुकेश की आवाज में फिल्म मेरा नाम जोकर का यह गीत जिसे लिखा है— नीरज ने और थुन बनाई

कृश्खखखखखख रेडियो सरकार के नियन्त्रण में रहता है अतः वहाँ की भाषा नीति सरकार ही तय करती है रेडियों की भाषा मानक हिन्दी कही जा सकती है क्योंकि सरकारी नीति के तहत विशेषतः समाचारों में मानक भाषा ही प्रयुक्त की जाती है।

टेलीविजन की भाषा—

टेलीविजन जन संचार का आडियो विजुअल — अर्थात् दृश्य—श्रव्य माध्यम है जिसमें एक ओर तो सजीव चित्र दिखाये जाते हैं तो दूसरी ओर उनकी आवाज भी सुनाई पड़ती है। अब तो टी. वी. के अनेक चैनल आ गये हैं जबकि पहले सरकारी नियन्त्रण वाला केवल दूरदर्शन ही था। दूरदर्शन की भाषा नीति का निर्धारण सरकार के दिशा निर्देश से न होकर उनके मालिकों की इच्छा के अनुसार होता है। दूरदर्शन के समाचार शुद्ध मानक हिन्दी में प्रस्तारित में आम भाषा का प्रयोग होता है जो हिन्दी, अंग्रेजी एवं उर्दू की मिश्रित शब्दावली से बना होता है।

इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने हिन्दी में अंग्रेजी शब्दों का ऐसा तालमेल किया है कि क्रिया को छोड़कर बाकी शब्द अंग्रेजी के अधिक होते हैं।

दूरदर्शन पर प्रसारित समाचारों की भाषा शुद्ध हिन्दी कही जा सकती है। यथा—

शदिल्ली के पटियाला हाउस अदालत में न्यायाधीश एस. एन. धींगरा ने 13 दिसम्बर को संसद पर हुए आतंकवादी हमले के मामले में सभी अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए अपना फैसला सुनाया। अदालत ने चारों अभियुक्तों को जाड्यन्त्र का दोषी करारा देते हुए फाँसी की सजा सुनाई। उल्लेखनीय है कि संसद पर हुए इस हमले में नौ सुरक्षाकर्मी शहीद हो गये थे और हमला करने वाले सभी आतंकवादी मारे गये थे।

दूरदर्शन पर दिखाये जाने वाले समाचारों की भाषा पढ़-लिखे लोगों की भाषा है किन्तु उसमें जान-बूझकर अंग्रेजी शब्द घुसेड़े नहीं गये हैं। जबकि केवल पर दिखाई जाने वाले अन्य चैनलों के समाचारों में प्रायः अंग्रेजी शब्दों की भरमार रहती है।

टेलीविजन के लिए समाचार लिखने हेतु निम्न बातों का ध्यान रखना अपेक्षित होता है—

1. भाषा सरल, सर्वग्राह्य होनी चाहिए जिसे अधिक से अधिक लोग समझ सकें।
2. वाक्य छोटे-छोटे और सरल हों। लम्बे वाक्यों के प्रयोग से बचना चाहिए।
3. प्रयास यह होना चाहिए कि कोई बात एक वाक्य में ही समाप्त हो जाय।
4. घटना का विवरण देते समय उसके क्रम में तारतम्य रखना चाहिए।
5. टेलीविजन के लिए समाचार लिखते समय उसके उस अंश को अधिक उजागर किया जाता है जिसमें कोठे चित्रात्मक रिपोर्ट दिखाई गई हो।
6. समाचारों की भाषा में आलंकारिकता नहीं होना चाहिए।
7. बोलचाल की ऐसी भाषा प्रयुक्त करनी चाहिए जो सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण हो।
8. यदि मुहावरों का प्रयोग करना आवश्यक हो तो केवल उन्हीं मुहावरों का इस्तेमाल करें जो जनमानस में रच-बस गये हैं।
9. अंग्रेजी, उर्दू के उन शब्दों का प्रयोग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। शब्दों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए।
10. समाचारों की शब्दावली में विविधता होनी चाहिए। शब्दों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए।
11. समाचार लिख लेने के बाद उसे पढ़कर सुधार लेना चाहिए। सारे तथ्य, तिथियाँ, घटनास्थल

किसी भी टेलीविजन कार्यक्रम को प्रस्तुत करने से पूर्व उसकी पटकथा लिख लेनी चाहिए। प्रत्येक शब्द, प्रत्येक दृश्य पूर्व नियोजित होता है। समाचारों के लिए समय निर्धारित होता है। अतः समाचार लिखने के बाद यह अनुमान कर लेना चाहिए कि कितनी देर में वह समाचार दिखाया जा सकेगा। फ्लैश न्यूज को भी कभी-कभी समाचारों में शामिल करना पड़ता है तब समाचार वाचक को यह कहना चाहिए कि अभी-अभी समाचार मिला है कि ननननन ओर तदुपरान्त फ्लैश न्यूज को देना चाहिए।

टेलीविजन के लिए लिखे जाने वाले समाचारों के बीच-बीच में घटनास्थल की रिपोर्ट भी दिखाई जाती है। इन रिपोर्टों में संवाददाता घटना स्थल से दर्शकों को सीधे सम्बोधित करता हुआ घटना का विवरण देता है और सम्बन्धित तस्वीरें भी मानीटर पर दिखाता है। इससे समाचार रोचक, विश्वसनीय, आकर्षक बन जाता है और दर्शक के पक्ष पर उसका प्रभाव अधिक पड़ता है।

टेलीविजन के लिए लिखे जाने वाले समाचारों में संक्षिप्तता का भी ध्यान रखना चाहिए।

टेलीविजन के विज्ञापनों की भाषा—

टेलीविजन पर दिखाये जाने वाले विज्ञापनों का मुख्य उद्देश्य इस प्रकार है—

1. किसी उत्पाद की ओर दर्शकों का ध्यान आकलट करना !
2. उस उत्पाद को खरीदने के लिए कहना।
3. दर्शकों में उस उत्पाद को खरीदने की इच्छा जाग्रत करना।

उत्पाद की विशेषताओं से परिचित करना।

टेलीविजन के लिए विज्ञापन तैयार करते समय भाषा को कुछ अटपटा बना दिया जाता है, उसमें संगीतात्मता का समावेश कर दिया जाता है। उसके शब्दों को इस प्रकार का बनाया जाता है जिससे वह सबके मन-मस्तिष्क को प्रभावित कर सके। यहाँ कुछ विज्ञापनों की भाषा दर्शनीय है—

1. दाँतों में दर्द ? नया टूथपेस्ट ट्राई किया ? दाँतों के साथ एक्सपेरीमेंट? कभी नहीं? दाँतों को चाहिए सुरक्षा सुपर शक्ति कॉलगेट— टू वे एक्शन— एक इसका असरदार झाग दाँतों में सड़न पैदा करने वाले कीटाणुओं का खात्मा करे, दो— कीटाणुओं के खिलाफ बनाये सुरक्षा कवच ।

वाह सुनील बाबू। नया घर, नई गाड़ी, नयी मिसोज, बढ़िया। एषियन पेंट्स का कमाल।

टी.वी. विज्ञापना के भाषा के गुण— भाषा सरल होती है।

2 वाक्य छोटे-छोटे होते हैं।

3. भाषा में अटपटापन होता है।

विज्ञापन की भाषा व्यापारिक नियमों का पालन नहीं करती।

भाषा में अटपटापन होने से वह सामान्य से विचलित होती है।

5. विज्ञापन की भाषा में तुकबन्दी एवं लायात्मकता का भी ध्यान रखते हैं।

7. विज्ञापनों की भाषा अतिशयोक्तिपूर्ण होती है।

8. भाषा में ध्वनिमूलक वैचित्र्य होता है, यथा—काम में दम, दाम में कमा

विपन की समय सीमा का ध्यान रखते हुए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कही जाती है।

10. लायात्मता विज्ञापनों की भाषाओं में जान डाल देती है।

11. कभी-कभी अन्य उत्पादों से तुलना करते हुए कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात



प्रयोजनमूलक हिन्दी

कही जाती है।

2 वर्तमान संचार व्यवस्था—

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी ने वर्तमान संचार व्यवस्था में आषाढीत परिवर्तन उपस्थित किये हैं यदि यह कहा जाये कि वर्तमान समय में संचार क्रान्ति उपस्थित हो गई है तो अतिषयोक्ति न होगी। संचार और प्रगति परस्पर जुड़े हुए हैं। प्राचनी समय में संचार व्यवस्था पंगु थी। दूर-दराज के लोग एक-दूसरे के सम्पर्क परिदृश्य बदला हुआ है। संचार सुविधाओं ने जीवन को सुविधाजनक बना दिया है और घर से हजारों पील दूर बैठे हुए परिजन भी हमें उतने दूर नहीं लगते क्योंकि संचार के आधुनिक उपकरणों के द्वारा हम उनसे बात कर सकते हैं, उनके सुख-दुःख की जानकर उसमें शामिल हो सकते हैं। आवागमन के साथ जितनी तीव्रता से विकसित हुए हैं, उतनी ही तीव्रता से संचार साधनों में भी विकास हुआ है।

संचार के वर्तमान साधन इस प्रकार हैं—

1. टेलीफोन,
2. मोबाइल फोन
3. ई-मेल
4. इंटरनेट
5. फैक्स

संचार अर्थपूर्ण सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाने की माध्यम हैं कोई जानकारी प्राप्त करने अपने विचार या मत दूसरों तक प्रेषित करने, अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संचार की आवश्यकता पड़ती है डा. हरिमोहन ने संचार की परिभाषा इस प्रकार की है—

१ संचार एक जटिल प्रक्रिया का परिणाम है जिसके द्वारा एक व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के बीच अर्थपूर्ण संदेशों (उमंदपदहनिस डमेंहम) का आदान-प्रदान होता है तथा उनके बीच एक समस्या विकसित होती है।

संचार का स्वरूप आवश्यकताओं के अनुरूप बदलता है। आज दो व्यक्तियों के बीच सम्पर्क का सबसे सरल उपाय टेलीफोन है। एक-दूसरे से बात करने के लिए टेलीफोन सर्वसुली एवं सबसे सस्ता साधन है। पहले जो कार्य पत्रों द्वारा होता था वह अब टेलीफोन से होने लगा है। भारत के दूर-दराज गाँवों तक में अब टेलीफोन सुविधा उपलब्ध है।

टेलीफोन में तार के माध्यम से बात करने वाले जुड़े होते हैं चाहे वह भूमिगत केबिल के रूप में हों या लड़ों पर लगे तारों के रूप में। जब कभी तार टूट जाते हैं तो टेलीफोन सम्पर्क भी टूट जाता था, जिससे संचार में बाधा पड़ती थी। अब इस दिशा में प्रगति हुई है और अनेक दूरसंचार कम्पनियों ने मोबाइल फोन की सेवाएँ प्रदान कर दी हैं। इसमें तार का कोई झंझट नहीं है। टावर लगाकर संदेशों को इलेक्ट्रॉनिक रेडियों तरंगों में प्रेषित करके संदेश का प्रेषण किया जाता है। मोबाइल फोन पर बात कर सकते हैं तथा एस. एस. के माध्यम से लिखित संदेश भी भेज सकते हैं। विकसित देशों में ऐसे मोबाइल का भी विकास हुआ है जिसमें इसका उपयोग करने वाले दोनों व्यक्तियों की तस्वीर भी स्क्रीन पर आ जाती है मोबाइल एक प्रकार का छोटा कम्प्यूटर है जिसमें बहुत सारी सुविधाएँ प्रदान की जा सकती हैं।

फैक्स मशीन आज के युग में अत्यन्त उपयोगी हैं इसके द्वारा हम अपने लिखित पत्रों को वांछित स्थान पर पहुँचा सकते हैं। छपा हुआ मैटर, चित्र, हाथ से लिखे दस्तावेज पत्र इत्यादि फैक्स मशीन द्वारा टेलीफोन लाइन से जोड़कर दूसरी ओर बैठे रिसीवर संग्राहक को फैक्स पर प्रेषित कर दिए जाते हैं। टेलीफोन नम्बर की तरह एक फैक्स नम्बर भी होता है। आप अपने फैक्स पर प्रेषित कर दिए जाते हैं। टेलीफोन नम्बर की तरह एक फैक्स नम्बर भी होता है। आप अपने फैक्स से किसी अन्य फैक्स नम्बर पर कोई भी लिखित दस्तावेजों

ज्यों का त्यों प्रेशित कर सकते हैं। व्यापारियों एवं उद्यमियों के लिए फैंक्स मशीन अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई है।

इंटरनेट एवं ई-मेल कम्प्यूटर द्वारा प्रदत्त संचार सुविधाएँ हैं इंटरनेट जहाँ हमें सम्पूर्ण विश्व की प्रमुख बवेबसाइटों से जोड़ता है तथा उनके उपयोग की सुविधा प्रदान करता है वहीं यह ई-मेल के क्षरा भी सारे विश्व से जुड़ जाते हैं। ई-मेल एड्रेस पता पर आप जो पत्र मँगाते हैं वह दूसरे कम्प्यूटर के द्वारा हमारे कम्प्यूटर पर आ जाता है, जिसे हम मानीटर स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं और आवष्कता होने पर उसका प्रिन्ट आउट निकाल सकते हैं। वह प्रिन्ट निकालकर उसे छपे हुए पत्र के रूप में हमें पढ़ सकते हैं। इंटरनेट पर सूचनाओं का भण्डार रहता है। इसने संचार के क्षेत्र में क्रान्ति ला दी है और तमाम सूचनाएँ हमें घर बैठ अपने कम्प्यूटर स्क्रीन पर उपलब्ध करादी है। विश्व की प्रमुख लाइब्रेरियाँ की पुस्तकें भी इंटरनेट पर देखी जा सकती है। यदि उस पुस्तकालय में इंटरनेट में पुस्तकें सुरक्षित की गई हैं अस्पतालों में होने वाले आपरान, उनकी जटिल प्रक्रिया भी कम्प्यूटर स्क्रीन पर इंटरनेट से देखी जा सकती हैं। इसे चौटिंग कहा जाता है। युवाओं में आजकल चौटिंग मनोरंजन का एक प्रमुख साधन बनता जा रहा है। इस विवेचन से स्पष्ट है कि वर्तमान समय में संचार सुवधाओं की उपलब्धता के चलते दुनिया अत्यन्त छोटी हो गई है। देश-विदेश की घटनाएँ पलक झपकते सारी दुनिया में टी.वी. चैनलों के माध्यम से प्रसारित हो जाती है। उद्योग-व्यापार का दयारा बढ़ा हैं प्रमुख कम्पनियाँ अब अनेक देशों में अपनी व्यापारिक शाखाएं खोल रही हैं, क्योंकि संचार की बेहतर सुविधाएँ उपलब्ध हैं।

उपग्रह आधारित संचार सुविधाओं ने आज मानव को विज्ञान के क्षेत्र में भी आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाया है। आज मौसम की भविष्यवाणी की जा सकती है, प्राकृतिक आपदाओं की जानकारी समय पूर्ण देकर मानव को विनाश से बचाया जा सकता है। चन्द्रमा, मंगल से भी संदेश प्राप्त किये जा सकते हैं। इनकी सतह की तस्वीरें धरती पर प्राप्त की जा सकती है।

टेलीविजन ने सामाजिक जीवन को प्रभावित किया है। आज लगभग पचास चैनल टेलीविजन पर उपलब्ध हैं। पहले जहाँ रेडियों ही हमें देश-दुनिया की खबरों से परिचित कराता था, वहाँ आज ये चैनल हमें पल-पल की जानकारी दे रहे हैं, घर बैठे हमारा मनोरंज कर रहे हैं। बच्चों के लिए तमाम कार्यक्रम हैं, महिलाओं के लिए मनोरंजन प्रधान सीरियल हैं तो बुद्धिजीवियों की मानसिक तुष्टि के लिए राजनीतिक घटनाचक्र से परिचित कराने वाले न्यूज चैनल्स तथा ज्ञान पिपास को शान्त रहने वाले डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक्स चैनल भी है। पुरानी फिल्मों का आनन्द स्टार गोल्ड पर ले सकते हैं तो स्पोर्ट्स का मजा ई.एस.पी.एन स्टार स्पोर्ट्स तथा दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर ले सकते हैं। ये चैनल जीवंत कार्यक्रम भी दिखाते हैं तथा रिकार्ड किये गये कार्यक्रमों का भी प्रसारण करते हैं।

किन्तु हमें यह भी सोचना है कि इन सुविधाओं का लाभ हमारे देश का ग्रामीण जनता किस प्रकार प्राप्त कर सकती है। जहाँ जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं की भी कमी हो वहाँ संचार सुविधाएँ किस काम की। यह ठीक है कि स्वतन्त्रता के उपरान्त भारत ने अनेक क्षेत्रों में आषातीत प्रगति की है तथापि जब तक इस प्रगति का लाभ गाँव का सबसे गरीब व्यक्ति नहीं उठा पाता तब तक गाँधी के सपनी का भारत नहीं बन सकेगा। वे चाहते थे कि भारत की तरक्की सर्वाधिक गरीब व्यक्ति की आँखों से आँसू पोछने में समर्थ हो।

संचार के क्षेत्र में अभी और भी विकास होना है। अगले पाँच वर्षों में सम्भवतः यह तस्वीर बदलेगी और ऐसी प्रौद्योगिकी विकसित होगी जिसका लाभ गरीब से गरीब व्यक्ति भी उठा सगा तभी गाँधी जी का सपना पूरा होगा।

10. प्रमुख जन-संचार माध्यम

दो व्यक्तियों के बीच पारस्परिक सूचना के आदान-प्रदान को संचार कहते हैं किन्तु जन-संचार का तात्पर्य है दी गई सूचना को व्यापक जनता द्वारा ग्रहण करना। जिन माध्यमों से यह सूचना समाचार जनता तक पहुँचता है उन्हें जनसंचार माध्यम कहते हैं। जन-संचार से जनता का बहुत बड़ा वर्ग प्रभावित होता है। मोटे तौर पर संचार माध्यमों को दो वर्गों में बाँटा जा सकता है—



प्रयोजनमूलक हिन्दी

परम्परागत माध्यम

2. आधुनिक माध्यम।

परम्परागत माध्यम से हमारा तात्पये संचार के उन परम्परागत साधनों से है जिनके द्वारा कोई सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाई जाती है। पौराणिक कथाओं में नारद जी संचार के ऐसे ही माध्यम थे जो एक लोक के समाचार दूसरे लोक तक तथा एक देवता के समाचार दूसरे देवता तक पहुँचाते थे। पुराणों में नारद को इस भूमिका को व्यक्त करने वाली अनेक कथाएँ हैं। महाभारत में संजय अपनी दिव्य दर्पश्रुति से अन्धे राजा धरतराष्ट्र को युद्ध के समाचार इस प्रार सुनाते थे, जैसे— वर्तमान समय में कोई कमेंटेटर टी.वी. पर खेल का आँखों देखा हाल सुनाता हो भले ही ये घटनाएँ अविश्वसनीय प्रतीत हो किन्तु इनमें इतना तो पता चलता ही है कि प्राचीन काल में भी संचार की आवश्यकता थी।

सामान्यताया संचार व्यवस्था में पत्र पहुँचाने के लिए पक्षियों, धावकों, घुड़सवारों एवं ऊँच पर चलने वाले व्यक्तियों को सहारा लिया जाता था। रेगिस्तानी इलाकों में साडनी सवार ऊँट पर चलने वाले बड़ी तीव्रता से संदेशों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुँचाते थे। राजकीय आदेश जनता में प्रसारित करने के लिए राजा सोग डोंडी पिटवाते थे। एक व्यक्ति दोल बजाता चलता था और लोगों के इकट्ठे हो जाने पर राजा का आदेश बढ़कर सुना देता था।

परम्परागत जनसंचार में मेल, उत्सवों पर्वों तीर्थ यात्राओं आदि का भी विशेष योगदान था। इन स्थानों पर भारी संख्या में भीड़ एकत्र होती है जिसका लाभ उठाकर संतजन एवं तपस्वी साधु अपनी पवित्रवाणी से उपदेश देकर जनता को धर्म-कर्म की शिक्षा भी देते थे और जनता के बहुत बड़े बवर्ग तक अपना संदेश प्रसारित करते थे। कथा-वर्ता, धार्मिक उपदेश यज्ञ आदि के द्वारा जनसंचार होता था। ऐसे स्थलों पर आयोजित लोककला पर्व, यथा— लोकनाट्य, लोकगीत, लोकगाथाएँ, भी जनता को संदेश देती थी। अतः वे भी जनसंचार में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करती थी। रामलीला, रासलीला, तमाषे, नौटंकी कठपुतली का नाच लोककलाएँ वास्तुकला एवं शिल्पकला भी जनसंचार के माध्यम के रूप में प्राचीनकाल में प्रयुक्त होते रहे हैं।

व्यक्ति संदेश प्रेषण हेतु तेज चलने वाले घोड़ों ऊँट आदि पर सवार व्यक्तियों की सेवाएँ ली जाती थी। अथवा कबूतर तोते जैसे प्रशिक्षित पक्षियों की सेवाएँ भी पत्र आदि के माध्यम से संदेश देने हेतु हमारे देश में ली जाती हैं।

1. जन-संचार के आधुनिक माध्यम—

जैसे-जैसे विज्ञान एवं तकनीक ने प्रगति की वैसे-वैसे संचार सुविधाओं में भी प्रगति हुई। पत्र द्वारा संदेशों का आदान-प्रदान केन्द्र सरकार का पोस्ट एण्ड टेलीग्राम डिपार्टमेंट करता है। पहले टेलीग्राम भेजने के लिए प्रत्येक तारघर में एक उपकरण होता था। जिसका कोडवर्ड संदेश का शीघ्रता से प्रेषण कर देते थे किन्तु अब यह आउट आफ डेट गया है। संचार के आधुनिक उपकरणों में टेलीफोन मोबाइल फोन, ई-मेल फ़ैक्स आदि का उपयोग होने लगा है। मोबाइल फोन ने तो हमारे जीवन को ही बदल दिया है। भारत जैसे विकसित देश में मोबाइल सेवाओं का दिनों दिन विस्तार हो रहा है और अब एक औसत मध्यमवर्गीय भारतीय की जेब में मोबाइल फोन देखा जा सकता है जो उसे सदैव अपने परिवार एवं मित्रों के सम्पर्क में रखता है जब चाहे तब वह अपने बन्धु-बांधवों से सुख-दुःख की चर्चा कर अपने अकेलेपन को दूर कर सकता है। एक समय था जब मोबाइल फोन का बिल मध्य वर्ग की जेब पर भारी पड़ता था किन्तु अब यह आम उपभोक्ता की पहली पसन्द है। काल की दरें भी सस्ती हैं तथा थोड़े से रूपयों में आप मोबाइल फोन सेवाएँ प्राप्त कर सकते हैं। संचार का सबसे सुलभ साधन मोबाइल फोन है जो सहज उपलब्ध है, सस्ता है, तथा सभी ज़ांझटों है न और कोई खराबी आती है। निष्चय ही संचार के वर्तमान उपलब्ध साधनों में मोबाइल फोन सर्वाधिक लोकप्रिय है। मोबाइल पर लिखित सन्देश भी एस. एम.एस. के माध्यम से प्राप्त किये जा सकते हैं।

फैक्स मशीन, टेलीफोन लाइन से जुड़ी एक ऐसी मशीन है जिस पर सन्देश, पत्र, चित्र, डिजाइन आदि प्राप्त की जा सकती है। एक व्यक्ति अपने फैक्स पर जो कागज लगायेगा उसकी ठीक जैसी ही तस्वीर दूसरे इच्छित नम्बर वाले फैक्स पर भेज दी जायेगी। मोबाइल एवं फैक्स की सुविधाओं ने अब व्यक्ति एवं व्यापारिक जगत् में पत्रों के महत्व को कम कर दिया है।

कम्प्यूटर में इंटरनेट एवं ई-मेल के माध्यम से भी संचार सुविधाओं का विस्तार हुआ है। इंटरनेट कई कम्प्यूटर का परस्पर जुड़ा हुआ ऐसा जाल है जिसमें एक सूचना को जाल से जुड़े अन्य कम्प्यूटर प्राप्त कर सकते हैं। ई-मेल पर आप अपने लिए पत्र आदि भेज सकते हैं। यदि आपका कोई ई-मेल एड्रेस दूसरे को पता है तो वह उस पर आपके लिए पत्र आदि भेज सकता है। यह पत्र आपके कम्प्यूटर स्क्रीन पर आ जायेगा जिसे आप चाहें तो प्रिन्टर द्वारा प्रिन्ट करके प्राप्त कर सकते हैं।

जनसंचार के आधुनिक माध्यम में जो प्रगति हुई है उसे तीन प्रकार के माध्यमों में विभक्त किया जा सकता

1. शब्द संचार माध्यम या प्रिन्ट मीडिया,
2. श्रव्य संचार माध्यम,
3. श्रव्य-दृश्य संचार माध्यम।

1. शब्द संचार माध्यम (उत्प्रेषण माध्यम) – शब्द संचार माध्यम को मुद्रण माध्यम भी कहते हैं। इसके अन्तर्गत छपे हुए समाचार-पत्र, पत्रिकाएँ, पुस्तकें, पैम्फलेट, हैंडबिल, पोस्टर आदि आते हैं। गाँवों में कोई संदेश देने के लिए फ्लैट और पोस्टर सबसे प्रभावी जनसंचार माध्यम हैं। पैम्फलेट से तात्पर्य उन छपे हुए पत्रों से है जिनके माध्यम से कोई संदेश दिया जाता है। परिवार नियोजन, वृक्षारोपण, पर्यावरण प्रदूषण, बैकलॉप ऊर्जा, सरकारी योजनाएँ, कृषि ऋण एड्स जागरूकता अभियान आदि विभिन्न विषयों पर पैम्फलेट छपवाकर ग्रामीण जनता में वितरित कर दिये जाते हैं। इन पैम्फलेटों को पढ़कर और जो निरीक्षक हैं वे दूसरों से सुनकर इसमें लिखे संदेश को ग्रहण कर लेते हैं चुनाव के समय राजनीतिक दल भी इस प्रकार के पैम्फलेटों का प्रयोग अपने प्रचार के लिए करते हैं।

पैम्फलेट की पढ़कर प्रायः फेंक दिया जाता है किन्तु पोस्टर दीवार पर या वाहन पर चिपका दिये जाते हैं। पोस्टर आकर में बड़े होते हैं तथा उनमें चित्रों की सहायता भी ली जाती है। पोस्टर पर दिये गये नारे प्रायः तुकबन्दी लिए हुए होते हैं अतः वे जवान पर चढ़ जाते हैं। बच्चे उन्हें रट लेते हैं और गली-मोहल्ले में गुनगुनाते फिरते हैं। विज्ञापन का सर्वसुलभ साधन पोस्टर है। कभी-कभी पोस्टरों का स्थान बड़े-बड़े हाडिंग्स भी ले लेते हैं। पोस्टर कागज के होते हैं अतः कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाते हैं जबकि होर्डिंग्स टीन या स्टील की चादरों को पेंट करके बनाये जाते हैं तथा सार्वजनिक स्थलों पर उन्हें लगाने की स्थायी व्यवस्था कर दी जाती है। उन पर लिखे संदेश जनता को प्रभावित करते हैं। परिवार नियोजन के विविध उपायों की जानकारी देने वाले ऐसे होर्डिंग्स सभी प्राइमरी हेल्थ सेण्टर्स पर देखे जा सकते हैं। जनसंचार का प्रभावी माध्यम ये होर्डिंग्स हैं— इससे इनकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण जनता को संदेश देने के लिए इनसे बेहतर साधन आज टी.वी के अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं है।

प्रिन्ट मीडिया में सबसे शक्तिशाली जनसंचार माध्यम दैनिक समाचार-पत्र है। साप्ताहिक, मासिक पत्रिकाओं की सीमित भूमिका है, किन्तु उनके महत्व को नकारा नहीं जा सकता। जनता तक अपनी बात पहुँचाने के लिए समाचार-पत्र की महती उपयोगिता है। भारत के स्वतन्त्रता आन्दोलन में प्रेस की प्रभावी भूमिका रही है। गाँधी जी अपने विचार समाचार-पत्रों में लिखे गये लेखों के माध्यम से जनता तक पहुँचाते थे। नवजीवन का प्रकाश उन्होंने इसी उद्देश्य से किया था। जहाँ तक अखबार की शक्ति का प्रश्न है, कहा जाता है कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो अर्थात् तोप की शक्ति का मुकाबला अखबार से ही किया जा सकता है। अखबार में जो कुछ छपता है उससे जनमत प्रभावित होता है और तात्कालिक मुद्दों विषयों पर जनता अपनी राय बनाती है।

प्रयोजनमूलक हिन्दी

स्वतन्त्रता के बाद भारत में हिन्दी, अंग्रेजी, बंगला, गुजराती, उडिया, उर्दू, मलयाली, तमिल, समाचार-पत्रों की बाद सी आ गई। समाचार-पत्र को लोकतन्त्र का चौथा स्तम्भ का जाता है। वे जनता की आवाज को बुलन्द करते हैं, जनमत का निर्माण करते हैं तथा सरकार की न्यायोचित बात का समर्थन और अन्यायपूर्ण बात का विरोध करते हैं। अखबारों में प्रकाशित आलोचनाओं से जनता की नब्ज टटोलकर कभी-कभी सरकार अपने निर्णयों पर पुनर्विचार भी करती है और जन-विरोधी आदेश वापस ले लेती है।

2. हिन्दी पत्रकारिता का संक्षिप्त इतिहास—

साहित्यिक पत्रकारिता का भी हिन्दी में विशेष स्थान है। भारतेन्दु युग में जहाँ भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के सम्पादकत्व में कविवचन सुधा, हरिश्चन्द्र चन्द्रिका नामक मासिक पत्रिकाएँ छपती थी वहाँ प्र. प्रताप नारायण मिश्र के सम्पादकत्व में ब्राह्मण तथा पं. बालकृष्ण भट्ट के सम्पादकत्व में हिन्दी प्रदीप का प्रकाशन होता था। बद्रीनारायण चौधरी प्रेमधन, आनन्द कादम्बिनी के सम्पादक थे। द्विवेदी युग की सर्वाधिक महत्वपूर्ण साहित्यिक पत्रिका सरस्वती थी जो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के कुशल सम्पादकत्व में छपती थी। इस पत्रिका ने सन् 1900 से 1920 तक के हिन्दी जगत् को सर्वाधिक प्रभावित किया। हिन्दी भाषा और साहित्य के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।

प्रेमचन्द के सम्पादकत्व में हंस जयषंकर प्रसाद के सम्पादकत्व में इन्दु बनारसीदास चतुर्वेदी के सम्पादकत्व में विषाल भारत में पर्याप्त ख्याति अर्जित की। निराला जी कोलकाता से प्रकाशित होने वाले मतवाला से जुड़े थे।

स्वातंत्र्योत्तर पत्रिकाओं में साप्ताहिक हिन्दुस्तान में मनोहर प्याम जोषी के नेतृत्व में तथा धर्मयुग ने धर्मवीर भारती के सम्पादकत्व में प्रशंसा अर्जित की। कहानी पत्रिकाओं में सारिका नई कहानी आदि उल्लेखनीय हैं। हिन्दी की अन्य पत्रिकाओं में सरिता, कादम्बिनी, आलोचना आदि के नाम लिये जा सकते हैं।

उदन्त मार्तण्ड को हिन्दी का पहला साप्ताहिक अखबार माना जाता है जो 1826 ई. में कोलकाता से पण्डित युगल किशोर शुक्ल के सम्पादन में प्रकाशित हुआ था। तब से लेकर अब तक न जाने कितने समाचार-पत्र प्रकाशित हुए। हिन्दुस्तान, नवभारत टाइम्स, पंजाग केसरी, अमर उजाला, दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका आदि दैनिक समाचार-पत्रों अपनी साख बनाई है। इनकी प्रसार संख्या में आषाढीत वृद्धि हुई है और अब हिन्दी अखबारों ने अंग्रेजी अखबारों की तुलना में अपने लिए अधिक पाठक संख्या प्राप्त कर ली है।

भारतेन्दु जी ने अपनी पत्रिकाओं के माध्यम से भारतवासियों में चेतना जाग्रत करने का प्रयास करते हुए कहा— जैसे हजार धारा होकर गंगा समुद्र में मिली है, वैसे ही तुम्हारी लक्ष्मी हजार तरह से इंग्लैण्ड जर्मनी, अमेरिका को जाती है। दियासलाई जैसी तुच्छ वस्तु भी वहीं से आती है। जराअपने ही को देखो तुम जिस मारकीन की थी पहने हो वह अमेरिका की बनी है, जिस लंकलाट का तुम्हारा अंग है, वह इंग्लैण्ड का है। फरौसीस की बनी कंधी से तुम सिर झारते ही और जर्मनी की बनी चरबी की बती तुम्हारे सामने जल रही है।

स्वतन्त्रता आन्दोलन में भी हिन्दी पत्रकारिता का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। स्वातन्त्र्य संघर्ष में हिन्दू-मुसलमान दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया था। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने लिखा है— सभी भारतीय चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, हर बात को एक ही दर्पशकोण से देखते थे और घटनाओं की एक ही एंग से आँकते थे। हिन्दू-मुस्लिम सौहार्द्र ही हिन्दी-उर्दू पत्रकारिता की आधारशिला थी। राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द का बनारस अखबार उल्लेखनीय था।

बाबू बालमुकुन्द गुप्त के सम्पादकत्व में भारत मित्र कोलकाता से प्रकाशित होने वाला महत्वपूर्ण अखबार था। कोलकाता से ही बंगवासी, सार सुधानिधि, उचित वक्ता प्रकाशित होते थे।

तिलक के सम्पादकत्व में मराठा, केसरी अखबार निकलते थे। स्वतन्त्रता आन्दोलन में अखबारों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए प्रसिद्ध पत्रकार जगदीश प्रसाद चतुर्वेदी ने लिख है— जहाँ तक क्रान्तिकारी आन्दोलन का प्रश्न है, भारत का क्रान्तिकारी आन्दोलन बन्दूक और बम से नहीं, समाचार-पत्र से शुरू हुआ। स्वतन्त्रता आन्दोलन के समय प्रकाशित होने वाले कुछ समाचार-पत्रों का विवरण इस प्रकार है—

सम्पादक

पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र

क्र. सं.

समाचार-पत्र का नाम

प्रकाशन स्थान —

1. स्वदेश
2. अभ्युदय
3. लीडर इलाहाबाद इलाहाबाद
4. युगान्तर
5. गदन
6. बन्दे मातरम् कोलकाता
7. कर्मयोगी
8. प्रताप कानपुर
9. कर्मवीर जबलपुर
10. सैनिक आगरा
11. आज बनारस पुरुषोत्तम दास टण्डन, कृष्णकान्त मालवीय सरदार करतार सिंह
विपिन चन्द्रपाल

पं. सुन्दरलाल

गणेश शंकर विद्यार्थी

माखनलाल चतुर्वेदी

श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

बाबूराव विश्णु पराङकर

हिन्दी में प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों की सूची बहुत लम्बी है। कुछ प्रमुख पत्र-पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं—

पत्र-पत्रिका का नाम

संस्थापन वर्ष

प्रकाशन स्थान

1. तिमि • 1916 कोलकाता
2. आज 1919 काशी
3. हिन्दी मिलाप 1929
4. दैनिक हिन्दुस्तान 1936 दिल्ली
5. नवभारत 1938 नागपुर



प्रयोजनमूलक हिन्दी

प्रकाशक/सम्पादक का नाम

मूलचन्द्र अग्रवाल

षिव प्रसाद गुप्त बाबूराव विश्णु पराडकर

सुदर्शन, हरिकृष्ण प्रेमी

मुकुट बिहारी वर्मा हरिनारायण निगम

रामगोपाल माहेश्वरी

6. दैनिक नवज्योति 1936 अजमेर दीनबन्धु चौधरी आर्यावर्त 1941 पटना जयकान्त मिश्र
नवभारत टाइम्स 1947 दिल्ली सत्येदव विद्यालंकार, अक्षयकुमार जैन, नई दुनिया 1947
इन्दौर

अज्ञेय, विद्यानिवास मिश्र

बसन्ती लाल सेठिया

10. । स्वतन्त्र भारत 1947 लखनऊ घनश्याम पंकज

11. नवजीवन 1947 लखनऊ सत्यदेव शर्मा

12. दैनिक जागरण 1947 कानपुर पूर्णचन्द्र गुप्ता नरेन्द्र मोहन

13. अमर उजाला 1948 आगरा डोरी लाल अग्रवाल अषोक अग्रवाल अजय अग्रवाल

14. सन्मार्ग

15. युगधर्म 1948 वाराणसी रामावतार गुप्ता 1951 नागपुर

16. राष्ट्रदूत 1951 जयपुर युगल किशोर चतुर्वेदी

17. बीर अर्जुन 1954 दिल्ली अनिल नरेन्द्र

18. / राजस्थान पत्रिका 1956 जयपुर कपूर चन्द्र कुलिश

19. दैनिक भास्कर 1958 भोपाल

20. पंजाब केसरी 1964 जालन्धर

21. स्वदेश 1971 इन्दौर काशीनाथ चतुर्वेदी, रमेशचन्द्र अग्रवाल लाला जगत नारायण विजय
कुमार स्वदेश रस्तोगी प्रकाश बोहरा

22 तरुण भारत 1974 लखनऊ वचनेश त्रिपाठी

23. अमर प्रभाव 1977 इलाहाबाद तुशार क्रान्ति घोष

24. दैनिक ट्रिब्यून 1978 चण्डीगढ़ बी.एन. नारायणन

25 जनसत्ता 1983 दिल्ली प्रभाश जोषी

26. राष्ट्रीय सहारा 1991 दिल्ली सुब्रताराय, जोषी

उक्त समाचार-पत्रों के अतिरिक्त हिन्दी की कुछ पत्रिकाओं के नाम इस प्रकार हैं—
पत्र-पत्रिका का नाम

संस्थापन वर्ष

प्रकाशन स्थान

प्रकाशक/सम्पादक का नाम

कल्याणरू 1926 गोरखपुर परिता 1945 दिल्ली हनुमान प्रसाद पोदार

विश्वनाथ पंचतन्त्र 1947 लखनऊ

MATS Centre for Distance and Online Education, MATS University

चन्दामापा 1949 मद्रास (चेन्नई) नागारेड्डी,

चक्रपाणि धर्मयुग 1950 बम्बई (मुम्बई)

इलाचन्द्र जोषी, धर्मवीर भारतीय, गणेश पन्त्री

6. साप्ताहिक हिन्दुस्तान 1950 दिल्ली

7. नवनीत 1952 बम्बई (मुम्बई) हरिप्रसाद

मुकुट बिहारी वर्मा, मनोहर प्याम जोषी, राजेन्द्र अवस्थी मणलाल पाण्डे नेवटिया सत्यराय विद्यालंकार मनोरमा

1924 इलाहाबाद क्षितीन्द्र मोहन मिश्र प्राण 1930

इलाहाबाद आलोक मिश्र 10 थ्ट नया 1000

11. बालभारती 1958 नई दिल्ली

12. 1 पराग 1958 बम्बई (मुम्बई)

13. मुक्ता 1960 दिल्ली

14. कादम्बिनी 1962 इलाहाबाद प्रयाग नाराण त्रिपाठी, शिव कुमार

सत्यकाम विद्यालंकार, हरिकृष्ण देवसरे

विश्वनाथ बालकृष्ण राव, राजेन्द्र अवस्थी

15. द्य ब्लिट्ज 1964 बम्बई (मुम्बई) आर. के. करंजिया

16. नन्दन 1964 दिल्ली

17. दिनमान 1965 दिल्ली

18. चम्पक 1968 दिल्ली जयप्रकाश भारती अज्ञेय, सर्वेश्वर, घनष्याम पंकज विश्वनाथ

19. सारिका 1970 बम्बई, दिल्ली मुद्गल

20. रविवार 1977 कलकत्ता उदयन शर्मा

21. इण्डिया टुडे 1987 दिल्ली अरुणपुरी

समाचार-पत्र की कार्यविधि-

समाचार-पत्र सूचना एवं संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका अदा करते हैं। सम्पादकीय के माध्यम से समाचार-पत्र सामाजिक विषयों पर अपनी राय भी प्रस्तुत करते हैं। तथा क्या हो रहा है और क्या होना चाहिए। जैसे नाजुक मसलों पर बेवाक टिप्पणी देकर जनता को शिक्षित करने का भी कार्य करते हैं।

समाचार-पत्रों में समाचारों की भाषा आम बोलचाल की भाषा होती है जिसे अधिकांश पाठक समझ लें। आडम्बरपूर्ण शैली को लोग पसन्द नहीं करते। एक अच्छा समाचार वही है। जिसमें क्या कब कहाँ किसने क्यों, और कैसे का उत्तर मिल रहा हो। समाचार लेखनके पहले पैराग्राफ में ही इन प्रश्नों का उत्तर मिल जाना चाहिए। समाचार लिखते समय घटना की सत्यता की जाँच परख कर लेनी चाहिए। तथ्यों में तोड़-मोड़ नहीं करनी चाहिए। और केवल ऐसे समाचार ही देने चाहिए जो जनरुचि के

अनुकूल हों। समाचार सम्पादन में शीशकीकरण, पृष्ठ विन्यास पृष्ठ सज्जा, पेज मेंकिंग की विशेष भूमिका रहती है। पत्रकार को अनेक प्रकार की घटनाओं की रिपोर्टिंग करने के साथ-साथ प्रमुख व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने पड़ते हैं, पत्रकार वर्ता में भाग लेना पड़ता है सरकारी, विभाग, जिला- प्रशासन प्रमुख राजनीतिक दल, ट्रेल यूनियन आदि पत्रकार वर्ता का आयोजन कर अपना पक्ष पत्रकारों के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। समाचार-पत्र का प्रबन्धन एक जटिल कार्य है। प्रत्येक समाचार-पत्र को अपने नीति निर्देशक सिद्धान्तों के अन्तर्गत



प्रयोजनमूलक हिन्दी

कार्य करना पड़ता है कार्यालय प्रबन्ध, पूँजी, प्रबन्ध विज्ञापन प्रबन्ध, प्रसार प्रबन्ध कर्मचारियों की नियुक्ति, कागज, मशीन, कच्चा माल, सभी कुछ उसके जिम्मे होता है जिसे वह विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सौंपता है तथा सबसके बीच समन्वय स्थापित करता है।

3. प्रेस आचार संहिता—

यद्यपि लोकतन्त्र में प्रेस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होता तथापि समाचार-पत्रों को भी अपने उत्तरदायित्व का पालन करते हुए कुछ प्रतिबन्ध अपने ऊपर स्वयं लगाने पड़ते हैं। प्रेस की स्वतन्त्रता का तात्पर्य यह नहीं है, कि प्रेस चाहे जो कुछ छापे, भले ही वह राष्ट्रहित में हो या न हो। प्रेस और सरकार के बीच में एक समझदारी होनी चाहिए। प्रेस को एक स्वतः घोषित आचार संता का पालन करना चाहिए। इस सम्बन्ध में 1953 में प्रेस परिशदों ने जिस आचार संहिता के पालन की अपेक्षा पत्रकारों से की है उसके प्रमुख बिन्दु इस प्रकार हैं—

1. पत्रकारों को कोई ऐसा समाचार नहीं छापना चाहिए जो राष्ट्र विरोधी हो।
2. अफवाह एवं अपुष्ट समाचारों के प्रकाशन से बचना चाहिए।
3. पत्रकार को लोकहित का ध्यान रखते हुए समाचार प्रकाशित करना चाहिए।
4. व्यावसायिक गोपनीयता बनाये रखना पत्रकार का दायित्व है।
6. पत्रकार को पीत पत्रकारिता से बचना चाहिए।

जान-बूझकर मिथ्या तथ्य का प्रकाशन, समाचारों को तोड़-मरोड़कर छापना या कोई महत्वपूर्ण

बात छिपा लेना पत्रकार की पवित्रता पर प्रश्न लगाता है।

यदि कुछ गलत छप गया हो तो गलत छप गया हो तो अगले अंक में खेद प्रकाशन करना अति आवश्यक है।

8. गलत खबरों का स्वतः ही खण्डन कर देना चाहिए।

पत्रकार को व्यक्तिगत पूर्वाग्रह से मुक्त होकर रिपोर्टिंग करनी चाहिए। तथा रिश्तत नहीं लेनी चाहिए।

10. पत्रकार को पूर्ण निष्पक्षता से घटना का यथातथ्य विवरण प्रस्तुत करना चाहिए।

11. मूल मानवीय एवं सामाजिक अधिकारों के प्रति पत्रकार को प्रतिबद्ध रहते हुए अपना कार्य

निष्पादन करना चाहिए।

12. अपने कार्य या व्यवसाय को करते समय नैतिक मूल्यों, राष्ट्रीय हित, लोकहित का ध्यान पत्रकार

को अवश्य रखना चाहिए।

13. किसी भी पत्रकार को स्वार्थ, दबाव, व्यक्तिगत उत्साह में आकर अपने व्यवसाय की पवित्रता

भंग नहीं करनी चाहिए।

समाचार-पत्रों पर कुछ बन्दिषें प्रतिबन्ध भी लगाई गई हैं। ये इस प्रकार हैं—

1. समाचार-पत्र को न्यायालय की अवमानना करने वाली टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए।
2. समाचार-पत्र को न्यायालय की अवमानना करने वाली टिप्पणियाँ नहीं करनी चाहिए।
3. विधानमण्डल की अवमानना करने का भी अधिकार समाचार-पत्रों को नहीं है। संसद एवं राज्य विधानमण्डलों में प्रस्तुत कथनों एवं क्रियाओं की अध्यक्षा की बिना पूर्वमति के प्रकाशित करने का अधिकार समाचार-पत्रों को नहीं है।

4. आफिसियल सीक्रेट एक्ट के अन्तर्गत आने वाले विषयों को भी छापने का अधिकार

समाचार-पत्रों को नहीं है।

समाचार पत्र के संवाददाताओं को समाचार संग्रहण का अधिकार है किन्तु किसी की व्यक्तिगत स्वतन्त्रता में बाधा देने का अधिकार उन्हें नहीं है। प. जवाहर लाल नेहरू जैसे लोकतन्त्र के हिमायती यह मानते हैं कि नियन्त्रित प्रेस की बजाय स्वतन्त्रता के दुरुपयोग के सभी खतरों से मुक्त स्वतन्त्र समाचार-पत्र अधिक अच्छे होते हैं।

2. इलेक्ट्रॉनिक जन संचार माध्यम— इलेक्ट्रानिक जनसंचार माध्यमों में हम आधुनिक जन-संचार माध्यमों को ले सकते हैं, जिनमें प्रमुख इस प्रकार है

रेडियो

वीडियो,

टी. वी.

इंटरनेट

फिल्म को

यहाँ हम इनकी कार्यप्रणाली पर संक्षेप में प्रकाश डाल रहे हैं—

(प) रेडियो— रेडियो श्रव्य जनसंचार माध्यम है जिसके आविष्कार की कहानी बहुत पुरानी है। सन् 1906 में अमेरिका के लौडी फारेस्ट ने सबसे पहला प्रसारण किया। 1916 में उसने पहला रेडियो समाचार प्रसारित किया। भारत में रेडियो प्रसारण का इतिहास 1926 से प्रारम्भ हुआ। पहला प्रसारण 23 जुलाई 1927 को बम्बई से हुआ। जिस कम्पनी को ये प्रसारण अधिकार मिले उसका नाम था इण्डिया ब्राडकास्टिंग कम्पनी। 1930 में तत्कालीन सरकार ने प्रसारण सेवा का प्रबन्ध अपने अधिकार में ले लिया। 1936 में इसका नाम आल इण्डिया रेडियो हो गया।

मेसूर रियासत में 1935 में देशी रियासत ने अपना स्वतन्त्र रेडियो स्टेशन स्थापित किया जिसका नाम आकाषवाणी रखा गया। 1957 में भारत सरकारने रेडियो प्रसारण सेवा का हिन्दी नाम आकाषवाणी रखा किन्तु अंग्रेजी प्रसारणों में इसे आल इण्डिया रेडियो ही कहा जाता है।

सन् 1947 में जहाँ पूरे देश में केवल 6 प्रसारण केन्द्र थे वहीं आज 100 आकाषवाणी केन्द्र हैं जो देश की 90 प्रतिशत जनता तक पहुँचते हैं। इससे पता चलता है। कि दूर-दराज के क्षेत्रों में जनसंचार का एक प्रभावी माध्यम रेडियो है।

रेडियो पर समाचारों के अतिरिक्त अन्य अनेक प्रकार के जनरुचि एवं जनहित के कार्यक्रम भी प्रसारित होते हैं। फीचर, करिजगत, फिल्मी गीत, श्रमिकों, एवं मजदूरों के कार्यक्रम युववाणी, विविध भारती, सामाजिक कार्यक्रम, झकी, वार्ताएँ पर्व एवं जयतियाँ, खेल कार्यक्रम, आँखों हाल रेडियो रूपक आदि अनेक कार्यक्रम रेडियो पर सुने जा सकते हैं। कई रेडियो स्टेशन तो 24 घण्टे अपनी सेवाएँ देते हैं। जहाँ दूर-दराज के क्षेत्र में न अखबार पहुँचता है। न टी.वी. कार्यक्रम वहाँ आज भी रेडियो ही एकमात्र मनोरंजन एवं जनसंचार का प्रमुख माध्यम है।

जनसाधारण का माध्यम होने से रेडियो की भाषा सरल सहज एवं प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए।

2. रेडियो की भाषा आम बोलचाल की साहित्यिक भाषा होती है।

3. उसके वाक्य छोटे-छोट एवं सरल होने चाहिए जटिल रचना वाले मिश्रित वाक्यों का प्रयोग नहीं

करना चाहिए।

4. सांस्कृतिक बोझिल शब्दावली के प्रयोग से बचना चाहिए।

5. रेडियो पर प्रत्येक कार्यक्रम की समय सीमा पूर्व निर्धारित होती है अतः समय सीमा को ध्या



प्रयोजनमूलक हिन्दी

में रखते हुए टेक्स्ट लिखना चाहिए।

6. रेडियों के समाचार संक्षिप्त किन्तु अपने में पूर्ण होने चाहिए।

7. समाचार तथ्यपरक, सतय एवं विश्वसनीय हाने चाहिए। पूरी तरह जाँचे हुए समाचार ही रेडियों से प्रसारित होने चाहिए।

8. समाचार में दिये गये तथ्यों में परिवर्तन नहीं करना चाहिए।

समाचार लेखक को समाचार लिखते समय मार्ग निर्देशन सिद्धान्तों का पालन करना चाहिए।

10. समाचार सन्तुलित रूप में ही देने चाहिए।

11. खबरें घटना हो, पूर्वाग्रह से रहित हों। विवादास्पद समाचार नहीं दें।

12. मौसम सम्बन्धी जानकारी प्रामाणिक स्रोत से प्राप्त करके ही देनी चाहिए।

13. रेडियो समाचारों में पहले मुख्य समाचार दिये जाते हैं पतपच्चात् उन समाचारों का विस्तार किया

जाता है और अन्त में पुनः प्रमुख समाचार दिये जाते हैं।

रेडियों पर समाचारों के साथ-साथ मनोरंजन कार्यक्रम सूचना प्रधान कार्यक्रम भी दिखाये जाते हैं तथा इनक बीच-बीच में विज्ञापन भी दिये जाते हैं। रेडियों प्रसारित होने वाले विज्ञापन संक्षिप्त, ध्वनि प्रधान संगीतात्मक होते हैं। विज्ञापन से उत्पाद की बिक्री बढ़ाने में सहायता मिलती है। रेडियो पर प्रस्तुत किये जाने वाले विज्ञापनों की एक प्रविधि होती है।

अतः विज्ञापन लेखक को उसकी जानकारी होना चाहिए—

1. विज्ञापन सरल, स्पष्ट एवं प्रभावशाली हो।

2. कम से कम षड्दों में उसे लिखा गया हो।

3. तुकपूर्ण षड्दों विरोधाभासी षड्दों से विभाजन प्रभावशाली बनता है।

4. ' विज्ञापन के साथ-साथ संगीत की ध्वनियों का प्रयोग करने से वह अधिक प्रभावकारी बनता है।

5. विज्ञापन में उपभोक्ता वस्तु का नाम, उसके गुण तथा उसके खरीदने का संदेश दिया जाना चाहिए।

6. प्रायः फिल्मी गीत को पैरोडी पर विज्ञापन लिखे जाने लगे हैं।

7. विज्ञापन मनोरंजक, कल्पना के सौंदर्य से युक्त तथा सोददेश्य होना चाहिए।

8. विज्ञापन की भाषा कुछ अटपटी, चटपटी तथा रोचक होती है तथा वह सामान्य भाषा से विचलित होती है।

9. अधिकतर विज्ञापनों की भाषा में व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं किया जाता।

10. विज्ञापन रोचक, कौतूहलवर्द्धक एवं नवीनता से युक्त होना चाहिए, तभी वह दर्शकों के मनोमस्तिष्क को प्रभावित कर पाता है।

रेडियो का उपयोग रनिंग कमेन्ट्री (जीवंत विवरण) के लिए भी होता है। हाँकी, क्रिकेट, फुटबाल, बैडमिंटन टेनिस जैसे खेलों का लाइव प्रसारण रेडियो तथा टी.वी. के माध्यम से होता है। क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में रेडियो कमेन्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। जनता को रेडियों पर प्रस्तुत किये जाने वाले अनेक कार्यक्रमों के खरा परिवार नियोजन, श्रमिक अधिकारों, बीमारी से बचाव के उपयों, कशि सम्बन्धी जानकारी देकर लाभान्वित किया जा सकता है। सरकार की योजनाएँ जो ग्रामीण जनता के लाभ के लिए बनाई जाती हैं। रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जा सकती है। रेडियो मनोरंज का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन है तथा इसकी पहुँच ग्रामीण जनता तक सबसे अधिक है अतः यह जनसंचार का

प्रमुख माध्यम है। रेडियो कार्यक्रमों को अधिक मनोरंजक, रोचक बनाकर लोकप्रिय बनाया जा सकता है यह हमारी जातीय संस्करति लोक संस्कृति को भी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

आजादी के बाद रेडियो स्टेशनों (आकाषवाणी केन्द्रों) का व्यपक जाल पूरे देश में फैला है। आल इण्डिया रेडियो की उर्दू सेवा, विदेश सेवा तथा एफ.एम. बैंड के प्रसारणों ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। समाचारों के अतिरिक्त साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों ज्ञान विज्ञापन, मनोरंज खेल, करशिजगत आदि से जुड़े कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने में आकाषवाणी की प्रभावी भूमिका रही है।

रेडियो पर प्रसारित होने वाले समाचारों के विषय एवं भाषा के सम्बन्ध में सरकार ने जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित किये हैं उनका पालन प्रसारण में करना पड़ता है। वस्तुतः आकाषवाणी पूरी तरह केन्द्र सरकार के अधीन है। प्रसार भारतीय जो दिषा निर्देश जारी करती है उसका अनुपालन रेडियो स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को करना पड़ता है।

रेडियो समाचारों का भाषा अखबारों के समाचारों की अपेक्षा अधिक संस्करतिनिश्ठ, शुद्ध एवं परिनिश्ठ होती है। भले ही उसमें अंग्रेजी एवं उर्दू के प्रचालित शब्दों का प्रयोग किया गया हो किन्तु वह उस मात्रा में नहीं होता जितना अखबार में छपने बाल समाचारों में देखा जाता है।

रेडियो का एक लाभ और भी है। समाचार-पत्र की पहुँच जहाँ ग्रामीण जनता तक नहीं हो पाती वहीं रेडियो दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुना जाता है यह कम खर्चीला है तथा इसे निरक्षर लोग भी बड़े ध्यान से सुते हैं। निरक्षर अखबार नहीं पढ़ सकते किन्तु रेडियो सुन सकते हैं, इसलिए यह समाचार-पत्र की तुलना में अधिक प्रभावी जन-संचार माध्यम है।

(पप) टेलीविजन— आधुनिक जनसंचार माध्यमों में टी.वी. का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दृश्य-श्रव्य माध्यम (निकपव-टपेनंस डमकप) है तथा जनसंचार माध्यमों में सर्वाधिक लोकप्रिय है टी.बी. ने मनुष्य को घर बैठे हुएसारी दुनिया से जोड़ दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर के बाद यदि किसी अन्य माध्यम का नाम लिया जाता है तो वह टी. वी. है। टेलीविजन जीवंत दृश्य दिखाकर तथा घटनाओं काविवरण प्रस्तुत कर लोगों को घर बैठे घटना की सैर करवा देता है।

टेलीविजन का विकास— जे.एल. बेयर्ड ने तस्वीरों को प्रभावशाली ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला उपकरण 1925 में विकसित किया था किन्तु सी. एफ. जेकिस ने 1927 में तस्वीरें प्रसारित करके दिखाई। प्रारम्भिक टेलीविजन यान्त्रिक था किन्तु आज वह इलेक्ट्रॉनिक है। यही नहीं अपितु आधुनिक टेलीविजन तो डिजिटल हो गये हैं। आवाज सहित चित्रों का प्रसारण ब्रिटेन में सन् 1930 ई. में हुआ। फ्रांस ने नियमित टी.वी. प्रसारण 1938 में प्रारंभ हुआ जबकि अमेरिका में 1941 ई. में। रंगीन टी.वी. 1953 में अमेरिका में विकसित हुआ।

भारत में प्रथम टी.वी. केन्द्र का उद्घाटन 1959 ई. में हुआ। किन्तु भारत में सबसे पहला टी. वी. समाचार जुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रारम्भ हुआ। अप्रैल 1976 को दूरदर्शन के 8 चैनल है तथा कई नये चैनल प्रारम्भ होने जा रहे हैं।

केवल टी.वी. नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले चैनल उपग्रह के जरिये टॉसमिषन प्रसारण करते हैं। स्टार टी.वी. जी. टी.बी. सोनी टी.बी. बी.बी.सी., सी.एम. ई.एस.पी.एन. स्टार गोल्ड, साधना, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक्स, आस्था, डी.डी.स्पोर्ट आदि लगभग 70 चैनल केबल पर दिखाये जाते हैं। डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर दिखाये जाने वाल कार्यक्रम अत्यन्त सूचनाप्रद एवं उपयोगी होते हैं।

विदेशी चैनलों की घुसपैठ भी आज हमारे घरों में हो गयी है। आपका व्यक्त की जा रही है कि इसस हमारी संस्कृति को खतरा है। बच्चे इन चैनलों पर हिंसा एवं सैक्स से युक्त ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जो उनकी मानसिकता को विकृत करते हैं। टी.वी. के माध्यम से जहाँ समाचार, सूचना, नोरंजन, खेल, सामाजिक कार्यक्रम धारावाहिक, फिल्में आदि दिखाई



प्रयोजनमूलक हिन्दी

जा सकती हैं वहीं विज्ञापनों के माध्यम क कम्पनियाँ अपने उत्पद बेचने में भी सफलता प्राप्त कर रही है।

सूचना एवं संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन टेलीविजन है। इसा प्रभाव क्षेत्र विस्तृत है तथा जनसंचार में इसका प्रभावी भूमिका है।

डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर कार्यक्रम अंग्रेजों में तैयार किये जाते हैं। किन्तु पार्श्ववाचन तकनीक के द्वारा इनकी रनिंग कमेंट्री विवरण हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है। जिससे दर्शकों को एक बहुत बड़ा वर्ग इन कार्यक्रमों का आनन्द लेता है।

टेलीविजन के लिए समाचार लिखना एक कला है क्योंकि समाचारों में दी गई घटना की रिपोर्टिंग जीवन्त चित्रों के साथ की जाती है। टेलीविजन समाचारों की भाषा में निम्न विशेषताएँ अपेक्षित होती हैं—

1. भाषा सरल और सर्वग्राह्य होनी चाहिए।
2. समाचारों की भाषा इस प्रकार की हो कि सभी दर्शक उसे समझ लें।
3. एक बात एक ही वाक्य में समाप्त हो जानी चाहिए।
4. समाचारों की भाषा में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।
5. ऐसे मुहावरे भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं जो जनमानस में रचबस गये हों। कठिन शब्दों में प्रयोग से यथासम्भव बचना चाहिए।
6. समाचारों की शब्दावली में विविधता होनी चाहिए। किसी एक शब्द या वाक्यांश का बार-बार प्रयोग नहीं करना चाहिए।
7. समाचार लिखने के बाद उसे दुबारा पढ़कर भाषा में आवश्यक सुधार कर लेने चाहिए। भाषा में सहजता, सुबोधता एवं स्पष्टता होना चाहिए।
8. समाचार प्रस्तुत करने वाले को पढ़े गये समाचार एवं दिखायी गयी रिपोर्ट का तालमेल पहले सही ही कम्प्यूटर के माध्यम से बिठा लेना चाहिए।

टेलीविज के माध्यम से समाचारों के साथ-साथ अन्य मनोरंजक, सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी दिखाये जाते हैं। इस संचार माध्यम की पहुँच आज नगरों में घर-घर में ही गयी है अतः यह उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन देने का प्रमुख माध्यम भी है। टी.वी. के विज्ञापन दृश्य-श्रव्य होने के कारण अधिक प्रभावी होते हैं। टी.वी. के विज्ञापनों की भाषा में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए।

1. टी.वी. विज्ञापनों की भाषा समाचार-पत्र के विज्ञापनों की भाषा से अलग होती है।
2. टी.वी. विज्ञापनों में संगीत, चित्र, फोटोग्राफी आदि के उपयोग से ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है कि वह दर्शक के मन-मस्तिष्क को प्रभावित करें।
3. विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा अटपटी, रोचक, कौतूहलपूर्ण एवं सामान्य भाषा से अलग होती है।
4. विज्ञापन की भाषा तुकदार शब्दों से निर्मित होती है। उसमें संगीत का पुट होता है तथा विरोध

मूलक चमत्कार भी होता है जैसे—

1. फेना ही लेना,
2. पले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,
3. एवरेस्ट का तीखा लाल,
4. सौन्दर्य साबुन निरमा,

6. काम में दम दाम में कम,
7. दाँतो के साथ एक्सपेरीमेंट, कभी नहीं,
8. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मेरा एकरवाइट टैंथेपेस्ट,
9. दाँतों का सुरक्षा चक्र कोलगेट टूथपेस्ट,
10. वार्षिक पाउण्डर निरमा।

विज्ञापन की भाषा ऐसी होती है जो उत्पाद के नाम को हाईलाइट करती है उसके गुणों पर प्रकाश डालती

है, उसे खरीदने के लिए प्रेरित करती है।

विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा दैनिक बोलचाल की ऐसी भाषा होती है जो उर्दू हिन्दी, अंग्रेजी शब्दों के मेल से बनी होती है।

टेलीविजन की उपयोगिता—

1. जनसंचार के क्षेत्र में टी.वी. सर्वाधिक उपयोगी है।
2. टी.बी. के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाये जाते हैं।
3. टी.वी. समाचारों से हम घर बैठे सारी दुनिया का हालचाल जान जाते हैं।
4. टी.बी. संवाददाता एवं रिपोर्टर्स का जाल पूरी दुनिया में फैला होता है जो पलक झपकते सारे

घटनाक्रम का सच्चा हाल हम तक पहुँचा देते हैं।

5. टी.वी. पर घर बैठे चैनलों द्वारा षाई गई फिल्मों, चित्रहारों, गानों का आनन्द लिया जा सकता है।

6. डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल ज्ञान की विविध शाखाओं पर तैयार कार्यक्रमों का प्रसारण कर हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर देते हैं।

7. खेलों का आँखों देखा हाल टी.वी. पर लाइन कार्यक्रम के अनतर्गत प्रसारित किया जाता है।

मैदान पर चल रहे क्रिकेट मैच को हम घर बैठे देख लेते हैं।

8. टी.बी. के माध्यम से उत्पादों के वापन दिखाये जाते हैं जिससे इन उत्पादों की बिक्री में इजाफा

होता है।

9. टी.बी. मनोरंजन का सस्ता एवं सुलभ साधन है। हर प्राकर के कार्यक्रम टी.वी. पर देखे जा सकते हैं।

10. परिवार के सभी सदस्यों की रुच के अनुरूप कार्यक्रम टी.वी. के विभिन्न चैनलों पर उपलब्ध हैं। महिलाओं को पसन्द आने वाले धारावाहिक हैं। तो बच्चों के लिए कार्टून है, युवकों के लिए फिल्म संगीत एवं खेल है तो बुजुर्गों के लिए आस्था, साधना जागरण चैनल पर दिखाये जाने वाले आध्यात्मिक कार्यक्रम हैं

11. अकेलेपन की पीड़ा से मुक्ति दिलाने में भी टी.वी. कार्यक्रम सहायक होते हैं। टी.बी. कार्यक्रमों

को देखकर व्यक्ति को केलापन भगाने में मदद मिलती है।

12. दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम कृषिजगत् से सम्बन्धित जानकारियाँ देते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं। सरकारी योजनाओं एवं जनचेतना जाग्रत करने वाले अनेक कार्यक्रम भी टी.वी. पर दिखाये जाते हैं।

दूरदर्शन के उद्देश्य



प्रयोजनमूलक हिन्दी

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से सम्बद्ध दूरदर्शन के निम्नलिखित उद्देश्य सरकार ने निर्धारित किये हैं—

1. सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करना।
- राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डताको प्रोत्साहन देना।
3. जनता में वैज्ञानिक सोच एवं वैज्ञानिक चेतना का विकास करना।
4. परिवार कल्याण, जनसंख्या नियन्त्रण के संदेश को आम जनता तक पहुँचाना।
5. पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखने वाले संदेशों को जनता तक पहुँचाना।
6. गरीब और कमजोर वर्गों के विकास के लिए सामाजिक कल्याण के उपयों पर जोर देना।
7. करशि सम्बन्धी कार्यक्रमों से किसानों को जागरूक करना।
8. खेलकूद में लोगों की रुचि बढ़ाना।
9. भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण।
10. जनता को सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान करना।

दूरदर्शन प्रसार भारती के नियन्त्रण में काम करने वाली संस्था है जो उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर अपने कार्यक्रम बनाती है।

सच पूछा जाय तो आज टी.वी. हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। यदि एक दिन किसी कारण से टी.वी. कार्यक्रमों का प्रसारण न हो तो हमें कुछ अभाव का अनुभव होने लगता है। माध्यम वर्ग में टी.वी. का नषा अफीम के नषे की भाँति छाता जा रहा केबिल टी.वी. का षुल भले ही दुगना कर दिया जाय किन्तु कोई भी इससे अलग नहीं रहना चाहेगा।

टी.वी. ने हमारी सामाजिकता को समाप्त कर दिया हैं पहले लोग खाली समय में एक साथ मिलकर गपषप करने में समय व्यतीत करते थे किन्तु अब टी.वी. के सामने बैठकर समय व्यतीत करते हैं। टी. वी. ने पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की प्रवृत्ति कम कर दी है। विदेशी चैनल सेक्स एवं हिंसा के जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उनसे हमारी संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है।

(पपप) फिल्म— दष्य-श्रव्य माध्यमों में फिल्म जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। भारम में 1913 में आलम आरा नामक पहली बोलती हुई फिल्म बनी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 100 वर्षों में भारत में लगभग 34 हजार फिल्मों का निर्माण हुआ जिनमें से 2 हजार फिल्मों को परदे पर आने का अवसर नहीं मिला।

कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्में कहा जाता है। इन फिल्मों की राज्य या केन्द्र का जनसम्पर्क एवं सूचना विभाग तैयार करता है तथा सिनेता हाल में ये डाक्यूमेंट्री फिल्में मुख्य फिल्म प्रारम्भ होने से पहले दर्शकों को दिखाई जाती हैं तथा इन फिल्मों के माध्यम से जनता को अपेक्षित सूचनाएँ दी जाती हैं। सरकार द्वारा चालयी गयी योजनाएँ परिवार नियोजन, एड्स जागरूकता, सर्वशिक्षा अभियान, बाल श्रम पर रोक, उद्यमिका विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, चुनाव के समय वोटर्स के कर्तव्य आदि अनेक विशयों पर डाक्यूमेंट्री फिल्में दिखाकर जनता को जागरूक बनाया जाता है।

व्यावसायिक फिल्मों का मूल उद्देश्य मनोरंजन है यद्यपि निर्माताओं का यह भी दावा है कि वे उद्देश्य पूर्ण फिल्में बनाकर समाज को सकारात्मक राह पर ले जाते हैं। वर्तमान फिल्म उद्योग में मनोरंजन के नाम पर जो हिंसा एवं सैक्स परोसा जा रहा है वह हमारी वषत्तियों को प्रभावित कर रहा है। फिल्में संस्कृति की वाहक होती हैं। उनकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है किन्तु आज व्यवसायी फिल्मों के माध्यम से धन कमाना ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। भारतीय सिने उद्योग में बहुत बड़ी पूँजी लगी हुई है तथायह लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है।

संवेदनशील विषयों पर बनी स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली तथा उददेश्यपूर्ण फिल्मों में जनमानस को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता होती है। टी.वी., वीडियो, सीडी के आगमन से आज सिनेमाघर बन्द होते जा रहे हैं। फिल्मों की नकल सीडी पर करके फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही लोगों द्वारा घरों में देख ली जाती है। इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है।

फिल्म निर्माण की दृष्टि से अब भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। मूक चलचित्रों का भारत में निर्माण 1912-13 में ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु बोलती हुई पहली फिल्म आलमआरा 1931 ई. में निर्मित हुई। वर्तमान समय में भारत की अनेक भाषाओं में प्रतिवर्ष एक हजार से अधिक फिल्में बनती हैं।

सेंसर बोर्ड लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने सरकार से सेंसरशिप लागू करने हेतु स्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा जिसके अनुपालन में सेंसर बोर्ड बनाया गया। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को कार्य करने

की अधिक स्वतन्त्रता दी जाय तथा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जानी चाहिए जो फिल्म मीडिया में रुचि एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जानी चाहिए जो फिल्म मीडिया में चर्चित एवं जानकारी कराते हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड से प्रामाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही फिल्मों को सिनेमाघरों में दिखाया जा सकता है। इससे फिल्मों में सैक्स एवं हिंसा से युक्त आपत्तिजनक दृश्यों को काटकर दिखाने का रास्ता खुला। यह सेंसर बोर्ड केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के अधीन कार्य करता है। सन् 1993 में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 936 देशी-विदेशी फिल्मों को प्रमाण-पत्र केवल रीज उन फिल्मों को प्रमाण-पत्र दिया। इसे प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं— । और = प्रमाण-पत्र। । प्रमाण-पत्र केवल उन फिल्मों को दिया जाता है है जिन्हें केवल वयस्क ही देख सकते हैं जबकि प्रमाण-पत्र सब दर्शकों को देखने योग्य फिल्मों के लिए जारी किया जाता है।

अच्छी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी सरकार की ओर से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म से जुड़े उन महान लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म के क्षेत्र में महान योगदान किया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कुछ फिल्मों के नाम हैं। दो आँखे बारह हाथ (निर्देशक बी. षान्ताराम), तीसरी कसम (वासु भट्टाचार्य), बाघ बहादुर (बुद्धदेव दास गुप्ता), मृगया (मृणाल सेन) । दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कुछ नाम हैं। राजकपूर, लता मंगेशकर आदि।

फिल्म एक सशक्त माध्यम है जिसका प्रभाव दर्शकों पर लम्बे समय तक रहता है। फिल्मों में प्रयुक्त कुछ गीतों ने तो राष्ट्रीय भावना के प्रतीक रूप में अपनी पहचान बनाई है। आज भी स्वतन्त्रता दिवस या गणतन्त्र दिवस पर ये गीत बजाये जाते हैं—

1. आओ बच्चो तुम्हें दिखायें झाँकी हिन्दुस्तान की ।
2. हम लाये हैं तूफान से कष्टी निकाल के
3. एक मालिक तेरे बन्दे हम
4. मेरा रंग दे बसन्ती चोला ।
5. यह देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का ।
16. मेरे देश की धरती सोना उगले।
7. जहाँ डाल-डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती हैं बसेरा वह भारत देश है मेरा द्य

भारत में बनी अनेक अच्छी फिल्में हमें राष्ट्रीयता, चरित्र की शिक्षा देती हैं फिल्में संस्कृति, संगीत, इतिहास की शिक्षा देने का कार्य करती हैं। तथा व्यक्तियों को संदेश देकर प्रभावित भी करती हैं।

फिल्मों का मूल्यांकन एवं उपयोगिता



प्रयोजनमूलक हिन्दी

फिल्म निर्माण जहाँ लाखों लोगों के रोजगार का साधन है, वहीं मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन है अच्छी फिल्मों के माध्यम से दिये गये संदेश लोगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं फिल्म निर्माताओं को सार्थक फिल्मों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी की बोलचाल, पहनावा, फैशन, लाइफ स्टाइल (जीवन पैली) सब कुछ फिल्मों से प्रभावित है। फिल्में फैशन को बदलती है।

सामाजिक बुराइयों को फिल्मों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। दामुल, आक्रोष दो आँखे बारह हाथ, सत्य काम ऐसी ही कुछ उद्देश्य प्रधान फिल्में थी। ये व्यक्ति के चिन्तन को झकझोरती हैं तथा इनकी कथावस्तु हमें कुछ सोचने को विवश करती है। व्यवस्था परिवर्तन के बिना समाज में परिवर्तन ही लाया जा सकता, राजनीति और अपराधियों की साठ-गाँठ ने समाज का पूरा ढाँचा बदल दिया है। आज आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, शोषण के चक्र में गरीब पिस रहा है, अपराध सम्प्रदायवाद एवं पूँजीवाद ने एक-दूसरे का हाथ पकड़ लिया है— आदि ऐसे ही कुछ ज्वलंत विषय हैं जिन प फिल्मकार कहानियाँ लिखवाकर उसे फिल्म के रूप में पर्दे पर डाल रहे हैं।

फिल्म में प्रति आज निर्माताओं का दर्पश्टकोण पूरी तरह व्यावसायिक हो गया है। वे इसमें पूँजी लगाते अतः ऐसी फिल्म जनाना चाहते हैं बाँक्यआफिस पर दर्पकों की भीड़ खींच सके। यही कारण है कि फिल्मों में अश्लीलता एवं हिंसा अधि परोसी जा रही है तथा फिल्मकार अपने सामाजिक लक्ष्य से भटक रहे हैं। जनता यही देखना चाहती है— ऐसा कहकर ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

(पअ) वीडियो वीडियों का तात्पर्य है फिल्म की छोटी रील तैयार करना जिसे घर बैठे वी. सी.आर. पर, टीवी. के पर्दे पर फिल्म के रूप में देखा जा सकता है। इसमें दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं तथा आवाज सुनाई पड़ती है। फिल्म निर्माण में जहाँ प्रचुर धन की आवश्यकता होती है, वहीं वीडियो फिल्म का निर्माण सस्ता साधन है। शादी विवाह, परिवार या समाज में होने वाले उत्सवों की भी लोग वीडियोग्राफ कर उनका आनन्द लेते हैं।

वीडियोग्राफी में लाइटिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। क्लोजअप लेने के लिए 500 वाट की ट्यूब लाइटिंग का प्रयोग होता है जबकि 1000 वाट की लाइटिंग का प्रयोग क्राउड या लॉग शॉट के लिए किया जाता है। फिल्म 70 एम.एम. की फिल्म पर शूट की जाती है जबकि वीडियो 35 एम.एम. की फिल्म पर शूट होता है।

अब वीडियो के साथ-साथ सी.डी. प्लेयर का इस्तेमाल भी टीवी के 9 दोन लगा है। फिल्म की सी. डी. बना ली जाती है तथा उसे फिल्म की भाँति देखा जा सकता है। सी.डी. बहुत सस्ते में बन जाती है। वीडियों कैसेट की कीमत की तुलना में सी. डी. बहुत सस्ती होती है। इसके भी वही उद्देश्य हैं जो फिल्म के हैं।

इंटरनेट— संचार माध्यमों में सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम इंटरनेट है जो हमें दुनिया भर के कम्प्यूटरों से जोड़ देता है। इसके लिए आपके पास एक कम्प्यूटर होना अनिवार्य है तथा एक टेलीफोन कनेक्शन भी जिसके जरिये आप दुनिया के कम्प्यूटरों से जुड़ जाते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके वांछित सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती है।

अमरीकी कम्पनियों ने इंटरनेट के महत्व को पहचान लिया था अतः उन्होंने इससे बहुत लाभ उठाया। अब इंटरनेट भारत में भी प्रचुरता से उपलब्ध है। उम्मीद की जाती है। कि इंटरनेट से भारत में पूरा लाभ उठायेगा।

इंटरनेट की लोकप्रियता के कारण—

1. इंटरनेट सूचना प्राप्ति का सरल सहज माध्यम है।
2. कम्प्यूटर आम लोगों की पहुँच में है अतः इंटरनेट का लाभ आम आदमी उठा सकते हैं।
3. दुनिया भर ज्ञान को अब इंटरनेट के माध्यम से तुरन्त कम्प्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है।

4. शिक्षा, चिकित्सा, षोध के क्षेत्र में इंटरनेट ने बहुत सहायता पहुँचाई।

वर्ल्ड वाइड वेब W के द्वारा नेटवर्क से कम्प्यूटर जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसके लिए एक पर्सनल कम्प्यूटर और एक टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आप अपने पास वर्ड का उपयोग करके इंटरनेट सेवा से प्रारम्भ कर सकते हैं। इससे आपकी गोपनीयता भी रहेगी और दूसरे आपके कनेक्शन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

इंटरनेट का उपयोग—

पारस्परिक चैटिंग के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है।

पप. सूचना, आँकड़े, किताबें, अखबार सब इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, अतः उन्हें जा सकता है।

3 डाउनलोड किया

11. ई-बैंकिंग, ई-मेल, ई-वाणिज्य, ई-प्रशासन, ई-कान्फ्रेंस की सुविधाएँ भी इंटरनेट से प्राप्त की

जा सकती है।

पअ. अपना बेवसाइट बनाकर अपने उत्पाद को प्रस्तुत कर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं।

इंटरनेट से ई-मेल द्वारा पत्र-व्यवहार किया जा सकता है।

अप. शीघ्र की वायरस सर्फिंग सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। जिसस माउस की क्लिक-क्लिक

से छुटकारा मिल जायेगा।

निष्पत्ति ही इंटरनेट आने वाले समय में सूचना एवं संचार के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता बढ़ाता जायेगा तथा इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रमुख साधन के रूप में विकसित होगा।

WRITING TECHNIQUES FOR MEDIAN

प्रयोजनमूलक हिन्दी

जनसंचार के दो प्रमुख साधन हैं— प्रिन्ट मीडिया या मुद्रण माध्यम और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात् दृश्य—श्रव्य माध्यम। प्रिन्ट मीडिया के अन्तर्गत समाचार—पत्र एवं पत्रिकाएँ आती हैं तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के अन्तर्गत रेडियो एवं टेलीविजन आते हैं सभी की लेखन तकनीक अलग—अलग है। पैम्फलेट को लिखने की विधि अलग है तो रेडियो समाचारों को लिखने का तकनीक अलग है। दैनिक समाचार—पत्र के लिए सम्पादकीय लिखना अलग है। और टेलीविजन के लिए समाचार लिखना अलग है। दोनों की प्रविधि में बहुत अन्तर है।

समाचार—पत्र को भी विषय सामग्री दर्पश्ट से अनेक भागों में बाँटा जा सकता है, यथा—
समाचार

2. साहित्यिक गतिविधियाँ,
3. विचारोत्तेजक सामाजिक लेख,
साक्षात्कार,
5. फिल्मी समाचार,
6. खेल समाचार,
7. पुस्तक समीक्षाएँ
8. विज्ञापन,
9. घटना विवरण।

इसी प्रकार रेडियों पर भी प्रसारित कार्यक्रम अनेक प्रकार के होते हैं— समाचार, उद्घोषणाएँ, कार्यक्रम सम्बन्धी विवरण, वार्ताएँ, साक्षात्कार, पेनल डिसकशन, गीत, कहानी, कविताएँ, फरमाइषी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम किसान भाइयों के कार्यक्रम करशिजगत, युवाओं के कार्यक्रम यथा— युववाणी, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम, लोकगीत, रेडियों रूपक, नाटक, फीचर, झलकी आदि।

टी.वी. कार्यक्रमों में भी विविधता देखी जाती है। आजकल सभी प्रमुख चैनलों पर धारावाहिकों का प्रसारण होता है। समाचारों के साथ—साथ दूरदर्शन के विविध चैनल, विविध प्रकार के अन्य कार्यक्रम, शास्त्रीय नृत्य आदि से सम्बन्धित होते हैं यहाँ हम विविध माध्यमों के लिए लिखे जाने वाले अंशों की प्रविधि पर विचार करेंगे।

1. समन्तमंजम— प्रत्येक दैनिक समाचार—पत्र में सम्पादकीय लेख के अन्तर्गत सम्पादक अपनी टिप्पणी प्रस्तुत किया करता है। वास्तव में सम्पादकीय का लेखन सम्पादक द्वारा किया जाना चाहिए। किन्तु यथार्थ में यह कार्य किसी उपसम्पादक या सहसम्पादक के ही जिम्मे होता है अतः प्रत्येक पत्रकार को सम्पादकीय लेखन आना चाहिए। सम्पादकीय लेख में व्यक्त विचार किसी सामाजिक प्रश्न या ज्वलन्त समस्या पर समाचार—पत्र की नीति को प्रकट करते हैं। सम्पादकीय टिप्पणी वह आइना है जिसमें अखबार का नजरिया दर्पश्टकोण झलकता है प्रसिद्ध पत्रकार खुषवन्त सिंह के अनुसार,

“The only part of the paper on which an editor can impose his personal stamp is on the editorial page- The rest is at the mercy of the news editor who presides over the desk” अर्थात् सम्पादकीय पृष्ठपर हो सम्पादक के व्यक्तित्व को छाप होती है अन्यथा अखबार के अ पृष्ठों पर तो समाचार सम्पादक का अधिकार रहता है और वे उसकी कार के मोहताज रहते हैं।

सम्पादकीय पष्ठपर अग्रलेख, सामाजिक लेख, फीचर, सम्पादक के नाम पत्र, राजनीतिक या साहित्यिक समीक्षाएँ टिप्पणियाँ, व्यंग्य, कार्टून आदि रहते हैं किन्तु इन सबमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है— सम्पादकीय या अग्रलेख। सम्पादकीय लेख सामान्यतया बीत क निर्धारित पष्ठपर भी छापा जाता है। सम्पादकीय लेख लिखते समय निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है।

सम्पादकीय लेख की विशेषताएँ—

1. सम्पादकीय न अधिक बड़ा हो और न अधिक छोटा । एक आदर्श सम्पादकीय की षब्द सीमा 800 से 1000 षब्दों तक हो सकती है।
2. सम्पादकीय का विषय प्रायः ज्वलंत समस्या या तात्कालिक प्रमुख घटना क्रम से लिया जाता है।
3. समसामयिक घटनाक्रम या विषिष्ट समाचार को भ्झी सम्पादकीय अग्रलेख का आधार बनाया जा सकता है।
4. सम्पादकीय टिप्पणी संक्षिप्त होते हुए भी अपने में पूर्ण होती है।
5. सम्पादकीय अग्रलेख समाचार—पत्र के नीति निर्धारक तत्वों से जुड़ा होता है। समाचार—पत्र अपनी नीति के अनुरूप ही टिप्पणी करता है।
6. यथासम्भव सम्पादक को पूर्वाग्रह से मुक्त होकर अपनी टिप्पणी तटस्थता एवं निरपेक्षता से करनी चाहिए।
7. सम्पादकीय टिप्पणी में रोचकता, विश्वसनीयता, आत्मीयता जैसे गुण भी होने चाहिए।
8. आलोचनात्मक षैली में लिखागया सम्पादकय पाठकों को अधिक रूचिकर लागता है जिसमें विषय के गुण—दोष, पक्ष—विपक्ष दोनों पर प्रकाष डाला गया हो।
9. यद्यपि प्रत्येक सम्पादक की अपनी षैली होती है तथापि सम्पादकय अग्रलेख निर्वैयक्तिक होकर लिखे जाने चाहिए जो व्यक्तिगत आक्षेप से मुक्त हों तथा निष्चित विचार एवं दृष्टिकोण का प्रतिपादन करें।
10. गम्भीर विषय काप्रतिपाद भी सम्पादक को सरल, सहज, सुबोध, भाशा—षैली में इस प्रकार करना चाहिए कि विषय पाठकों क समझ मे आ जाय और वे उस विषय पर अपनी स्पष्ट राय बना सकें ।
11. एक अच्छा सम्पादकीय लेखा पाठकों में विचारोत्तेजना उत्पन्न करता है, उन्हें विषय पर सोचने एवं अपनी राय काम करने में सहायता पहुँचता है।
12. सम्पादकीय टिप्पणी की भाशा समाचार लेखक की भाशा से भिन्न होती है। उसकी अपनी षैली है किन्तु भाशा कठिन न होकर आम पाठक की समझ में आने वाली सामान्य भाशा ही उसमें प्रयुक्त होती है।
13. सम्पादकीय लेखन में इनवर्टेड पिरामिड (प्दमतजमक च्लतंउपक) अर्थात् उलटा स्तूप षैली का प्रयोग किया जाता है। दूसरे षब्दों में सबसे महत्वपूर्ण समाचार या केन्द्रीय भाव सबसे पहले आता है तत्पश्चात् उसका विस्तार किया जाता है और अनत में अपने विचार निश्कर्ष रूप में दिये जाते है।

सम्पादकीय टिप्पणी के लेखक के लिए आवश्यक गुण— सम्पादकीय लेख लिखने वाले में निम्न गुणों का आवश्यक माना गया है—

1. सम्पादकीय लेख समाचार—पत्र की नीति के विपरीत नहीं होना चाहिए अतः सम्पादक को पत्र के नीति—निर्माताओं (मालिकों) से पूरा तालमेल रखना चाहिए।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

सम्पादक को राजनीतिक, सामाजिक रूप से पूरी तरह जागरूक होना चाहिए, तभी वह अग्रलेख की विषयवस्तु का चयन कर सकेगा।

प्रस्तुत प्रयोजन मूलक हिन्दी सम्पादक को जनरुचि का ध्यान भी रखना चाहिए और उन्हीं विषयों को अग्रलेख में करना चाहिए। जिन्हें पढ़ने के लिए जनता बेताब हो।

4. सम्पादक को पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए तथा किसी भी व्यक्ति पर आक्षेप करने से बचना चाहिए।

5. तटस्थता एवं निरपेक्षता की अपेक्षा भी एक अच्छे सम्पादक से की जाती है।

6. सम्पादीय लेख जनरुचि को परिष्कृत करने के उद्देश्य से ही लिजाने चाहिए।

7. शासन एवं जनता के बीच सम्पादक कड़ी का काम करता है अतः उसे उत्तरदायित्वपूर्ण टिप्पणी ही अपने अग्रलेख में करनी चाहिए। सरकार के प्रति जनभावना भड़काने वाली टिप्पणी उसे नहीं करनी चाहिए।

8. सम्पादक की लेखनी में इतनी क्षमता होनी चाहिए कि उसके अग्रलेख की प्रारम्भिक पंक्तियों

पढ़ते ही पाठक की रुचि उस लेख में जाग्रत हो जाये।

9. समाचार-पत्र के सम्पादक को अपनी राय सधे हुए शब्दों में एवं नेशनल अन्दाज में व्यक्त करनी

चाहिए, अन्यथा उसकी टिप्पणी प्रभावकारी नहीं होगी।

10. सम्पादक को विविध विषयों की जानकारी होना आवश्यक है। उसकी यह जानकारी सम्पादकीय में प्रायः व्यक्त होती है विषय विशेषज्ञों से ली गयी राय का भी समावेश उस विषिष्ट विषय से सम्बन्धित टिप्पणी में किया जाना चाहिए।

2 साक्षात्कार – साक्षात्कार प्रिन्ट मीडिया एवं इलेक्ट्रॉनि मीडिया दोनों के लिए विशेष महत्वपूर्ण हैं अखबारों में प्रसिद्ध हसितयों के इंटरव्यू प्रायः छपते रहते हैं जो राजनीति, खेल, फिल्म जगत साहित्य कला आदि क्षेत्रों से जुड़े होते हैं। इंटरव्यू को भेटवार्ता भी कहते हैं। पत्रकार को प्रायः नगर में पधारे प्रमुख फिल्मी सितारों एवं प्रसिद्ध व्यक्तियों के इंटरव्यू लेने पड़ते हैं। आजकल प्रख्यात के साथसाथ कुख्यात डाकुओं, अपहरणकर्ताओं, तस्मों एवं अण्डरवर्ल्ड के सरगनाओं से भी साक्षात्कार मीडिया में छपने लगे हैं तथा रेडियो, टी.वी. पर भी इन्हें दिखाया जाने लगा है। चाहे वह चन्दन तस्कर वीरप्पन हो या

बीहड का कुख्यात डाक्टर डाकू निर्भय गूजर, सारे मीडियाकर्मी उसका इंटरव्यू लेकन उसे छापेन या दिखाने की होड में रहते हैं क्योंकि मीडिया कर्मियों का एक ही उद्देश्य है— वह प्रस्तुत करना जिसमें जनता की रुचि है और जनता जिसे जानना चाहती है। लिट्टे प्रमुख प्रभाकर या अण्डरवर्ल्ड सरगना दाउद इब्राहीम का इंटरव्यू लेना प्रत्येक मीडियाकर्मी अपना सौभाग्य समझेगा और एकपूरी आवरण कथा तो इसी बात पर बन जायेगी कि इनका साक्षात्कार लेने में उसे क्या-क्या पापड बेलने पड़े।

साक्षात्कार प्रक्रिया—

सर्वप्रथम हमें उस व्यक्ति का चयन करना होता है जिसका साक्षात्कार लेना है।

2. व्यक्ति का चयन करने के उपरान्त विषय का चयन कर लेना चाहिए जिस पर उसके विचार

जानने हो।

3. यदि उस व्यक्ति ने किसी विशेष क्षेत्र खेल, फिल्म, साहित्य आदि में कोई विशेष उपलब्धि पुरस्कारादि प्राप्त किया हो तो भेटवार्ता उसे पूरे व्यक्तित्व को उजागर करने वाली होनी चाहिए।

4. जो प्रश्न पूछे जाने हैं उनकी सूची पहले बना लेनी चाहिए।
5. जिस व्यक्ति का साक्षात्कार लिया जा सराहा है उसका संक्षिप्त परिचय इस प्रकार कराना चाहिए
जिससे श्रोता या दर्शक उसे बारे में पूरी तरह जान लें।
साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को छोटे-छोटे प्रश्नों की प्रश्नवलियाँ बना लेनी चाहिए तथ उनके उत्तर को या तो रिकार्ड कर लेना चाहिए या लिख लेना चाहिए। रेडियो के साक्षात्कार में सारा, इन्टरव्यू रिकार्ड कर लिया जाता है। जबकि टी.वी. साक्षात्कार में कैमरे के सामने इन्टरव्यू होता है। बाद में इसे कुशलता से सम्पादित कर लिया जाता है। जीवंत साक्षात्कारों में सम्पदन की जाइष नहीं रहती है।
7. साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को अपनी पैली से तथा बातचीत के रोचक क्रम से साक्षात्कार को अगे बढ़ाना चाहिए।
8. प्रयास यह होना चाहिए कि साक्षात्कार में व्यक्ति उन प्रश्नों के उत्तर दे जिनसे वह बचना चाहता है पर जनता उन प्रश्नों के उत्तर जानना चाहती है।
9. साक्षात्कार लेने वाले को आक्राक रुख नहीं अपनाना चाहिए तथा यथासम्भव यह प्रयास करन चाहिए कि बातचीत में षालीनता षिष्टता बनी रहे। दूसरे की भावनाओं को ठेस पहुँचाने वाले प्रश्नों से बचना चाहिए।
10. साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को पूरी तैयारी से साक्षात्कार लेना चाहिए। किसी प्रश्न से सम्बन्धि तथ्य, अखबारों की कटिंग या उसकी पष्ठभूमि से वह पूर्ण परिचित होना चाहिए।
11. कभी-कभी साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को नीति के तहत सामने वाले व्यक्ति को उत्तजित भी करना पड़ता है जिससे उत्तेजना या आवषे में वह सच बोलकर उन प्रश्नों के उत्तर दे दे जिनसे वह बचना चाहता है।
12. साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को इतना चतुर होना चाहिए कि यह बात में से बात निकाल सके। इन्टरव्यू देने वाले व्यक्ति के उत्तरों में से ही नया प्रश्न पूछने से साक्षात्कार में बातचीत का रस आने लगता है।
13. पूर्व निर्धारित प्रधन बड़ी चतुराई से पूने चाहिए। दर्षकों को यह नहीं लगना चाहिए कि प्रश्न पढ़कर उनके उत्तर माँगे जा रहे हैं। सहायता के लिए कुछ प्वाइंट्स बनाये जा सकते हैं जिन्हें देखकर प्रश्न पूछा जा सकता है।
14. प्रत्येक पत्रकार से यह अपेक्षा नहीं होती है कि वह हर विशय का ज्ञाता होगा अतः पत्रकारों की जिन विशयों में रुचि हो तथा जिनमें उनकी गहरी पैठ हो उसी क्षेत्र से जुड़े व्यक्तियों के साक्षात्कार लेने चाहिए। साहित्कार का इन्टरव्यू साहित्य में रुचि रखने वाला पत्रकार ले तभी है। न्याय कर पाता
15. साक्षात्कार में बोलचाल की भाशा का प्रयोग करना चाहिए। प्रश्न सुस्पष्ट एवं सहज हो तथा उत्तर देने वाले की उन्हें समझने में कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए।
16. अखबार वालों को किसी महान् व्यक्ति का इन्टरव्यू लेने के लिए नियम समय पर उपस्थित होना चाहिए। पहले अपना परिचय देकर अपने का उददेष्प भी संक्षेप में बता देना चाहिए।
17. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों का उच्चारण शुद्ध, आवाज मधुर एवं साफ होनी चाहिए। 18. साक्षात्कार लेने वाले को स्वयं कम बोलना चाहिए तथा उसका प्रयास यह हो कि इन्टरव्यू देने वाला व्यक्ति ही अधिक बोल, अधिक जानकारी प्रदान करें।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

19. साक्षात्कार की सफलता बहुत कुछ साक्षात्कार लेने वाले पर होती है। साक्षात्कार का मूल उद्देश्य है उन छिपी हुई या अनजान बातों की जानकारी करना जो सामान्यतया कोई व्यक्ति बताना नहीं चाहता।

20. साक्षात्कार कला अभ्यास एवं अनभव में निखरती है। साक्षात्कार लेने वाले व्यक्ति को मनोविज्ञान की भी जानकारी होनी चाहिए। साथ ही उसे व्यवहार कुशल एवं चतुर भी होना चाहिए। हिन्दी में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आज दिनों-दिन इस प्रकार के कार्यक्रम देखने को मिल रहे हैं। टी.वी. कुछ चैनल तो प्रति सप्ताह साक्षात्कार प्रसारित करते हैं जिन्हें देखकर यह जाना जा सकता है। कि अच्छा साक्षात्कार क्या होता है तथा उसकी क्या प्रविधि है विनोद दुआ, राजदीप सरदेसाई, प्रभु चावला, रजत शर्मा, दीपक चौरसिया, पुण्य प्रसून बाजपेयी आदि अनेक नाम हैं जो हिन्दी मीडिया में साक्षात्कार लेने में अति कुशल माने जाते हैं।

पटकथा लेखन

टेलीविजन के कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए पटकथा लेखन पहली आवश्यकता है। कार्यक्रम की सफलता बहुत कुछ पटकथा लेखक पर निर्भर करती है। टेलीविजन के लिए अनेक प्रकार के कार्यक्रम तैयार किये जाते हैं। समाचारों के अतिरिक्त जो अन्य कार्यक्रम टी.वी. पर दिखाये जाते हैं उनमें पटकथा लेखक की बराबर आवश्यकता पड़ती है।

पटकथा लेखन को तीन भागों में बाँटा जा सकता है—

1. पटकथा के प्रथम भाग में सेटअप का विधान होता है।
2. पटकथा के द्वितीय भाग में द्वन्द्व संघर्ष एवं टकराहट का चित्रण होता है।
3. पटकथा के तृतीया भाग में चरमोत्कर्ष या समाधान होता है।

टेलीविजन के कार्यक्रमों के लिए पटकथा लिखने से पूर्व पहले आवश्यक शोधकार्य कर लेना चाहिए। पूरे कथानक को लेखक घटनाचक्रों और दृश्यों के रूप में अपने भीतर रचा-बसा लेता है। पटकथा लेखक अपनी कल्पना शक्ति से यह भी निर्धारित करता है कि संगीत का प्रभाव कहाँ-कहाँ और किस रूप में प्रस्तुत करना होगा।

पटकथा का तात्पर्य है— सम्पूर्ण कथानक को दृश्यों के रूप में प्रस्तुत करना। पूरी पटकथा को दृश्यों में बाँटना पड़ता है। दृश्य के साथ-साथ घटनास्थल भी बदलता है। एक घटना स्थल पर जो दृश्य होते हैं, उन्हें प्रायः एक साथ घूट किया जाता है। पटकथा में एक घटना स्थल के कई दृश्य हो सकते हैं।

एक अच्छी पटकथा में कौन-कौन सी विशेषताएँ होती हैं इसका विवरण निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है।

पटकथा लेखन की विशेषताएँ—

1. पटकथा के लिए एक अच्छे कथानक का होना पहली शर्त है।
2. पटकथा का तात्पर्य है सम्पूर्ण कथा को ऐसे दृश्यों में बाँट लेना जिन्हें कैमरे से घूट करके प्रस्तुत किया जा सके।

कथानक में समस्या होना आवश्यक है क्योंकि समस्या तनावों को जन्म देती है, तनाव का समाधान दर्शक शीघ्र चाहते हैं अतः अच्छा लेखक उन तनावों को शीघ्र समाप्त कर देता है।

4. टेलीविजन के लिए वही पटकथा बेहतर होती है जो घटना प्रधान हो।
5. टेलीविजन धारावाहिकों में इसीलिए ऐसे पात्र रखे जाते हैं जिनके व्यक्तित्व आपस में टकराते हो।

6. पटकथा सदैव आगे की ओर बढ़े वाली होनी चाहिए। कभी पीछे तो कभी आगे बढ़ने वाली पटकथा अब्दीनही मानी जाती।

7. हर अच्छी कहानी एक आइडिया के चारों ओर घूमती है। साथ ही उसमें कोई संदेश निहित होना चाहिए। पो बिजनेस में आइडिया का बहुत महत्व है जो खुली आँखों से समाज का अध्ययन करने पर अच्छे साहित्यकारों का साहित्य पढ़ने से या मिथकों एवं कथानक रूढ़ियों से प्राप्त होते हैं।

8. पटकथा का आइडिया या केन्द्रीय विचार ही उसकी थीम पर प्रकाश डालता है।

9. पटकथा के पहले अंक में प्रमुख पात्रों का परिचय देने के साथ-साथ यह बताना पड़ता है कि आखिर मामला क्या है अर्थात् ये कौन लोग हैं और इन्होंने क्या चक्कर चलाया हुआ है।

10. दूसरे अंक में पटकथा यह बताती है कि इन पात्रों के चक्कर कहाँ कहाँ एक-दूसरे से टकराते तथा इनके टकराने से क्या उलझन पैदा हो रही हैं तथा थे इस भाग में घटनाओं की झड़ी सी लग जाती है।

11. पटकथा के तीसरे अंक में क्राइसेस क्लाइमेक्स या चरमोत्कर्ष दिखाया जाता है जो समस्या का समाधान भी प्रस्तुत करता है।

12. पटकथा के साथ-साथ पटकथा लेखक को ट्रीटमेंट विवरण में यह बताना होता है कि कथा निरूपण किस प्रकार किया जायेगा। किस पात्र की क्या विशेषताएँ हैं, उसका आचरण कैसा हैं घटनाएँ किस घटनास्थल से जोड़ी गई हैं, वहाँ किस प्रकार का वातावरण दिखाना है तथा कौन-सा दृश्य रखना है।

13. वातावरण को ब्यौरे वार प्रस्तुत करते हुए संगीत, नष्ट्य स्पेशल इफ़ैक्ट, एक्शन, लोकेषन आदि का भी उल्लेख किया जाता है।

14. प्रसिद्ध साहित्यकार मनोहर घ्याम जोषी का मत है कि पटकथा का कंकाल है-स्टेप आउटलाइन। यह पटकथा की रूपरेखा प्रस्तुत करती है तथा इससे पटकथा लेखक को एक क्रम प्राप्त हो जाता है। दृश्यों का क्रम किस प्रकार होगा, किस दृश्य में क्या घटना घटेगी और पात्र कौन-कौन से संवाद बोलेंगे। जो भी काट-छाँट करनी है वह पहले स्टेप आउटलाइन पर ही कर ली जानी चाहिए।

15. स्टेप आउटलाइन दृश्यों का सिलसिला होता है। जैसे—

प्रथम दृश्य— एक पहाड़ी के उस पार सोता हुआ नौजवान जो हाथ में एक अटैची पकड़े हुए पास के रेलवे स्टेशन पर गाड़ी पकड़ने जा रहा है। रेलगाड़ी की आवाज तथा उसकी सीटी साफ सुनाई पड़ रही है।

जब वह रास्तु में आगे बढ़ता है तो पेड़ों के झुरमुट के पीछे घात लगाकर खड़े गुण्डे अपने हाथ में चाकू, छुरी, तमंचा एवं लाठी लिये खड़े दिखाई देते हैं। नौजवान के पास आने पर वे उसका उपहास करते हुए धक्का देते हैं। नौजवान पालीनता से इस बदतमीजी का कारण पूछता है पर बदलमें वे उस पर लाठी का प्रहार कर देते हैं।

नौजवान अटैची से लाठी का प्रहार रोककर उन चारों को अपनी फुर्ती एवं हिम्मत से परास्त कर पास के तालाब में फेंक देता और और धूल झाड़कर अटैची उठाकर फिर चल पड़ता है तभी उनमें से एक गण्डा अचानक पीछे से आकर उसे सिर पर लोहे की छड़ से प्रहार करता है और नौजवान बेहोश होने से पहले हाय कहकर गिर पड़ता है। कट-टू—प्रथम दृश्य समाप्त इसी प्रकार कथा सिलसिलेवार आगे बढ़ती है। पटकथा लिखते समय लेखक को उन घटनाओं को लेना चाहिए जो पात्र के चरित्र को उजागर करने वाली हों। प्रत्येक पटकथा लेखक की अपने पैली होती है, वही कथा को भली-भाँति प्रस्तुत करने योग्य बना पाता है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

पटकथा लेखक सारे दृष्यों को क्रमबद्ध रूप में लिख लेता है और उन्हें सुविधानुसार कैमरामैन के साथ तालमेल करके शूट करवाता है। प्रत्येक दृष्य पर स्थान, घटनास्थल, समय को अंकित करना आवश्यक होता है ताकि आवश्यकतानुसार दृष्य नियोजन किया जा सके।

उदाहरण— के लिए प्रेमचन्दारा लिखी गई प्रसिद्ध काहनी कफन की पटकथा का कुछ अंश इसप्रकार से होगा—

दृष्य— बाहर/झोंपड़ी का दरवाजा /दिन

हम देखते हैं कि झोंपड़ी के बाहर घीसू (उम्र 60 वरस) और माधव (उम्र 28 वरस) बैठे हैं। अगिहाना जल रहा है। दोनों उसमें आलू भूनकर खा रहे हैं।

झोंपड़ी के भीतर माधव की पत्नी (उम्र 24 वरस) चारपाई पर पड़ी प्रसव पीड़ा से छप्पटाती हुई चीख रही है। पड़ोस की एक अन्य महिला (उम्र 50 वरस) पानी गरम कर रही है।

इसी प्रकार सारी कहानी को दृष्यों में लिखकर पटकथा निर्मित कर ली जाती है।

डाक्यूमेन्टरी लेखन डाक्यूमेन्टरी को वृत्त चित्र कहते हैं। किसी भी यथार्थ घटना या विषय पर वृत्त चित्र बनाया जा सकता है। वृत्त चित्र को रोचक ढंग से लिखा जाना चाहिए तथा उसका प्रस्तुतीकरण इस प्रकारसे करना चाहिए जिससे दर्शकों और श्रोताओं को उसकी पूरी जानकारी मिल जाये।

वरत्त चित्र कहते हैं। किसी भी यथार्थ घटना या विषय पर वृत्त चित्र बनाया जा सकता है। वृत्त चित्र को रोचक ढंग से लिखा जाना चाहिए तथा उसका प्रस्तुतीकरण इस प्रकार करना चाहिए। जिससे दर्शकों और श्रोताओंको उसकी पूरी जानकारी मिल जाये।

वृत्त चित्र क पटकथा लेखक की दृष्टि शोधपरक होनी चाहिए। दृष्य के साथ स्वर का मेल वृत्तचित्र में होना अनिवार्य है पटकथा लेखक को एक तालिकका बनानी चाहिए जिसमें दृष्य क्या है और उसके संवाद क्या है इसे दिखाया गया हो।

वृत्तचित्र की विशेषताएँ—

1. वृत्त चित्र का उद्देश्य मनोरंजन न होकर सूचना प्रदान करना है।
2. वरत्त चित्र यथार्थ घटना या विषय पर आधारित होता है, कल्पना पर नहीं।
3. सामान्तया वृत्तचित्र, ध्वनि, संगीत, दृष्य, संवाद का मिश्रण है।
4. वरत्तचित्र एक ऐसा कथात्मक चित्र है जो किसी विषय को समग्रता से इस प्रार प्रस्तुत करता है कि उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाये।
5. वृत्त चित्र के पटकथालेखक को सर्वप्रथम विषय का निर्धारण कर लेना चाहिए तत्पश्चात् घटनासील का अवलोकन कर आवश्यक दर्यों का नियोजन कर लेना चाहिए।
6. वरत्तचित्र में सत्यता का होना अनिवार्य है। जब तथ्यों की सत्यता की परीक्षा हो जाय तब उन्हें आलेख के रूप में प्रस्तुत कर देना चाहिए।
7. वृत्तचित्र लेखक को टेलीफिल्म की शूटिंग तकनीक की जानकारी होनी चाहिए। कौन-सा दृष्य लोग शूट से लिया जायेगा, किसे क्लोज अप में दिखाना होगा यह सब उसे आना चाहिए।
8. वरत्तचित्र में ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाता है, जो कम से कम शब्दों में अधिक बात कह सको
9. दूरदर्शन के वृत्तचित्रों में दृष्य का अधिक महत्व है शब्द का कम। दृष्य एवं शब्द में तालमेल बिठाना आवश्यक है।

10. वृत्तचित्र बनाने की दो विधियाँ हैं— (1) वायस ओवर विधि (11) वायस ओवर वाइट विधि पहली विधि में दृष्य दिखाते हुए पीछे से कमेंट्री सुनाई जाती है। दूसरी विधि में दृष्य

कमेन्ट्री के साथ-साथ लोगों को बोलते हुए दिखाया जाता है। दूसरी विधि में पटकथा लेखन की महती आवश्यकता है।

फिल्म संवाद लेखन— फिल्मों के संवाद लिखते समय निम्न बातों का ध्यान जाता है—

1. संवादों की भाषा कथानक एवं पात्रों के अनुरूप होनी चाहिए।
2. संवाद वर्णनात्मक नहीं होने चाहिए।
3. अधूरे संवाद उचित नहीं माने जाते हैं।
4. शब्दों एवं वाक्यों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए।
5. अपने ही प्रश्न का स्वयं उत्तर देने वाले संवाद ठीक नहीं मान जाते।
6. मानक भाषा का प्रयोग ही संवादों में करना चाहिए।
7. संवाद अधिक लम्बे नहीं होने चाहिए।

यथासम्भव संवादों की भाषा सरल एवं आम बोलचाल की होनी चाहिए।

संवाद क्रमबद्ध होने चाहिए तथ उनमें अतारतम्यता नहीं होनी चाहिए।

प्रयोजनमूलक हिन्दी

अनुवाद की परिभाषा—

एक भाषा में व्यक्त विचारों को यथावत् एवं सहज रूप में दूसरी भाषा में व्यक्त करने की क्रिया अनुवाद कहलाती है।

जिस भाषा से अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा (वनतबम संदहनंहम) तथा जिस भाषा में अनुवाद किया जाना है उसे लक्ष्य भाषा (जंतहमज संदहनंहम) कहते हैं।

अनुवाद सरल प्रक्रिया नहीं है अपितु उसमें मूल लेखन से भी अधिक कठिनाई होती है। प्रथम राष्ट्रपति डॉ. राजेन्द्र प्रसाद के अनुसार, मौलिक लेख लिखना आसान है पर सिकी दूसरी भाषा में अनुवाद करना बहुत कठिन है। मेरा निजी अनुभव है कि मैं अंग्रेजी से हिन्दी में और हिन्दी से अंग्रेजी में उतनी आसानी से अनुवाद नहीं कर सकता है जितनी आसानी से इन भाषाओं में लिख सकता हूँ।

अनुवाद प्रक्रिया में अर्थ और शैली को महत्व देते हुए कहा गया है—

Translation consists in producing in the receptor language the close&natural equivalent to the message of the source language first in meaning and secondly in style-

अर्थात् स्रोत भाषा में अभिव्यक्त विचारों को लक्ष्य भाषा में अर्थ और शैली के स्तर पर यथासम्भव सहज एवं समान स्तर पर अभिव्यक्ति देने का नाम अनुवाद है।

उक्त परिभाषाओं के आधारपर हम अनुवाद के अम्बन्ध में निम्न निश्कर्ष निकाल सकते हैं—

1. अनुवाद का तात्पर्य है— एक भाषा में व्यक्त भावों और विचारों को यथासम्भव दूसरी भाषा में व्यक्त करना।
2. अनुवाद सहज एवं अकरत्रिम होना चाहिए।
3. अनुवाद का तात्पर्य शब्दानुवाद से न होकर भावानुवाद से है। अर्थात् एक भाषा में व्यक्त भाव और विचारदूसरी भाषा में अर्थ के स्तर बदलने नहीं चाहिए।
4. अनुवाद करने की प्रक्रिया में मूल रचना का अर्थान्तरण नहीं होना चाहिए।
5. मूल रचना में व्यक्त उद्देश्य अनुवाद करते समय बदलना नहीं चाहिए।
6. मूल रचना की शैली भी यथासम्भव अनुवाद में सुरक्षित रहनी चाहिए।
7. अनुवादक को दोनों भाषाओं अर्थात् स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा में पारंगत होना चाहिए।
8. अनुवादक को अनुवाद की जाने वाली विषय सामग्री का भी ज्ञान होना चाहिए। अन्यथा अनुवाद में भयंकर त्रुटियाँ रह जाती हैं। भौतिक विज्ञान की किसी पुस्तक का अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद वही व्यक्ति कर सकता है जो विषय विशेषज्ञ हो अर्थात् जिसे भौतिक विज्ञान की जानकारी हो। केवल अंग्रेजी या हिन्दी भाषा की जानकारी मात्र से फिजिक्स की पुस्तक का अनुवाद नहीं किया जा सकता।
9. अनुवाद का कार्य केवल स्रोत भाषा के पाठ को लक्ष्य भाषा के समानार्थक शब्दों द्वारा प्रतिस्थापित करना ही नहीं है अपितु उन दोनों में अर्थगत, संस्कृतिगत समानता स्थापित करना है
10. अनुवादक का स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की प्रवृत्तियों से भली-भाँति अवगत होना चाहिए।
11. जे.सी. केटफोर्ड ने अनुवाद को परिभाषित करते हुए कहा है, अनुवाद स्रोत भाषा की पाठ सामग्री को लक्ष्य भाषा के समानार्थी पाठ में प्रतिस्थापित करने की प्रक्रिया है।

12. मूल भाषा या प्रोत भाषा के भाव को समझे नि किया गया अनुवाद त्रुटिपूर्ण होने की सम्भावना रहती है।

13. अनुवादक को मूल अवतरण पढ़कर यह जानना चाहिए कि लेखक का मूल मंतव्य क्या है तथा क्या उसने (अनुवादक ने) विषय को हृदयगम कर लिया है।

14. क्या अनुवादक दूसरी भाषा में उसे प्रस्तुत कर सकता है, इस बात की अच्छी तरह जानने के बाद ही उसे अनुवाद करना चाहिए।

15. तकनीकी विषयों के अनुवाद में प्रयुक्त होने वाले नवीन शब्दों की व्यावसायिक शब्दावल से भी अनुवादक को परिचित होना चाहिए। तभी एवं प्रामाणिक अनुवाद किया जा सकेगा। विषय के विशेषज्ञों की राय लेने में भी अनुवादक को संकोच नहीं करना चाहिए।

16. अनुवाद में क्रमबद्धता, एकरूपता एवं बोधगम्यता का होना भी परम आवश्यक है। अनुवाद के प्रकार

अनुवाद के अनेक भेद किये जा सकते हैं, यथा—

1. शब्दानुवाद

रूपान्तरण

7. गद्यानुवाद

2. भावानुवाद

5. सारानुवाद

8. पद्यानुवाद

3. छायावाद

6. भाशानुवाद

शब्दानुवाद में किसी विषय का अनुवाद एक भाषा में इस प्रकार किया जाता है। कि मूल भाषा एवं अनुवादित भाषा में कोई अर्थगत अन्तर न हो। शब्दानुवाद में अनुवादक को स्रोत भाषा की सूक्ष्म से सूक्ष्म अर्थ ध्वनियों एवं विषिष्ट भाव—भंगिमाओं को समझना आवश्यक है।

भावानुवाद

में अनुवादक भाव विचार और अर्थ पर अधिक ध्यान देता है। स्रोत भाषा के पद, वाक्य, पदबंध पर अधिक ध्यान न देने के कारण यह अर्थ विज्ञान के अधिक निकट होता है। अनुवादक का प्रयास यह रहता है कि वह स्रोत भाषा की पाठ सामग्री के सम्पूर्ण अर्थ को लाने का प्रयास करे, इसलिए इसमें स्रोत भाषा की आत्मा पूर्णतरु सुरक्षित रहती है। भावानुवाद में सबसे बड़ा दोष यह है कि इसमें अनुवादक अपनी गव सम्पदा, विचार सम्पदा तथा पैली की छाप छोड़ता हुआ पाठक को आक्रान्त कर लेता है किन्तु यह दोष सदैव नहीं होता क्योंकि अन्ततः अनुवादक को वही विचार प्रस्तुत करने होते हैं जो मूल स्रोत भाषा में होते हैं।

हायानुवाद का तात्पर्य उन रचनाओं से है जिनमें एक भाषा में लिखी गई साहित्यिक सामग्री पर दूसरी भाषा के साहित्य की छाया का आभास होता है। यथा मतजी की पंक्ति है—
“शम्बी उर्मि सि विजीम हसंकपदमे जीज जीपम इतंपदे उनेज ादवू” अज्ञेय की बहुत सारी रचनाओं पर देशी—विदेशी लेखकों की रचनाओं की छाया है।

रूपान्तरण में अनुवादक कति का रूप बदल देता है अर्थात् इसमें उपन्यास को नाटक में या कहानी में तथा नाटक को कहानी या उपन्यास में बदल दिया जाता है। यही नहीं अपितु कविता को गद्य या गद्य को कविता में बदलना भी रूपान्तरण ही है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

सारानुवाद तात्पर्य है स्रोत भाषा की सागी का सार लक्ष्य भाषा में अनूदित कर देना। राजनीतिक भाषाणों, वार्ताओं आदि में दुभाशिये इसी प्रकार का अनुवाद प्रस्तुत करते हैं। भाषावाद की टीका भी कहते हैं। इसमें स्रोत भाषा के दिये गये काव्यांश या अवतरण का अनुवाद लक्ष्य भाषा में भाष्यकार करता है तथा अपनी ओर से उसमें उपयुक्त उद्धरण या प्रमाण जोड़ देता है। भाष्यकार अपने ज्ञान को भी उस अनूदित भाग में जोड़ देता है। संस्कृत ग्रन्थ साहित्य दर्पण पर डॉ. सत्यव सिंह की टीका या गीता पर तिलक द्वारा लिखा गया गीता भाष्य इसी प्रकार की अनूदित कृतियाँ हैं।

गद्यानुवाद का तात्पर्य है पद्य को गद्य में बदलते हुए इस प्रकार प्रस्तुत करना जिससे पद्य का सम्पूर्ण भाव स्पष्ट हो जाय। संस्कृत के काव्यखण्डों का हिन्दी में गद्यानुवाद इसी पद्धति पर किया जाता है। पद्यानुवाद में गद्य को पद्य में परिवर्तित किया जाता है। यह अपेक्षाकृत कठिन होता है क्योंकि कविता रच सकते की क्षमता हर व्यक्ति में नहीं होती।

अनुवाद की आवश्यकता

दुनिया में विभिन्न भाषाएँ बोली जाती हैं। हर व्यक्ति हर भाषा नहीं सीख सकता अतः उसे दूसरी भाषाओं में लिखी गई पुस्तकों को अपनी भाषा में पढ़ने के लिए अनुदित पुस्तकों की आवश्यकता होगी। राजनीतिक व्यक्तियों व्यक्तियों को भी दुभाशियों की जरूरत पड़ती है मानव जीवन में ज्ञान का जो प्रकाश निरन्तर फैल रहा है, उसके पीछे भी अनुवाद की सराहनीय भूमिका है अनुवाद के सहारे ही विश्व के विभिन्न हिस्सों में रहेने वाले एक-दूसरे से ज्ञान, विज्ञान एवं संस्कृति के क्षेत्र में जुड़ सके हैं।

1. कार्यालयी अनुवाद (वर्षिबंस ज्वाँदंसजपवद)

आजकाल सरकारी कार्यालयों में अनुवादक की आवश्यकता निरन्तर रहती है। अंग्रेजी में आये हुए पत्रों का हिन्दी अनुवाद करना प्रतिदिन के क्रियाकलाप में शामिल को दोनों भाषाओं अर्थात् स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा की व्याकरणिक जानकारी होना भी परम आवश्यक है।

अनूदित सामग्री में यथासम्भव मूल अभिव्यक्ति को सुरक्षित रखा जाता है। अनुवाद को यथासम्भव सहज एवं अकृत्रिम रखा जाना चाहिए तथा अवतरण या कार्यालयी पत्र आदि का अनुवाद करते समय यह ध्यान रखा जाता है कि अनुवादमात्र षब्दानुवाद न होकर भावानुवाद होना चाहिए।

2. अंग्रेजी से हिन्दी अनुवाद करने की प्रक्रिया—

अनुवाद करना वस्तुतः एक कला है, जो निरन्तर अभ्यास एवं सजगता से निखरती है। अनुवादक की अपनी भाषा—पैली होती है, अतः यह कहना ठीक है कि अनुवादक का कार्य मूल लेखक से किसी भाँति कम नहीं है।

1. अंग्रेजी के मूल अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके आशय अथवा मतव्य को जानना चाहिए।

2. अवतरण के कठिन षब्दों एवं वाक्य रचना को समझने का प्रयास दूसरे वाचन में करना चाहिए।

3. अंग्रेजी अवतरण को हिन्दी में इस प्रकार व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे अवतरण

का मूल भाव या आशय पूरी तरह स्पष्ट हो सके।

4. वैज्ञानिक या तकनीकी षब्दवली का अनुवाद परिभाषिक कोटा में दिये गये षब्दों का प्रयोग करके ही करना चाहिए।

5. अनुवादक का काम बुद्धिमान की तरह सोचना, किन्तु जन—साधारण की भाषा में बोलना है। सहज प्रचलित षब्दों का प्रयोग ही अनुवाद में करना चाहिए और यथासम्भव कठिन षब्दों से बचना चाहिए।

6. अनुवाद करते समय सन्दर्भ के अनुकूल शब्द का अर्थ ग्रहण करना चाहिए, यथा— भवउम उपदपेजमत को गृह मंत्री कहना चाहिए, न कि घर मंत्री
 7. प्रत्येक भाषा की अपनी वाक्य संरचना होती है, अतः अनुवादकरते समय उसका रूपन्तरण करना उचित नहीं होता।
 8. अनुवादकरते समय यह ध्यान रखना चाहिए कि अनुवाद शब्द का या वाक्य का नहीं होता, अपितु पूरे अवतरण का होता है। इसलिए शब्द संयोजन एवं वाक्य संयोजन इस प्रकार से हो कि उसमें पारस्परिक संगति सुसम्बद्धता बनी रहे।
 9. प्रत्येक भाषा की अपनी लोकोक्तियाँ एवं मुहावरे होते हैं, जिनका शब्दानुवाद नहीं किया जा सकता। एक भाषा में प्रयुक्त मुहावरे का दूसरी भाषा में उसी अर्थ में प्रचलित मुहावरे द्वारा अनुवाद करना उचित होता है जैसे का अर्थ आँख की सफाई उचित है, न कि आँख धोना।
 10. अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद करते समय हिन्दी के पदक्रम को ध्यान में रखना चाहिए।
 11. अंग्रेजी में तजपबसमे तथा चमचवेजपवदे के लिए प्रयुक्त काकर चिह्न भी शून्य है। ऐसी स्थिति में हमें हिन्दी की प्रवृत्ति को ध्यान रखते हुए अनुवाद करना चाहिए। भ्रम पे संभ्रम का अनुवाद वह एक गुलाम है के स्थान पर वह गुलाम है अधिक उचित है।
 12. अंग्रेजी में सहायक क्रियाओं के प्रयोग से वाक्य को प्रज्ञात्मक या नकारात्मक बनाया जाता है, किन्तु हिन्दी में यह प्रवृत्ति नहीं कमवेीम चसंल? का अनुवाद करते समय सहायक क्रिया की भूमिका हिन्दी में नहीं होगी। वाक्य में मूड को समझकर इसका अनुवाद क्या वह खेलता है के रूप में करना चाहिए।
 13. अंग्रेजी में पंच हवपदह जव चतबीम दमू बंत वित लवन एक वाक्य है, किन्तु इसका हिन्दी अनुवाद मैं आपके लिए नई कार खरीदने जा रहा हूँ आपके लिए नई कार खरीद रहा हूँ या मैं आपके लिए नयी कार खरीदूँगा।
 14. अनूदित अवतरण को मूल अवतरण से मिलाकर आवश्यक संशोधन कर लेने चाहिए।
3. अनुवादक के लिए अपेक्षित गुण—
- अनुवादक को दोनों भाषाओं का अधिकारिक ज्ञान होना चाहिए।
2. वर्ण्य विषय की जानकारी होने पर ही अनुवाद सार्थक होता है। चिकित्साशास्त्र की पुस्तक का अनुवाद चिकित्साशास्त्र की जानकारी होने पर सही किया जा सकता है!
 3. मूल भाव में विकृति नहीं आनी चाहिए तथा मूल भाषा का आशय अनुवाद में बदलना नहीं चाहिए।
 4. अनुवादक को तटस्थ रहकर ही अनुवाद को करना चाहिए।
 5. लोकोक्तियों एवं मुहावरों तथा प्रतीकों का अनुवाद सावधानी से करना चाहिए। यदि अनूदित भाषा में समान भाव व्यक्त करने वाली लोकोक्ति या हों तो उनका प्रयोग ही करना चाहिए।
 ८. मूल अवतरण की काल रचना को यथासम्भव सुरक्षित रखना चाहिए।
 7. प्रत्यक्ष कथन को प्रत्यक्ष रूप में तथा परोक्ष कथन को परोक्ष रूप में ही रखना चाहिए।
 8. सरल, संयुक्त एवं मिश्रित वाक्यों के अनुवाद को इन्हीं वाक्यों में करना चाहिए। उनका पारस्परिक परिवर्तन नहीं करना चाहिए।
 9. अनुवादक में भाव सम्प्रेषण की क्षमता होनी चाहिए।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

10. अनुवादक को मूल अवतरण को पढ़कर पहले समझ लेना चाहिए। कठिन शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देख लेने चाहिए। अदननतर मूल अवतरण को क्रमबद्ध रूप से हिन्दी में रूपान्तरित कर लेना चाहिए।

यहाँ अंग्रेजी तंदज का हिन्दी में ओर हिन्दी अवतरणों का अनुवाद करके कुछ उदाहरण प्रस्तुत किये गये हैं।

अंग्रेजी से हिन्दी में अनुवाद

उदाहरण-1

Japan's greatest assets and like wise fier greatest problemns concern people- Over 80 million lie hasr- The net annula increase has been a million people in some years- Where can these landers live\ Population pressure is no more abstraction] it is an inescapable and increasing problem-

अनुवाद- जापान की सबसे बड़ी परिसम्पत्तियाँ और इसी तरह उनकी सबसे बड़ी समस्याएँ उनके लोगों से सम्बन्ध रखती है। यहाँ 80 मिलियन (8 करोड़) से अधिक लोग रहते हैं। ये द्वीप-वासी लोग कहाँ रह सकते हैं, वे क्या रक सकते हैं। उनका भरण-पोषण कैसे किया जायेगा? जनसंख्या का दबाव उपेक्षित का दबाव उपेक्षित विषय नहीं है, यह एक अपरिहार्य और अधिकाधिक बढ़ती हुई समस्या

उदाहरण-2

My forefathers came to India from Herat in Babar's- They first settled in Agra and later moved to Delhi- It was a scholarly family and in Akbar time Maulan jamluddin became famous as religious diven- After him] the family becam more inclined to worldly affairs and several members occupied importan civil positions- In Shahjahan's days Mohammad Hadi was appointed Governor of the Agra Fort-

अनुवाद- मेरे पूर्वज बाबर के शासन काल में हिरात से भारत आये थे। वे पहले-पहले आगरा में व्यवस्थित हुए और बाद में दिल्ली चले गये। यह एक प्रबुद्ध परिवार था और अकबर के समय में, मौलाना जमालुद्दीन एक धर्म-गुरु के रूप में प्रसिद्ध हो गये थे। उनके बाद यह परिवार सांस्कृतिक कृत्यों की ओर अधिक प्रवृत्त हो गया और उसे अनेक सदस्यों ने महत्वपूर्ण राजकीय पद प्राप्त किये। शाहजहाँ के दिनों में, मुहम्मद हादी को आगरा के किले का गवर्नर नियुक्त किया गया था।

उदाहरण-3

According to Dalton Atomic theory $\frac{1}{4}1805\frac{1}{2}$ atom is the ultimate particle of matter and it is though to be indivisible- The shortcoming of the concept of the indivisible of the atom became apparent towards the end of the ninteenth century- Farady's Laws of elec& trollysis and the work of Crookes- Perrine and Thomson on the conduction of electricity gases ahs indicated that the atom is essentially electrical in character Stony $\frac{1}{4}1891\frac{1}{2}$ proposed a unit of electric charged known as the electron-

अनुवाद- डाल्टन सिद्धान्त (1805) के अनुसार परमाणु अणु द्रव्य का अन्तिम कण है और उसे अविभाज्य समझा जाता है। परमाणु की अविभाज्यता की त्रुटियाँ उन्नीसवीं शताब्दी के अन्त तक उभर कर सामने आयी। फ़ैराडे के विद्युत विघटन के नियमों तथा गैसों में विद्युत् के संवहन पर हुए क्रुक्स, पैरिन और थॉमसन के कार्यों ने यह सिद्ध कर दिया

कि परमाणु स्वरूपतः विद्युतीय होता है। स्टोनी (1891) ने विद्युत आवेश की इकाई का नाम इलेक्ट्रॉन प्रस्तावित किया था।

उदाहरण-4

The parts of language the Sabda and Artha $\frac{1}{4}$ word and sense $\frac{1}{2}$ or technically the Vachaka and Vachya $\frac{1}{4}$ eUpressor and eUpressed $\frac{1}{2}$ had already been distinguished by grammatical and philosophical speculation as the medium of linguistic eUpression- The essential element of all literature] as of language] therefore is said to consist of the matter of word and sense and the earliest definitions of people start in terms of sabda and artha- So long as poetry is a kind of eUpression] conveyed through the medium of language] this is inevitable-

अनुवाद- भाषा के अंगों के षब्द और अर्थ (वतक दक मेदम) अथवा पारिभाषिक रूप से वाचक और वाच्य (मचतमेवत दक मचतमेमक) को पहले से ही व्याकरणिक और दार्शनिक मान्यता के अनुसार भाषा की अभिव्यक्ति के माध्यम के रूप में स्वीकार कर लिया गया था। अतः सम्पूर्ण भाषा भाषा के आवश्यक तत्व की तरह सम्पूर्ण साहित्य का आवश्यक तत्व षब्द और अर्थ में ही निहित माना जाता है, काव्य की प्राचीनतम परिभाषाएँ षब्द और अर्थ के परिप्रेक्ष्य में ही प्रारम्भ होती हैं। यदि काव्य भाषा के माध्यम से की गयी अभिव्यक्ति का एक प्रकार है, तो वह परिभाषा अपरित्याज्य है।

उदाहरण-5

Kalidasa's writings dispose of the misconception that the Hindu mind was attentive to transcendental matters] and neglectful to mundane affairs- Kalidasa's range of eUperience was wide- He enjoyed life] people] picture and flowers- He does not separate men from the cosmos and from the forces of religion- He knows the full range of human sorrow and desire] meagre] joy and endless hope- He points to a harmony of the four main interests to human life Dharma] Artha] Kama and Moksha] the ethical] the economic the artistic and the spiritual-

अनुवाद- कालिदास की कृतियों से इस भ्रान्त धारण का निराकरण हो जाता है कि हिन्दू मस्तिष्क अलौकिक विशयों के प्रति जागरूक और लौकिक कर्मों के प्रति उदासीन था। कालिदास का अनुभव जगत् विस्तृत था। उसने जीवन जगत् चित्र और पुष्पों का आनन्द लिया था। वह मनुष्यों को विश्व तथा धर्म की शक्तियों से पृथक् नहीं करता। वह मानव के दुःख और इच्छा, अपूर्ण आनन्द और अनन्त आशा की पूरी-पूरी जानकारी रखता है। उसने मानव जीवन की चार प्रमुख रुचियों-धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष अर्थात् नैतिक, आर्थिक, कलात्मक और आध्यात्मिक की संगति का संकेत दिया है।

हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद

उदाहरण-1

रामायण भारत में अत्यधिक लोकप्रियता से पढ़ा जाने वाला महाग्रन्थ है, इसे असंख्या लोग श्रद्धा एवं सम्मान के साथ पढ़ते हैं। इसके कुछ प्रशंसनीय पक्षों में से एक महानता यह है कि यह हमारे सामने जीवन के श्रेष्ठ आदर्श प्रस्तुत करती है, तो प्रत्येक कीमत पर जीवन में अपना चाहिए। राजा दशरथ अपने वचन तोड़ने की अपेक्षा मृत्यु को गले लगाते हैं, राम राज्य भोग के स्थान पर वन के कठोर जीवन को स्वीकार करते हैं, भरत स्वयं को शक्तिपूर्वक अपने भाई की पादुकाओं का सेवक बना लेते हैं, भरत स्वयं को भक्तिपूर्वक अपने भाई की पादुकाओं का सेवक बना लेते हैं, आदि। अन्य पात्र भी अपने समाज के लिए अपना बलिदान



प्रयोजनमूलक हिन्दी

कर इस पवित्र ग्रन्थ में स्थान बना लेते हैं। हम समाजवादी आस्था रखने के बारे में बहु सोचते हैं, किन्तु हम इस महाकाव्य की सामाजिक अच्छादियों को व्यवहार में नहीं लाते।

The Ramayan is the most popularly read book in India] and by far a large number of people read and recite it with devotion- But few appreciate one aspect of its greatness that it places before us some high ideals of human conduct which ennoble the man and his surroundings and which must be followed at all costs-King Dasarath preferred death to going back on his word] Ram renounced his kingdom to embrace the hardships of forest life] and Bharat reduce himself to a faithful custodian worshipper of his brother's foot&prints Other characters in this Holy book stand second to none in their sacrifice for the society- we give a loud thinking to our faith in socialism] but little do we care to follow the socialism actually practised in this great epic-

उदाहरण-2

अनुशासन जीवन का नियम है। यह संसार का भी नियम है। सूर्य, चन्द्रमा तारे तथा मौसम (ऋतुएँ) ये सभी अपरिवर्तनीय नियमों के अधीन हैं। ये प्राकृतिक नियम के उल्लंघन से संसार का विनाश है, उसी प्रकार नैतिक नियमों के तोड़ने पर मनुष्य का जीवन बर्बाद हो जाता है। इससे स्पष्ट होता है कि अनुशासन क्यों आवश्यक है। अनुशासन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आवश्यक है। यही हमारे जीवन के क्रियाकलापों को क्रियान्वित करता है एवं हमें आवश्यक नियमों से बाँधता है। अनुशासन जीवन का अवरोध है। उच्छिखल स्वतंत्रता समान्यताया हमें पतन के रास्ते पर ले जाती है। अनुशासन हमारे जीवन में शक्ति एकता संगठन तथा चरित्र का विकास करता है। यह देश की उन्नति एवं सम्पन्नता के लिए आवश्यक है। किन्तु सेना में अनुशासन बहुत आवश्यक है, बिना अनुशासन के सेना नियम रहित भीड़ के समान है।

Discipline is the law of life- It is also the law of the universe- The sun the moon] the stars] the seasons& all are subject to unchanging laws- These law of rules are physical] Simi& larly ther are moral laws to guide us- Any violation of physical laws brings disaster to the world- Likewise any violation of moral laws ruins a man's life- It is one thing that regu& lates our actions and keeps us within the bonds of civilized norms] discipline is like a brake- Unchecked freddom generally takes you down to the wrong road- Discripline develops strength] unity and character in our life- It is indispensable for the progress and prosperity of a nation- But discipline is more necessary in the army- An army without discipline is no better than a lawless mob

उदाहरण-3

एक अच्छी पुस्तक की

भी अच्छी पुस्तक को क्या परख है, या हम उसे मात्र एक बार पढ़ना चाहते हैं या अधिक बार। किसी एक बार होने पर भी दुबारा पढ़ना चाहते हैं। प्रत्येक अगली बार पढ़ने पर हमें एक नया अर्थ एवं नयी सुन्दरता प्राप्त होती है। एक पुस्तक जिसकी एक शिक्षित व्यक्ति एक बार से अधिक पढ़ने की चिन्ता नहीं करता, शायद उसके लिए इसका धिक महत्व नहीं। किन्तु हम एक व्यक्ति के विचारों से ही उसके (पुस्तक में) श्रेष्ठ होने या नहीं होने का निर्णय नहीं कर सकते। एक पुस्तक की विचारधारा अनेक लोगों की होनी चाहिए। महान् आलोचक नीरसता एवं त्रुटियों को इंगित करते हैं। उदाहरण के लिए, कार्लाइल बाउनिंग से सहमत नहीं था एवं ब्राउनिंग कुछ महान् अंग्रेज कवियों से सहमत नहीं थे।

The test of a great book is whether we want to read it only one or more than once- Any really great book we want to read the second time even more than we wanted to read it the first time] and every additional time that a person of education and good taste does not care to read more than once is very probably not worth much- But we cannot care to read more than once is very probably not worth much- But we cannot consider the judgement of a single individual infallible- The opinion that makes a book great must be the opinion of many- for even the greatest critics are apt to have certain dullness] certain- inappreciations- Carlyle] for example] could not endure Browning and Browning could not endure some of the greatest English poets-

उदाहरण-4

परिवार में हुई एक दुखान्त घटना ने देश में प्रचलित एक कुप्रथा की ओर राजा राममोहन राय की आँखें खोल दी। उनकी एक बहिन थी जिसे वे बहुत प्यार करते थे। उसके पति की मृत्यु हो गई और वह राममोहन के सामने चिता में, जो उसके पति के पददह के लिए प्रज्वलित की गई थी, कुछ पड़ी। उसका यह कार्य सती प्रथा के अनुसार था, जिसमें पति की मृत्यु पर अपने प्राण देना पत्नी का कर्तव्य था। इस घटना ने राममोहन राय के जीवन को बदल दिया। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित ऐसी कुप्रथाओं के विरुद्ध संघर्ष निष्पन्न किया।

राममोहन राय एक अच्छे वक्ता और लेखक थे। उन्होंने सती प्रथा का विरोध करने के लिए अपनी वाक्पटुता का प्रयोग किया। बहुत से कट्टरपंथी व्यक्तियों ने उनका कड़ा विरोध किया, किन्तु वे अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए बराबर संघर्ष करते रहे। उनका प्रयासों के परिणामस्वरूप तत्कालीन भारत सरकार ने सती प्रथा को अवैध घोषित कर दिया।

A tragic event that happened in the family opened Ram Mohan's eyes to evil custom which prevailed in the country- He had a sister whom he loved very much- Her husband died and before Ram Mohan's eyes she jumped into fire that consumed her husband's body- This was in accordance with the custom of sati which made it the duty of the wife to give up her life when her husband died- The event was a turning point in Ram Mohan's life- He decided to fight against such evil practices that people allowed in the name of religion-

Ram Mohan was a good speaker and writer- He used his eloquence to attack customs like sati- Many orthodox people opposed him tooth and nail- But he went on fighting for a cause which was dear to him- As a result of his efforts] the government of India declared sati to be illegal-

उदाहरण-5

समय की कीमत पर सही ध्यान देने से नियमितता की आदत को प्रोत्साहन मिलता है। नियमितता एक बादशाह की नम्रता है, सज्जन का कर्तव्य है तथा व्यापारी की आवश्यकता है। यह एक तरीका है, जिससे हम व्यक्तिगत सम्मान, उनके लिए प्रदर्शित करते हैं, जिन्हें हम जीवन के कार्य में मिलने के लिए बुलाते हैं। मिलने के लिए बुलाते हैं, मिलने का तय किया हुआ समय एक समझौता है, जो उसे नहीं निभाता वह विश्वास भंग करने का दोषी है व्यक्ति जो समय के बारे में लापरवाह है, वह कार्य के बारे में भी लापरवाह होगा। वह महत्वपूर्ण मामलों में विश्वास करने योग्य व्यक्ति नहीं है। एक दिन वार्षिंगटन का सेक्रेटरी देरसे आया, उसने देर से अपने के लिए अपनी घड़ी को दोश दिया। वार्षिंगटन ने उससे कहा- तुम अवश्य ही दूसरी घड़ी लो या मैं दूसरा



प्रयोजनमूलक हिन्दी

सेक्रेटरी लूँ।

A proper consideration of the value of time will inspire habits of punctuality- Punctuality is the politeness of king] the duty of gentleman and the necessity- It is one of the ways in which we show our personal respect for those whom we are called upon to meet in the business of life- An appointment is a contract and who does not keep it] is guilty of breaking faith- The person who is careless about time will be careless about business- He is not a person to be trusted in the matters of importance- One day Washington's Secretary came late] he blamed his watch for his coming late- Washington said to him- You must get another watch or I must get another secretary-

उदाहरण—6

हम कई बार सोचते हैं कि कितना अच्छा होगा कि करने को कोई काम न हो। हम कैसे अमीर लोगों से ईश्यों रखते हैं, जिनके पास अपनी जीविका के लिए कोई काम नहीं होता, परन्तु पूरा वर्ष अपनी खुशी से काट सकते हैं। फिर भी जब हम यह सोचते हैं, हम गलती करते हैं। कईबार धनवान लोग इतने खुष नहीं होते, जितना हम सोचते हैं, क्योंकि वे कुछ न करने को होने के कारण थक जाते हैं। हममें से अधि कतर खुष होते हैं, जब हमें अपनी जीविका के लिए नियमित काम होता है, विशेषकर जब काम हमारी रुचि का हो। पहली बात जो काम हमारे लिए करता है, वह है— हमें खुशी प्रदान करना। काम हमें आत्मसम्मान देता है। आलसी धनवान दूसरों के काम पर जीते हैं, परन्तु ईमानदार कार्यकर्ता जो अपनी जीविका उपयोगी परिश्रम से कमाता है, अपना धर्म उच्च रख सकती है व अपना सम्मान कराता है। अन्त में नियमित कार्य हमारे चरित्र—निर्माण में सहायक है। ये हमें ऐसी अच्छी आदतें सिखाते हैं, जैसे— नियमितता, सजगता, समर्पण और काम में वफादारी। मनुष्य काम करता है न कि आलसी जो नियम के रूप में अपने चरित्र को उन्नत करता है।

Some sometimes think that it would be very nice to have no work to do- How do we envy rich people who have not to work for their living but can do just what they please all the year round- Yet when we feel this] we make mistake- Sometimes rich people are not as happy as we think they are] because they are tired of having nothing to do- Most of us are because they are tired of having nothing to do- Most of us are happy when we have regular work to do for our living especially if the work is what we like to do- The first thing work does for us is to give us happiness- The work gives us self respect- The idler however rich lives on the work of others- But the honest worker who earns his living by useful toil] can hold up his head and respect himself- lastly regular work helps us in building up character- It teaches us such good habits as punctuality] carefulness] thoroughness and faithfulness in work- It is the man who works] not the idler] that as a rule develops the best character-

उदाहरण—7

किसी आगन्तुक ने गाँधीजी से पूछा कि उन्होंने भारत के लिए जो कार्य किया उसमें उनका मूल उद्देश्य क्या था? वह सामाजिक था अथवा राजनैतिक या धार्मिक? इन तीनों क्षेत्रों में उनके क्रियाकलाप इतने व्यापक हैं और उनका हिन्दू समाज के मौलिक ढाँचे तथा भारत की राजनीतिक स्थिति पर इतना प्रभाव हुआ कि उक्त प्रश्न पूछना स्वाभाविक है।

गाँधीजी ने उत्तर दिया— मेरा उद्देश्य पूर्णतया धार्मिक रहा है। मैं धार्मिक जीवन तब तक नहीं बिता सकता था, जब तक समस्त मानव जाति से अपने आपको परिचित न कर लूँ और

यह कार्य मैं राजनीति में भाग लिये बिना नहीं कर सकता था। मानवीय क्रियाकलापों से पथक किसी धर्म की जानकारी मुझे नहीं है।

Gandhiji was asked by one of his visitors what was the fundamental motive in the work which he and done for India- Was it social or political] or religious\ His activities have spread so widely into all three spheres and have eÜercised so deep an influence both on the fundamental strure of Hindu society and on the political status of India that such gyesion is naturel-

Gandhiji replied] “My motive has been purely religious- I could not be leading a religious life unless I took part in politics- I do not know my religion apart from human activity-

उदाहरण-8

भारत में, अपने बुजुर्गों की सेवा करने की रीति रही है। संयुक्त परिवार टुटने से पूर्व माता-पिता अपने पुत्र एवं पौत्रों के साथ रहा करते थे, किन्तु आजकल षहरीकरण बदल रहा है, छोटे-छोटे फ्लैट (मकान) में बड़े परिवार एक साथ नहीं रह सकते। माता-पिता या तो कहीं अन्धकार में अकेले छोड़ दिये जाते हैं या दूसरे परिवार के सदस्यों के साथ निश्चित समय के लिए रखे जाते हैं। जब से षहरीकरण बढ़ता है, भारत में बच्चों द्वारा बुजुर्गों की उपेक्षा परिष्चमी देशों की भाँति हुई है। पष्चिमी देशों में माता-पिता को वृद्ध गृह में भेज दिया जाता है, क्योंकि वे उनको अपने साथ नहीं रख सकते हैं। गाँवों में भी जीने के तेजी से बढ़ते हुए तरीके तथा व्यापार ने वृद्ध लोगों के लिए समस्या खड़ी कर दी है। चिकित्सा महँगी हो गई तथा वृद्धों के लिए आवश्यक विषिष्ट भोजन आदि उपलब्ध नहीं करा पाते इसी कारण अकेलेपन की समस्या से लोग जूझ रहे हैं।

In India] it has always been the custom to look after the aged- With the break up of the joint family] the parents in old age continued to live with their children and granchildren- But urbanisation is changing in these days- small flats cannot accommodate everybody- Parents are either tucked away in some dark] remote quarter or are shared round the year with other members of the failly Inevitably] as urbanisation increases] the old in India may find themselves an embarrassment to the young just as in the West- they will hav to be sent to old people’s homes not out of callouness bu simple because they cannot be accommodated- Even in the countryside] with the cost of living steadily going up the business of looding after the old is becoming defficult- Doctor’s bills bills are eÜpensive and so are the special fool the need- If this tragic] the problem of loneliness is frightening-

4. वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद

विज्ञान एवं तकनीक के बढ़ते हुए अध्ययन एवं जनसामान्य की इन विशयों में बढ़ती हुई रुचि के कारण आज वैज्ञानिक एवं तकनीकी पुस्तकों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता बढ़ गई है। प्रारम्भ में विज्ञान का साहित्य अर्थात् विज्ञान से सम्बन्धित विशयों की पुस्तकें अंग्रेजी भाषा में ही उपलब्ध थी। किन्तु अब तो प्राथमिक स्तर से विश्वविद्यालय स्तर तक हिन्दी में विज्ञान एवं तकनीक से जुड़े सभी विशयों की पुस्तकें उपलब्ध हैं।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी विशयों में पारिभाषिक षब्दावली की प्रचुरता होती है अतः ऐसी पुस्तकों के अनुवाद के लिए अनुवादक को विज्ञान की विविध शाखाओं में प्रयुक्त होने वाले पारिभाषिक षब्दों के पर्याय केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय द्वारा प्रकाषित कोष ग्रन्थों से ही ग्रहण



प्रयोजनमूलक हिन्दी

करने चाहिए। तकनीकी शब्द कोषों की मदद भी ली जा सकती है। टेम्परेचर के लिए तापमान शब्द ब आम जनता की जबान पर चढ़ गया हैं इसी प्रकार एटोमिक इनर्जी के लिए परमाणु ऊर्जा सेटेलाइट के लिए उपग्रह शब्दों का घड़कन से प्रयोग किया जाता है। जो वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली सर्वस्वीकृत हो उसके लिए नया एवं अप्रयुक्त शब्द प्रयोग करना ठीक नहीं माना जाता है।

डॉ. एन. ई. विश्वनाथ अय्यर ने अनुवाद कला के अन्तर्गत कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का उल्लेख इस प्रकार किया है—

1. जो अन्तर्गत संज्ञाएँ हैं उन्हें केवल प्थितरित ही किया जाना चाहिए अर्थात् उन्हें अंग्रेजी में न लिखकर देवानागरी में ही लिखा जाना चाहिए।
2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी लेखन में प्रयुक्त एवं स्वीकृत अन्तर्राष्ट्रीय चिन्हों को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लेना चाहिए।
3. तकनीकी भाषा वस्तुतः संकार भाषा होती है अतः उसकी संकररूपता से घबराना नहीं चाहिए।
4. अन्य भाषाओं के स्वीकृत शब्दों का प्रयोग लक्ष्य भाषा में करते समय, लक्ष्य भाषा की प्रकृति के अनुरूप उसका अनुकूलन कर लेना चाहिए।
5. लक्ष्य भाषा में प्रचलित अर्द्ध तकनीकी शब्दों का प्रयोग अनुवाद में किया जा सकता है।
6. विदेशी और भारतीय भाषाओं के शब्दों के मेल से बने शब्दों का प्रयोग भी इस प्रकार के अनुवाद में किया जा सकता है।
7. मूल भाषा के ग्रन्थों को पढ़कर अपनी भाषा में उन ग्रन्थों को नये सिरे से लिखना अधिक प्रभावी होता है।
8. वैज्ञानिक शब्दों की अर्थगत बारीकी को जाने बिना किया गया अनुवाद सटीक नहीं हो सकता। 9. यथासम्भव अनुवाद सरल भाषा में हो, वाक्य छोटे-छोटे हों तथा बात समझ में आ जाये। 10. फार्मूले, चिन्ह, तकनीकी, संकल्पनाएँ समीकरण आदि प्रतीक अंग्रेजी में लिखने की सिफारिश

भारतीय शब्दावली आयोग ने करके एक बड़ी समस्या हल कर दी है।

वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद में केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से प्रकाशित कोष भी अत्यन्त सहायक हुए हैं।

1. अनुवादक विषय का जानकार होना चाहिए। विज्ञान एवं तकनीक क्षेत्र में प्रशिक्षित व्यक्ति ही इस कार्य के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पात्र है।
2. वैज्ञानिक एवं तकनीकी एवं तकनीकी भाषा वस्तुनिष्ठ एवं तथ्यपरक होती है इस बात को ध्यान में रखकर ही अनुवादक को अपना कार्य करना चाहिए।
3. पारिभाषिक शब्द किसी विषिष्ट अर्थ या संकल्पना को व्यक्त करते हैं, इस तथ्य को ध्यान में रखकर ही उनका प्रयोग अनुवादक को करना चाहिए।
4. अनुवादक के द्वारा किया गया अनुवाद बोधगम्य, सुस्पष्ट होना चाहिए।
5. अनुवादक को स्रोत भाषा की वाक्य रचना का अनुकरण न करके लक्ष्य भाषा की प्रवृत्ति के अनुरूप अनुवाद करना चाहिए।
6. वैज्ञानिक एवं तकनीकी विषयों का अनुवाद साहित्यिक अनुवादकी तुलना में अपेक्षकृत सरल माना जाता है।
7. अनुवादक का भाषा पर पूर्व अधिकार होना चाहिए।
8. विज्ञान एवं तकनीकी वर्तमान जीवन की आधारशिला है तथा भाषाओं के माध्यम से मनुष्य जुड़ता

है इस तथ्य को भी अनुवादक को ध्यान में रखना चाहिए।

5. वाणिज्यिक अनुवाद (Commercial Translation)

अभी

कुछ वर्षों पहले तक वाणिज्यिक बैंक के सारे कागजात अंग्रेजी में होते थे जिन्हें भरते समय प्रायः गाँव देहात की जनता कठिनाई का अनुभव करती थी किन्तु अब बैंकों में अधिकांश कामकाज हिन्दी में होने लगा है। बैंकों में जमा पर्ची, चेक बुक, पास बुक आदि जरूरी कागज अंग्रेजी के साथ-साथ हिन्दी में भी उपलब्ध है। हिन्दी में लिखे हुए बैंक आदि बैंकों में स्वीकार किये जाते हैं। बैंकिंग सेक्टर में भाषा के स्तर पर निरन्तर सुधार की प्रक्रिया जारी है। पहले जिन अंग्रेजी शब्दों में का प्रयोग बैंक के रोजमर्रा कामकाज के लिए होता था। अब उने स्थान पर हिन्दी शब्दों का प्रयोग बैंक के रोजमर्रा के कामकाज के लिए होता था। अब उनक स्थान पर हिन्दी शब्दों का इस्तेमाल होने लगा है, यथा— एकाउण्ट के लिए खाता, डिपोजिट के लिए जमा, विद्वाल के लिए निकासी, सेविंग बैंक के लिए बचत खाता, ट्रांसफर लिए अंतरण, लोन फैसिलिटीज के लिए ऋण सुविधा आदि। कुछ अंग्रेजी शब्द भी अब इतने प्रचलन में आ गये हैं। उन्हें जयो का त्यों स्वीकार कर लिया गया है जैसे— चौक बुक, डिमाण्ड ओवर ड्राफ्ट क्रेडिट

डेबिट आदि। वाणिज्यिक अनुवाद

के लिए भी डॉ. एन. ई. विश्वनाथ असयर के अनुसार वही नीति अपनायी जाती हैं जैसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी अनुवाद के लिए अपनायी जाती है। अनुवादक को अनुवाद करते समय अन्तर्राष्ट्रीय शब्दावली ज्यों की त्यों ग्रहण कर लेनी चाहिए तथा पेश शब्दों का अनुवाद लक्ष्य भाषा में कर लेना चाहिए। भाषा की संरचना में प्रशासनिक अनुवाद जैसी व्यवस्था को अपनाया जाता है।

यहाँ एक बचत खाते की पे—इन— स्लिप का अंग्रेजी एवं हिन्दी रूप प्रस्तुत है—

इलाहाबाद बैंक

चसमैम नेम मचंतंजमे चसपचे वित कमचवेपजपदह बौ, बीमुनमे दक कतंजि मजब. कषपया नकद, चौक और ड्राफ्ट के लिए अलग—अलग पर्चियों का प्रयोग करें।

वजम

दिनांक रु

For the credit of the Saving Bank Account of

के बचत खाते में जमा करने के लिए रु. शब्दों में

Amount in words Rupees———

Account No& [kkrk la];k

Rs-

जमाकर्ता के हस्ताक्षर

Signature of Depositor

वाणिज्यिक एवं बैंकिंग अनुवाद में प्रयुक्त होने वाले कुछ हिन्दी अंग्रेजी शब्दों की तालिका प्रस्तुत हैं जिनसे अनुवादक लाभ उठा सकते हैं—

क्रम संख्या

अंग्रेजी शब्द

1. एकाउण्ट

हिन्दी अनुवाद



प्रयोजनमूलक हिन्दी

खाता, लेखा

एकाउण्ट नम्बर

3. पर्सनल एकाउण्ट

खाता संख्या

व्यक्तिगत खाता

4. आइदर और परवायवर

इनमें से किसी एक या जो

5. डिसकाउण्ट

जीवित बचा हो

कटौती

6. एडजस्टमेंट

समायोजन

कैष बुक

8. नामिनी

9. माइनर

10. कैपीटल

11. ट्रेड डिस्काउण्ट

12. ड्राइंग एवं डिसपर्सिंग

रोकड़ बही

नामित

अवयस्क

पूँजी

व्यापारिक कटौती

आहरण एवं वितरण

13. सेविंग बैंक एकाउण्ट

बचत खाता

14. रिकरिंग डिपोजिट

15. बाउचर्स

आवर्ती जमा

प्रमाणक

16. बैड डेब्ट्स

17. सेल्स रिटर्न

18. स्टॉक

19. स्पेशल डिस्काउण्ट

अप्राप्य ऋण (ऐसा ऋण जिसकी वसूली सम्भव नहीं)

यहाँ केवल कुछ षब्द उदाहरण के तौर पर प्रस्तुत किये गये हैं। अब भी बैंकिंग क्षेत्र में अंग्रेजी षब्दों का प्रयोग हो रहा है किन्तु धीरे-धीरे बैंकों का कामकाज हिन्दी में अधिक होने लगा है। अब तो प्रायः सभी बैंकों में कम्प्यूटरीकरण हो गया है। कम्प्यूटर में साफ्टवेयर प्रायः अंग्रेजी पर भी बैंक सम्बन्धी कामकाज हिन्दी में होगा।

विधि अनुवाद— कानून के क्षेत्र में भी अब हिन्दी का बोलबाला है अतः कानून की किताबों के हिन्दी अनुवाद की आवश्यकता बराबर अनुभव की जाती है। इस क्षेत्र में काम करने वाले अनुवादकों को विविध षब्दावली कोष से बहुत सहायता मिल सकती है। इसका प्रकाशन केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय से किया है। 1970 ई. विधि षब्दावली का प्रकाशन

पली बार हुआ तब से उसमें निरन्तर परिवर्तन, संशोधन एवं परिवर्द्धन होता रहा है।

इण्डियन पेनल कोड तथा इण्डियन इविडेंस एक्ट आदि के विभिन्न वाल्यूम्स का अनुवाद हिन्दी में उपलब्ध है। संसद एवं अधिकांश विधानसभाओं में भी अब हिन्दी और अंग्रेजी में बिल पेश होने हैं। विधि सम्बन्धी अनुवाद में अनुवादक को बहुत सचेत रहना चाहिए तथा उचित षब्द का प्रयोग ही करना चाहिए।

यथा—

आर्डिनेंस के लिए अध्यादेश

मैजेट के लिए आदेश

रिट के लिए रिट याचिका

इंजक्शन के लिए व्यादेश

विधि सम्बन्धी अनुवाद में अंग्रेजी की वाक्य संरचना एवं षब्दों के अर्थ की सूक्ष्म जानकारी अपेक्षित होती है जिसके अभाव में सही अनुवाद नहीं किया जा सकता। कानून की समझ रखने वाला व्यक्ति ही विधि सम्बन्धी अनुवाद कर सकने में समर्थ हो पाता है।

आषु अनुवाद

आषु अनुवाद का अर्थ है तुरन्त एवं शीघ्रता से अनुवाद करे एक भाषा के कथन को दूसरी भाषा के माध्यम से प्रस्तुत करना। प्रायः राष्ट्रध्यक्ष प्रधानमंत्री या मंत्री जब किसी दूसरे देश की यात्रा करते हैं तो वहाँ आषु अनुवादकों की आवश्यकता दुभाशियों के रूप में पड़ती है जो परस्पर बातों का आदान-प्रदान आषु अनुवादक के माध्यम से ही कर पाते हैं क्योंकि वे एक-दूसरे की भाषा को नहीं जानते। आषु अनुवादक को बहुत अधिक सचेत रहना पड़ता है, उसकी जरासी चूक दो देशों के सम्बन्ध को तनावपूर्ण बना सकती है।

6. पारिभाषिक षब्दावली

परिभाषा—

(1) डॉ. रघुवीर के अनुसार, श्रुति षब्दों की सीमा बाँध दी जाती है, वे पारिभाषिक षब्द होते हैं और जिनकी सीमा नहीं बाँधी जाती है, वे साधारण षब्द होते हैं। १

(2) डॉ. गोपाल शर्मा के अनुसार, किसी ज्ञान विषेश के क्षेत्र में एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त षब्द पारिभाषिक षब्द कहलाते हैं। इनका अर्थ एक परिभाषा द्वारा स्थिर कर दिया जाता है।

(3) डॉ. भोलानाथ तिवारी के अनुसार, “पारिभाषिक षब्द ऐसे षब्दों को कहते हैं, जो अपने-अपने क्षेत्रों में विषिष्ट अर्थ में सुनिश्चित रूप से परिभाषित होते हैं। अर्थ और प्रयोग की दृष्टि से परिभाषिक षब्द कहा जाता है। १



प्रयोजनमूलक हिन्दी

उपर्युक्त परिभाषाओं के आधार पर पारिभाषिक शब्दों के निम्नलिखित लक्षण प्रकट होते हैं—

1. पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग ज्ञान के विषिष्ट क्षेत्र में होता है।
2. उनका अर्थ सुनिश्चित होता है जिसमें लचीलापन या संदग्धता नहीं होती।
3. पारिभाषिक शब्दों का अर्थ नियत एवं निश्चित होता है तथा एक अर्थ को व्यक्त करने वाला केवल एक शब्द होता है।

पारिभाषिक शब्दों के गुण पारिभाषिक शब्दों के निर्माण में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए, तथी उनका निर्माण दोशरहित हो सकता है—

1. पारिभाषिक शब्दों के अर्थ में अस्पष्टता, दुर्बोधता और संदिग्धता नहीं होनी चाहिए।
2. स्रोत भाषा में यदि कोई पारिभाषिक शब्द एकशब्दीय है तो लक्ष्यभाषा में भी वह एकशब्दीय ही होना चाहिए।
3. पारिभाषिक शब्द यथासम्भव छोटा, सरल, व्याकरण के नियमों के अनुकूल होना चाहिए।
4. पारिभाषिक शब्द सार्थक होना चाहिए।
5. पारिभाषिक शब्द का उच्चारण सुगमतापूर्वक किया जा सके, इसका ध्यान भी शब्दावली निर्माण

करते समय रखना चाहिए।

6. पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता अध्ययन-अध्यापन पुस्तक लेखन, अनुवाद में अधिक पड़ती

इन्हें वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने भी इनके निर्माण पर बल दिया है।

हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली निर्माण कार्य का पुरोधा डॉ. रघुवीर को माना जाता है।

पारिभाषिक शब्दों की रचना प्रक्रिया—

1. संस्कृत के उपसर्ग, प्रत्यय, समास एवं संधियों द्वारा।
2. हिन्दी के तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी, शब्दों के साथ, हिन्दी के उपसर्ग, प्रत्यय आदि जोड़कर।
3. हिन्दी के सम्पर्क में आने वाली आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं से शब्द लेकर।
4. विदेशी भाषाओं— अंग्रेजी, रूसी, अरबी—फारसी, फ्रेंच, जर्मन, आदि से शब्द लेकर। यहाँ कुछ उदाहरण देकर पारिभाषिक शब्दावली निर्माण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया जा रहा है—
बैटिंग (मजजपदह)

वैटिंग के लिए हिन्दी में प्रयुक्त शब्द पुनर्निरीक्षण है। अनुवाद पूरा कर लेने के बाद उसका पुनः निरीक्षण करना आवश्यक होता है। किये गये अनुवाद का पुनर्निरीक्षण करते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए—

1. स्रोत भाषा के पाठ और लक्ष्य भाषा के पाठ में कोई मूलभूत अन्तर तो नहीं है। यदि कोई तकनीकी

भूल हो या गलत शब्द प्रयुक्त किया गया हो तो उसे तुरन्त सुधार लेना चाहिए।

2. सबसे पहले यह देखना चाहिए कि जिस पाठ का अनुवाद किया गया है। उसका कोई शब्द कोई शब्द, वाक्य अनुच्छेद आदि अनूदित होन से रह तो नहीं गया है। यदि ऐसा है, तो उसका पुनः अनुवाद करते हुए त्रुटि का निराकरण कर देना चाहिए।

3. अनुवादक को पुनर्निरीक्षण करते समय यह भी देखना चाहिए कि स्रोत भाषा के किसी शब्द पदबन्ध या वाक्य का लक्ष्य भाषा में गलत अर्थ तो नहीं समझ लिया है यदि अर्थ समझने में गलती होगी तो अनुवाद भी निश्चित रूप से गलत होगा अतः बहुत सावधानी से

मूल पाठ को पढ़कर अर्थ हृदयगम करते हुए अनुवाद करना चाहिए। यदि अर्थ की कोई गली रह गई हो तो उसका निराकरण बैटिंग (पुनर्निरीक्षण) में कर देनी चाहिए।

4. स्रोत भाषा की कोई अभिव्यक्ति यदि लक्ष्य भाषा में आने से रह गई हो, तो पुनर्निरीक्षण करते समय

उसे समाविष्ट कर लेना भी आवश्यक होता है।

5. अनूदित पाठ को एक बार पुनः पढ़कर यह देख लेना आवश्यक होता है कि इसमें भाषा का सहज प्रवाह है या नहीं। अनूदित अवतरण का कोई शब्द, कोई वाक्यांश पढ़ते समय मन में खटक तो नहीं रहा है। यदि ऐसा हो तो उस शब्द और वाक्यांश को बदल देना चाहिए।

6. इस प्रकार बैटिंग वह प्रक्रिया है जिसमें हम स्रोत भाषा में किये गये अनुवाद का पुनर्निरीक्षण करते हुए उसकी गलतियों का परिमार्जन करते हैं। पुनः निरीक्षण में एक-दो गलतियाँ मिल ही जाती हैं, जिनका निराकरण कर लिया जाना चाहिए तभी अनुवाद में सजीवनता एवं प्रवाह आ पाता है।

आषु अनुवाद

(फनपबा जत्तेंसंजपवद)

दो भिन्न भाषाएँ बोलने वाले व्यक्ति परस्पर सम्पर्क के लिए किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता लेते हैं जो उन दोनों भाषाओं का जानकार होता है, इस व्यक्ति को दुभाशिया कहा जाता है। उन व्यक्तियों के पारस्परिक वार्तालाप के समय वह दुभाशिया उपस्थित रहता है और एक व्यक्ति के वाक्य या कथन को तुरन्त ह करना होता है ऐसे अनुवाद को आषु अनुवाद (फनपबा जत्तेंसंजपवद) कहा जाता है। इस प्रकार के अनुवाद के लिए अनुवादक को स्रोत भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए साथ ही दोनों भाषाओं की सूक्ष्म जानकारी तेवर, भाषिक अभिव्यक्तियाँ मुहावरे आदि से भी उसे अवगत होना चाहिए अन्यथा थोड़ी-सी गलती होने पर अर्थ का अनर्थ हो सकता है। यदि दो राष्ट्राध्यक्षों के पारस्परिक वार्तालाप में कोई दुभाशिया जरा-सी भूल अनुवाद में कर दे तो गलत मंतव्य समझ लेने से दो राष्ट्रों के बीच तनाव उपस्थित हो सकता हो सकता है और और उनका आपसी सम्बन्ध खराब हो सकते हैं।

आषु अनुवाद में अपेक्षित सावधानियाँ—

1. आषु अनुवादक की स्रोत भाषा एवं लक्ष्य भाषा पर पूरा अधिकार होना चाहिए।
2. आषु अनुवादक में मंतव्य को समझ सकने की क्षमता तथा उसे लक्ष्य भाषा में व्यक्त कर सकने

की योग्यता होनी चाहिए।

3. आषु अनुवादक के लिए यह भी अपेक्षित है कि उसे वक्ता के वक्तव्य एवं नीतिगत विचारों एवं पामलों की भली-भाँति जानकारी हो। राष्ट्राध्यक्षों के साक्षात्कारी, वक्तव्यों, प्रेस कान्फ्रेंसों का भली-भाँति अध्ययन करके ही वह यह जानकारी प्राप्त कर पाता है। दुभाशिए का काम करते समय इस जानकारी से वह अपेक्षित लाभ उठाकर दुभाशिए के रूप में वह उन दोनों व्यक्तियों के बीच सेतु का कार्य कर सकता है।

4. आषु अनुवादक को पूर्वानुमान कर लेना चाहिए कि किस विषय पर राष्ट्राध्यक्षों में बातचीत होनी है। तत्पश्चात् पहले से तैयार करके उस विषय से सम्बन्धित उस देश की नीतियों से अवगत हो जाना चाहिए, जिससे उसका कार्य आसान हो जाता है और वह राष्ट्राध्यक्ष के मंतव्य को भली-भाँति दूसरे राष्ट्राध्यक्ष तक पहुँचा पाता है

5. आषु अनुवादक भी एक व्यक्ति है, मशीन नहीं अतः उससे भूलें होनी स्वाभाविक है। समय पर भूल

पता चलने पर उसे तुरन्त क्षमा माँगते हुए भूल सुधार कर लेना चाहिए।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

6. आषु अनुवादक को अपनी ओरसे यही प्रयास करना चाहिए। कि वह वक्ता के मूल तव्य को उसके स्वाभाविक तेवर के साथ दूसरे व्यक्ति तक पहुँचा दे। इस सम्बन्ध में उसे पर्याप्त सजग रहने की आवश्यकता रहती है। मतव्य में जरा-सा परिवर्तन होने पर काम बिगड सकता है।

7. वक्ता के लहजे का ध्यान भी आषु अनुवादक को रखना चाहिए। यदि वक्ता प्रसन्न मुद्रा में कोई में कोई बात कर रहा है तो आषु अनुवादक को भी वही लहजा भाशाभिव्यक्ति में अपनाना चाहिए। 8. आषु अनुवादक को समकालीन राजनीतिक सम्बन्धों की भी पूरी जानकारी रखते हुए उन दोनों राष्ट्रों की मूलभूत नीतिगत निर्णयों की जानकारी रखनी चार। उसे यह पता होना चाहिए कि इन दोनों राष्ट्रों के पारस्परिक सम्बन्ध तथा विभिन्न मुद्दों पर उनक विचार क्या है तभी वह एक व्यक्ति की बात दूसरे व्यक्ति तक भली-भाँति पहुँचा पाता है।

9. आषु अनुवाद को वक्ता राष्ट्राध्यक्ष एवं श्रोता राष्ट्राध्यक्ष के बौद्धिक स्तर का ध्यान रखते हुए अपना कार्य करना चाहिए तभी उसे अपने कार्य में सफलता मिल पाती है।

उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि आषु अनुवादक का कार्य अत्यन्त अनुभवी एवं कूटनीति व्यक्ति ही सम्पन्न कर सकता है। उसे पूरी मानसिक दक्षता दिखाते हुए अपने उत्तरदायित्व का निर्वाह करना होता है।

क्र०सं०

1 आषु अनुवाद एवं सामान्य अनुवाद में अन्तर

आषु अनुवाद

सामान्य अनुवाद

आषु अनुवाद में स्रोत भाशा से लक्ष्य भाशा में सामान्य अनुवाद में स्रोत भाशा में लक्ष्य भाशा मौखिक अनुवाद अवलिम्ब करना होता है।

2. आषु अनुवाद मौखिक होता है।

आषु अनुवाद में वक्ता के कथन का भावार्थ श्रोता के समक्ष लक्ष्य भाशा में प्रस्तुत करना होता है।

आषु अनुवाद को मूल कथन का बोध लक्ष्य भाशा में उसके लहजे के साथ कराना पड़ता है अर्थात् उसमें कथन की पैली का अनुकरण किया जाता है।

मे लिखित अनुवाद करना होता है। सामान्य अनुवाद लिखित रूप में होता है। सामान्य अनुवाद विकलन रूप में षब्द एवं वाक्य प्रधान रचना है।

सामान्य अनुवाद में वाक्यों से लहजे की अभिव्यक्ति होती है किन्तु उसमें प्रधानता षब्दार्थ एवं वाक्यार्थ की रहती है।

आषु अनुवाद प्रायः दुभाशिए के रूप में व्यक्ति सामान्य अनुवाद के रूप में व्यक्ति करता है। को करना पड़ता है।

6. आषु अनुवाद में सुधार की गुंजायष नही होती।

सामान्य अनुवाद में सुधार की गुंजायष रहती है।

7. आषु अनुवाद को ऑडियो या वीडियो कैसेट में सामान्य अनुवाद को केवल बार-बार पढ़ने की रिकार्ड करके बार-बार सुना जा सकता है। तथा उसका संशोधन कर सकने की सुविधा रहती है।

6. प्रायरु फिल्मी गीत को पैरोडी पर विज्ञापन लिखे जाने लगे है।

7. विज्ञापन मनोरंजक, कल्पना के सौंदर्य से युक्त तथा सोददेश्य होना चाहिए।

8. विज्ञापन की भाषा कुछ अटपटी, चटपटी तथा रोचक होती है तथा वह सामान्य भाषा से विचलित होती है।
9. अधिकतर विज्ञापनों की भाषा में व्याकरणिक नियमों का पालन नहीं किया जाता।
10. विज्ञापन रोचक, कौतूहलवर्द्धक एवं नवीनता से युक्त होना चाहिए, तभी वह दर्शकों के मनोमस्तिष्क को प्रभावित कर पाता है।

रेडियो का उपयोग रनिंग कमेन्ट्री (जीवंत विवरण) के लिए भी होता है। हॉकी, क्रिकेट, फुटबाल, बैडमिंटन टेनिस जैसे खेलों का लाइव प्रसारण रेडियो तथा टी.वी. के माध्यम से होता है। क्रिकेट को लोकप्रिय बनाने में रेडियो कमेन्ट्री का भी बहुत बड़ा हाथ है। जनता को रेडियो पर प्रस्तुत किये जाने वाले अनेक कार्यक्रमों के खरा परिवार नियोजन, श्रमिक अधिकारों, बीमारी से बचाव के उपयों, कृषि सम्बन्धी जानकारी देकर लाभान्वित किया जा सकता है। सरकार की योजनाएँ जो ग्रामीण जनता के लाभ के लिए बनाई जाती हैं। रेडियो के माध्यम से जनता तक पहुँचाई जा सकती है। रेडियो मनोरंज का सबसे सस्ता एवं सुलभ साधन है तथा इसकी पहुँच ग्रामीण जनता तक सबसे अधिक है अतः यह जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। रेडियो कार्यक्रमों को अधिक मनोरंजक, रोचक बनाकर लोकप्रिय बनाया जा सकता है यह हमारी जातीय संस्करति लोक संस्कृति को भी प्रसारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है।

आजादी के बाद रेडियो स्टेशनों (आकाषवाणी केन्द्रों) का व्यापक जाल पूरे देश में फैला है। आल इण्डिया रेडियो की उर्दू सेवा, विदेश सेवा तथा एफ.एम. बैंड के प्रसारणों ने इसका दायरा बढ़ा दिया है। समाचारों के अतिरिक्त साहित्यिक सांस्कृतिक गतिविधियों ज्ञान विज्ञापन, मनोरंज खेल, करिजिगत आदि से जुड़े कार्यक्रमों को जन-जन तक पहुँचाने में आकाषवाणी की प्रभावी भूमिका रही है।

रेडियो पर प्रसारित होन वाले समाचारों के विषय एवं भाषा के सम्बन्ध में सरकार ने जो मार्गदर्शक सिद्धान्त निश्चित किये हैं उनका पालन प्रसारण में करना पड़ता है। वस्तुतः आकाषवाणी पूरी तरह केन्द्र सरकार के अधीन है। प्रसार भारतीय जो दिषा निर्देश जारी करती है उसका अनुपालन रेडियो स्टेशन के प्रभारी अधिकारी को करना पड़ता है।

रेडियो समाचारों का भाषा अखबारों के समाचारों की अपेक्षा अधिक संस्करतिनिष्ठ, शुद्ध एवं परिनिष्ठत होती है। भले ही उसमें अंग्रेजी एवं उर्दू के प्रचालित शब्दों का प्रयोग किया गया हो किन्तु वह उस मात्रा में नहीं होता जितना अखबार में छपने बाल समाचारों में देखा जाता है।

रेडियो का एक लाभ और भी है। समाचार-पत्र की पहुँच जहाँ ग्रामीण जनता तक नहीं हो पाती वहीं रेडियो दूरदराज के क्षेत्रों में भी सुना जाता है यह कम खर्चीला है तथा इसे निरक्षर लोग भी बड़े ध्यान से सुते हैं। निरक्षर अखबार नहीं पढ़ सकते किन्तु रेडियो सुन सकते हैं, इसलिए यह समाचार-पत्र की तुलना में अधिक प्रभावी जन-संचार माध्यम है।

(पप) टेलीविजन— आधुनिक जनसंचार माध्यमों में टी.वी. का महत्वपूर्ण स्थान है। यह दृश्य-श्रव्य माध्यम (निकपव-टपेनंस डमकप) है तथा जनसंचार माध्यमों में सर्वाधिक लोकप्रिय हैं टी.बी. ने मनुष्य को घर बैठे हुएसारी दुनिया से जोड़ दिया है। सूचना प्रौद्योगिकी में कम्प्यूटर के बाद यदि किसी अन्य माध्यम का नाम लिया जाता है तो वह टी. वी. है। टेलीविजन जीवंत दृश्य दिखाकर तथा घटनाओं का विवरण प्रस्तुत कर लोगों को घर बैठे घटना की सैर करवा देता है।

टेलीविजन का विकास— जे.एल. बेयर्ड ने तस्वीरों को प्रभावशाली ढंग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने वाला उपकरण 1925 में विकसित किया था किन्तु सी. एफ. जेकिस ने 1927 में तस्वीरें प्रसारित करके दिखाई। प्रारम्भिक टेलीविजन यान्त्रिक था किन्तु आज वह इलेक्ट्रॉनिक है। यही नहीं अपितु आधुनिक टेलीविजन तो डिजिटल हो गये हैं। आवाज सहित चित्रों का प्रसारण ब्रिटेन में सन् 1930 ई. में हुआ। फ्रांस ने नियमित टी.वी. प्रसारण



प्रयोजनमूलक हिन्दी

1938 में प्रारंभ हुआ जबकि अमेरिका में 1941 ई. में। रंगीन टी.वी. 1953 में अमेरिका में विकसित हुआ।

भारत में प्रथम टी.वी. केन्द्र का उद्घाटन 1959 ई. में हुआ। किन्तु भारत में सबसे पहला टी.वी. समाचार जुलेटिन 15 अगस्त 1965 को प्रारम्भ हुआ। अप्रैल 1976 को दूरदर्शन के 8 चैनल हैं तथा कई नये चैनल प्रारम्भ होने जा रहे हैं।

केवल टी.वी. नेटवर्क पर प्रसारित होने वाले चैनल उपग्रह के जरिये टॉसमिशन प्रसारण करते हैं। स्टार टी.वी. जी. टी.बी. सोनी टी.बी. बी.बी.सी., सी.एम. ई.एस.पी.एन. स्टार गोल्ड, साधना, डिस्कवरी, नेशनल ज्योग्राफिक्स, आस्था, डी.डी.स्पोर्ट आदि लगभग 70 चैनल केबल पर दिखाये जाते हैं। डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर दिखाये जाने वाले कार्यक्रम अत्यन्त सूचनाप्रद एवं उपयोगी होते हैं।

विदेशी चैनलों की घुसपैठ भी आज हमारे घरों में हो गयी है। आषंका व्यक्त की जा रही है कि इससे हमारी संस्कृति को खतरा है। बच्चे इन चैनलों पर हिंसा एवं सैक्स से युक्त ऐसे कार्यक्रम देखते हैं जो उनकी मानसिकता को विकृत करते हैं। टी.वी. के माध्यम से जहाँ समाचार, सूचना, नोरंजन, खेल, सामाजिक कार्यक्रम धारावाहिक, फिल्में आदि दिखाई जा सकती हैं वहीं विज्ञापनों के माध्यम कम्पनियाँ अपने उत्पद बेचने में भी सफलता प्राप्त कर रही हैं।

सूचना एवं संचार का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन टेलीविजन है। इसा प्रभाव क्षेत्र विस्तृत है तथा जनसंचार में इसका प्रभावी भूमिका है।

डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक चैनल पर कार्यक्रम अंग्रेजों में तैयार किये जाते हैं। किन्तु पार्श्ववाचन तकनीक के द्वारा इनकी रनिंग कमेंट्री विवरण हिंदी में प्रस्तुत किया जाता है। जिससे दर्शकों को एक बहुत बड़ा वर्ग इन कार्यक्रमों का आनन्द लेता है।

टेलीविजन के लिए समाचार लिखना एक कला है क्योंकि समाचारों में दी गई घटना की रिपोर्टिंग जीवन्त चित्रों के साथ की जाती है। टेलीविजन समाचारों की भाषा में निम्न विशेषताएँ अपेक्षित होती हैं—

1. भाषा सरल और सर्वग्राह्य होनी चाहिए।
2. समाचारों की भाषा इस प्रकार की हो कि सभी दर्शक उसे समझ लें।
3. एक बात एक ही वाक्य में समाप्त हो जानी चाहिए।
4. समाचारों की भाषा में बोलचाल में प्रयुक्त होने वाले अंग्रेजी एवं उर्दू के शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है।
5. ऐसे मुहावरे भी प्रयोग में लाये जा सकते हैं जो जनमानस में रचबस गये हों। कठिन शब्दों में प्रयोग से यथासम्भव बचना चाहिए।
6. समाचारों की शब्दावली में विविधता होनी चाहिए। किसी एक शब्द या वाक्यांश का बार—बार प्रयोग नहीं करना चाहिए।
7. समाचार लिखने के बाद उसे दुबारा पढ़कर भाषा में आवश्यक सुधार कर लेने चाहिए। भाषा में सहजता, सुबोधता एवं स्पष्टता होना चाहिए।
8. समाचार प्रस्तुत करने वाले को पढ़े गये समाचार एवं दिखायी गयी रिपोर्ट का तालमेल पहले सही ही कम्प्यूटर के माध्यम से बिठा लेना चाहिए।

टेलीविज के माध्यम से समाचारों के साथ—साथ अन्य मनोरंजक, सूचनाप्रद, शिक्षाप्रद कार्यक्रम भी दिखाये जाते हैं। इस संचार माध्यम की पहुँच आज नगरों में घर—घर में ही गयी है अतः यह उत्पादों की बिक्री बढ़ाने के लिए विज्ञापन देने का प्रमुख माध्यम भी है। टी.वी. के विज्ञापन दृश्य—श्रव्य होने के कारण अधिक प्रभावी होते हैं। टी.वी. के विज्ञापनों की भाषा में निम्न विशेषताएँ होनी चाहिए।

1. टी.वी. विज्ञापनों की भाषा समाचार-पत्र के विज्ञापनों की भाषा से अलग होती है।
2. टी.वी. विज्ञापनों में संगीत, चित्र, फोटोग्राफी आदि के उपयोग से ऐसा प्रभाव उत्पन्न किया जाता है कि वह दर्शक के मन-मस्तिष्क को प्रभावित करें।
3. विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा अटपटी, रोचक, कौतूहलपूर्ण एवं सामान्य भाषा से अलग होती है।
4. विज्ञापन की भाषा तुकदार शब्दों से निर्मित होती है। उसमें संगीत का पुट होता है तथा विरोध

मूलक चमत्कार भी होता है जैसे—

1. फेना ही लेना,
2. पले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें,
3. एवरेस्ट का तीखा लाल,
4. सौन्दर्य साबुन निरमा,
5. बात कुछ हजम नहीं हुई,
6. काम में दम दाम में कम,
7. दाँतों के साथ एक्सपेरीमेंट, कभी नहीं,
8. एडवांस्ड टेक्नोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे मेरा एकरव्हाइट टैथेपेस्ट,
9. दाँतों का सुरक्षा चक्र कोलगेट टूथपेस्ट,
10. वार्शिंग पाउण्डर निरमा।

विज्ञापन की भाषा ऐसी होती है जो उत्पाद के नाम को हाईलाइट करती है उसके गुणों पर प्रकाश डालती

है, उसे खरीदने के लिए प्रेरित करती है।

विज्ञापन में प्रयुक्त भाषा दैनिक बोलचाल की ऐसी भाषा होती है जो उर्दू हिन्दी, अंग्रेजी शब्दों के मेल से बनी होती है।

टेलीविजन की उपयोगिता—

1. जनसंचार के क्षेत्र में टी.वी. सर्वाधिक उपयोगी है।
2. टी.वी. के माध्यम से शैक्षिक कार्यक्रम दूर-दराज के क्षेत्रों तक पहुँचाये जाते हैं।
3. टी.वी. समाचारों से हम घर बैठे सारी दुनिया का हालचाल जान जाते हैं।
4. टी.वी. संवाददाता एवं रिपोर्टर्स का जाल पूरी दुनिया में फैला होता है जो पलक झपकते सारे घटनाक्रम का सच्चा हाल हम तक पहुँचा देते हैं।
5. टी.वी. पर घर बैठे चैनलों द्वारा षाई गई फिल्मों, चित्रहारों, गानों का आनन्द लिया जा सकता है।
6. डिस्कवरी एवं नेशनल ज्योग्राफिक जैसे चैनल ज्ञान की विविध शाखाओं पर तैयार कार्यक्रमों का प्रसारण कर हमें बहुत कुछ सीखने का अवसर देते हैं।
7. खेलों का आँखों देखा हाल टी.वी. पर लाइन कार्यक्रम के अनतर्गत प्रसारित किया जाता है।

मैदान पर चल रहे क्रिकेट मैच को हम घर बैठे देख लेते हैं।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

8. टी.बी. के माध्यम से उत्पादों के वापन दिखये जाते हैं जिससे इन उत्पादों की बिक्री में इजाफा

होता है।

9. टी.बी. मनोरंजन का सस्ता एवं सुलभ साधन है। हर प्राकर के कार्यक्रम टी.वी. पर देखे जा सकते हैं।

10. परिवार के सभी सदस्यों की रुच के अनुरूप कार्यक्रम टी.वी. के विभिन्न चैनलों पर उपलब्ध है। महिलाओं को पसन्द आने वाले धारावाहिक है। तो बच्चों के लिए कार्टू है, युवओं के लिए फिल्म संगीत एवं खेल है तो बुजुर्गों के लिए आस्था, साधना जागरण चैनल पर दिखाये जाने वाले आध्यात्मिक कार्यक्रम है

11. अकेलेपन की पीड़ा से मुक्ति दिलाने में भी टी.वी. कार्यक्रम सहायक होते हैं। टी.बी. कार्यक्रमों

को देखकर व्यक्ति को केलापन भगाने में मदद मिलती है।

12 दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले अनेक कार्यक्रम कशिजगत् से सम्बन्धित जानकारीयों देते हैं जो किसानों के लिए लाभदायक होते हैं। सरकारी योजनाओं एवं जनचेतना जाग्रत करने वाले अनेक कार्यक्रम भी टी.वी. पर दिखाये जाते हैं।

दूरदर्शन के उददेश्य

सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय से सम्बद्ध दूरदर्शन के निम्नलिखित उददेश्य सरकार ने निर्धारित किये हैं—

1. सामाजिक परिवर्तन के लिए प्रेरक की भूमिका का निर्वाह करना।

राष्ट्रीय एकता एवं अखण्डताको प्रोत्साहन देना।

3. जनता में वैज्ञानिक सोच एवं वैज्ञानिक चेतना का विकास करना।

4. परिवार कल्याण, जनसंख्या नियन्त्रण के संदेश को आम जनता तक पहुँचाना।

5. पर्यावरण को सन्तुलित बनाये रखने वाले संदेशों को जनता तक पहुँचाना।

6. गरीब और कमजोर वर्गों के विकास के लिए सामाजिक कल्याण के उपयों पर जोर देना।

7. करशि सम्बन्धी कार्यक्रमों से किसानों को जागरूक करना।

8. खेलकूद में लोगों की रुचि बढ़ाना।

9. भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक एवं कलात्मक गतिविधियों का प्रस्तुतीकरण।

10. जनता को सूचना, शिक्षा एवं मनोरंजन प्रदान करना।

दूरदर्शन प्रसार भारती के नियन्त्रण में काम करने चाली संस्था है जो उक्त उददेश्यों को ध्यान में रखकर अपने कार्यक्रम बनाती है।

सच पूछा जाय तो आज टी.वी. हमारे दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण भाग बन गया है। यदि एक दिन किसी कारण से टी.वी. कार्यक्रमों का प्रसारण न हो तो हमें कुछ अभाव का अनुभव होने लगता है। माध्यम वर्ग में टी.वी. का नषा अफीम के नषे की भाँति छाता जा रहा केबिल टी.वी. का पुल भले ही दुगना कर दिया जाय किन्तु कोई भी इससे अलग नहीं रहना चाहेगा।

टी.वी. ने हमारी सामाजिकता को समाप्त कर दिया हैं पहले लोग खाली समय में एक साथ मिलकर गपषप करने में समय व्यतीत करते थे किन्तु अब टी.वी. के सामने बैठकर समय व्यतीत करते हैं। टी. वी. ने पुस्तकों एवं पत्र-पत्रिकाओं को पढ़ने की प्रवृत्ति कम कर दी है। विदेशी चैनल सेक्स एवं हिंसा के जो कार्यक्रम प्रस्तुत करते हैं उनसे हमारी संस्कृति को खतरा उत्पन्न हो गया है।

(पपप) फिल्म— दृश्य—श्रव्य माध्यमों में फिल्म जनसंचार का प्रमुख माध्यम है। भारत में 1913 में आलम आरा नामक पहली बोलती हुई फिल्म बनी। एक अनुमान के मुताबिक पिछले 100 वर्षों में भारत में लगभग 34 हजार फिल्मों का निर्माण हुआ जिनमें से 2 हजार फिल्मों को परदे पर आने का अवसर नहीं मिला।

कुछ फिल्मों ऐसी होती हैं जिन्हें डॉक्यूमेंट्री फिल्मों कहा जाता है। इन फिल्मों की राज्य या केन्द्र का जनसम्पर्क एवं सूचना विभाग तैयार करता है तथा सिनेता हाल में ये डॉक्यूमेंट्री फिल्मों मुख्य फिल्म प्रारम्भ होने से पहले दर्शकों को दिखाई जाती हैं तथा इन फिल्मों के माध्यम से जनता को अपेक्षित सूचनाएँ दी जाती हैं। सरकार द्वारा चालयी गयी योजनाएँ परिवार नियोजन, एड्स जागरूकता, सर्वशिक्षा अभियान, बाल श्रम पर रोक, उद्यमिका विकास, वैकल्पिक ऊर्जा, चुनाव के समय वोटरो के कर्तव्य आदि अनेक विषयों पर डॉक्यूमेंट्री फिल्मों दिखाकर जनता को जागरूक बनाया जाता है।

व्यावसायिक फिल्मों का मूल उद्देश्य मनोरंजन है यद्यपि निर्माताओं का यह भी दावा है कि वे उद्देश्य पूर्ण फिल्मों बनाकर समाज को सकारात्मक राह पर ले जाते हैं। वर्तमान फिल्म उद्योग में मनोरंजन के नाम पर जो हिंसा एवं सैक्स परोसा जा रहा है वह हमारी वषट्तियों को प्रभावित कर रहा है। फिल्मों संस्कृति की वाहक होती हैं। उनकी क्षमता से इनकार नहीं किया जा सकता है किन्तु आज व्यवसायी फिल्मों के माध्यम से धन कमाना ही एकमात्र लक्ष्य मानते हैं। भारतीय सिने उद्योग में बहुत बड़ी पूँजी लगी हुई है तथा यह लाखों लोगों को रोजगार दे रहा है।

संवेदनशील विषयों पर बनी स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने वाली तथा उद्देश्यपूर्ण फिल्मों में जनमानस को प्रभावित करने की व्यापक क्षमता होती है। टी.वी., वीडियो, सीडी के आगमन से आज सिनेमाघर बन्द होते जा रहे हैं। फिल्मों की नकल सीडी पर करके फिल्म रिलीज होने से पूर्व ही लोगों द्वारा घरों में देख ली जाती है। इस पर रोक लगानी चाहिए क्योंकि यह कॉपीराइट एक्ट का उल्लंघन है।

फिल्म निर्माण की दृष्टि से अब भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। मूक चलचित्रों का भारत में निर्माण 1912-13 में ही प्रारम्भ हो गया था किन्तु बोलती हुई पहली फिल्म आलमआरा 1931 ई. में निर्मित हुई। वर्तमान समय में भारत की अनेक भाषाओं में प्रतिवर्ष एक हजार से अधिक फिल्मों बनती हैं।

सेंसर बोर्ड लोकसभा की प्राक्कलन समिति ने सरकार से सेंसरशिप लागू करने हेतु स्पष्ट नीति बनाने के लिए कहा जिसके अनुपालन में सेंसर बोर्ड बनाया गया। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड को कार्य करने

की अधिक स्वतन्त्रता दी जाय तथा बोर्ड के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जानी चाहिए जो फिल्म मीडिया में रुचि एवं सदस्यों की नियुक्ति ऐसे व्यक्तियों में से की जानी चाहिए जो फिल्म मीडिया में चर्चित एवं जानकारी कराते हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणीकरण बोर्ड से प्रामाण-पत्र प्राप्त होने के बाद ही फिल्मों को सिनेमाघरों में दिखाया जा सकता है। इससे फिल्मों में सैक्स एवं हिंसा से युक्त आपत्तिजनक दृश्यों को काटकर दिखाने का रास्ता खुला। यह सेंसर बोर्ड केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण मन्त्रालय के अधिन कार्य करता है। सन् 1993 में केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने 936 देशी-विदेशी फिल्मों को प्रमाण-पत्र केवल 'I' उन फिल्मों को प्रमाण-पत्र दिया। इसे प्रमाण पत्र दो प्रकार के होते हैं— । और = प्रमाण-पत्र। । प्रमाण-पत्र केवल उन फिल्मों को दिया जाता है है जिन्हें केवल वयस्क ही देख सकत हैं जबकि प्रमाण-पत्र सब दर्शकों को देखने योग्य फिल्मों के लिए जारी किया जाता है।

अच्छी फिल्मों को राष्ट्रीय पुरस्कार भी सरकार की ओर से दिया जाता है। दादा साहब फाल्के पुरस्कार फिल्म से जुड़े उन महान लोगों को दिया जाता है जिन्होंने फिल्म के क्षेत्र में महान योगदान किया हो। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त कुछ फिल्मों के नाम हैं। दो आँखे बारह हाथ (निर्देशक बी. पान्तराम), तीसरी कसम (वासु भट्टाचार्य), बाघ बहादुर (बुद्धदेव दास गुप्ता), मृगया (मृणाल सेन) । दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं में कुछ नाम हैं। राजकपूर, लता मंगेशकर आदि।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

फिल्म एक सशक्त माध्यम है जिसका प्रभाव दर्शकों पर लम्बे समय तक रहता है। फिल्मों में प्रयुक्त कुछ गीतों ने तो राष्ट्रीय भावना के प्रतीक रूप में अपनी पहचान बनाई है। आज भी स्वतन्त्रता दिवास या गणतन्त्र दिवस पर ये गीत बजाये जाते हैं—

1. आओ बच्चो तुम्हें दिखायें झाँकी हिन्दुस्तान की ।
2. हम लाये हैं तूफान से कष्टी निकाल के
3. एक मालिक तेरे बन्दे हम
4. मेरा रंग दे बसन्ती चोला ।
5. यह देश है वीर जवानों का अलबेलों का मस्तानों का।
16. मेरे देश की धरती सोना उगले।
7. जहाँ डाल—डाल पर सोने की चिड़ियाँ करती है बसेरा वह भारत देश है मेरा द्य

भारत में बनी अनेक अच्छी फिल्में हमें राष्ट्रीयता, चरित्र की शिक्षा देती हैं फिल्में संस्कृति, संगीत, इतिहास की शिक्षा देने का कार्य करती हैं। तथा व्यक्तियों को संदेश देकर प्रभावित भी करती हैं।

फिल्मों का मूल्यांकन एवं उपयोगिता

फिल्म निर्माण जहाँ लाखों लोगों के रोजगार का साधन है, वहीं मनोरंजन का सबसे प्रमुख साधन है अच्छी फिल्मों के माध्यम से दिये गये संदेश लोगों पर गहरा प्रभाव डालते हैं फिल्म निर्माताओं को सार्थक फिल्मों के द्वारा समाज में परिवर्तन लाया जा सकता है। हमारी वर्तमान पीढ़ी की बोलचाल, पहनावा, फैशन, लाइफ स्टाइल (जीवन पैली) सब कुछ फिल्मों से प्रभावित है। फिल्में फैशन को बदलती हैं।

सामाजिक बुराइयों को फिल्मों के माध्यम से उजागर किया जा सकता है। दामुल, आक्रोष दो आँखे बारह हाथ, सत्य काम ऐसी ही कुछ उददेश्य प्रधान फिल्में थीं। ये व्यक्ति के चिन्तन को झकझोरती हैं तथा इनकी कथावस्तु हमें कुछ सोचने को विवश करती हैं। व्यवस्था परिवर्तन के बिना समाज में परिवर्तन ही लाया जा सकता, राजनीति और आपराधियों की साठ—गाँठ ने समाज का पूरा ढाँचा बदल दिया है। आज आदमी को न्याय नहीं मिल पा रहा है, शोषण के चक्र में गरीब पिस रहा है, अपराध सम्प्रदायवाद एवं पूँजीवाद ने एक—दूसरे का हाथ पकड़ लिया है— आदि ऐसे ही कुछ ज्वलंत विषय हैं जिन पर फिल्मकार कहानियाँ लिखवाकर उसे फिल्म के रूप में पर्दे पर डाल रहे हैं।

फिल्म में प्रति आज निर्माताओं का दर्शककोण पूरी तरह व्यावसायिक हो गया है। वे इसमें पूँजी लगाते अतः ऐसी फिल्म जनाना चाहते हैं बॉक्सऑफिस पर दर्शकों की भीड़ खींच सके। यही कारण है कि फिल्मों में अश्लीलता एवं हिंसा अधिपरोसी जा रही है तथा फिल्मकार अपने सामाजिक लक्ष्य से भटक रहे हैं। जनता यही देखना चाहती है— ऐसा कहकर ये अपने सामाजिक उत्तरदायित्व से मुक्त नहीं हो सकते।

(पअ) वीडियो वीडियों का तात्पर्य है फिल्म की छोटी रील तैयार करना जिसे घर बैठे वी. सी.आर. पर, टीवी. के पर्दे पर फिल्म के रूप में देखा जा सकता है। इसमें दृश्य भी दिखाई पड़ते हैं तथा आवाज सुनाई पड़ती है। फिल्म निर्माण में जहाँ प्रचुर धन की आवश्यकता होती है, वहीं वीडियो फिल्म का निर्माण सस्ता साधन है। शादी विवाह, परिवार या समाज में होने वाले उत्सवों की भी लोग वीडियोग्राफ कर उनका आनन्द लेते हैं।

वीडियोग्राफी में लाइटिंग की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। क्लोजअप लेने के लिए 500 वाट की ट्यूब लाइटिंग का प्रयोग होता है जबकि 1000 वाट की लाइटिंग का प्रयोग क्राउड या लॉग शॉट के लिए किया जाता है। फिल्म 70 एम.एम. की फिल्म पर शूट की जाती है जबकि वीडियो 35 एम.एम. की फिल्म पर शूट होता है।

अब वीडियो के साथ—साथ सी.डी. प्लेयर का इस्तेमाल भी टीवी के 9 दोन लगा है। फिल्म की सी. डी. बना ली जाती है तथा उसे फिल्म की भाँति देखा जा सकता है। सी.डी. बहुत

सस्ते में बन जाती है। वीडियो कैंसेट की कीमत की तुलना में सी. डी. बहुत सस्ती होती है। इसके भी वही उद्देश्य हैं जो फिल्म के हैं।

इंटरनेट— संचार माध्यमों में सर्वाधिक प्रभावशाली माध्यम इंटरनेट है जो हमें दुनिया भर के कम्प्यूटरों से जोड़ देता है। इसके लिए आपके पास एक कम्प्यूटर होना अनिवार्य है तथा एक टेलीफोन कनेक्शन भी जिसके जरिये आप दुनिया के कम्प्यूटरों से जुड़ जाते हैं। वेबसाइट पर उपलब्ध आँकड़ों को इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड करके वांछित सूचनाएँ प्राप्त की जा सकती है।

अमरीकी कम्पनियों ने इंटरनेट के महत्व को पहचान लिया था अतः उन्होंने इससे बहुत लाभ उठाया। अब इंटरनेट भारत में भी प्रचुरता से उपलब्ध है। उम्मीद की जाती है। कि इंटरनेट से भारत में पूरा लाभ उठायेगा।

इंटरनेट की लोकप्रियता के कारण—

1. इंटरनेट सूचना प्राप्ति का सरल सहज माध्यम है।
2. कम्प्यूटर आम लोगों की पहुँच में है अतः इंटरनेट का लाभ आम आदमी उठा सकते हैं।
3. दुनिया भर ज्ञान को अब इंटरनेट के माध्यम से तुरन्त कम्प्यूटर की स्क्रीन पर प्राप्त किया जा सकता है।
4. शिक्षा, चिकित्सा, षोध के क्षेत्र में इंटरनेट ने बहुत सहायता पहुँचाई।

वर्ल्ड वाइड वेब (WWW) के द्वारा नेटवर्क से कम्प्यूटर जुड़े रहते हैं। इंटरनेट बहुत सारे नेटवर्कों का नेटवर्क है। इसके लिए एक पर्सनल कम्प्यूटर और एक टेलीफोन कनेक्शन की आवश्यकता होती है। आप अपने पास वर्ड का उपयोग करके इंटरनेट सेवा से प्रारम्भ कर सकते हैं। इससे आपकी गोपनीयता भी रहेगी और दूसरे आपके कनेक्शन का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

इंटरनेट का उपयोग—

पारस्परिक चॉटिंग के लिए इंटरनेट का उपयोग होता है।

पप. सूचना, आँकड़े, किताबें, अखबार सब इंटरनेट पर उपलब्ध होते हैं, अतः उन्हें जा सकता है।

3 डाउनलोड किया

11. ई-बैंकिंग, ई-मेल, ई-वाणिज्य, ई-प्रशासन, ई-कान्फ्रेंस की सुविधाएँ भी इंटरनेट से प्राप्त की

जा सकती है।

पअ. अपना वेबसाइट बनाकर अपने उत्पाद को प्रस्तुत कर अपना व्यवसाय बढ़ा सकते हैं।

इंटरनेट से ई-मेल द्वारा पत्र-व्यवहार किया जा सकता है।

अप. षीघ्र की वायरस सर्फिंग सेवा इंटरनेट पर उपलब्ध होगी। जिसस माउस की क्लिक-क्लिक से छुटकारा मिल जायेगा।

निष्चय ही इंटरनेट आने वाले समय में सूचना एवं संचार के क्षेत्र में अपनी उपयोगिता बढ़ाता जायेगा तथा इस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रमुख साधन के रूप में विकसित होगा।

आषु अनुवाद

सामान्य अनुवाद

आषु अनुवाद में स्रोत भाषा से लक्ष्य भाषा में सामान्य अनुवाद में स्रोत भाषा में लक्ष्य भाषा मौखिक अनुवाद अवलिम्ब करना होता है।

2. आषु अनुवाद मौखिक होता है।



प्रयोजनमूलक हिन्दी

आषु अनुवाद में वक्ता के कथन का भावार्थ श्रोता के समक्ष लक्ष्य भाषा में प्रस्तुत करना होता है।

आषु अनुवाद को मूल कथन का बोध लक्ष्य भाषा में उसके लहजे के साथ कराना पड़ता है अर्थात् उसमें कथन की पैली का अनुकरण किया जाता है।

मे लिखित अनुवाद करना होता है। सामान्य अनुवाद लिखित रूप में होता है। सामान्य अनुवाद विकलन रूप में षब्द एवं वाक्य प्रधान रचना है।

सामान्य अनुवाद में वाक्यों से लहजे की अभिव्यक्ति होती है किन्तु उसमें प्रधानता षब्दार्थ एवं वाक्यार्थ की रहती है।

आषु अनुवाद प्रायः दुभाशिए के रूप में व्यक्ति सामान्य अनुवाद के रूप में व्यक्ति करता है। को करना पड़ता है।

6. आषु अनुवाद में सुधार की गुंजायष नही होती।

सामान्य अनुवाद में सुधार की गुंजायष रहती है।

7. आषु अनुवाद को ऑडियो या वीडियो कैसेट में सामान्य अनुवाद को केवल बार—बार पढ़ने की रिकार्ड करके बार—बार सुना जा सकता है। तथा उसका संषोधन कर सकने की सुविधा रहती है।



संदर्भ ग्रंथ सूची

1. डॉ. कपिलदेव द्विवेदी
प्रयोजनमूलक हिन्दी
प्रकाशक: लोकभारती प्रकाशन, इलाहाबाद
वर्ष: 2004
2. डॉ. हरिवंश
प्रयोजनमूलक हिन्दी और सम्प्रेषण
प्रकाशक: भारतीय विद्या संस्थान, दिल्ली
वर्ष: 2009
3. डॉ. विनोद कुमार तिवारी
प्रयोजनमूलक हिन्दी
प्रकाशक: विश्व पुस्तक भंडार, वाराणसी
वर्ष: 2012
4. डॉ. रामजी तिवारी
प्रयोजनमूलक हिन्दी का स्वरूप और प्रयोग
प्रकाशक: राजकमल प्रकाशन, दिल्ली
वर्ष: 2015
5. डॉ. राधेश्याम शर्मा
प्रयोजनमूलक हिन्दी एवं व्यवसायिक लेखन
प्रकाशक: बुक एंक्लेव, जयपुर
वर्ष: 2018
6. डॉ. राजेश गौतम
प्रयोजनमूलक हिन्दी : सिद्धांत और व्यवहार
प्रकाशक: अभिनव प्रकाशन, पटना
वर्ष: 2017
7. डॉ. कमल किशोर गोयनका
हिन्दी भाषा और प्रयोग की दिशाएँ
प्रकाशक: साहित्य भवन, आगरा
वर्ष: 2001
8. डॉ. के. एल. वर्मा
हिन्दी में प्रयोजनमूलक लेखन
प्रकाशक: अरिहंत प्रकाशन, जयपुर
वर्ष: 2013

MATS UNIVERSITY

MATS CENTRE FOR DISTANCE AND ONLINE EDUCATION

UNIVERSITY CAMPUS: Aarang Kharora Highway, Aarang, Raipur, CG, 493 441

RAIPUR CAMPUS: MATS Tower, Pandri, Raipur, CG, 492 002

T : 0771 4078994, 95, 96, 98 Toll Free ODL MODE : 81520 79999, 81520 29999

Website: www.matsodl.com

